राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या : 9

बुधवार,

28 मार्च, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आटा पिसाई हेतु जारी अधिकार पत्र

128. **श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्ष 2009-10 से 2011-12 में किस-किस आटा मिल को पिसाई का प्राधिकार पत्र दिया गया था? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में शिकायतों के कारण कितनी आटा मिलों को निलम्बित आदेश दिया तथा पुन: बहाल किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में किस-किस दर से आटा पिसाई का ठेका दिया गया तथा दरों में कमी के क्या कारण रहे?

(4) उक्त अवधि में प्राधिकार पत्र निलम्बन एवं बहाली के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) राज्य में वर्ष 2009-10 से 2011-12 में जिन आटा मिलों को पिसाई का प्राधिकार पत्र दिया गया था, उनकी वर्षवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में शिकायतों के कारण जिन आटा मिलों को निलम्बित आदेश दिया तथा पुन: बहाल किया गया, उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(श्री परसादीलाल)

(3) गत तीन वर्षों में जिस दर से आटा पिसाई का ठेका दिया गया, का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। आटा पिसाई का ठेका खुली निविदा प्रक्रिया के तहत नियमानुसार जारी किया जाता है तथा आटा पिसाई की दरें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फ्लोर मिलों/रोलर फ्लोर मिलों द्वारा उद्धृत की गई दरों पर निर्भर करती हैं।

(4) उक्त अवधि में प्राधिकार पत्र निलम्बन एवं बहाली के कारणों का विवरण परिशिष्ट-2 के अनुसार है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की जो राजस्थान की गरीब जनता को यह जहर खिलाया जा रहा है, क्योंकि उनको जो प्राधिकार सस्पैंड किया गया है और तुरन्त बहाल किया गया है एक महीने में और उसमें जो कारण बताये गए हैं, वे बहुत हास्यास्पद हैं? ऊपर लिख रहे हैं कि गम्भीर अनियमितताओं के कारण से सस्पैंड किया गया है, फिर पुनरीक्षण करके उसे आंशिक बहाल किया गया है। यह कौनसा वह आ गया जिस कारण से यह जहर खिलाने के लिए मजबूर हैं? मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं पूरक प्रश्न के रूप में, कि प्रति वर्ष कितने गेहूं को आटे में परिवर्तित किया जा रहा है राजस्थान में? उसमें जो पिसाई है, उसका कितना मार्जिन सरकार बचा रही है और कितना मार्जिन एजेण्ट्स को दे रही है? तीसरा प्रश्न यह है कि खरीदने और बेचने की अंतर राशि पिछले तीन साल में कहां जमा की गई और किस अकाउण्ट में जमा की गई? जयपुर जिले में कितनी अंतर राशि वसूल की गई? ये टेण्डर कितनी अवधि के बाद में किये गये, यह एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं?

श्री परसादीलाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि निरीक्षण और बहाल क्यों किया जाता है बार-बार। जो भी टाइम है उसके रीजन्स हैं- आटा मिलों का डीएसओ इन्सपैक्शन करता है, एसडीओ को अब इन्सपैक्शन के अधिकार दे दिये हैं, वहां यदि उनको कोई अनियमितता मिलती है तो उनको सस्पैंड किया जाता है। उसकी सुनवाई होकर उसमें अपील का प्रोविजन है खण्ड 22 में, एक्ट के रूल्स 22 में उसकी अपील होती है। मान लो, नीचे का अधिकारी करता है तो कलक्टर को अपील होती है और डीएसओ करता है तो अपील कमिश्नर को

(श्री परसादीलाल)

होती है। उसके बाद नियमानुसार गुण-अवगुण के आधार पर वे फैसला देते हैं। दूसरी बात आपने कही कि आटा मिलों की पिसाई का ठेका दिया जाता है, वह सारे ठेके का मैंने खण्ड दो और तीन में बताया है कि नियमानुसार उसकी पिसाई का ठेका ओपन टेण्डरिंग से होता है। अब आप यह कहेंगे कि पहले रेट ज्यादा थी और कम थी। यह कुछ सरलीकरण, जब यह बात सामने आई, माननीय सदस्यों के द्वारा सरकार के ध्यान में लाया गया कि ठेके की पिसाई की रेट, केवल पिसाई की रेट नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एफसीआई से गोदाम तक ले जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग-अनलोडिंग, उसकी सफाई, उसका वहां तक का ट्रांसपोर्टेशन, मिल से एपीएस डीलर तक का ट्रांसपोर्टेशन भी उसका है। इसलिए यह कहना गलत है कि यह दो रुपये किलो रेट है। एक रुपये किलो रेट आई, वह केवल पिसाई की रेट है। केवल पिसाई का ठेका नहीं है। पिसाई की जो दर आई, मैं आपको बताऊंगा कि 2009-10 में हमारे संभाग मुख्यालयों पर 2 रुपये 15 पैसे-जैसे अजमेर में, भरतपुर में 2 रुपये 15 पैसे, बीकानेर में 2 रुपये 15 पैसे, करीब-करीब 2 रुपये 15 पैसे है। केवल उदयपुर में 1 रुपये 99 पैसे आई। उसके बाद हमने उसका सरलीकरण किया। कुछ शर्तें ऐसी थीं जिसके कारण वह रेट ज्यादा आ रही थी। उसका सरलीकरण किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2009 में यह थी कि उसकी भण्डारण क्षमता अधिक होनी चाहिए, 800 मीट्रिक टन थी, उसको हमने 100 मीट्रिक टन किया। पहले रोलर फ्लोर मिलों को ही उसमें शामिल किया गया इसलिए उनकी मोनोपोली थी टेण्डर लगाने में। उसके बाद हमने 2011 में उनको छूट दी जो साधारण रोलर मिलें थीं, जो इस टेण्डरिंग में आ सकती थीं, 10 टन कैपेसिटी की। पहले छोटी मिलों को शामिल नहीं किया गया था इसलिए उसकी रेट अधिक आई। अब उनको शामिल करने के बाद रेट इस साल हमारी रेट जो 2011 में आई वह, पहले से बहुत कम आई। इसलिए आपका यह कहना कि ज्यादा रेट पर ठेका दिया, महंगा हो गया, उसका जवाब यह है। उसके बाद सरलीकरण किया, पहले अमानत राशि लेने का था, पहले अनुभव का भी था, पहले 3 वर्ष का अनुभव था, अमानत राशि थी उसको घटा कर हमने कर दिया कि 1 वर्ष का अनुभव भी अगर साधारण मिल का है तो उसको भी टेण्डरिंग में हम शामिल करेंगे। इसलिए यह जो रेट आई अब, वह रेट बहुत कम आई है। मैं कहूंगा कि हमने बीपीएल के आटे के लिए हमने गेहूं का भी प्रोविजन किया है। एपीएल को पूरे स्टेट में अभी पूरा आटा देंगे।

(श्री परसादीलाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मैं खुद गया कोटा में, वहां हमने मीटिंग ली। कोटा दाल मिल की शिकायत आई, वहां पर हमने जाकर देखा। कलक्टर और डीएसओ हमारे साथ थे, हमारे विभाग के सैक्रेटरी हमारे साथ थे। शर्तें थीं टेण्डर की कि उनको सात दिन में आटा पीस कर एपीएल डीलर तक पहुंचाना चाहिए था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस मिल में हमारे एफसीआई का, सरकार का गेहूं ऐसे ही लावारिस पड़ा हुआ था। 95 हजार बोरियों का आटा पीस कर उनको देना था, 95 हजार बोरियां वहां स्टाक में पड़ी हुई थीं, खुले में पड़ी थीं। क्या उसको सस्पैंड नहीं करते? क्या उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते? फिर उन्होंने प्रमुख कमिश्नर को अपील की। हमने कहा कि एक महीने में इसका आटा बनाकर वापस भेजो। उसका बहाल किया टैम्परेरी एक महीने के लिए। फिर उसने कहा कि इस गेहूं को पहुंचाएंगे डिवीजन मुख्यालयों पर। 5 जिलों का 95 हजार क्विंटल गेहूं वहां पर पड़ा है, ऐसों के खिलाफ क्या कार्यवाही नहीं करते? आप ही बताओ कि कार्यवाही करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए सरकार को? इसलिए मैं यह कहूंगा कि हमने जो भी कार्यवाही की, विधि – सम्मत की, जनता के हित के लिए की। जिनको समय पर आटा बनाकर देना चाहिए, नहीं दिया, इसलिए की। हमारे कलक्टर, टोंक ने भी कई बार उनको लिखा कि आप हमारा 42 हजार क्विंटल गेहूं का आटा बनाकर भेजो, उसके बाद भी नहीं भेजा, ऐसी मिलों को.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): भाषण दे रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): असत्य बोल रहे हैं। मैं आपके सामने कम्पेरेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूं, गंगानगर की मिल 2 रुपये 15 पैसे, 12-12 को 120 रुपये हो गया, 11-9 को हो गया 209...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब सुन लीजिए एक बार। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी मिलें जिनमें गम्भीर अनियमितताएं मिली हैं, कोटा की दाल मिल को भी विभाग ने ऐसे निर्देश दे दिये, ऐसी मिलें जो हमारे गेहूं का स्टाक रखती हैं, समय पर आटा पीस कर नहीं देती हैं ऐसी मिलों को हम ब्लैक लिस्ट करेंगे और आपको मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके यह बताएं कि आटा जो ये दे रहे हैं, वह पशु भी खा सकता है क्या? आटे में कीड़े पड़े हुए हैं, कोई भी गरीब आदमी उसको खा नहीं सकता। कभी आपने इस बात की जांच कराई है क्या? गंगानगर में जो पहले रेट थी, उससे डबल रेट आई है पिसाई की। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्षजी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...(व्यवधान) 2 रुपये 20 पैसे है और अब रेट बढ़ गई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: हो गया। क्या बच गया? आप विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: हो गया अब। क्या बच गया?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××.

श्री अध्यक्ष: आपको बाद में मौका दूंगा। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने किसको अलाउ किया है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: विराज जाएं। मैंने अलाउ नहीं किया है। (व्यवधान) केवल एक पूरक प्रश्न के लिए आपको अलाउ कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री सूरजभान धानका ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-129

श्री अध्यक्ष: श्री सूरजभान धानका-अनुपस्थित।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री सुखराम। (व्यवधान) अगला प्रश्न पुकार लिया मैंने। (व्यवधान) अभी तक तो आप लोग उलझ रहे थे ...(व्यवधान) श्री सुखराम।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: सामाजिक न्याय मंत्रीजी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को पुकारा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

विभागीय कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

130. श्री सुखराम (बसेड़ी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कितने कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं?

(2) उक्त में कितने अधिकारी/कर्मचारियों के पद स्वीकृत/सृजित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पदों में से कितने पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन स्थापित कार्यालयों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त में अधिकारी/कर्मचारियों के पद स्वीकृत/सृजित की सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) उक्त सृजित पदों में से रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है व रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी के अलावा किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि धौलपुर जिले में विभाग द्वारा कितने बजट का प्रावधान किया गया है, इस योजना के तहत?

प्रश्न दो, धौलपुर जिले में पालनहार योजना, विधवा, बीपीएल पुत्री विवाह आवेदन पत्र से विगत तीन वर्षों में कितने लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया और कितने आवेदन पत्र अभी पैंडिंग पड़े हुए हैं? फिलहाल इन दो प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पृथक से सवाल है। इन्होंने स्वीकृत पदों का और रिक्त पदों का विवरण ही पूछा था।

श्री सुखराम (बसेड़ी): बात तो उसी से संबंधित है न, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपको अलग से पूछना चाहिए था, इससे रिलेवेंट नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं अपने धौलपुर जिले की ही पूछ रहा हूं, पूरे राजस्थान की नहीं पूछ रहा हूं आपसे।

श्री अध्यक्ष: रिलेवेंट प्रश्न नहीं है, ऐसा कह रहे हैं मंत्रीजी।

श्री सुखराम (बसेड़ी): है तो उसी का। धौलपुर जिले का है। मैंने कब पूछा? राजस्थान का पूछा ही नहीं, धौलपुर जिले का ही पूछा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धौलपुर जिले की बात है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कौन सा रिलेवेंट है और कौन सा इर्रिलेवेंट है, यह तय करने का काम आपने मंत्री महोदयों को दे दिया या आपके पास है?

श्री अध्यक्ष: नहीं, इन्होंने कहा जो मैंने आपको बताया है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको अलग से जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह ठीक है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। क्या धौलपुर जिले में कोई पद इस विभाग का रिक्त है या नहीं है?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सब रिक्त ही हैं वहां तो।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर में 22 पद स्वीकृत हैं मुख्य जिला परिवीक्षा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जिसमें सात पद रिक्त हैं, जिनके भरने की कार्यवाही हम शीघ्र कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, इन विभागों में सात अधिकारी नहीं होने के कारण धौलपुर जिले के जितने भी विकलांग हैं, बीपीएल हैं और जो भी पालनहार योजना है, उसका लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: आपका बता दिया जवाब इन्होंने कि शीघ्र भरेंगे।

श्री सुखराम (बसेड़ी): डेट बताएं।

श्री अध्यक्ष: शीघ्र।

श्री सुखराम (बसेड़ी): शीघ्र मतलब इनके कार्यकाल के बाद में?

प्रश्न संख्या-131

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत – अनुपस्थित।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया।

अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु नवजीवन योजना

132. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अप्रैल, 2009 में अवैध शराब से जुडे लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए नवजीवन योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो योजना के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए नियम व उप नियम कब बने तथा इस कार्य के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2012 तक कितनी-कितनी राशि कब-कब आबंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2010-11 व 2011-12 में जयपुर शहर में अंग्रेजी व देशी शराब की कितनी दुकानों को नियमों में शिथिलता देते हुए शिक्षण संस्थाओं व धार्मिक स्थलों के पास संचालन करने की स्वीकृति दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा परम्परागत रूप से अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों/समुदायों के पुनर्वास (यथा आजीविका के वैकल्पिक अवसर/संसाधन उपलब्ध कराने, अशिक्षा को दूर करने एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने) के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2009 में उक्त लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए नवजीवन योजना बनाई। इस योजना का प्रारूप परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) इस योजना की क्रियान्विति आबकारी विभाग के माध्यम से कराने हेतु दिशा-निर्देश दिनांक 31.08.2009 को जारी किये गये (परिशिष्ट '1') तथा जिला स्तर पर क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठन आदेश दिनांक 09.09.2009 को जारी किये गये। (परिशिष्ट '2')

वित्तीय वर्ष 2011-12 से इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजना का पुनरीक्षण कर दिनांक 19.12.2011 को नये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जो परिशिष्ट '3' पर संलग्न हैं।

नवजीवन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में राज्य के 33 जिलों

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

में कुल 120 स्वयंसेवी संस्थाओं को कुल रुपये 1,51,70,493/- की राशि आबंटित की गई जिसकी सूचना परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

नवजीवन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में राज्य के 33 जिलों में कुल 94 स्वयंसेवी संस्थाओं को कुल रुपये 2,35,57,286/ की राशि आबंटित की गई जिसकी सूचना परिशिष्ट '5' पर संलग्न है।

वर्ष 2011-12 में जनवरी, 2012 तक राज्य की कुल 19 स्वयंसेवी संस्थाओं को 27.67 लाख रुपये की राशि जारी की गई, जो परिशिष्ट '6' पर संलग्न है।

(3) जयपुर शहर में अंग्रेजी व देशी शराब की किसी भी दुकान की स्वीकृति नियमों में शिथिलता देते हुए शिक्षण संस्थाओं व धार्मिक स्थलों के पास संचालन करने हेतु वर्ष 2010-11 व 2011-12 में नहीं दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा नवजीवन योजना की घोषणा हुई थी 2009 के बजट में, कुल आबकारी राजस्व का एक परसेंट इस योजना के अन्तर्गत खर्च होना था। 2009-10 में जो 23 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की थी, 31 मार्च, 2010 तक कुल कितनी राशि आपने व्यय की, उसमें कितने पात्र व्यक्तियों का आपने चयन किया और इन पात्र व्यक्तियों में कितनों को लाभान्वित किया, कितनों को अलग-अलग प्रशिक्षित किया, नम्बर एक?

नम्बर दो, इन्होंने योजना में कौशल परीक्षण अवधि तीन माह की तय की थी और दो हजार रुपये उनको प्रति माह भुगतान करना था। इसमें कितने-कितने लोगों को आपने प्रशिक्षित किया? आप मुझे यह बताएं कि आपने जिन एनजीओज को पैसा देने का उल्लेख किया है खण्ड दो में, एनजीओ को पैसा आपने दे दिया उसमें कितने एनजीओज ने एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् अपना हिसाब आपके पास दिया, कब-कब यूसी आपकी पास हुई?

नम्बर तीन, क्या यह सही है कि योजना के 31.8.2009 को पहली बार आपने दिशा-निर्देश जारी किये और उसके बाद आप एक वर्ष तक योजना को भूल गये? अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पास यह योजना आई तो आपने अब तक इस योजना के रूल्स नहीं बनाये? ये सारी बातें आप मुझे बताएं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना 2009-10 से 2010-11 से आबकारी विभाग चला रहा था। वर्ष 2011-12 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से हम लोगों ने संचालित की है। 2009-10 में जिन संस्थाओं ने काम किया है और जिनको भुगतान किया है, उनका उल्लेख परिशिष्ट-4 पर है जो माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी गयी है। बीच में हमारे विभाग में आने के कारण नये दिशा-निर्देश हमने जारी किये हैं और इस योजना को और प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमारा विभाग प्रतिबद्ध है, अब हमने इस काम को जिम्मेदारी से करना प्रारम्भ कर दिया है। जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके व्यय का भी विवरण क्योंकि खर्चा कम हुआ है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कितना हुआ है, कितना हुआ है, बताओ न?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): खर्चा 2011-12 में 5 करोड़ 78.66 के पेटे 126.11 ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं पूछ रहा था, आपने जारी कितना किया पैसा? जारी एनजीओज को कितना किया, किन एनजीओज को किया और उसमें वापस आपका खर्चा कितना हुआ? यह मोटे तौर पर टेबल पर बता दें अगर पास हो तो।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): टेबल पर रख दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या यह सही है कि पहले जो दिशा-निर्देश जारी किये गये थे उनमें संशोधन इसलिए किया कि पहले दिशा-निर्देश सही जारी नहीं किये गये थे? पहले दिशा-निर्देश सही जारी नहीं किये गये थे तो उसके लिए दोषी कौन है? क्या आप उत्तरदायित्व का निर्धारण करेंगे?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पहले भी दिशा-निर्देश ठीक थे, पर आधारभूत सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए, उन जातियों को मुख्यधारा में और बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमने नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं जो मैंने साथ में संलग्न कर दिये हैं आपको। नवजीवन योजना दिशा-निर्देश, 2011 जो हमारे द्वारा 19.12.2011 को जारी किये गये, उसका एक ही मकसद था कि पहले जो आधारभूत सुविधाएं दी जाती थीं इन जातियों को, उनको और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उनको

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

वैकल्पिक रोजगार से जोड़ें, स्वरोजगार से जोड़ें और उनको बेहतर सुविधाएं दें ताकि वे अपने पुराने धंधे को छोड़ सकें। इसके दिशा-निर्देश जारी करके हमने काम प्रारम्भ कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं यह पूछ ही नहीं रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने मोटे तौर पर यह पूछा है...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा है। माननीय राजेन्द्र जी, एक क्वेश्चन मेरा है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक काम करें, एक प्रश्न उनको पूछ लेने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं मेरी बात खतम कर रहा हूं। मैंने मोटे तौर पर यह पूछा कि इस योजना में कुल कितनी राशि इन्होंने एनजीओज को दी, उसमें कितना-कितना व्यय हुआ और कितने लोगों को इसमें लाभान्वित किया गया, उसका जवाब नहीं दे रहे। दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक का ही पूछ रहे थे आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खण्ड 3 में कहा है कि जयपुर शहर में अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों में कोई स्वीकृति नहीं दी गई। क्या यह सही है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिये थे? इस पर हाई कोर्ट में लोग गये थे और 24 दुकानों का हाई कोर्ट के आदेश पर आपने स्थानान्तरण किया था? आप मुझे यह भी बता दें, सन् 2008 में जयपुर में कितने बीयर बार थे और आज कितने बीयर बार चल रहे हैं जयपुर में? 100 से ज्यादा बीयर बारों से शराब संस्कृति को बढ़ावा देने का काम आप कर रहे हो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक प्रश्न मंत्री महोदय से है। अजमेर में नवजीवन योजना के तहत वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिन सांसी समाज के युवाओं को ड्राइविंग सिखायी गयी एनजीओज् के माध्यम से, क्या उन पात्र लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस विभाग ने जारी कर दिये हैं? यदि जारी कर दिये हैं तो क्या उनको कमर्शियल लाइसेंस जारी करने का निर्णय सरकार लेना चाहती है? क्योंकि उसमें टैक्निकल खामी यह है कि सांसी समाज के जो युवा आठवीं तक पास नहीं हैं, उनके पास लर्निंग लाइसेंस तो हैं,

(श्रीमती अनिता भदेल)

लेकिन कमर्शियल लाइसेंस नहीं बनने के कारण से पुलिस उनको आये दिन तंग करती है। मजबूरन उनको वापस पुराने धंधे की ओर जाना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि सरकार इस छोटी-सी त्रुटि को दूर करके क्या उन पात्र व्यक्तियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनके कमर्शियल लाइसेंस बनाने हेतु उनकी शिक्षा का जो राइट है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। (व्यवधान) जवाब दिलवा रहा हूं। मंत्रीजी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वो दूर करने का विचार रखती है सरकार?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है। 2008 में जयपुर में कितनी बीयर बार थीं और अब कितनी बीयर बार जयपुर में हो गईं?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो आने दीजिए। क्या सारे जवाब आ जाएंगे? आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य का जवाब दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप केवल तारानगर से आने वालों का और अजमेर से आने वालों का, दो का जवाब दे दें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक छोटा-सा प्रश्न पूछा है, इसका भी जवाब दिला दो।

श्री अध्यक्ष: वही प्रश्न इन्होंने पूछ लिया। वही प्रश्न इन्होंने पूछ रखा है सेम। बीयर बार के संबंध में आप पूछ रहे हो, वो ही इन्होंने पूछा है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मेरा भी एक प्रश्न धार्मिक स्थानों का है। धार्मिक स्थानों पर कितनी शराब की दुकानें चल रही हैं जयपुर शहर में, यह मेरा प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष: आपका क्या संबंध है इससे, शराब वाले मामले में?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका विषय नहीं है यह।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): धन्यवाद आपको। लेकिन धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें चल रही हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो कहा है कि जो ड्राइविंग हमने सिखायी थी उनके लाइसेंस आरटीओ डिपार्टमेंट जारी करता है, अगर जारी नहीं हुए तो उनको जारी करवा देंगे और उनको जो समुचित सहायता चाहिए वो उपलब्ध करा देंगे, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने एक प्रश्न के लिए अलाउ किया था। प्लीज, आपके प्रश्न का जवाब आ गया। आपके प्रश्न का जवाब आ गया है, कृपया विराजें। श्री राजेन्द्र राठौड़ के प्रश्न का जवाब दे दें। केवल राजेन्द्र राठौड़ के प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह पूछा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न का जवाब पूरा दे दिया इन्होंने। प्लीज बैठिए। आपको आश्वस्त कर दिया, पूरा जवाब आ गया। श्री राजेन्द्र राठौड़ के प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में 2008-09 में 16 रेस्टोरेंट बार लाइसेंस जारी किये थे, 2009-10 में फिर जारी रेस्टोरेंट बार 16 ही थे। 2010-11 में रेस्टोरेंट बार 41 जारी किये गये और अभी 2011-12 में नये रेस्टोरेंट के रिन्युअल नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन को गुमराह क्यों कर रहे हो आप? जवाब आ गया।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): धार्मिक संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं के पास में शराब की दुकानें चल रही हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बिलकुल चालू नहीं हैं, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। शिक्षण संस्थाओं के पास में कोई मदिरा की दुकानें चालू नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, विराजिए आप। श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मूलभूत प्रश्न पैदा हो गया।

श्री अध्यक्ष: सारे जवाब आ गये। आपका संबंध क्या है इससे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): संबंध है। वह संबंध बता रहा हूं। मूलभूत प्रश्न यह पैदा हो गया कि यह जो नवजीवन का काम है, यह राजेन्द्र जी पारीक से अशोक जी बैरवा को क्यों दिया गया?

श्री अध्यक्ष: यह मैं आपको बताऊंगा, चैम्बर में मिलें मुझ से। श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

नदबई (भरतपुर) कृषि उपज मण्डी की क्षतिग्रस्त दुकानें

133. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** (नदबई): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नदबई (भरतपुर) की कृषि उपज मण्डी में अधिकतर दुकानों, गोदामों एवं बरामदों की पट्टियां टूटी हुई हैं? क्या उक्त कारण जनहानि का खतरा बना हुआ है? क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने के लिए आवश्यकतानुसार बजट राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कृषि उपज मण्डी प्रांगण में एक ही नीलामी चबूतरा है? क्या सरकार व्यापारी वर्ग के लिए माल रखने हेतु एक और चबूतरा निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर): (1) कृषि उपज मण्डी समिति, नदबई में दुकान सं. 12 के बरामदे की 6 पट्टियां तथा दुकान सं. 16 के गोदाम की 10 पट्टियां टूटी हुई हैं। दुकान संख्या 12 के आबंटी फर्म मैसर्स सूरजमल रामनिवास के द्वारा पूर्व में बरामदे की टूटी हुई 6 पट्टियों के मरम्मत का कार्य करवा लिया गया था, परन्तु हाल ही में बची हुई 5 पट्टियां उन्होंने और उतार लीं। एक महीने का फर्म ने समय मांगा है कि हम इसको दुबारा ठीक करवा लेंगे। 16 नं. गोदाम की जो 10 पट्टियां थीं, वे ठीक करवा ली गई हैं।

(2) जी हां। एक अन्य नीलामी चबूतरा मण्डी प्रांगण के ले-आउट

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

प्लान में चिह्नित है जिसका निर्माण मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कराया जाएगा।

माननीय सदस्या ने पूछा कि व्यापारियों के लिए चबूतरा बनाया जाएगा। व्यापारियों के लिए नहीं, यह किसानों के काम के लिए होता है, उन्हीं के लिए मण्डी के पास वित्तीय संसाधन हुए तो बना दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: और कुछ पूछना है?

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं व्यापारियों से एक महीने का मूल्य लेते हैं, पट्टियां टूटती हैं तो इसकी जगह आरसीसी करा दें तो अच्छा ही रहेगा। इसे राज्य सरकार करा दे। दूसरी बात यह भी पूछना चाहती हूं कि जो गैस्ट हाउस बना हुआ है वो बिलकुल खराब हालत में है, इसकी रिपेयरिंग के लिए राज्य सरकार पैसा देगी या नहीं देगी?

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, 1983 से मण्डी बनी हुई है, उस वक्त जैसी मण्डी बनी वह आज काम कर रही है। माननीय सदस्या ने आरसीसी का जो कहा, अगर मण्डी के पास पैसा होगा तो आरसीसी भी करा देंगे। अगर पैसा नहीं हो तो राज्य सरकार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

राजकीय विद्यालयों की छात्राओं से साइकिल पेटे ली जा रही राशि

134. श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल नहीं दी जा रही है? क्या कई विद्यालय में उसी ग्राम की ढाणियों से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से आना पड़ता है?

(2) उक्त छात्राओं से गर्मी की छुट्टियों में साइकिल वापस जमा करने का क्या औचित्य है?

(3) क्या उक्त हेतु छात्राओं से कुछ राशि ली जा रही है? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार उक्त राशि की छूट देने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) जी हां। कुछ क्षेत्रों में जहां राजस्व ग्राम का क्षेत्र बहुत अधिक है, वहां पर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित ढाणियों/मजरों से बालिकाओं को आना पड़ता है।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(2) गर्मी की छुट्टियों में छात्राओं से साइकिल जमा नहीं करवायी जाती है।

(3) जी हां। विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के अलावा अन्य छात्राओं से 100/- रुपये प्रति छात्रा लिये जा रहे हैं। उक्त राशि में छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजकीय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है और जो क्षेत्र बालिका शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ था, वहां बालिकाओं में पढ़ने का रुझान बढ़ा है। सरकारी विद्यालयों में छात्राएं पढ़ती हैं और प्राइवेट में ज्यादातर अपने बालकों को भेजते हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि 5 किलोमीटर से कम अभी जिस गांव में विद्यालय हैं, उनकी बालिकाओं को साइकिल नहीं दी जाती है। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि जिस गांव में विद्यालय हो, उनकी 9 से 12 तक पढ़ने वाली बालिकाओं को साइकिल देने का सरकार इरादा रखती है, क्योंकि ये बालिकाएं 5-5 किलोमीटर दूर से आती हैं?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, गर्मियों की छुट्टियों में अगर वापस जमा करने का आदेश नहीं था तो सीकर और नागौर में पिछले साल क्यों जमा की गई? या अब आपने आदेश दिये हैं कि उनको जमा नहीं की जाएं? 9वीं में जमा करो, 10वीं में फिर वापस दो। और रखने की जगह भी नहीं होती जिससे प्राब्लम होती है। अगर जमा करने के आदेश नहीं थे तो किसके आदेश से उन्होंने जमा कीं?

अध्यक्ष महोदय, तीसरा, जब इतना बड़ा आप खर्चा कर रहे हैं, शिक्षा को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और 2000-2500 की साइकिल दे रहे हैं, तो 100 रुपये उससे क्यों ले रहे हैं? हम देश की बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से बालिकाओं में शिक्षा की आवश्यकता है, जिस तरह से जैंडर गैप हो रहा है, मैं समझता हूं कि बालिकाएं जितनी शिक्षित होंगी उतना जैंडर गैप भी कम होगा।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाने दीजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तो 100 रुपये बंद करने का और जो तमाम बालिकाएं पढ़ती हैं, विद्यालय जिस गांव में है उसकी बालिकाओं को भी दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, साइकिल वितरण के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं और इसमें रहवास पात्रता है। रहवास ग्राम में राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने की स्थिति में अन्य राजस्व ग्राम में स्थित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को ही यह देय है। जिस राजस्व ग्राम में विद्यालय है चाहे वह 5 किलोमीटर हो, चाहे वो दो किलोमीटर हो, उस राजस्व ग्राम की छात्राओं को साइकिल वितरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर दूसरी राजस्व सीमा से आती हैं तो उनको साइकिल वितरण किया जा रहा है।

इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि गर्मियों की छुट्टियों में कई जगह साइकिल रखी गई हैं, तो मेरी नालेज में ऐसा कोई नहीं आया है। लेकिन फिर भी हमने अभी 22.3.2012 को एक आर्डर निकाल दिया है कि कोई भी साइकिल गर्मियों की छुट्टी में जमा नहीं कराई जाएगी।

नम्बर तीन जो 100 रुपये लेने का प्रश्न है, तो सरकार द्वारा इनके सुझाव पर विचार करके गुणावगुण के आधार पर फैसला करके बताया जाएगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, उस गांव की लड़की को नहीं देने का है तो प्रोविजन तो सरकार बनाती है, सरकार उत्तर दे रही है....

श्री अध्यक्ष: फिलहाल यही प्रोविजन है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): प्रोविजन सरकार ने बनाया है, सरकार उत्तर दे रही है तो सरकार घोषणा कर दे। अध्यक्ष महोदय, इस ढाणी से बिल्कुल पड़ौस से लड़की आती है उसको तो साइकिल मिले और उसी रेवेन्यू विलेज में जिसमें स्कूल है, उसके एडजोइनिंग घर से आती है उसको साइकिल नहीं मिले, यह भेदभाव उन लड़कियों के साथ हो रहा है। सरकार को ही नियम चेंज करना है, करना चाहिए। इसके अलावा जिन्होंने साइकिलें वापस जमा कराईं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं? जब सरकार के पास खजाना भरा है तो 100 रुपये लेकर क्यों एहसान कर रहे हैं, उनको फ्री देने की घोषणा करो, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। अगला प्रश्न श्री अब्दुल सगीर खां। अल्पसंख्यक मामलात।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी, उनको दोगे या नहीं? उस गांव की बालिकाओं को साइकिल दो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): जो उस राजस्व ग्राम में हैं तो उनको तो नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 2800 रुपये की साइकिल सरकार उस बालिका को देती है।

श्री अध्यक्ष: अगले प्रश्न का जवाब आ रहा है, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी आप जवाब दें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की नियुक्ति

135. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत कुल कितने मदरसे हैं एवं उनमें कितने पैरा टीचर्स हैं? वर्तमान में मदरसावार कार्यरत पैरा टीचर्स के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मदरसों में कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये हैं? यदि हां, तो वर्तमान में कितने कम्प्यूटर मदरसों में उपलब्ध हैं और उनको कौन आपरेट करता है?

(3) क्या सरकार प्रत्येक मदरसे में एक-एक कम्प्यूटर प्रशिक्षक रखने का विचार रखती है? उक्त मदरसों में वर्तमान में कितने कम्प्यूटर प्रशिक्षक कार्यरत हैं? मदरसावार कम्प्यूटर प्रशिक्षकों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत मदरसों में शिक्षा को जाब ओरिएंटेड बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात (श्री अमीन खां): (1) राज्य में मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत 3092 मदरसे पंजीकृत हैं। इनमें 4094 उर्दू शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। मदरसावार कार्यरत उर्दू शिक्षा सहयोगियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य के पंजीकृत मदरसों में से 1000 मदरसों में 1200 कम्प्यूटर उपलब्ध हैं। इन कम्प्यूटर को कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी आपरेट करते हैं।

(श्री अमीन खां)

(3) जी हां। वर्तमान में पंजीकृत मदरसों में 486 कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके 3092 मदरसे हैं उनमें से 1000 मदरसों में आपने कम्प्यूटर दिये हैं। आप भाग दो में यह कह रहे हैं कि इन कम्प्यूटर को कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी आपरेट कर रहे हैं। भाग तीन में आप कह रहे हैं कि 486 कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। तो आपका यह तथ्य ही गलत है। जब 1000 मदरसों में कम्प्यूटर हैं तो 1000 कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्त होने जरूरी हैं। फिर उन कम्प्यूटर को कौन चला रहा है बाकी मदरसों के अन्दर? नम्बर दो, 25 प्रतिशत भी मदरसों में आपने कम्प्यूटराइजेशन नहीं किया- 3092 पंजीकृत मदरसे हैं और मात्र 1000 मदरसों में आपने कम्प्यूटर उपलब्ध कराये हैं । मंत्रीजी, सरकार का क्या इरादा है, बाकी 2092 मदरसों का कम्प्यूटराइजेशन नहीं हुआ है उन मदरसों का कब तक करेंगे? आपने अपने बजट में मात्र आंसू पोंछने के लिए एक हजार कम्प्यूटर की घोषणा की है। कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी भी जो बकाया हैं, एक हजार तो वो और 500-600 पहले से कम हैं, ये कब तक नियुक्त करेंगे और एक हजार की प्रायोरिटी भी क्या है?

तीसरा प्रश्न यह है कि आपने 3500 शिक्षकों, पैरा टीचर्स की नियुक्ति करने का पूरे राजस्थान में ढिंढोरा पीटा है, मुझे यह बताएं कि जो 4094 की आपने संख्या दी है, वह 3500 को मिलाकर है या उनके अतिरिक्त है? नम्बर दो, जो 3500 की नियुक्ति की बात कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष: आप कितने प्रश्न पूछ रहे हैं? आप स्पष्ट रूप से दो सप्लीमेंट्री पूछ लीजिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): छोटा-सा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 3500 में जो नियुक्ति देने की बात कर रहे हैं तो ईमानदारी से बता दीजिये कि कितने अपाइंटमेंट लैटर आपने अब तक दिये हैं? बाकी 1750 के आपने अपाइंटमेंट लैटर भी नहीं दिये, मैरिट लिस्ट बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): अध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ढिंढोरा पीटने की बात कही है, यह इनको नहीं कहनी चाहिए। राजस्थान में कुल 3092 मदरसों में 4094 उर्दू शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। हमको 1685 उर्दू शिक्षा सहयोगी और लेने हैं जो एक माह में मदरसों में पहुंच जाएंगे। कुल 5779 शिक्षा सहयोगियों के बाद मुख्य मंत्री महोदय की नई बजट घोषणा से एक हजार उर्दू शिक्षा सहयोगी और एक हजार कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी भी दिए जाएंगे। कोई भी मदरसा उर्दू शिक्षा सहयोगी और कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी के बिना नहीं रहेगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मेरे स्पेसिफिक एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: आप इतने लम्बे पूछ रहे हैं।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): कैसे नहीं दिया?

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): 3500 अपाइंटमेंट किये उनमें से नियुक्ति पत्र कितनों को दिया? 1000 कम्प्यूटर दिये हैं और 486 आपके आपरेटर हैं।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): नये ले रहे हैं न।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): साढ़े तीन साल हो गये, आप अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं, बताइये।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री,अल्पसंख्यक मामलात): मैं कह रहा हूं, राज्य सरकार का पक्का इरादा है कि अगले एक माह के बाद में राजस्थान में रजिस्टर्ड एक भी मदरसा बगैर आपरेटर और शिक्षा सहयोगी के नहीं रहेगा। आप जांच कर लेना, अगर कोई रह जाए तो मुझे बता देना।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): दुआ करेंगे कि आपकी जुबान फले।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

नवीन राशन कार्ड उपलब्ध करवाने हेतु प्रक्रिया

136. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2000-01 में सभी श्रेणी के राशन कार्ड बनाये गये थे? यदि हां, तो उक्त राशन कार्ड कितनी अवधि तक प्रभावी थे?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशन कार्डों की प्रभावी अवधि पूर्ण हो जाने पर सरकार द्वारा नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जनगणना कार्य के साथ नये राशन कार्ड बनाने के फार्म बांटे गये थे परन्तु बाद में सरकार द्वारा उक्त प्रक्रिया को रोक दिया गया? यदि हां, तो क्यों एवं अब सरकार की नये राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आरम्भ करने के बारे में क्या योजना है?

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2000-01 में सभी श्रेणी के राशन कार्ड 10 वर्ष की अवधि के लिए बनाये गये थे, जिनकी अवधि दिनांक 31.03.2011 तक प्रभावी थी।

(2) उक्त राशन कार्डों की प्रभावी अवधि दिनांक 31.03.2011 को पूर्ण हो गई है। इनके स्थान पर सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी के नवीन राशन कार्ड यथाशीघ्र बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) यह सही है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के कार्य के साथ कम्प्यूटरीकृत राशन कार्ड बनाने हेतु विभाग से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचना एकत्रित करने हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त प्रगणकों को प्रत्येक परिवार को फार्म वितरण करने के लिए उपलब्ध कराये गये थे। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में चलाये जा रहे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2011 के महत्वपूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटराइज्ड राशन कार्ड से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचना एकत्रित करने सम्बन्धी कार्य को जनगणना के कार्य से अलग रखने का निर्णय लिया गया है तथा इस कार्य को विभाग द्वारा पृथक् से सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाया जाएगा। सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी के राशन कार्ड यथाशीघ्र बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-1 के जवाब में सरकार ने यह माना है कि राशन कार्ड की प्रभावी अवधि समाप्त हो गई थी, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि सरकार ने उक्त राशन कार्ड की प्रभावी अवधि समाप्त होने के पूर्व में राशन कार्ड बनाने के लिए कोई योजना बनाई? राशन कार्ड बनाने के लिए जब अवधि समाप्त हो गई थी तो आपने तुरन्त

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

राशन कार्ड बनाने के लिए तो लगा दिया, आपने पहले इसकी योजना बनाई क्या कि कैसे राशन कार्ड बनाये जाएंगे, क्या योजना बनाई? राशन कार्ड बनाने के लिए कुछ योजना तो होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सारा काम योजनाबद्ध ही होता है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): योजनाबद्ध कहां होता है? योजनाबद्ध होता तो फिर यह प्रश्न करना ही नहीं पड़ता। हां, तो उस योजना की प्रति सदन में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं तो इस उदासीनता के लिए किसकी जिम्मेदारी है? क्यों नहीं राशन कार्ड के लिए इन्होंने पहले से योजना बनाई और अब कहते हैं कि हां, यह बात हुई है। खाली लीपापोती करने से मंत्री महोदय, कुछ नहीं होगा, आप सही-सही जवाब दें।

दूसरा मेरा प्रश्न है, खण्ड-2 के उत्तर में सरकार ने बताया कि सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणियों के नवीन राशन कार्ड यथाशीघ्र बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मेरा पूरक प्रश्न है, सरकार यह बताए कि उक्त प्रक्रिया क्या है और इसके लिए क्या-क्या कार्यवाही कर ली गई है? क्या कार्यवाही की है उसके बनाने के लिए, यह आपने अपने जवाब में नहीं दिया।

खण्ड-3 के जवाब में, जनगणना कार्य के साथ नये राशन कार्ड बनाने के फार्म बांटे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि आपने जनगणना के साथ फार्म बांटे तो क्यों फार्म बांटे और फार्म बांटे तो उसका कितना खर्चा आया, बताएं? अब आपने उसको बंद कर दिया, यह क्यों हुआ? यह आप सारी जानकारी सदन को दें कि अलग-अलग शिथिलता बरतने के क्या कारण रहे? मेरा प्रश्न है कि उक्त जनगणना के कार्य के साथ राशन कार्ड के फार्म बांटे जाने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया है?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो आने दें। इतने ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे। मंत्रीजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): चलो, कोई बात नहीं, आप जवाब दे दें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का जवाब पहले आ जाए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...आपने पिछली बार भी सदन में घोषणा की थी, आपके विभाग में जो भी इसको संचालित कर रहे थे, कि राशन कार्ड तुरन्त एक महीने में बन जाएंगे, आज एक साल गुजर गया, आज तक राशन कार्ड के लिए लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। इसका भी उत्तर आप दीजिये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप, विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने पूछा कि क्या प्रक्रिया है, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, यह सही है कि सामाजिक आर्थिक सर्वे के कारण, जातिगत जनगणना के कारण इस कार्य में डिले हुआ है। यह कार्य अभी अप्रैल के अंत तक पूरा हो जाएगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, नहीं, यह कार्य क्यों हुआ, यह जानना चाहती हूं, क्यों हुआ?

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुनिये। पहले जवाब तो सुनिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): यह पहले ही इनकी जनगणना के फार्म वितरित किये गये थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारा जनता का विरोध आया। आधार कार्ड थे, जो जनगणना थी, उसके आंकड़ों के अनुसार बनाने के लिए फार्म दिये गये, उसको सरकार ने बीच में फिर रोका। जन प्रतिनिधियों की भी बहुत मांग थी। इस फार्म के राशन कार्ड जो थे, जाइंट फैमिली की जनगणना हो गई, उस फैमिली में कई भाई हैं, उनके अलग-अलग राशन कार्ड बने हैं, आप सभी की मांग पर इसको रोका था। अप्रैल के अंत तक जनगणना का कार्य पूरा होते ही हम मई और जून के फर्स्ट वीक तक सारे राशन कार्ड बना देंगे, पूरी तैयारी है, राशन कार्ड छपवा लिये गये। जो कर्मचारी लगे हुए हैं जनगणना में अभी, वे पंचायती राज और स्वायत्तशासी संस्था के वही प्रगणक हैं, उन्हीं से ही इस काम को पूरा होते ही राशन कार्ड का काम जून के फर्स्ट वीक तक निश्चित रूप से हम पूरा करा देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानकारी चाह रही हूं कि जनगणना के साथ में फार्म छपवाये थे, उसके ऊपर सरकार का कितना खर्चा आया? फिर आपने बंद कर दिया, यह क्या बात हुई? दूसरा मेरा प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष: दूसरा नहीं, पांचवां प्रश्न हो गया है यह।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, पांचवां ही है। अब सरकार इस कार्य को कब तक पूर्ण करवा लेगी, क्या यह सरकार सदन में अवगत कराएगी?

श्री अध्यक्ष: आ गया न उत्तर इस बात का कि मई के अंत तक पूरा कर लेंगे। मई के अंत तक पूरा कर लेंगे, जवाब दे दिया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह तो बताएं कि फार्म पर कितना खर्चा आया और यह क्यों किया? दूसरा मेरा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार यह भी बताए, बीपीएल का नया सर्वे करवाकर नये बीपीएल के कार्ड कब तक बनवा देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बीपीएल का सर्वे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पूरे देश में होता है। पूरी एक प्रक्रिया चल रही है और जब भी, बहुत जल्दी इसका होगा। क्या बीपीएल का वह होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इसमें कैटेगरीज होंगी। जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे के बाद नया बीपीएल भी आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और राशन कार्ड की जहां तक बात है, वह तो आपको बता दिया कि मई के फर्स्ट वीक तक हम कर देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, नहीं, आपने यह तो बता दिया, फार्म पर कितना खर्चा आया, वह बताएं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): फार्म पर खर्चे की बात आप कह रही हैं, फार्म पर खर्चे के बारे में जिलों से सूचना मंगवाकर मैं आपको भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, श्री कालीचरण सराफ।

बंदियों द्वारा पैरोल अवधि में आपराधिक वारदातें

137. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या कारागार गृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में पैरोल पर गये बंदियों के भागने की कितनी घटनाएं हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पैरोल पर छूटे हुए बंदियों द्वारा अपराध कारित करने की घटनाएं हुई हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उक्त अपराधों की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(3) क्या यह भी सही है कि बंदियों को पैरोल पर छोड़े जाने के मामले में हुई अनियमितताओं को लेकर कारागार अधीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कारागार (श्री रामकिशोर सैनी): (1) पिछले तीन वर्षों में राज्य की कारागृहों से पैरोल पर गये 126 बंदी अपनी निर्धारित तिथि को कारागृह में दाखिल नहीं हुए हैं, जिनका पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। पैरोल पर छूटे बंदियों में से 17 बंदियों के द्वारा अपराध कारित करने की घटनाएं की गई हैं, जिनका पूर्ण विवरण परिशिष्ट-बी पर उपलब्ध है।

(3) गत तीन वर्षों में बंदियों को पैरोल पर छोड़े जाने के मामले में हुई अनियमितता को लेकर अधीक्षक एवं सहायक कारापाल के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट-सी पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 126 बंदी पैरोल की निर्धारित अवधि में जेल में दाखिल नहीं हुए, 17 बंदियों ने पैरोल के दौरान अपराध कारित किये और आपने केवल दो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। चाहे जयपुर की केन्द्रीय जेल हो, चाहे कोटा की हो, चाहे बीकानेर की हो, चाहे जोधपुर की हो, चाहे गंगानगर की हो, सभी जेलों में इस प्रकार से पैरोल पर छूटे हुए लोग वापस नहीं आये और उनमें से 17 लोगों ने अपराध कारित किये तथा आपने केवल दो अधिकारी जो अजमेर के थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की है। बाकी के खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की, इसके पीछे क्या कारण रहा, इसका जवाब दें?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरोल पर जाना बंदी का प्रिविलेज है, उनको पैरोल पर छोड़ा जाता है ताकि वे अपने परिवार में, समाज में सज़ा काटने के बाद स्थापित हो सकें। जाने के बाद वह किस प्रकार के अपराध करता है, वह एक अलग बात है। लेकिन पैरोल दिये जाने में कोई अनियमितता बरती हो, उसकी इन्क्वायरी करके दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। इसमें आपने बताया, अजमेर में हमने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है, जिस प्रकार से पैरोल दिया गया था, उसमें उनकी नेग्लीजेंसी थी। उन्होंने तथ्यों को छिपाकर उनको

(श्री रामकिशोर सैनी)

पैरोल दिया, आनन-फानन में पैरोल दिया। । उसमें हमने जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट को सस्पैंड किया और 16 सीसीए में चार्जशीट दी गई उसको। उसके साथ ही दूसरा जो कारापाल था, उसके खिलाफ भी हमने कार्यवाही की है, यह निवेदन है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कितना गम्भीर मामला है, केवल दो अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्यवाही की है, उसी का यह परिणाम है कि आज सारी जेल...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य। भाषण नहीं, प्रश्न क्या है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सारी जेलें अपराधियों की सैरगाह बनी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, प्रश्न क्या है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं यह प्रश्न ही पूछ रहा हूं। केवल दो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही इस बात को दर्शाती है कि सरकार इन जेल के माफिया को खतम नहीं करना चाहती। केवल दो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई, यह कितना गम्भीर मामला है। 126 बंदी गये और वे वापस नहीं आये, 17 ने अपराध कारित किया और आपको दो अधिकारी दोषी मिले।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, जिनको पैरोल दिया...(व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): जेल से अपराध करवा रहे हैं, वहां पर बाहर से आदमी बुला लिये...(व्यवधान) वह अजमेर जेल में कर रहे हैं...(व्यवधान) कोटा में जेल...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, कितने लोगों को पैरोल दिया और उनमें से जो लोग वापस जेल में नहीं आये, वह संख्या आप 126 बता रहे हैं। यह 126 लोगों को दिये गये पैरोल में किसी प्रकार की अनियमितता हुई या नहीं हुई, इसको वैरीफाई कर लिया क्या?

श्री अध्यक्ष: यह कह रहे हैं न, वैरीफाई करके दो को सज़ा दी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह स्पष्ट कर दें, या तो मेरे सुनने में कोई गलती है।

श्री अध्यक्ष: जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर आपने 126 ही जो पैरोल पर नहीं आये, उनको पैरोल देने वाले व्यक्ति से पैरोल के जो मापदण्ड हैं उसको पूरा करके दी है, जांच में स्पष्ट हो गया तो तो कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से अजमेर जेल में निकली कमी, वैसे ही किसी अन्य जिले में भी पैरोल देने में जो मापदण्ड हैं उनको नजरंदाज करके पैरोल दे दिया और वे वापस अन्दर जेल में नहीं आये, इसको स्पष्ट करिये।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग साढ़े पांच हजार कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाता है। आपने तीन साल का मुझसे आंकड़ा पूछा था, वह मैंने 126 आपको दर्ज किया। लेकिन कुछ बंदी पैरोल से लेट हो जाने के बाद, उनकी जो डेट होती है आने की उससे लेट हो जाने के बाद भी आ जाते हैं। इसमें आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2009 में 1991 बंदियों की एप्लीकेशंस आई थीं जिसमें से 140 को हमने पैरोल पर छोड़ा है, जिसमें से कुल फरार बंदी 51 थे, 30 वापस आ गये, 21 बंदी अभी तक नहीं आये। इसी प्रकार 2010 में है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, नहीं, इन 21 के खिलाफ मापदण्ड सही थे क्या?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, उसके बाद में 2010 में लगभग 1731 की पैरोल की एप्लीकेशंस थीं उसमें हमने 1695 को पैरोल दी। 36 कुल फरार हुए, 13 वापस आ गये, 23 अभी भी बाकी है। इसी प्रकार 2011 में अभी 29 बाकी हैं। 126 में से अधिकांश बंदी वापस आ गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है...

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): जी, सर, मैं वही निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जिनको छोड़ा है उसमें कहीं अनियमितता तो नहीं हुई, जो लोग वापस आये हैं?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): जिन 126 बंदियों को

(श्री रामकिशोर सैनी)

छोड़ा गया था, वे जब लौट कर नहीं आये तो हमने जितने भी पैरोल के आफिसर्स हैं, जिनके द्वारा पैरोल दी जाती है, उनके खिलाफ हमने जांच कर ली है और जांच में जो पाये हैं दोषी, उनके खिलाफ हमने कार्यवाही कर दी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शिवजीराम मीणा। श्री शिवजीराम मीणा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मंत्री महोदय, आपने जिनको पैरोल पर छोड़ा है उनकी जमानत राशि जब्त की या नहीं की?

श्री अध्यक्ष: विराजें, आप विराजें। हां, मंत्रीजी। (व्यवधान) हां, जवाब दीजिये आप तो जवाब दीजिये। मंत्रीजी, जवाब दें। आप जवाब दें। (व्यवधान) कृपया विराजें।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): रोज-रोज जेल में मोबाइल जा रहे हैं उनका क्या हो रहा है, वह तो बताओ, साहब? (व्यवधान)

जयपुर के इरशाद मैमोरियल इन्स्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग एजुकेशन के आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

138. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन एवं प्रशिक्षण के समय विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के भुगतान पुनर्भरण के संबंध में प्रावधान किये गये हैं? यदि हां, तो प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इरशाद मैमोरियल इन्स्टीट्यूट आफ पैरा मेडिकल एण्ड नर्सिंग एजुकेशन, एमडी रोड, जयपुर को वर्ष 2008-09 में जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी कोर्स कर रहे अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को अब तक छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त बकाया छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'): (1) जी हां। यह सही है कि राज्य के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मान्यता प्राप्त उत्तर मैट्रिक स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

(अनुरक्षण भत्ता एवं फीस का पुनर्भरण) दिये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2008-09 में इरशाद मैमोरियल इन्स्टीट्यूट आफ पैरा मेडिकल एण्ड नर्सिंग एजुकेशन, एमडी रोड, जयपुर के जीएनएम कोर्स के 4 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया है। उक्त विद्यार्थियों के आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् मिसप्लेस हो जाने के कारण छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हो सकी। उक्त विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों का परीक्षण कराया जाकर नियमानुसार पात्र पाये जाने पर इनकी बकाया उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्र करवाने की कार्यवाही की जाएगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने क्वेश्चन संख्या 2 के संबंध में यह फरमाया है कि चार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया है। उक्त विद्यार्थियों के आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् मिसप्लेस हो जाने के कारण छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हो सकी है। उक्त विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों का परीक्षण करवा कर..। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जब आवेदन पत्र मिसप्लेस हो गये तो परीक्षण किस बात का कराएंगे, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इन चार छात्रों के नये सिरे से आवेदन पत्र भरवा कर उनको स्वीकृत करने का विचार रखते हैं और इन चार छात्रों के क्या-क्या नाम हैं? दूसरा मेरा क्वेश्चन है, विभाग में चालू वित्तीय वर्ष में कितने छात्रों/अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकृत हो गये हैं और कितनों के भुगतान कर दिये गये हैं, एवं कितने छात्रों के आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किये गये हैं और भुगतान नहीं किया गया है?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जयपुर में लगभग पचास हजार से अधिक छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। पूरे राजस्थान की राजधानी होने के कारण कई इंस्टीट्यूट और कई शिक्षण संस्थान यहां पर हैं और पूरे राजस्थान के छात्र-छात्राएं यहां पर पढ़ने आते हैं। पचास हजार से ज्यादा छात्रवृत्ति फार्म

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

आवेदन प्राप्त होने की वजह से यहां पर ओवरलोडिंग रहती है, उस वजह से हमने जयपुर जिला कार्यालय को दो भागों में विभक्त किया, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। जयपुर शहर और ग्रामीण को अलग-अलग करने की वजह से यह कार्यालय स्थानांतरित हुआ। एक कार्यालय हमने मानसरोवर में जयपुर शहर का शिफ्ट किया, उस शिफ्टिंग के दौरान ये आवेदन पत्र मिसप्लेस हुए हैं। मैंने निर्देश दे दिये हैं जिलाधिकारियों को और उच्चाधिकारियों को, अगर ये फार्म नहीं मिलते हैं, माननीय सदस्य, तो वे फार्म हम दोबारा भरवायेंगे। पात्रता इसलिए कही है कि उनका इन्कम सर्टिफिकेट और उनका कास्ट सर्टिफिकेट जरूर चैक करना पड़ता है, आवेदन में वह आवश्यक है। अगर इस मिसप्लेस के कारण कोई गलती रही, कोई कार्मिक दोषी हमें मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर वे फार्म नहीं मिले तो दोबारा भरवा कर हम उन चारों छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): चार छात्रों के नाम तो बता दो, कौन-कौन से नाम हैं? सर, मेरा क्वेश्चन कभी आता भी नहीं है, न मैं कभी बीच में बोलता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, नहीं-नहीं, आप पूछो न।

श्री अध्यक्ष: माननीय दिगम्बर सिंहजी। एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं एक ही प्रश्न करूंगा, सर।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): चार छात्र हैं- जसवंत सिंह प्रतिहार पुत्र श्री सीताराम मीणा, दूसरा है मस्तराम मीणा पुत्र श्री भंवरलाल मीणा, तीसरा है रामेश्वर प्रसाद मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा, चौथा है योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री शांतिलाल रोथ।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं यह जानना चाह रहा हूं कि इस वर्ष में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उसमें कितने स्वीकृत हो गये और कितने अब स्वीकृत करना शेष हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले उनका तो जवाब आ जाने दीजिये, फिर वह अटक जाएगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इनका भी जवाब आ जाए, मेरा भी साथ में आ जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि यह

(डा. दिगम्बर सिंह)

समस्या केवल जयपुर की ही नहीं है, पूरे राजस्थान के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी समस्या है। जो लास्ट डेट होती है इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की और नर्सिंग का जो एडमिशन कलैण्डर है, इसमें मिसमैच है। एडमिशन होते हैं बाद में, तब तक आपकी तारीख निकल चुकी होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एडमिशन के बाद जिन छात्रों ने एप्लाई किया, जिन्होंने आवेदन किया, उन सबको आप छात्रवृत्ति देने का मानस रखते हैं या नहीं?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख हमारी लास्ट डेट थी, छात्रवृत्ति के फार्म भरने की, कुछ नर्सिंग और पोलीटैक्निक डिप्लोमा वाले बच्चों के एडमिशन बाद में हुए हैं। उनकी डेट निकलने की वजह से उन्होंने कई बार हमारे यहां प्रयास किये। जो छात्र अपना फार्म समय पर नहीं भर पाये, जिनकी डेट निकल गई है, उनको केस टू केस बेसिस पर हमने स्वीकृति देने का प्रावधान किया है और उसके लिए स्पेशली दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई छात्र अगर छात्रवृत्ति का पात्र है, वंचित नहीं रहेगा, पात्र सभी छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न ।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं सिर्फ संख्या पूछ रहा हूं, वह तो आई नहीं है, सर।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपको मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: सूची उपलब्ध करा देंगे आपको। श्री कल्याण सिंह चौहान। श्री कल्याण सिंह चौहान।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, कम से कम पन्द्रह मिनट पहले स्थगित प्रश्नों को पुकारना चाहिए था। आज स्थगित प्रश्न लगे हुए हैं, उनको आप पुकार ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: तो नम्बर से ही तो आता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नम्बर से नहीं आते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नम्बर से नहीं आते हैं, पहले आते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नम्बर से आते हैं। स्थगित प्रश्न नम्बर से ही आते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नम्बर से नहीं आते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हमेशा सिस्टम यह है, हमेशा नम्बर से आते हैं। जिस स्थान पर प्रश्न था उसी स्थान पर वापस लगाया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): स्थगित प्रश्न तो नम्बर से आएगा लेकिन उस क्रम से नहीं आएगा।

श्री अध्यक्ष: इसी क्रम में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): न, न, कभी नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल हमेशा। हमेशा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कभी नहीं, अध्यक्ष महोदय। पहले बचे हुए पन्द्रह मिनट में स्थगित प्रश्न लिये जाते हैं, हां बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: हमेशा उसी क्रम में लगाये जाते हैं और वही क्रम में लगे हुए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: यही प्रक्रिया रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह नहीं, एक बार वापस दिखा लें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह प्रक्रिया नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): व्यवस्था स्थगित प्रश्न के बारे में यह है कि अंतिम के पन्द्रह मिनट में पुकारा जाता है।

श्री अध्यक्ष: देखा हुआ है और उसी क्रम में लगाते हैं। उसी स्थान पर लगाते हैं नैक्स्ट टर्न पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष: हमेशा ही ऐसा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, ऐसा सम्भव ही नहीं है, स्थगित प्रश्न तो हमेशा...

श्री अध्यक्ष: श्री कल्याण सिंह चौहान।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): स्थगित प्रश्न ऐसे थोड़े ही आता है, क्या बात कर रहे हैं।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री कल्याण सिंह चौहान।

प्रश्न संख्या-139

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अब श्री नन्दलाल मीणा, एक मिनट बचा है। एक बार उत्तर दे दीजिए, प्रश्न नहीं होगा। मैंने अलाउ कर दिया है आपको, आप बैठिये। केवल जवाब दे दीजिए, सप्लीमेंट्री नहीं होगा।

रींगस पुलिस थाने में दर्ज स्पिरिट प्रकरण

140. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्ष 2008-09 से फरवरी, 2012 तक अवैध शराब की धरपकड़ में मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा गुजरात के कितने वाहन अब तक पकड़े गए हैं तथा पकड़े गए वाहनों में से कितने अवैध शराब विक्रय करने वाले व्यापारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई व परिवहन में काम आये कितने वाहनों को जब्त किया गया और इनमें से फरवरी, 2012 तक कितनों का चालान किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या यह सही है कि जनवरी, 2011 में थाना रींगस जिला सीकर में स्पिरिट चोरी का एक प्रकरण दर्ज हुआ है? यदि हां, तो उक्त मामले में रींगस पुलिस में किस-किस अपराधी के विरुद्ध वैशाली नगर निवासी महल चन्द्र बरड़िया ने मामला दर्ज कराया है और स्पिरिट चोरी के मामले में किस-किस मुल्जिम को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि स्पिरिट चोरी के मामले में रींगस थाने में दर्ज प्राथमिकी में एक विधायक का नाम भी मुल्जिम के तौर पर होने के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई?

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) वर्ष 2008-09 से फरवरी, 2012 तक 330 वाहनों को पकड़ा जाकर जब्त किया गया। पकड़े गये वाहनों के संबंध में 501 व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। अवैध शराब परिवहन करते हुए

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पकड़े गये 330 वाहनों में से 288 तथा पकड़े गये 501 व्यक्तियों में से 293 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर अंकित है।

(2) जी हां। पुलिस थाना रींगस में दिनांक 11.01.2011 को इस संबंध में एफ.आई.आर. श्री महल चन्द्र बरड़िया द्वारा दर्ज नहीं करवाकर विभाग के सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई है। श्री महल चन्द्र इस अभियोग में चालानशुदा आरोपी हैं। प्रकरण में अब तक संजय सिंह, विष्णु राठौड़, पवन उर्फ संजय अग्रवाल, महल चन्द्र बरड़िया, भवानी सिंह व दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

(3) इस मामले में अब तक उपरोक्त 6 व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में पुलिस द्वारा चालान पेश किया जा चुका है तथा शेष के विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि....

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, आज के मेरे अतारांकित प्रश्न का जवाब नहीं मिला है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ...(व्यवधान) आसन पांव पर है, इसको गम्भीरता से लिया जाए, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ...(व्यवधान) कोई सम्मान नहीं है अध्यक्ष का।

श्री अध्यक्ष: बार-बार इस बात की चेतावनी दी जा चुकी है। आसन जब पांव पर है, अधिकारियों को बार-बार चेतावनी दी जा चुकी है....

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से राज्य में गोचर भूमि एवं आम रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री अमराराम एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में बछड़ों की बिक्री पर वर्ष 1995 से पाबंदी होने तथा किसानों द्वारा समर्थन मूल्य

(श्री अध्यक्ष)

पर गेहूं बेचने पर बोनस नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री पवन दुग्गल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से अनूपगढ़ क्षेत्र में 50 वर्षों से जमीन पर काबिज काश्तकारों को अभी तक खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से जिला पाली की तहसील रोहट में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न होने के संबंध में।

5. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में सर्राफा व्यापारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से किसानों को उपज का भाव नहीं मिलने तथा पाले से खराब फसल की पुनः गिरदावरी करने के संबंध में।

7. श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से जगपत सिंह सामुदायिक चिकित्सालय में महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण दिनांक 20 मार्च, 2012 को एक महिला की प्रसव के समय मृत्यु होने के संबंध में।

8. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में दवाइयां आपूर्ति करने वाली मेडिकल कार्पोरेशन कंपनी द्वारा बाजार दर से 200 गुना महंगी दवाइयां खरीदने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी मा. सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ इसी विषय पर एवं श्रीमती अनीता सिंह अन्य विषय पर आज पर्ची के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगे।

9. श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की बहुत-सी कालोनियों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

10. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चाण्डी तथा वर्तमान सरपंच पति चाण्डी पंचायत समिति मकराना, जिला नागौर द्वारा दिनांक 24.03.2012 को मकराना विकास अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर कथित आत्महत्या कर लेने की घटना के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री राधेश्याम गंगानगर एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा पुलिस चौकी जवाहर नगर को अशोक नगर में गलत तरीके से भू-आबंटन करने के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जिला बीकानेर के थाना छत्तरगढ़ में पुलिसकर्मियों द्वारा पीट-पीट कर एक दलित किसान की कथित हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री राधेश्याम गंगानगर एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर में कब्जे एवं मालिकाना हक वाले भूखण्डों व मकानों के पट्टों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण हेतु नियमों में शिथिलता देने के सम्बन्ध में।

2. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से जाट समुदाय को संतुष्ट करते हुए इनके धरने-प्रदर्शन तुडवाये जाने के सम्बन्ध में।

3. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के विद्यालयों में नये संकाय खोलने एवं कतिपय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

4. श्री ओमप्रकाश जोशी, सदस्य की ओर से फलौदी में रीको क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

5. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से वेस्टेज मार्बल को रायल्टी मुक्त करने के सम्बन्ध में।

6. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से बिलाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक से किसानों को फसली ऋण की सुविधा 7 प्रतिशत पर दिलवाने के सम्बन्ध में।

7. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत की सोजत नगरपालिका के बनाये गये मास्टर प्लान, 2031 को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से जयपुर मैट्रो रेल को चौमूं तक स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

9. श्री सुखराम कोली, सदस्य की ओर से भरतपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. भरतपुर का जिला मुख्यालय धौलपुर में एवं उसकी शाखा बसेड़ी में खोले जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास की सड़कें क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से यू.आई.टी. भरतपुर द्वारा सुजानगंगा नहर के जीर्णोद्धार कार्य में अधिशासी अभियंता द्वारा की गई गडबड़ी के सम्बन्ध में।

12. श्री पवन कुमार दुग्गल, सदस्य की ओर से शास्त्री नगर चौक नई मण्डी घड़साना में शराब ठेके के पास में संचालित शराब पिलाने वाली एवं मीट की दुकान को हटवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सांगानेर की कालोनियों में पेयजल व्यवस्था का अभाव

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील मामले में आकर्षित कर रहा हूं। आज विधान सभा के बाहर सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के कच्ची बस्तियों के, कालोनियों के चार-पांच हजार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। मूल रूप से उनकी मांग है कि जयपुर शहर में 1500 कालोनियां इस प्रकार की हैं जिनमें पेयजल की पीएचईडी की पाइप लाइन नहीं है। इनके कारण से जयपुर में बहुत बड़ी पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है और उस समस्या पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने सरकार से प्रश्न पूछा था, सरकार ने प्रश्न के जवाब में कहा, जी हां, रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर स्थित कालोनियां कृषि भूमि पर बसी हुई हैं। ये कालोनी नियमित नहीं होने के कारण जल व्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं हैं और न ही इन कॉलोनियों को टाउनशिप नीति के अन्तर्गत पानी सप्लाई किया जा सकता है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, तीन सौ से ज्यादा कालोनी सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की हैं जिनमें पानी का कनेक्शन है, जिनमें सीवर का कनेक्शन है, जो मतदाता सूची में शामिल हैं लेकिन उनमें पेयजल का कनेक्शन नहीं है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, स्थिति वहां पर यह है कि वहां पर जमीन के नीचे पानी नहीं है इसलिए वहां पर हैण्डपम्प भी नहीं है और वहां ट्यूबवैल भी नहीं है। उन स्थानों पर कई बार टैंकर से पानी जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीब लोगों की बस्तियां हैं, वहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है और वे भारी संख्या में यहां पर आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान के दस मैट्रो सिटी की सूची में आने वाला है। लेकिन हमारी जो पेयजल की सप्लाई है, वह सप्लाई बहुत कम है। चेन्नई में, बेंगलूरू में 91 प्रतिशत जनसंख्या को उन्होंने पेयजल सप्लाई से कवर कर रखा है। चेन्नई में 98 परसेंट को कवर कर रखा है, हैदराबाद में 95 को, चण्डीगढ़ में 100 परसेंट को। और जयपुर, हमारे रामलुभायाजी जो प्रमुख शासन सचिव हैं, उन्होंने माना है कि 50 परसेंट जयपुर की आबादी पीएचईडी के पानी के सप्लाई से वंचित है। यह आज हमारी स्थिति है। जयपुर में जो पानी मिल रहा है उपभोक्ता को, 150 लीटर के बजाय सिर्फ 80 लीटर पानी लोगों को मिल रहा है। 25 परसेंट लोगों को दूषित पानी की बार-बार शिकायत आने के कारण से अस्पताल में जाना पड़ता है, उनको दूषित जल उपलब्ध हो रहा है। इसमें चारदीवारी का इलाका है, शास्त्री नगर का इलाका है, नया खेड़ा है, सांगानेर है, आदर्श नगर है, राजा पार्क है और सिविल लाइंस के भी बहुत से इलाकों में इस प्रकार का पानी है। अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में सरकार से हम यह बार-बार मांग करते हैं, 600 करोड़ की सरकार ने योजना बनाई थी, ट्यूबवैल से अगर पानी निकालते रहे, बीसलपुर की पाइप लाइन से सबको नहीं जोड़ा गया तो आने वाले दो साल बाद में जयपुर में भयंकर पेयजल की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह बहुत गम्भीर समस्या है अध्यक्ष महोदय। 4.35 रफ्तार से जयपुर की आबादी बढ़ रही है, यह बढती हुई जनसंख्या कहां बस रही हैं? यह बाहर की कालोनियों में बस रही है। नई-नई कालोनियां हैं, लेकिन आज कई कारणों से हम उनको पानी का कनेक्शन नहीं देते हैं। कहते हैं पृथ्वीराज नगर में हैं, कहते हैं इनको तो एनओसी प्राप्त नहीं है हाउसिंग बोर्ड से, इनको नियमित नहीं किया जेडीए ने। लेकिन उनमें हमने पानी का कनेक्शन दिया, हमने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सीवरेज लाइन डाल दी। जयपुर में त्राहि-त्राहि मची हुई है इसलिए मैं चाहूंगा कि गर्मी आने से पहले राज्य सरकार इस पर विचार करे। राज्य सरकार जयपुर की सभी 1500 कालोनियों को योजना बनाकर, जिस प्रकार विद्युत लाइन से जोड़ा गया है, जिस प्रकार से उनको सीवर लाइन से जोड़ा गया है, उसी प्रकार से उनको पानी की लाइन से भी जोड़ें। यही आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जयपुर का मामला है, मैं बताना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में करीब 500 कालोनियां ऐसी हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जिनमें विभाग द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जाती और उसका यह परिणाम है...

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ... निजी ट्यूबवैलों से मनमाने पैसों के आधार पर उनको पानी लेना पड़ता है और वो पानी शुद्ध नहीं होता है। (व्यवधान) उसी पानी को लेना पड़ता है। त्राहि-त्राहि मच जाएगी।

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 50 के अन्तर्गत अपनी बात को रखना चाह रही हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की समस्या है। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपका नाम पुकार लिया, आप आये नहीं। आप थे ही नहीं यहां। आप नहीं थे यहां पर। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपने पेयजल की डिमाण्ड रखी है न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की समस्या को माननीय सदस्य ने उठाया है, वो सरकार के ध्यान में आ गयी है। मैंने अगले माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने तीन बार आपका नाम पुकारा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त हो चुका। अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): बीकानरे जिले के छतरगढ़ गांव के ...(व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 50 के तहत बीकानेर जिले के छतरगढ़ गांव के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी अन्य माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...किशनलाल मेघवाल की जो एक पल्लेदार था ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...जिसकी पुलिसकर्मियों द्वारा बिना किसी मतलब के... माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत मैं एक बीपीएल परिवार के...(व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): बीपीएल परिवार के व्यक्ति के बारे में सदन को अवगत कराना चाहूंगी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, बीकानेर जिले के छतरगढ़ गांव के किशनलाल मेघवाल जो बीपीएल परिवार का व्यक्ति था और जिसकी ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। आपको अच्छा लगने से मुझे क्या नफा-नुकसान है? सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री घनश्याम जी तिवाड़ी ने एक बात कही कि मंत्रीजी उनसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि उनके सात आदमियों का प्रतिनिधिमंडल लाकर, घनश्याम जी, आप मंत्री से उनके चैम्बर में मिल लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको निवेदन किया कि मंत्री से आप डेलीगेशन मिलवा दें, मिलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: सारे लोग तो आ नहीं सकते, केवल प्रतिनिधिमंडल आएगा। मैंने कहा, सात लोगों को आप लाकर मंत्रीजी से मिलवा दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: उनसे बात कर लें आप।

बीकानेर जिले के थाना छत्तरगढ़ में पुलिसकर्मियों द्वारा एक दलित किसान की कथित हत्या

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, बीकानेर जिले के छतरगढ़ 465 आर.डी. थाने का किशनलाल मेघवाल एक बीपीएल परिवार को बिलोंग करता है और पल्लेदारी की नौकरी करता है। उस किशनलाल मेघवाल का एक वर्ष पूर्व ही विवाह हुआ था, उसकी पत्नी वर्तमान में गर्भवती है दलितों की ओट पर आज कांग्रेस की सरकार टिकी हुई है लेकिन दुर्भाग्य है उस दलित व्यक्ति को जो मात्र राहगीर की तरह रास्ते पर चल रहा था अपने भाई के साथ, कुछ पुलिसकर्मियों ने बिना किसी वजह से रास्ते में रोककर उसकी इस तरह से निर्ममता से पिटाई की कि उसने अपना दम तोड़ दिया। उस मृतक का भाई उसके साथ था, उसे भी चौकी में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया। 19 तारीख को चौकी पर कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा धरना दिया गया, उसके बाद 20 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। 302 में मुकदमा दर्ज किया गया उस पर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिर वापस 23 तारीख को वहां के सामाजिक संगठन जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संसदीय सचिव गोविन्दराम जी मेघवाल खुद उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में लगातार धरना-प्रदर्शन जारी रहा। 23 को इस तरह का धरना और प्रदर्शन करने के बाद भी प्रशासन के लोग 24 तारीख

(12.19 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

तक यह कहते रहे कि किशनलाल मेघवाल जिन्दा है, वो सुरक्षित है और परिवार के कुछ लोगों ने उसे कहीं छुपा रखा है। बड़े शर्म की बात है कि जिन पुलिसकर्मियों ने उस व्यक्ति को पीटा और उसकी हत्या कर दी, उन्होंने उसे नहर में फेंक दिया। 24 की शाम तक यह बोलते रहे कि मृतक जिन्दा है, किशनलाल जिन्दा है। 25 तारीख को उसकी लाश नहर में मिली, बड़े शर्म की बात है। आज हम और खासकर कांग्रेस दलितों की मसीहा बनती है लेकिन दुर्भाग्य है उन दलितों का जिनके ऊपर इस तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): ...(व्यवधान) नहर 465 पर मेघवाल के लड़के को मार दिया ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आप देखिये, 24 तारीख से लगातार 4 तारीख तक धरना और प्रदर्शन ...(व्यवधान)

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): ...(व्यवधान) सबसे ज्यादा मेघवालों को पीटा गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक भी समाज का इतना विरोध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सुनना चाहिए। मेघवालों को पीट-पीट कर फिर उलटा मुकदमा कर दिया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): बडी शर्म की बात है, लगातार 24 तारीख से 4 तारीख तक धरना और प्रदर्शन जारी रहा ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...(व्यवधान) अपने प्रोटेक्शन में लेकर उसको पुलिस ने पीटा है। (व्यवधान) जब वह मरने की हालत में आ गया तो उसे इंदिरा गांधी नहर में डाल दिया गया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने बर्बर अत्याचार किया है बीकानेर में। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...(व्यवधान) राजस्थान के गृह मंत्रीजी बैठे हैं उनसे स्टेटमेंट दिलवाया जाए। उनको इस मामले में जवाब देना चाहिये ...(व्यवधान) दलित लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया, उनके ऊपर लाठियां चलाई ...(व्यवधान) उनको पीटा, उनके सैकड़ों लोगों को इन्होंने जेल में डाला है। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) सरकार अन्याय कर रही है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) बीकानरे को छावनी बना दिया ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) वहां के एसपी, एडिशनल एसपी, एसएचओ और सीओ सभी अधिकारियों द्वारा उन प्रदर्शनकारियों को पूर्व संसदीय सचिव गोविन्दराम जी ...(व्यवधान) इतनी लाठियां बरसाई गईं ...(व्यवधान) उन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए ...(व्यवधान) कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, उनको गिरफ्तार किया जाए। उनको जलील किया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप एक-एक बोलोगे या सभी बोलोगे? आप एक-एक बोलो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) यह एससी, एसटी से जुडा हुआ मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात समाप्त हो गई? (व्यवधान) आपको दो मिनट बोलने का मौका दिया है, बोल लिये। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ...(व्यवधान) दलितों पर लाठीचार्ज करके ग्रामीण गरीबों को चोट पहुंचाई ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) इसमें उच्चस्तरीय जांच हो ...(व्यवधान) और उन अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में तो लाओ, किसी की बात सुनाई नहीं दे रही।

श्री उपाध्यक्ष: बोल रहे हैं, आप एक मिनट विराजिए ।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दिलवाओ।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यहां गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूं ...(व्यवधान) बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: चन्द्रकान्ता जी के अलावा बाकी बोले ...(व्यवधान) चन्द्रकान्ता जी के अलावा किसी का रिकार्ड नहीं होगा। ...(व्यवधान) मैं अगला नाम पुकारूंगा अगर एक-एक नहीं बोलोगे तो। चन्द्रकान्ता जी बोल रही हैं, अगला नाम पुकारूंगा, मौका दिया है स्थगन का, आप उनको बोलने दो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार शांतिपूर्वक तरीके से धरना और प्रदर्शन सामाजिक संगठनों ने किया, 5.3 को जिस तरह प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज प्रदर्शनकर्ताओं पर किया गया, वह बड़ी शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, सरकार, अपने आपको गांधी जी के विचारों पर चलने वाली कहती है, क्या इस तरह से बीपीएल के व्यक्तियों को लाठी से मार-मार कर नहर में फेंक दें? और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच न हो, किसी तरह का मुकदमा दर्ज न हो? उन्हें निलम्बित नहीं किया, यह कौनसी सरकार है? उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है, इस बात पर आप ध्यान दीजिए और मुझे इस सदन में सरकार से, मंत्रीजी से जवाब दिलवाइए। क्या कारण था कि उन दोषी अधिकारियों ने जनता को लाठियों से पीटा और जिन लोगों का इस धरना-प्रदर्शन से लेना-देना नहीं था, उनके दुपहिया वाहन, चार पहिया वाहनों का लकड़ियों से मार मार कर नुकसान किया, वहां के पंडाल को उखाड़ कर फेंक दिया? यह क्या लोकतंत्र है?

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, मृतक के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। उसकी पत्नी जो गर्भवती है, जो बीपीएल परिवार को बिलोंग करती है, उसको नौकरी दी जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाए, मैं आपसे यह मांग करती हूं। मुझे इस सदन में जवाब दिलवाइए। गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, इसमें उच्चस्तरीय जांच करवाएं तो मैं समझती हूं कि उस मरने वाली आत्मा को, उस मृतक परिवार को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, आप विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब चाहते हो या नहीं चाहते हो? जवाब दे रहे हैं, सरकार का स्टेटमेंट आ रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहते हो कि सरकार का कोई वर्जन नहीं आए?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो विषय उठाया, उस क्रम में मैं आपके द्वारा दी गई व्यवस्था और आपके द्वारा दी गई अनुमति के क्रम में तथ्य निवेदन करना चाहता हूं।

दिनांक 20.2.2012 को प्रार्थी श्री नवरंग लाल द्वारा थाना छतरगढ पर एक प्रकरण दर्ज करवाया गया कि हम चारों भाई पल्लेदारी का काम कर घर आ रहे थे तो रास्ते में पीछे से शौकत अली हवलदार और सुभाष सिपाही आये और हमको शराब पीने का आरोप लगाते हुए चौकी चलने को कहा। किशन के मना करने पर उससे मारपीट करते हुए उसे चौकी की तरफ ले गये। सामने से कृष्ण स्वामी डांग लेकर आया और बोला कि ढेढ़ु, तुम्हें बदमाशी करते हुए काफी समय हो गया, इत्यादि, इत्यादि उन्होंने प्रकरण दर्ज करवाया और पुलिस पर मारपीट का आरोप भी उन्होंने उसमें लगाया। यह आरोप भी लगाया कि पुलिस थाना छतरगढ़ में रात भर रखकर दूसरे दिन मुझे छोड़ा गया। इस संबंध में एक प्रकरण दर्ज हुआ, प्रकरण संख्या 23/2012 । उनके द्वारा जो शक जाहिर किया गया, इसको ध्यान में रखते हुए धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता व 3 एससी, एसटी एक्ट पुलिस थाना छतरगढ़ में दर्ज कर लिया गया जिसका अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री श्रीकृष्ण मीणा जो कि ग्रामीण के हैं, उनको सुपुर्द किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा घटनास्थल की कार्यवाही, एफएसएल की जांच की गई, गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये। आईजीएनपी के बेलदारों, अभियंताओं एवं आसपास के ग्रामीणों को नहर में तलाश कराने, गोताखोरों द्वारा तलाश कराये जाने, जो कि इनकी मांग थी कि उसको नहर में डाल दिया गया है, की कार्यवाही करवाई गई। मुस्तगीस के मोबाइल नंबर की काल डिटेल की भी समीक्षा की गई। लापता किशनलाल की तलाश जोर शोर से करते हुए 26 तारीख को एक बजे आरडी 487 के पास सूचना मिलने के साथ उस लाश को निकलवाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वयं वहां मौके पर पहुंचे, लाश को उसके चचेरे भाई महेन्द्र द्वारा किशनलाल की होने की शिनाख्त करवाई गई। बीकानेर पीबीएम अस्पताल

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। प्रथम दृष्ट्या लाश पर कोई बाहरी चोट होना नहीं बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण बाबत स्पष्ट राय लिये जाने, विसरा का केमिकल एवं हिस्टोपैथोलोजी रिपोर्ट एवं बायो कैम परीक्षण के पश्चात् ही दिया जाना अंकित किया गया। मृतक किशनलाल के परिजनों द्वारा वर्तमान अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान से असंतुष्टि जाहिर करने पर अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर बीकानेर को सुपुर्द कर दिया गया। 26 तारीख को मृतक किशनलाल की लाश बाहर निकलवाते समय उसके भाई महेन्द्र व 30-40 साथियों द्वारा लाश को निकालने पर विरोध करने के क्रम में वहां पर एक तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा हुई, जो समझाइश के बाद लाश को वहां से निकाला गया।

पोस्टमार्टम के लिए ले जाते समय भी कुछ आपस में विवाद रहा और इस विवाद के चलते पथराव की स्थिति भी वहां पर पैदा हुई, कुछ पुलिसकर्मियों के चोट भी आई। सरकारी बस को भी नुकसान पहुंचा जिसके क्रम में प्रकरण संख्या 26/2012 जो कि विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हुआ, उसका भी एक अनुसंधान अलग प्रारम्भ किया गया। 5 तारीख को इसी क्रम में एक प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया। लाश प्राप्त होने के साथ ही 26 तारीख को यह विचार भी आया कि जांच को परिवर्तित किये जाने के साथ-साथ अन्य उच्च अधिकारी भी इसकी जांच करें। इनकी भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पूर्ण संवेदनशीलता के साथ में जयपुर से आई.जी. स्तर के अधिकारी श्री अशोक राठौड़ को विशेष रूप से वहां पर भेजा जिनके द्वारा इसका अनुसंधान किया जाना वर्तमान समय में जारी है।

जहां तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात माननीया सदस्या ने फरमाई और इसके क्रम में इन्होंने फरमाया कि निहत्थे, निर्दोष लोगों पर अकारण लाठी प्रहार किया गया, उस क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 तारीख को जिला कलक्टर बीकानेर के सामने हुए लाठी चार्ज में जो घायल हुए उन घायलों में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री सरजीत सिंह आरपीएस, श्री राजेन्द्र प्रसाद कान्स्टेबल, श्री मोहनलाल कान्स्टेबल, श्री विद्याधर सिंह कान्स्टेबल, श्री राजाराम हैड कान्स्टेबल, श्री पवन बाजोरिया कम्पनी कमाण्डर, श्री चेतराम कान्स्टेबल, श्री श्याम सिंह कान्स्टेबल, श्री जगदीश प्रसाद कान्स्टेबल, श्री अमरसिंह कान्स्टेबल, श्री मानाराम कान्स्टेबल, श्री महिपाल सिंह कान्स्टेबल, श्री

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

मुखत्यार सिंह कान्स्टेबल, श्री आनन्द सिंह कान्स्टेबल, श्री शिवकुमार कान्स्टेबल, श्री सूबेसिंह कान्स्टेबल, श्री रामचन्द्र कान्स्टेबल, श्री शीशराम कान्स्टेबल, श्री सतीश चन्द्र जांगिड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नगर, श्री मोहम्मद हाफिज हैड कान्स्टेबल, श्री प्रशांत कौशिक सीआई, श्री अंतरसिंह सीआई, बाबूराम हैड कान्स्टेबल, धर्मपूनिया सीआई, इन सबके चोटें उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पहुंचीं जो इस बात को इंगित करता है कि वह कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। इसी क्रम में मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप शांति रखिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इनका इलाज कहां-कहां हुआ, यह बता दीजिए...(व्यवधान) सरकार का कितना खर्चा हुआ? (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): जवाब आ रहा है, सुनिये ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इलाज कहां-कहां हुआ (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह सदन चाहे जिस तरीके से ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): कौन से अस्पताल में इलाज करवाया गया ? (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय मंत्रीजी, यह बता दीजिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इनकी बात पूरी सुनें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हम सुन रहे हैं लेकिन मंत्रीजी गलत जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह बाद की बात है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तय करेंगे कि जवाब सही या गलत है? (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): बिलकुल हम तय करेंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप कुछ नहीं करेंगे । (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हम तय करेंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सरकार जवाब दे रही है। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मंत्री जी, बताइये, किस-किस प्रदर्शनकारी को लाठियां पड़ी? (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): तय तो जनता करेगी। जनता तय करेगी। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): किस-किस प्रदर्शनकारी को लाठियां पड़ीं, यह बताइये आप हमें । (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): जनता तय करेगी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मंत्रीजी बताइये, किस-किस प्रदर्शनकारी को लाठियां पड़ीं ...(व्यवधान) दलितों को लाठियों से मारा।

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरा जवाब आ जाए तब ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): गलत जवाब है। .(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): एक तरफ तो राजस्थान विधान सभा का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुन रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहने का कहां अधिकार है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल के अलावा बाकी का रिकार्ड नहीं होगा। जब आप सुनना ही नहीं चाहते, हनुमान जी बेनीवाल। (व्यवधान) जवाब दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। आप जवाब सुनना चाहते हो या नहीं चाहते? (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप नीचे बैठेंगे तब जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे? हाउस तो आर्डर में रहेगा ही नहीं, कैसे जवाब देंगे? मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, हनुमान जी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्रवण जी, कृपया बात सुनिये ऐसे बीच-बीच में करने से जवाब नहीं आ पाएगा न! (व्यवधान) आप क्या चाहते हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यगण बिना पूरी जानकारी प्राप्त किये, बिना आपके दिये निर्देशों के क्रम में मुझे जो जानकारी उपलब्ध करानी थी सदन को उसको बिना सुने, बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी क्रम में जानकारी निवेदन कर रहा था कि ये पुलिसकर्मी उस दौरान घायल हुए। इसी क्रम में जो आंदोलनकारी गिरफ्तार किये गये और घायल भी उनमें से ही हुए, वे नाम भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं- गोविन्दराम मेघवाल, गौरव चौहान, मोहन लाल मेघवाल, पुखराज रायका इत्यादि-इत्यादि, ये 17 नाम है अगर आप फरमाएं तो ये 17 नाम भी रिकार्ड में आपकी अनुमति से दे सकता हूं, ये क्योंकि एफआईआर में ये सभी नाम आ चुके हैं। ये गिरफ्तार किये गये हैं इसलिए यह सभी नाम रिकार्ड में हैं। मैं इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ और ऐसे आंदोलनकारी जिन्होंने अपना निजी अस्पताल में इलाज कराया और अपने आपको चोटग्रस्त बताया, वे भी लगभग 36 नाम ऐसे आते हैं जो हमारी जानकारी के अनुसार है, जिनके छोटी-मोटी चोटें लगना, इस प्रकार की बात बताई गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, जो भी प्रकरण हुआ, इस प्रकरण के साथ किन्हीं की भी मौत अपने आप में बहुत गम्भीर बात होती है। सरकार पूर्णतया संवदेनशील है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पूर्णतया संवेदनशीलता का परिचय देते हुए घटना होने के मात्र से, जब जब इनके द्वारा चाहा गया वैसी-वैसी जांच को न सिर्फ परिवर्तित किया

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बल्कि जयपुर से आई जी स्तर के अधिकारी को उस प्रकरण की जांच के लिए नियुक्त कर दिया। वे मौके पर चले गये, उनके द्वारा जांच प्रारम्भ कर दी गई। फिर भी उस जांच के ऊपर किसी भी प्रकार से अपना नजरिया संतोषप्रद न रखते हुए 5 तारीख को नाहक ही प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक बात आती है, मुख्य मंत्री महोदय ने पूर्ण संवेदनशीलता के साथ, व्यवस्था के तहत, नियमों के तहत डेढ़ लाख रुपये की राशि भी पीड़ित पक्षकार के परिवार तक पहुंचाई। आज के समय में भी ...(व्यवधान) उक्त प्रकरण विचाराधीन है ।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सुनना नहीं चाहते क्या? (व्यवधान) आप बात सुनिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार जितने भी दर्ज प्रकरण हैं, उन दर्ज प्रकरणों में पूर्ण संवेदनशीलता के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ इस बात को जानते हुए और मानते हुए जांच कराये जाने के दृष्टिकोण को अपनाते हुए जांच करा रही है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। कोई दोषी हो उसको सज़ा मिले, चाहे वह किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों न हो, मैं यही आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आई जी स्तर का आदमी देखभाल करेगा ...(व्यवधान) एक मिनट, आई जी स्तर का आदमी देखभाल कर रहा है ?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जी, बिलकुल कर रहे हैं। उस प्रकरण की देखभाल कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमान जी बेनीवाल।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही पूछना है, आई.जी. जब जांच कर रहे हैं ....

श्री उपाध्यक्ष: यह क्वेश्चन होता है क्या? (व्यवधान) आई.जी. स्तर का आदमी काम कर रहा है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सरकार का जवाब आ चुका।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर दिया है कि आई.जी. स्तर का व्यक्ति उसकी जांच कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: स्पेशल लगाया गया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था राजस्थान में यह है कि पुलिस कस्टडी में कोई भी मौत होती है, उसके पूरे के पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: यह कस्टडी का मामला है क्या? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 93 से लेकर आज तक जिस भी पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति की मौत हुई है, वहां पूरे के पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जाता है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय सदस्य को पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अनुसंधान जारी है, आई जी स्तर के अधिकारी पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी बेनीवाल। हनुमानजी बेनीवाल। केवल हनुमानजी बेनीवाल का रिकार्ड होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल हनुमानजी बेनीवाल का अंकित होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आई.जी. स्तर का अधिकारी जांच कर रहा है। आपकी भावना के अनुसार आई.जी. स्तर का अधिकारी जांच कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल हनुमानजी बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय सदस्य, मैंने यह कहा है, नियमों के तहत डेढ़ लाख रुपये उपलब्ध करवाया गया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया है, उससे यह बात तो तय है कि रास्ते चलते हुए व्यक्ति को जबरन चौकी पर ले गये और वहां उसके साथ मारपीट हुई। यहां तक के तथ्य तो प्रमाणित हैं। उसके बाद वह आदमी कहां गया, यह एक...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं बीच में निवेदन करना चाहूंगा, यह प्रमाणित नहीं है। यह उनके द्वारा दर्ज कराया गया है। आप इसको प्रमाणित नहीं मानें, माननीय सदस्य, यह उनके द्वारा दर्ज करवाया गया है। जिस प्रकरण को दर्ज करवाया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, उन तथ्यों से मैंने आपके निर्देशानुसार सदन को अवगत कराया है। यह उस मृतक किशनलाल के भाई के द्वारा दर्ज कराया गया विषय है, न कि प्रमाणित है। जिस विषय की जांच, अभी अनुसंधान जिसका जारी है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं आज के समय में।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अनुसंधान आई.जी. स्तर का आदमी कर रहा है तो फिर उसकी जांच में निकलकर आ जाएगा। (व्यवधान) माननीय अमरारामजी, विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना इतनी ही है कि एक व्यक्ति चार लोगों के साथ एक जगह चल रहा था, उसको उठाकर पुलिस ले गयी और ले जाने के बाद उसके साथ मारपीट हुई। उसका एक भाई थाने में बंद रहा और उसके बाद उसकी लाश मिली। यह इस बात को प्रमाणित करता है, सौ प्रतिशत। वह जाकर तो नहीं कूदेगा कि आपने कोई उसके साथ मारपीट कर ली, इसलिये वह जाकर नहर में कूद जाए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इसी चीज की ही तो जांच चल रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, नहीं, यह पुलिस कस्टडी में मरने के बाद...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह पुलिस कस्टडी में डैथ हुई है, उसका बचाव किया गया तो आप कभी भी लॉ-एण्ड-आर्डर मेन्टेन नहीं कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: केवल हनुमानजी बेनीवाल का रिकार्ड होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी बेनीवाल, हनुमानजी। (व्यवधान) हनुमानजी बेनीवाल। आप नहीं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी, मैं अगला नाम पुकारूं क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक विषय पर आधा घण्टा खराब कर दिया आप लोगों ने, बैठिये। मैं अगला नाम पुकारूं? (व्यवधान) राधेश्यामजी गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: राधेश्यामजी, पहले हनुमानजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल हनुमानजी का रिकार्ड होगा, केवल हनुमानजी बेनीवाल का।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी बेनीवाल।

मकराना की ग्राम पंचायत चाण्डी के पूर्व सरपंच सूजाराम जाट द्वारा आत्महत्या

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन का ध्यान एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पंचायती राज को मजबूत करने वाली कांग्रेस एक ओर अपने घोषणा पत्र के अन्दर पंचायती राज को ज्यादा अधिकार देने की बात कर रही है, दूसरी ओर सबसे पहले तो सरंपचों को बुलाकर जयपुर में उन पर लाठीचार्ज किया और उनको और मजबूती प्रदान की। ऐसी एक घटना और हुई। नागौर जिले की मकराना पंचायत समिति के चाण्डी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और वर्तमान में सरपंच पति सूजाराम जाट ने 24 मार्च को वहां के विकास अधिकारी पी.सी. मीणा से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इससे शर्मनाक घटना राजस्थान के इतिहास में कभी हो नहीं सकती। नागौर की पावन धरती पर 2 अक्टूबर, 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना की थी और अभी 3-4 महीने पहले कांग्रेस पार्टी की नेता ने पंचायती राज का स्वर्ण-जयन्ती समारोह मनाया, उसके अन्दर पंचायतों को और अधिकार देने की बात की। सदन के नेता, जहां भी बात होती है, एक ही बात करते हैं कि पंचायतों को और मजबूत किया जाएगा। उसी नागौर की पावन धरती पर सूजाराम जाट ने बी.डी.ओ. से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जब घटना की जानकारी हम लोगों को मिली, 3-4 हजार लोग सब मिलकर वहां प्रदर्शन कर रहे थे। मैं भी वहां पर पहुंचा। मकराना के एम.एल.ए. भी वहां पर पहुंचे। डीडवाना के एम.एल.ए. रूपारामजी ने भी बात की। वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद यह तय हुआ कि बी.डी.ओ. को ए.पी.ओ. करके 306 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन इतने जन-प्रतिनिधियों के बीच बात होने के बावजूद भी अभी तक उस बी.डी.ओ. को ए.पी.ओ. करने के आदेश राजस्थान की सरकार से जारी नहीं हुए हैं। उस बी.डी.ओ. ने सरपंच को व्यक्तिगत रूप से तंग करने के लिए उसके खिलाफ कई जांचें करवाई और एक एफ.आई.आर. 137/2010 मकराना थाने के अन्दर दर्ज करवाई। उसकी जांच जब सी.ई.ओ. मकराना ने की तो उसमें एफ.आर. दे दी गई। मकराना के प्रधान और कई जन-प्रतिनिधियों ने उस बी.डी.ओ. के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

खिलाफ कई शिकायतें राजस्थान सरकार को, पंचायती राज विभाग को, जिला कलक्टर और जिला परिषद में कीं। बी.डी.ओ. के खिलाफ कई शिकायतों की पुष्टि भी हुई और भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप उस बी.डी.ओ. पर लगे। एक वृद्धा की तो बी.पी.एल. कार्ड बनाने के चक्कर में मौत हो गई। सरपंच संघों ने उसके खिलाफ आन्दोलन किये। सरपंचों ने बी.डी.ओ. के खिलाफ भूख हड़ताल की। प्रधान भूख हड़ताल पर बैठे और हम लोगों ने भी समय-समय पर उस बी.डी.ओ. को हटाने की बात कही। लेकिन ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से या सत्ता में उस बी.डी.ओ. की ऐसी कौनसी ताकत है जो उसको संरक्षण दे रही है?

आज सरकार इतनी संवेदनहीन हो जाए कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई ग्राम पंचायत का जन प्रतिनिधि आत्महत्या जैसे कदम उठाये तो उस प्रदेश में मुझे तो नहीं लगता कि कोई सुरक्षित होगा? या तो सरकार यह इंतजार कर रही होगी कि सरपंच मर गया, अब एम.एल.ए. कब मरेगा। अगर इस तरह कार्य करेंगे तो एम.एल.ए. भी सुसाइड करने के लिए तैयार ही बैठा है। आप इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करवा कर...(व्यवधान) आपकी तरफ से विधायक दल से कई इतने दु:खी विधायक हैं जो मुख्य मंत्रीजी के सामने ही जूतम-पैजार के लिए तैयार खड़े रहते हैं। जब भी विधायक दल की बैठक होती है और बाहर निकलते हैं तो कब लड़ाई हो जाए, इसका कोई अन्दाज नहीं लगा सकता, किसी भी क्षण घटना घटित हो सकती है। (व्यवधान) देखो हमने तो लड़ाई लड़ ली। हमने तो लड़ाई लड़ ली और मैदान (व्यवधान) आपकी तरह छुप-छुप कर वार नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप अपने मुख्य मंत्रीजी पर छुपकर बार करते हो, हमने तो मैदानी लड़ाई लड़ी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लड़ाई लड़ो खुलेआम हमारी तरह से। खुलेआम लड़ाई लड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी, आप आसन को सम्बोधित करिये। कृपया ऐसे नहीं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी छिन्न-भिन्न है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह आपस में, एक ही तरह से, अच्छे लोग हैं दोनों। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डी.जी. साहब वहां पर गये लक्ष्मणगढ़ में ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय, सरपंच है या सरपंच पति है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरपंच पति है। पूर्व सरपंच। डी.जी. लक्ष्मणगढ़ में गये, डी.जी. के साथ महिलाओं ने धक्का-मुक्की कर ली। सी.आई. को जिंदा जला दिया। सैकड़ों ऐसी घटनाएं राजस्थान के अन्दर हो गईं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह मामला तो सरपंच से संबंधित है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जिससे साफ यह झलकता है कि कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्य मंत्रीजी के यहां से आदेश जारी होते हैं, नीचे मुख्य मंत्री सचिवालय में ही उन आदेशों की आगे पालना ही नहीं होती है। इस तरीके से जो पिछले सवा तीन साल राजस्थान की जनता ने भोगे हैं, अब कब राजस्थान की जनता को मुक्ति मिलेगी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज को अधिकार देने की बात करते हैं, अब इससे ज्यादा और क्या अधिकार देंगे कि बी.डी.ओ. ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सरपंच की आत्महत्या तक सीमित रहे कृपया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं उसकी आत्महत्या की ही बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप अगर इतनी ही मजबूती से चलते रहेंगे तो बिलकुल मुक्ति मिलने वाली नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपका तो फ्लोर मैनेजमेंट दिख ही रहा है सबके सामने।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप सिखा देते तो ठीक रहता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज सरपंच की आत्महत्या का मामला हो और पंचायती राज मंत्री सदन के अन्दर नदारद रहें। यही वह पंचायती राज मंत्री हैं जो छुट्टी लेकर चले गये थे और मेले में ढोल बजा रहे थे पिछली साल। आज इनको यहां होना चाहिए। इतना गम्भीर मामला, पूरे राजस्थान की नजरें विधान सभा की ओर हैं कि उस सरंपच परिवार को, उस सरपंच की पत्नी को और उनके बच्चों को न्याय मिलेगा, उनको मुआवजा मिलेगा। सरकारी नौकरी की जो परम्पराएं हमारी पूर्ववर्ती सरकार ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह दो मिनट की जगह दस मिनट हो गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट ही साहब, दो मिनट ही।

श्री उपाध्यक्ष: दस मिनट हो गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकारी नौकरी की परम्पराएं हमारी पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार ने डाल रखी हैं कि किसी को भी पुलिस की गोली से मार दो और उसको पांच लाख रुपये, दस लाख रुपये और एक मृतक आश्रित को नौकरी। तो कम से कम एक नौकरी इसके बेटे को भी मिले और दस लाख रुपया मुआवजा राजस्थान की सरकार दे। राजस्थान की सरकार के कारिंदों से दु:खी होकर, जो कलंक राजस्थान की सरकार के माथे पर लगा है कि एक किसान के बेटे ने, एक सरपंच ने बी.डी.ओ. से और प्रशासन से तंग होकर आत्महत्या कर ली, इस घटना की मैं निंदा करता हूं और इसमें ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री राधेश्यामजी गंगानगर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट का जवाब तो दिलवाइये, साहब, हमारा भी। उधर से 20-25 खड़े होते ही तो आप दिलवा देते हो। अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवायें हमारा भी। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): ए.पी.ओ. की घोषणा करिये, मंत्रीजी। ए.पी.ओ. करवाओ उस बी.डी.ओ. को।

श्रीगंगानगर में जवाहर नगर पुलिस चौकी को अनियमित भू-आबंटन

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के मामले में एक ऐसा रहस्य आपको बताना चाहता हूं जिसको सुनकर पूरा हाउस हैरान हो जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी कहां गये? ढोल बजाने गये हैं क्या?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): गंगानगर की एक ऐसी घटना मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राधेश्यामजी गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 70 हजार की आबादी है, वहां जवाहर नगर का थाना बंटा हुआ है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, उस थाने को हटाकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां हम रहते हैं ... (व्यवधान) हमारे जिलाधीश महोदय ने उस थाने को अशोक नगर में किसी मकान वाले से नाराजगी मिटाने के लिए ... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): थाना खड़ा कर दिया। छुट्टी तीन दिन की थी ... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का जवाब दिलवाएं, इतना गम्भीर और संवेदनशील मामला है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): शनिवार और रविवार और ईद की छुट्टी थी, इन तीन दिनों में ... (व्यवधान) सुबह पांच बजे आर.ए.सी. आ गई, पुलिस जाप्ता आ गया ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): डाकुओं की तरह पुलिस का एस.पी. और उसके साथ पुलिस के अधिकारी, जैसे कोई डाका मार रहे हैं। जहां गवर्नमेंट ने आपको थाना अलाट किया है, उस थाने को छोड़कर किसी के घर के आगे चौकी या थाना बनाना कहां तक उचित है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाएं मेरा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास नोट भी है, इसमें लिखा है कि बी.डी.ओ. से तंग आकर ... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं इस मामले में स्वायत्त शासन मंत्रीजी से और उस वक्त के होम मिनिस्टर से भी मिला था। मैंने पत्र भी दिया था। होम मिनिस्टर साहब उस वक्त धारीवालजी थे, उन्होंने यह जवाब दिया मेरे को कि कोटा में भी ऐसी घटना हुई है। (व्यवधान) कोटा की घटना और गंगानगर की घटना में बहुत बड़ा फर्क है। कोटा में बाकायदा परमिशन ली गई, डी.एस. के सामने परमिशन के लिए कहा गया। लेकिन यह थाना आज से नहीं बहुत लम्बे अरसे से थाना जवाहर नगर में चल रहा था। अचानक किसी व्यक्ति से, आनन्द शर्मा नाम के व्यक्ति बैर निकालने के लिए। क्या नाराजगी थी? उसका मकान उसने आक्शन में लिया हुआ है। यू.आई.टी. से, आक्शन पर लिया हुआ मकान, कोने का मकान है। कोने का मकान दक्षिण दिशा में खुलता है, उसने दुकानें बना रखी थीं। उसके सामने, उसका पूरा मकान बंद कर दिया, आपने ऑक्शन करके बेचा है उस व्यक्ति को, पाँच मकानों में कुछ लैंड ज्यादा थी, उस लैंड को चार मकान वालों को दे दिया और एक मकान वाले, प्रार्थना पत्र वहीं पड़ा है। दक्षिण दिशा में खुलता हुआ आपने ऑक्शन में बेचा है, उसके सामने अगर पुलिस वाले इस तरह से अन्याय करने लग गये तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बचेगा नहीं। पांच बजे सुबह घर में सोये हुए बच्चे, किसी के घर के सामने आकर आप थाना लगा दो, गवर्नमेंट की बिना मंजूरी के। अगर गवर्नमेंट की मंजूरी हुई है तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। अगर गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं तो क्या वह गवर्नमेंट हो गये? एक एस पी और कलक्टर, मान लो किसी से नाराजगी निकालनी हो, कल को आपके घर के आगे, मेरे घर के आगे थाना बना देंगे? यह नई बात हो गयी, ऐसा कभी आपने सुना है क्या? आज तक कभी रिकार्ड में ऐसी बात है? होम मिनिस्टर साहब भी यही हैं और यू डी एच मिनिस्टर भी यहीं हैं, आप इस बात का जवाब दें। यह जो घटना हुई, मैंने इसकी जानकारी दी है, बकायदा स्वायत्त शासन मंत्री और होम मिनिस्टर को मैंने जानकारी दी कि इतना बड़ा अन्याय एक व्यक्ति के साथ इस तरह पुलिस कर रही है। कैसे बरदाश्त करेंगे? इस तरह से राज चलेगा? इस तरह प्रशासन चलेगा?

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कलक्टर, एस.पी. वहीं बैठे हैं, इस तरह लोगों से खुन्नस निकालते रहेंगे? थाना बदल दिया, पूरा थाना जो 20 साल पहले, 15 साल पहले बना हुआ है।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उसको आप अशोक नगर में ला रहे हैं बिना मंजूरी के, ऐसा नहीं, जी। आप जवाब दिलाओ। एक आदमी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उसके घर के आगे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको याद दिलाऊं? आपको याद दिलाऊं, भू-आबंटन को निरस्त किया जाए, आपकी मांग है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): भू-आबंटन को निरस्त कर दें, कोई बात नहीं। नहीं जी, नहीं किया गया, गलत रिपोर्ट है। भू-आबंटन को निरस्त नहीं किया गया। भू-आबंटन जो आगे जगह थी, वह उसको नहीं मिली। जो एक्स्ट्रा लैण्ड थी, चार आदमियों को दे दी, उस व्यक्ति को नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष: आपने कानूनी प्रक्रिया में डाला है इसको।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह मैंने लिखा है, यह मेरी बात आप कह रहे हैं। मैंने आपसे कोई बात नहीं छिपाई है। मकान उसने आक्शन में लिया हुआ है। मकान उसका वहां है, दक्षिण दिशा में खुलता है। मकान के आगे जो जगह थी, एक पट्टी थी, उस पट्टी को गवर्नमेंट ने चार आदमियों को दे दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मेरी राय है, आप स्वायत्त शासन मंत्रीजी से व्यक्तिगत मिल लीजिये। शायद हो सकता है, कोई रास्ता निकल जाए। होम मिनिस्टर को तो जगह मिली है, आप तो जानते हो, आप मंत्री रहे हुए हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कब टेण्डर हुए, कौन से ठेकेदार ने बनाया, कौनसी एजेन्सी ने बनाया, टेण्डर की डेट क्या थी, किस तरह वह काम हुआ? भू-माफियाओं से लेकर तीन दिन में छुट्टियों में थाना तैयार हो जाए, आप इस बात को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। आप स्टेटमेंट दिलाइये गवर्नमेंट से। जो भी देना चाहें, यह दे दें। क्या दिक्कत है इसमें? आप मेरे घर के आगे थाना बना दो और आप कह दो, ठीक है, यह कैसे चलेगा? अगर मैं गलत हूं तो स्टेटमेंट दिला दीजिये, मैं अपनी जगह पर बैठ

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

जाऊंगा। आपसे मैं उम्मीद रखता हूं, आप इंसाफ पसन्द हैं। आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का गला घोंटा जा रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बिड़ला जी, 295 के बाद। प्रोसीजर है, नियम है, 295 के बाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मुझे आप इसमें जवाब नहीं दिलाओगे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे आप जवाब दिलाओ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295, श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह अन्याय है, छोटी-छोटी बातों पर आज जवाब दिलाते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार संवेदनहीन होकर बैठी रहे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल ज्ञानचन्द जी पारख का ही अंकित करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी नहीं हैं अभी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पाली शहर में भू-खण्डों व मकानों के पट्टे हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को सदन के माध्यम से पाली शहर में अपने कब्जे एवं मालिकाना हक वाले भूखण्डों व मकानों के पट्टे हेतु लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में सरकार द्वारा नियमों में शिथिलता दिये जाने का निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पारख साहब को पूरा करने दो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, केवल पारख साहब का ही अंकित हो रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बात कर लीजिये उनसे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को थोड़ा आर्डर में लीजिये। सामने कितने लोग खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 1. प्रताप नगर, आनन्द नगर एवं सूर्य कालोनी में सन् 1979 में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास हेतु भूखण्ड आबंटित किये गये थे। उस समय तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा 56 भूखण्डों के आबंटन का अनुमोदन नगर परिषद द्वारा लापरवाहीवश नहीं कराने के कारण इन भूखण्डधारियों को अब तक पट्टे जारी नहीं किये जा सके। साथ ही कुछ भूखण्डधारियों ने कुछ वर्षों बाद अपने भूखण्ड अथवा मकान अन्य व्यक्तियों को बेच दिये गये, जबकि आबंटन में शर्त थी कि ये भूखण्ड आगे नहीं बेचे जा सकते। अब वर्तमान खरीददार अपने खरीदशुदा मकान अथवा भूखण्ड का पट्टा निर्धारित सम्पूर्ण शुल्क जमा करा प्राप्त करना चाहता है, परन्तु नियमों के कारण परिषद उन्हें पट्टे नहीं दे पा रही है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है आपका। केवल पारख साहब का अंकित हो रहा है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 2. टैगोर नगर स्थित हुडको क्वार्टर्स भी अल्प आय वर्ग के परिवारों को आबंटित किये गये थे। इन आबंटनों में भी यह शर्त थी कि क्वार्टर की सम्पूर्ण राशि जमा कराये बिना एवं 10 वर्षों की अवधि तक इन्हें आगे नहीं बेचा जा सकता, परन्तु कुछ आबंटियों ने अपने मकान अन्य लोगों को बेच दिये। अब वर्तमान खरीददार अपने क्वार्टर्स का पट्टा चाहते हैं जिसके लिये वो सरकार द्वारा निर्धारित सभी शुल्क देने को सहमत हैं। ये आबंटन भी लगभग 20-25 वर्ष पूर्व हुए थे।

3. नया गांव स्थित जगदम्बा कालोनी में करीब 30 वर्ष पूर्व से लोग अपना मकान बना काबिज थे, परन्तु परिषद द्वारा सन् 1987 में इस बसी हुई कालोनी पर कार्यालय में बैठे-बैठे ही योजना काटकर भूखण्ड आबंटित कर दिये गये, जबकि जगदम्बा कालोनी चिह्नित कच्ची बस्ती थी। ये लोग आज भी काबिज हैं। यहां पक्के मकान बने हुए हैं। परिषद द्वारा बिजली, पानी, सड़क, नाली की सुविधा भी मुहैया करा रखी है, परन्तु परिषद द्वारा इस भूमि पर अन्य लोगों को भूखण्ड आबंटन कर दिये जाने के कारण इन मकानों का नियमन नहीं किया जा सका।

4. कृषि भूमि पर बसी बस्तियां बापू नगर विस्तार, जनता कालोनी, रजत नगर, जवाहर नगर में कृषि भूमि नियमन के कई पट्टे इसलिये नहीं दिये जा रहे हैं कि भूखण्ड क्रय करने के बाद में परिषद द्वारा करवाये गये प्लेन टेबल सर्वे में खरीदशुदा रिक्त पड़े कुछ भूखण्डों को कालोनी के स्वीकृत मानचित्र में सुविधा क्षेत्र दर्शा दिया गया, जबकि इनमें से अधिकांश भूखण्डों पर वर्तमान में पक्का निर्माण हो चुका है।

मान्यवर, उक्त सारे प्रकरणों में राज्य सरकार से नियमों में शिथिलता प्रदान करने हेतु परिषद ने अनेक बार पत्र लिखकर निवेदन किया है और परिषद बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया है। अब चूंकि इन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा नियमों में शिथिलता देकर इन्हें मकानों का पट्टा दिलाने हेतु निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बैठे हैं, इसमें जवाब दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री ग्यारसाराम कोली। मंत्रीजी आपका जवाब नहीं देना चाहते।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब नहीं देना चाहते, क्या करेंगे? आपने अपनी बात रख दी। यह मंत्रीजी का परव्यू है, आप मिल लीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: धारीवाल जी हैं न आपके मंत्री, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने 295 अलाउ कर दिया, उसके बाद पिछले वाली बात का जवाब दिलवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप मिल लीजिये, आपकी बात सुनेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री ग्यारसाराम कोली। 295 पर बात करें। (व्यवधान) आप पढ़िए, ग्यारसा रामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

(माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल का सदन कूप में धरना एवं भाषण)

जाट समुदाय में आक्रोश

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

उपाध्यक्ष महोदय, लम्बे समय से देश में जाट आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जाट महासभा से माननीय पी चिदम्बरम, केन्द्रीय मंत्री महोदय से वार्तानुसार जाट आरक्षण की वकालत करते हुए उन्हें आरक्षण दिये जाने का आश्वासन दिया गया था।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ग्यारसारामजी कोली का ही अंकित करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ग्यारसारामजी, आपने तो दूसरा प्रस्ताव दिया है। आपने दिया है 'लम्बे समय से देश में जाट आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है' ... (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): भरतपुर में शांति व्यवस्था और गोपालगढ़ का दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने तो यह दिया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राधेश्यामजी, 295 पूरा होने दें।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): इस समय देश के प्रत्येक जिले एवं तहसील मुख्यालयों पर धरने दिये जा रहे हैं। सरकार ने तीन दिन गुजरने के बाद भी उनकी सुध नहीं ली है। जाट समाज में इसकी विपरीत प्रतिक्रया हो रही है एवं जाट समाज में भारी असंतोष व्याप्त है। देश में चूंकि जाट समुदाय काफी बड़ा धड़ा है, उन्हें सरकार की उपेक्षित नीति से नवाजा जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में आम जनता में रोष व्याप्त है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में धाना खेड़ली तहसील रूपवास, जिला भरतपुर में इसी तरह का है जहां कई हजारों जाट समुदाय के व्यक्ति धरने पर बैठे हैं। उनकी सुध सरकार द्वारा नहीं लिये जाने से भारी असंतोष है। जन प्रतिनधि भी उसमें शामिल हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस जाट आरक्षण को उचित समझते हुए शीघ्र उनकी मांग अनुसार उन्हें आरक्षण दिलाकर जाट समुदाय को संतुष्ट करते हुए धरने प्रदर्शन तुडवाए ताकि जनता में एक अच्छा संदेश देश में पहुंचे और सरकार की नीति, सद्भाव की लहर जनता में जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचन्दजी भिण्डा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: उन्होंने सुना है। मैंने पूछा कि आप जबाव देना चाहते हैं तो इन्होंने कहा कि मुझे नहीं देना। मैंने यह नहीं कहा कि जबाव दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने यह पूछा कि आप जबाव देना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं। निर्देश नहीं दिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप भिण्डाजी को बोलने दें। केवल भिण्डाजी का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप किस नियम के तहत जबाव मांग रहे हैं?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री भिण्डाजी।

विराट नगर के विद्यालयों में नये संकाय एवं कतिपय विद्यालयों का क्रमोन्नयन

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के एक मात्र नगर क्षेत्र विराट नगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें वाणिज्य विषय के अध्ययन की सुविधा नहीं है। मंत्रीजी के उत्तर के अनुसार राजस्थान के नगर क्षेत्र का एक मात्र विद्यालय है जिसमें वाणिज्य विषय नहीं है। सरकार से बराबर आग्रह करने के बाद संसाधनों एवं इस वर्ष बजट प्रावधान नहीं होने की बात कही गयी परन्तु मंत्री महोदय ने अनेक स्थानों पर बजट प्रावधान न होने का हवाला देने के बाद भी वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोले हैं। गरीब छात्रों के लिए सरकारी विद्यालयों का ही एक मात्र विकल्प होता है। विराट नगर के बाद उत्तर दिशा में 26 किलोमीटर पावटा पश्चिम में 25 किलोमीटर शाहपुरा तथा दक्षिण में 13 किलोमीटर नवरंगपुरा उपलब्ध है लेकिन बालिकाओं का इतनी दूरी पर जाना असम्भव है। क्षेत्र में राजनोता सबसे ज्यादा 250 ढाणियों का गांव है जहां विज्ञान संकाय नहीं है। सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के अभाव में बालिकाओं को जीपों में लटक कर दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है। कारौली एवं मण्डा पंचायत मुख्यालय पर छात्रों के लिए 10वीं की सुविधा नहीं है। जाजकला में 39 वर्ष से तथा रामपुरा एवं बागवास चोरणसी (अनुसूचित जनजाति बहुल) में 25-25 वर्ष से माध्यमिक विद्यालय हैं, परन्तु क्रमोन्नत नहीं किये गये हैं।

अतः सरकार राजनैतिक भावना से ऊपर उठकर विराट नगर की

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

सीनियर बालिका विद्यालय में वाणिज्य, विज्ञान; विराट नगर सीनियर स्कूल में वाणिज्य; राजनोता में विज्ञान संकाय तथा मण्डा व कारौली में सह शिक्षा के माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं तथा जाजरकला, रामपुरा, बागावास चौरणसी को सीनियर विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। श्री ओम प्रकाशजी जोशी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: आप 295 पूरा होने दें। यह पूरा होने के बाद। श्री ओम प्रकाश जोशी।

फलौदी में रीको क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

श्री ओम जोशी (फलौदी): राजस्थान विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय फलौदी एवं खींचन गांव में वर्तमान में रीको औद्योगिक क्षेत्र घोषित एवं कार्यरत है। फलौदी तहसील एरिया भौगोलिक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि, अथाह भूजल से सिंचित कृषि अभिवृद्धि, लवण व्यवसाय की उन्नति, सौर ऊर्जा उत्पादन में निरन्तर प्रगति, प्लास्टर आफ पेरिस एवं अन्य उद्योग के स्थापना की प्रबल संभावनाओं के दृष्टिकोण से त्वरित औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। रेलवे का जंक्शन स्टेशन है। फलौदी से वाया बाप बीकानेर सड़क एन एच 15 व रेल मार्ग फलौदी से जोधपुर वाया देचू मेगा हाईवे, फलौदी से जोधपुर वाया ओसियां, लोहावट मेगा हाई-वे, फलौदी से जैसलमेर वाया खारा हाईवे नम्बर 15 एवं फलौदी से जयपुर वाया नागौर स्टेट हाईवे एवं प्रस्तावित मेगा हाईवे वाया नावां-जोबनेर बहुमुखी श्रेष्ठ सड़क यातायात सुविधा के आवागमन का सुगम केन्द्र बिन्दु है। पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा का हब बनने से बिजली उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

30 से अधिक 33/11 केवी जीएसएस एवं सावरीज बेंगटी, खेतुसर, कानासर आदि स्थानों पर 132 केवीए के जीएसएस निर्माण, फलौदी, बाप, बड़ी सिड में 220 केवीए जीएसएस एवं भड़ला में चुहड़ों की बस्ती में 400 केवीए जीएसएस के निर्माण की प्रगति आने वाले समय में वृहत् बिजली उत्पादन एवं

(श्री ओम जोशी)

वितरण की संभावनाओं का द्योतक है। राजीव गांधी लिफ्ट योजना से पेयजल की आपूर्ति के साथ-साथ फलौदी एवं पोकरण जलोत्थान योजनाओं के अन्तर्गत नहरों का निर्माण विकास की धारा आगे बढ़ाने वाला है। फलौदी से 17 किलोमीटर दूरी पर एशिया श्रेष्ठ एयरफोर्स स्टेशन कुण्डल निर्मित होकर प्रारम्भ हो चुका है।

फलौदी अतिरिक्त जिला कलक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का मुख्यालय है, उप तहसील बाप के तहसील बनाने की आशा क्षेत्र की जनता लम्बे समय से कर रही है। फलौदी में मुख्य मण्डी समिति एवं फल-सब्जी मण्डी सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। फल-सब्जी मण्डी का अतिरिक्त यार्ड आदि निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। खींचन एवं फलौदी पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

उपरोक्त समस्त ठोस कारणों से राजस्थान एवं देश के उद्यमी फलौदी इलाके की तरफ औद्योगिक विकास हेतु आकर्षित हो रहे हैं। विभिन्न संगठनों एवं उद्योग संघों से फलौदी में उपलब्ध राजकीय भूभाग पर उद्योग केन्द्र स्थापित करवाकर व्यवस्थित रूप से विकसित रीको औद्योगिक क्षेत्र विकास की मांग की जा रही है जो पूर्णतया उचित एवं फलौदी क्षेत्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। खाली भूभाग समय रहते समुचित उपयोग नहीं होने से भूमाफियाओं की भेंट चढ़ जाता है जो आपराधिक घातक प्रवृत्ति का पुष्टिकर्ता एवं विकास का अवरोधक है।

अतः मैं मांग करता हूं कि रीको क्षेत्र हेतु बाप में आबंटित 200 बीघा भूमि का कब्जा लिया जाए। फलौदी में वांछित 250 बीघा अतिक्रमण मुक्त भूमि रीको लिमिटेड को आबंटित कर दी जाए तथा सावरागांव खिदरा आदि गांवों में उपलब्ध राजस्व सिवायचक भूमि कम से कम 3000 एकड़ क्षेत्र रीको लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्र स्थापना हेतु योजनाबद्ध तरीके से आबंटित की जाए तथा रीको लिमिटेड के उच्चाधिकारी व जिला कलक्टर स्तर से इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार एवं मौका सर्वेक्षण करवा उचित कार्यवाही सम्पादित करवायी जाए। सरकारी पड़त भूमि उपलब्ध नहीं होने से किसानों के विरोध को सहन कर अशांति के साथ क्षेत्र विकसित किये जाने का कठिन कार्य हो रहा है, ऐसे हालात में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ राजकीय भूमि पर रीको लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करती है तो निश्चित रूपेण इससे हमारे क्षेत्र के साथ-साथ प्रदेश में भी औद्योगिक विकास में स्वर्णिम अध्याय जुड़ेगा।

(श्री ओम जोशी)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इन सम्भावनाओं के मद्देनजर सौर ऊर्जा हब बाप क्षेत्र की दस हजार एकड़ जमीन में से एक हजार एकड़ जमीन पर सहायक उद्योग स्थापित करने की रावरा, फलौदी एवं अन्य विभिन्न प्रवचनों में घोषणा की है। मेरे सुझाव को औद्योगिक विकास की प्रगति में गम्भीरता से लिया जाने का सादर अनुरोध करता हूं तथा त्वरित क्रियान्विति के लिए फलौदी में रीको लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की पुरजोर मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, हां, यह जीरो आवर चल रहा है, 295 चल रहा है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह 295 हो रहा है, 295 पूरा होने के बाद।

वेस्टेज मार्बल की रायल्टी से मुक्ति

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत वेस्टेज मार्बल को रायल्टी मुक्त करने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि समस्त राजस्थान में मार्बल दोहन के साथ ब्लाक पर रायल्टी अदा की जाती है जबकि मेरे औद्योगिक क्षेत्र मकराना में तैयार मार्बल पर रायल्टी अदा की जाती है।

समस्त राजस्थान में मार्बल ब्लाक पर 175 रुपये व मकराना में तैयार मार्बल के माल पर 300 रुपये रायल्टी ली जाती है।

(माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल सदन कूप में)

श्री उपाध्यक्ष: आप सीट पर विराजें। नहीं तो आपकी मर्जी है, आप माननीय सदस्य हैं। आपको सीट आबंटित है। यह सदन आपका है, आप सीट पर विराजें।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मार्बल ब्लाक को तैयार माल बनाने पर सरकार 30 प्रतिशत वेस्टेज मानकर 175 रुपये के 300 रुपये वसूल करती है। जिसमें 12 इंच से कम चिप्स, खण्डे, क्रेजी व इससे कम साइज के पीस एवं पाउडर इत्यादि 30 प्रतिशत वेस्ट में निकलती है जिसकी हम तैयार माल की रायल्टी 300 रुपये अदा करते हैं।

अतः उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से चालू होने वाले बजट 2012-13 में 12 इंच से कम चिप्स, खण्डे, क्रेजी व इससे कम साइज के पीस एवं पाउडर को रायल्टी मुक्त किये जाने की मांग को स्वीकार करें। मार्बल मण्डी में 12 इंच से कम का स्टाक बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि इसकी रायल्टी ग्राहक को वहन नहीं की जा सकती। अगर यह स्टाक सेल होगा तो राज्य सरकार को लाखों रुपया टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक से किसानों को सात प्रतिशत पर फसली ऋण की सुविधा

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले लोक महत्व के विशेष उल्लेख के बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा क्षेत्र के किसानों को गत वर्षों में सात प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही थी परन्तु इस वर्ष मात्र 138.00 लाख की राशि पुनर्भरण कर भविष्य में किसी प्रकार की फसली ऋण सुविधा देने से राज्य अपैक्स बैंक द्वारा इन्कार कर दिया गया है जबकि इस बैंक द्वारा राज्य बैंक की शत-प्रतिशत मांग का समयावधि में चुकारा किया गया है। राज्य बैंक से सम्पर्क करने पर अवगत कराया गया कि नाबार्ड द्वारा किसानों को भूमि विकास बैंक के मार्फत फसली ऋण सुविधा देने से इन्कार कर दिया गया है। नाबार्ड अधिकारियों से सम्पर्क करने पर अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा फसली ऋण सुविधा भूमि विकास बैंकों को देने से इन्कार कर दिया गया है। अतः सहकारिता मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकृष्ट कर निवेदन है कि :-

(1) बिलाड़ा भूमि विकास बैंक किसानों को आर्थिक सहायता देकर गत 50 वर्षों से प्रदेश के विकास में भागीदार रहा है। अन्य व्यावसायिक बैंकों के

(श्री अर्जुन लाल)

किसानों को सात प्रतिशत पर फसली व किसान कार्ड ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें से तीन प्रतिशत ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है परन्तु भूमि विकास बैंक के किसानों को सात प्रतिशत पर भी फसली ऋण सुविधा नहीं दी जा रही है। इस प्रकार एक ही क्षेत्र के किसानों के साथ सरकार की दोहरी नीति क्यों अपनायी जा रही है? क्या भूमि विकास बैंक बिलाड़ा के किसान अन्य किसानों से अलग हैं जो बैंक के किसानों के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है?

(2) भूमि विकास बैंक की स्थापना तब हुई थी जब इस क्षेत्र में कोई बैंक नहीं था। तब से किसानों को आर्थिक सहायता देने में अग्रणी रहा है परन्तु आज राज्य सरकार के द्वारा इस बैंक के किसानों को फसली ऋण से वंचित किया जा रहा है जिससे क्षेत्र का विकास व उत्पादन प्रभावित होगा।

(3) यदि इस बैंक के किसानों को फसली ऋण देने की सुविधा पुनः चालू नहीं की जाती है तो पूर्व में दिये गये ऋण की अदायगी भी समय पर सम्भव नहीं होगी जिसके लिए भी नाबार्ड और राज्य बैंक जिम्मेवार होंगे।

अतः सहकारिता मंत्रीजी से अनुरोध है कि बिलाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक के किसानों को भी फसली ऋण की सुविधा सात प्रतिशत पर देने तथा राज्य सरकार से अन्य बैंकों की तरह तीन प्रतिशत ब्याज छूट भी दिलवाई जाए ताकि क्षेत्र व प्रदेश के विकास में बिलाड़ा भूमि विकास बैंक के किसान भी भागीदार हो सकें। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

सोजत नगरपालिका के मास्टर प्लान, 2013 की निरस्ती

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सोजत में स्थित नगरपालिका के नगरीय विकास विभाग द्वारा मास्टर प्लान वर्ष 2013 के अनुमोदन के बाबत बताना चाहूंगी। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को सोजत सहित आसपास के ग्राम बिलावास, धिनावास, बासनी नृसिंह, बासनी मुथा, बासनी तिलवाड़ियां, रेन्दड़ी, बासनी भदावता, सरदारपुरा, धंधेड़ी, रामासनीबाला, राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते

(श्रीमती संजना आगरी)

हुए मास्टर प्लान बनाने के लिए अधिकृत करने की तारीख 13 जनवरी, 2010 की अधिसूचना को सार्वजनिक रूप से प्रसारित व प्रकाशित न करवाने से बनाया गया मास्टर प्लान निरस्त योग्य है।

आज दिन तक नगरपालिका सोजत के गठन के बाद भी कोई भी सीमा राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में मास्टर प्लान का प्रारूप निरस्तनीय है। विभाग के रिकार्डनुसार मास्टर प्लान बनाने हेतु दिनांक 13.02.2010 को अधिसूचना जारी करने से पूर्व दिनांक 20.08.2009 के आदेश से आवास-विकास लिमिटेड द्वारा कौनसा मास्टर प्लान का प्रारूप बना लिया गया, उसका भी प्रकाशन नहीं हुआ। सोजत के मास्टर प्लान का प्रारूप बनाया गया जिसके आधार बिन्दु के मुकाम नहीं दर्शाये गये, खसरा नम्बर नहीं दर्शाये गये। गरी काश्तकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। नगरपालिका सोजत द्वारा सर्वसम्मति से मास्टर प्लान को निरस्त करने हेतु प्रस्ताव लिया गया, जिसकी भी प्रति सभी प्रशासनिक एवं सम्बन्धित विभाग को भेज दी गयी। सैकड़ों की तादाद में आपत्तियां लिखित में प्रस्तुत की गईं, उसका भी निराकरण नहीं हुआ।

नगरीय विकास विभाग ने गलत तरीके से मेरे क्षेत्र की जनता को भ्रमित करने की नीयत से एक पत्र क्रमांक : प.10(215)नविवि/3/2009 जयपुर दिनांक 19.10.2011 को श्री प्रदीप कुमार, उप नगर नियोजक का हस्ताक्षरशुदा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सोजत को प्रेषित किया गया। इस पत्र की जानकारी मेरे क्षेत्र के अधिवक्ता आनन्द भाटी को होने पर उन्होंने उप खण्ड अधिकारी सोजत को उस पत्र में वर्णित कथनों के अनुसार मास्टर प्लान के नक्शे अवलोकनार्थ उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 21.12.2011 के जरिए अवगत कराया कि इस पत्र में वरिष्ठ नगर नियोजक महोदय, नगर नियोजन विभाग, जोन जोधपुर को विभिन्न पत्रों (दिनांकित) के जरिए सूचित हुआ कि नगरीय विकास विभाग के मास्टर प्लान के नक्शे की प्रति सोजत नगरपालिका में नहीं भेजी गयी।

इस प्रकार नगरीय विकास विभाग द्वारा बाले-बाले गलत तरीके से 19.10.2011 को सोजत मास्टर प्लान के सम्बन्ध में जारी किये गये पत्र की कार्यवाही को निरस्त किया जाना न्याय संगत है। ऐसा मास्टर प्लान जिसका नक्शा नहीं बना, उसका अनुमोदन सरकार द्वारा किस नियम में किया जा रहा है? मैंने पूर्व में विधान सभा सत्र में दिनांक 14.03.2011 को नियम 131 के

(श्रीमती संजना आगरी)

तहत सदन को अवगत कराया था, जिसका जवाब मुझे आज ही प्राप्त हुआ है, जो जनहित में नहीं है और मनगढ़ंत है।

मैं विश्वास करती हूं कि माननीय अध्यक्षजी सरकार को अवगत करावें कि विभाग व सरकार द्वारा ऐसी गलत कार्यवाही करा कर मेरी ग्रामीण जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समाप्त हो गया। श्री भगवानसहाय सैनी।

जयपुर की मैट्रो रेल परियोजना का चौमूं तक विस्तार

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है कि चौमूं-जयपुर सड़क मार्ग व्यस्ततम मार्ग है, साधनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आये दिन चौमूं-जयपुर सड़क मार्ग पर दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की प्रति वर्ष जानें जा रही हैं। जयपुर शहर में मैट्रो परियोजना का कार्य प्रगति पर है, मेरा आपसे अनुरोध है कि मैट्रो रेल परियोजना को चौमूं तक स्वीकृत कराएं। आज राजधानी जयपुर में चौमूं व आसपास के क्षेत्र से हजारों लोग आवागमन करते हैं, यदि मैट्रो रेल चौमूं तक चला दी जाती है तो दुर्घटनाएं तो कम होंगी ही, साथ में कम समय में यात्रा कर सकेंगे।

इसके अलावा मैट्रो रेल चौमूं तक चला देने से जयपुर शहर में आबादी का दबाव कम होगा, लोगों को सस्ता व सुलभ साधन उपलब्ध होगा तो लोग गांवों में निवास करना अधिक पसंद करेंगे। मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार व नगरीय विकास मंत्री महोदय से निवेदन है कि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मैट्रो रेल को चौमूं तक स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम कोली।

भरतपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. की शाखा की बसेड़ी में स्थापना

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत बसेड़ी विधान सभा में दी भरतपुर सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. की शाखा बसेड़ी में खोले जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि धौलपुर जिला सभी दृष्टियों से अत्यन्त पिछड़ा जिला है जहां अधिकांश किसान निवास करते हैं। यहां पर अधिकांश किसान गरीब हैं। बसेड़ी विधान सभा के किसान गरीब हैं

(श्री सुखराम)

जिन्हें अपनी फसल उत्पादन के लिए ऋण लेना पड़ता है। बसेडी पंचायत समिति की 18 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लगभग पांच हजार काश्तकारों को ऋण लेने के लिए शाखा बाडी जाना पड़ता है जहां के कर्मचारी एवं निदेशक उन्हें परेशान करते हैं तथा दस-पन्द्रह दिन चक्कर लगवाते हैं। कई–कई बार तो काश्तकारों के साथ दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। सरकार ने ऋण माफ किये, उनमें घोटाले हुए हैं। कई किसानों के ऋण माफ थे परन्तु इन अधिकारियों ने किसानों को डरा-धमका कर पैसा ले लिया और उन्हें रसीदें नहीं दीं। अगर इस बाड़ी शाखा की जांच करा ली जाए तो करोड़ों का घोटाला उजागर हो जाएगा जिससे ये किसान परेशान हो जाते हैं। काश्तकारों को जितना फायदा मिलना चाहिए, उतना फायदा नहीं मिल पाता है। किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं। इस शाखा का एरिया अधिक होने से कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाते हैं, न ही किसानों को समय पर ऋण मिल पाता है और न ही किसानों से समय पर ऋण की वसूली हो पाती है।

बसेड़ी के दूर-दराज गांवों में निवास करने वाले किसानों को इस शाखा तक जाने में काफी कठिनाई हो जाती है। कभी-कभी किसानों की जेबों को जेबकतरे साफ कर देते हैं। धौलपुर जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अपने ऋण लेने एवं बैंक से सम्बन्धित कार्यों के लिए भरतपुर जाना पड़ता है जिससे धौलपुर जिले के समस्त काश्तकारों को परेशानी होती है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि धौलपुर जिला मुख्यालय पर दी भरतपुर सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. भरतपुर का मुख्य कार्यालय बनाया जाए तथा इसकी शाखा बसेड़ी में खुलवाई जाए जिससे काश्तकारों की समस्याओं का समाधान हो सके। ऋण वितरण व वसूली में आने वाली समस्या का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

किशनगढ़ बास में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सड़कों की हालत काफी जर्जर है जिसके कारण राजस्थान रोडवेज व हरियाणा रोडवेज ने उक्त क्षेत्र में अपनी बसों का संचालन बन्द कर दिया है। राजस्थान रोडवेज द्वारा यह

(श्री रामहेत सिंह)

कहा गया है कि जब तक उक्त क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य नहीं करवाया जाता है तब तक हम अपनी बसों का संचालन शुरू नहीं करेंगे। इस कारण विधान सभा क्षेत्रवासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उक्त क्षेत्र में बीबी रानी महाविद्यालय स्थित है जिसमें काफी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु आवागमन में एवं औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना एवं हरियाणा राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्मिकों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

किशनगढ़बास से गढ़ी बोलनी हरियाणा राज्य की सीमा, खैरथल से हरसौली, बीबीरानी से हरसौली, कोटकासिम से बूढीबाबल, कोटकासिम से आकोली, कोटकासिम से तिजारा, कोटकासिम से तिगांवा, जोडिया से भोकर, गैलपुर, खैरथल से बघेरीकलां, गोठड़ा से गुरगचका मोड़, खैरथल से बल्लभग्राम, सिवाना घाटला, किशनगढ़बास से बाघौडा, खैरथल से इस्माइलपुर, किशनगढ़ बास से इस्माइलपुर आदि सड़कों की हालत काफी क्षतिग्रस्त व जीर्ण- शीर्ष है। उक्त सड़कों का शीघ्र-अतिशीघ्र सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के उक्त विषय को ध्यान में रखकर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राधेश्याम जी, माननीय सदस्य को बताएं, बीच में नहीं निकलते हैं। आपके पास आये हैं, आपको उनको कहना चाहिए। श्री विजय बंसल। वो धारीवाल जी की और आपकी मित्रता मुझे याद है, वह नोटिस नहीं ले रहे थे आपकी बात का इसलिए ...(व्यवधान) श्री विजय बंसल (अनुपस्थित)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब क्यों बैठ गये आप? आसन ने तो आपको निर्देश भी नहीं दिया कि आप खड़े हो जाइये और आसन ने आपसे अर्ज भी नहीं किया कि आप बैठ जाइये। माननीय पवन दुग्गल जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वो आप जानते हो सारी बात। यहां बंदिश नहीं है, आपकी जो इच्छा हो आप बोलिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब नोटिस नहीं ले कोई मंत्री ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल। आप 295 समाप्त करने दें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं। आप चाहें तो...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जांच-जांच। जांच होए...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पवन दुग्गल के बाद। आप विराजिये। श्री पवन दुग्गल।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप पवन दुग्गल के...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

घड़साना में कतिपय शराब एवं मीट की दुकानों का विस्थापन

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत शराब ठेका व पास में संचालित शराब पिलाने वाली एवं मीट की दुकानों को हटवाने बाबत।

मान्यवर जी, राजस्थान विधान सभा नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि शास्त्री चौक नयी मण्डी घड़साना में धार्मिक एरिया श्री गणेश मंदिर व गुरुद्वारा सिंह सभा के 200 मीटर दायरे में शराब ठेका व पास में संचालित शराब पीने व पिलाने वाली अवैध दुकानें व मीट की दुकानें स्थित हैं जो कि बाजार के बीचों बीच खुले आम अवैध रूप से बिक्री व अवैध कार्य करती हैं।

श्रीमान जी, शराबी व असामाजिक तत्वों का इन दुकानों के आस-पास जमघट लगा रहता है। रात्रि 12 बजे तक शराब पीने वालों का हुजूम लगा रहता है। शराब ठेके के पास में संचालित होने वाली शराब की दुकानों में बैठकर शराब पिलायी जाती है। शराबी व असामाजिक तत्वों द्वारा रोजाना लड़ाई-झगड़े किये जाते हैं। गाली-गलौच व बेहूदा हरकतें आम हैं।

महोदय जी, इन निकट स्थित दुकानों पर मण्डी समिति, बीकानेर के व्यापारी बन्धु सपरिवार निवास करते हैं। सामाजिक वातावरण पूर्णतया प्रदूषित है। बच्चों की पढ़ाई के लिये माहौल अनुकूल नहीं है। छात्र-छात्राओं का घर से निकलना व स्कूल, कालेज, कोचिंग जाना भी मुश्किल है। इसी के साथ मंदिर

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

व गुरुद्वारे में सुबह-शाम महिलाओं का आना-जाना मुश्किल है। हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक कार्यों की धज्जियां उड़ रही हैं। मानवाधिकारों व स्वतन्त्र जीवन का हनन हो रहा है।

अतः निवेदन है कि इस सन्दर्भ में आप समुचित कदम उठाएं व यहां संचालित शराब व मीट का अड्डा हटवाएं। व्यापारी बन्धुओं व जनता के हितों की रक्षा करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमान जी बेनीवाल, आप विराजिये। माननीय मंत्रीजी बात कह रहे हैं। आप आसन पर जाएंगे तब। ऐसे थोड़े ही बोलेंगे। आप विराजिये न। हां, माननीय मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

(स्थगन प्रस्ताव)

मकराना की ग्राम पंचायत चाण्डी के पूर्व सरपंच द्वारा आत्महत्या

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में। खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत चाण्डी, श्री सूजाराम पुत्र श्री देवाराम जो कि अपने खेत में खेजड़ी के पेड़ से फन्दे पर लटके हुए मिले हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हुई, इसके बारे में विषय उठाया। इस सूचना पर थानाधिकारी, मकराना, वृत्ताधिकारी, मकराना व एस डी एम, मकराना तुरन्त मौके पर पहुंचे व उपस्थित ग्रामवासियों तथा मृतक के परिजनों की उपस्थिति में मृतक के पहने कपड़ों की तलाशी ली गयी तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। मृतक के परिजनों की उपस्थिति में लाश को उतरवा कर राजकीय चिकित्सालय, मकराना के पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया। मृतक सूजाराम के परिजनों व ग्रामवासियों द्वारा पूर्व प्रधान, पंचायत समिति मकराना व ग्राम पंचायत भरपाई के सरपंच के नेतृत्व में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मकराना के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराने एवं उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। इसी क्रम में मृतक के पुत्र श्री भरतराम द्वारा सी एच सी, मकराना में एक लिखित रिपोर्ट विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मकराना के विरुद्ध दी गयी। इस पर मुकदमा संख्या 120/2012 धारा 384 और 306 में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। मृतक सूजाराम की लाश का परिजनों के समक्ष पंचनामा मुर्तिब कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। वर्तमान में उप अधीक्षक पुलिस, मकराना द्वारा इस प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

है और मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ जांच की जाकर जो भी स्थिति सामने आएगी उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब हरेक का जवाब देंगे आपको ?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरा नहीं देना आप कह तो दें। अब नहीं आएगा?

श्री उपाध्यक्ष: परची के बाद आएगा। माननीय ओम बिरला जी। श्रीमती अनिता सिंह।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती का किसान...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल श्रीमती अनीता सिंह जी का। केवल श्रीमती अनीता सिंह।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह आपका अंकित नहीं होगा। श्रीमती अनीता सिंह जी। आप अनीता सिंह जी को बोलने दें। केवल अनीता सिंह जी का।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप 2 मिनट नहीं बैठ सकते हैं? (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है आपका। आप अनीता सिंह जी को...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला, श्रीमती अनीता सिंह जी को बोलने दीजिये आप। आप विराजिये। आपका अंकित नहीं हो रहा है। आपको मौका दिया जाएगा। मौका दिया जाएगा इनकी पर्ची के बाद। पर्ची के बाद...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बिरला जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, पर्ची के बाद आएगा। अब आप कमजोर आदमी नहीं हो। सदन जानता है बहुत मजबूती से बोलते हो, लेकिन अभी अनीता सिंह जी बोलेंगी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

वर्ष 1998 के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का प्रकरण

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शिक्षा की जो दशा और दिशा है, अध्यापकों की जो कमी चल रही है, उससे शिक्षा की गुणवत्ता दिन पर दिन गिरती जा रही है और उसके बावजूद भी शिक्षकों की भर्ती सरकार नहीं कर पा रही है। जो लोग शिक्षित हैं, बी एड किये हुए हैं, जिनका सरकार से भी आर्डर जारी हो गये कि इनको शिक्षकों में लगाएं, उनको भी अभी तक लगाया नहीं जा रहा है। मैं एक बहुत गम्भीर विषय विधान सभा और आपके समक्ष रखना चाहती हूं कि 1998 के जो चयनित बेरोजगार हैं, वे 1998 से लेकर आज 2012 तक रोज चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं।

इस विषय में मैं कहना चाहती हूं कि 1998 में इनका विज्ञापन निकला, उसके बाद शिक्षक भर्ती के आवेदन मांगे गये। भर्ती प्रक्रिया में जिला और ग्रामीण के बोनस अंकों का आधार मानते हुए चयन किया गया। बहुत सारे लोग जिन्होंने इसमें एप्लीकेशन डाली थीं, उन लोगों की एप्लीकेशन तो ले ली लेकिन एप्लीकेशन लगने के बाद उच्चतम न्यायालय में एक सिविल अपील हो गयी, सिविल अपील संख्या 4417/02 । इसके तहत इनके जो बोनस अंक थे....

श्री उपाध्यक्ष: अनीता सिंह जी, आप तो नियम जानती हैं, नियमों में यह है कि जो सबजुडिस हो, न्यायालय में हो, उसके बारे में यहां ...

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, नहीं, मैं न्यायालय की बात नहीं कर रही हूं। न्यायालय में कहीं रोक नहीं है इस पर। न्यायालय की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: फिर आप बोलिये, समाप्त करिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): न्यायालय में नहीं है। उसमें याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या 441702 के तहत बोनस अंकों को चुनौती दी। चुनौती देने के बाद आदेश भी जारी हो गया कि नियुक्ति से शेष रहे अभ्यर्थियों को उच्चतम न्यायालय की याचिकाकर्ताओं में जो पक्षकार रहे हैं, उनके बोनस अंक हटाकर पुनः वरीयता के आधार पर नियुक्ति दी जाए। 30.07.2002 को जब ये आदेश जारी हो गये उसके बाद

(श्रीमती अनीता सिंह)

1.07.2003 को एक आदेश और हुआ। राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ 13244 प्रारम्भिक शिक्षा 99 जयपुर के तहत बोनस अंकों को हटाते हुए शेष अभ्यर्थियों को कह दिया कि नियुक्ति निकाली जाए। नियुक्ति निकालने के बाद इनको सचिव के माध्यम से आदेश पत्र भी दे दिया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 6 (क) शिक्षा/प्रारम्भिक/2003-पार्ट 2 दिनांक 28.02.2004 को प्रकरण की परीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति की अनुपालना में 27.02.2001 के आदेश की अनुपालना के लिए भी निर्देश दिये गये। कमेटी बन भी गयी। कमेटी में जिला कलक्टर उसके अध्यक्ष और जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उसके सदस्य रहेंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सचिव रहेंगे। इनकी कमेटी बना दी और इसके बाद इनको समय दिया गया कि आप इनकी रिपोर्ट तैयार करें कि जो शेष रह गये हैं अभ्यर्थी 1998 के, इनको कैसे नौकरी दी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कमेटी बन गयी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी नहीं या उन्होंने तैयार नहीं की, लेकिन जैसा विश्वस्त सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है, उस कमेटी ने भी इन अभ्यर्थियों के पक्ष में रिपोर्ट दी थी कि जो शेष अभ्यर्थी बच रहे हैं, इनको तुरन्त नियुक्ति दे दी जाए। कई बार कोशिश की गयी कि किसी तरह से कमेटी की रिपोर्ट मिल जाए कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, लेकिन वह रिपोर्ट मिली नहीं। उस कमेटी की रिपोर्ट किसी को भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। कई बार अभ्यर्थियों ने सूचना के अधिकार के तहत लगाया लेकिन उसमें भी वह रिपोर्ट उनको नहीं मिल पायी। उसके बाद राज्य सरकार ने एक और पत्र संख्या 18175 प्रारम्भिक शिक्षा 2005 में निकाला। बिलकुल साफ-साफ आदेश निकाला कि 1998 के शेष पात्र शिक्षकों को नियुक्ति के आदेश हैं और इनको नियुक्त किया जाए। यह निकालकर इन्होंने जिलों में भेज दिया। लेकिन उसके बाद भी इनको जो फायदा उस पत्र से मिलना चाहिए था, वह लाभ नहीं मिला। राज्य सरकार ने फिर एक पत्र और निकाला 1.03.2006 को कि 1998 में जो बोनस अंक हैं, उनको हटाते हुए भी जो शेष पात्र अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति के आदेश प्रदान किये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हर साल

(श्रीमती अनीता सिंह)

कोई न कोई आदेश निकलता रहा लेकिन इन लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था, वह लाभ मिल नहीं पाया और यह एक विवादित प्रकरण बनकर रह गया 1998 के जो शेष रहे शिक्षक थे उनके लिए। उसके बाद आयोग की रिपोर्ट की भी बात करते रहे, कमेटी बनी, रिपोर्ट चाही, लेकिन 2009 तक भी उनकी रिपोर्ट आ नहीं पायी।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें। काफी लंबा हो गया है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा बाड़मेर में इनके साथ जो अन्याय हुआ, उसके संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि बाड़मेर में नियुक्तियां उन लोगों को दे दी गयीं जिन लोगों के अंक इन लोगों से कम थे। नियुक्तियां कम परसेन्टेज वालों को दे दीं। जिनके ज्यादा परसेन्टेज थे वे आज भी कोर्टो में या अन्य जगह चक्कर लगाते फिर रहे हैं। लेकिन उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है। जिन लोगों के अंक ज्यादा थे और जिनके लिए आदेश भी निकल गये थे 2006 में कि इनको नियुक्ति दी जाए, उनसे नीचे अंक वालों को नौकरी दे दी गयी और ऊंचे अंक वाले लोगों को नौकरी नहीं मिली है। इसके विषय में अगर आप गम्भीरतापूर्वक सोचें तो जो 1998 के शिक्षक शेष रह रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर की आवासन मण्डल की कालोनी–ज्वाला प्रसाद नगर व अजय नगर की सफाई व्यवस्था व अन्य समस्याएं

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो योजनाएं बसायी गयी हैं, उन योजनाओं को बसाये हुए किसी को 15 वर्ष, किसी को 20 वर्ष हो गये। हाउसिंग बोर्ड जब किसी स्कीम पर काम करता है तो भविष्य में क्या-क्या परेशानियां उठने वाली हैं, उन पर बगैर सोचे-विचारे स्कीम बसा दी जाती है, लेकिन परेशानियों से निजात के उपाय नहीं किये जाते।

उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर की ज्वाला प्रसाद नगर और अजय नगर कालोनियों में हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाकर निम्न आय वर्ग के लोगों को दिये गये और कालोनियां बसायी गयीं। लेकिन आज उन कालोनियों की इतनी बदतर स्थिति है कि लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इन

(श्रीमती अनिता भदेल)

दोनों कालोनियों की सीवरेज लाइन आज पूरी तरह से चोक हो चुकी है। सफाई कर्मचारियों के अभाव में वे सीवरेज लाइनें पूरी तरह से कंडम हो चुकी हैं। आज तो अगर उनकी सफाई भी करायी जाए तो सफाई भी नहीं हो सकती है। पूरी गंदगी या तो सड़कों पर फैली होती है या लोगों के घरों में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में लोग आये दिन परेशान होते हैं और महामारी की आशंका बनी रहती है कि कहीं महामारी न फैल जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अजय नगर में जहां सीवरेज लाइनों के टैंक बनाये गये हैं, उनकी सफाई हुए 15-15, 20-20 साल हो गये। लोग आये दिन शिकायत करते हैं कि किसी तरह इन टैंकों की सफाई करा दी जाए। लेकिन जब नगर निगम के अधिकारियों को कहा जाता है तो नगर निगम के अधिकारी यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये कालोनियां हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बसायी गयी हैं, इसलिए हम यहां काम नहीं कर सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को जब इस बात के लिए कहा जाता है तो उनका एक ही जवाब होता है कि सफाई कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं हैं इसलिए हम सफाई नहीं करा सकते। ऐसी स्थिति में जब दोनों विभाग वहां काम करने को तैयार नहीं हैं तब लोगों को हम कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, लोगों को कैसे सफाई मुहैया करा सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, वे कोई कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग नहीं हैं। वे कोई अनधिकृत बस्ती में रहने वाले लोग नहीं हैं। निम्न आय वर्ग के लोगों को बसाने के लिए सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के मकान उपलब्ध कराये और आज वहां स्थिति इतनी बदतर हो गयी है कि लोग वहां रह नहीं सकते हैं। वहां सड़कों पर लोग पैदल चल नहीं सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि इन दोनों अजय नगर कालोनी और ज्वाला प्रसाद कालोनी में निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वे स्वयं अपने शौचालय बनाकर अलग से टैंक बना लें। जो मकान उनको दिये गये हैं, वे मात्र 50 वर्ग गज के मकान हैं। ऐसे छोटे मकानों के लिए सीवरेज लाइन डालना ही उपयुक्त होता है। लेकिन सीवरेज लाइन आज की तारीख में काम नहीं कर रही है। यदि कोई व्यक्ति अपने मकान में जो 50 वर्ग गज का मकान है, टैंक भी बनाना चाहे तो आज की तारीख में नहीं बना सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है

(श्रीमती अनिता भदेल)

कि या तो सीवरेज लाइन नयी डालने के लिए कोई बजट जारी करें अन्यथा हाउसिंग बोर्ड को विशेष रूप से यह कहें कि वह पूरी सीवरेज लाइन जो कंडम हो चुकी है, उसे ठीक करे। कम से कम हजार मकान ज्वाला प्रसाद नगर में बसे हुए हैं और इसी प्रकार से अजय नगर में भी लगभग इतने ही मकान बसे हुए हैं। इतने लोगों को परेशानी आये दिन होती है, उसका समाधान करने के लिए कोई न कोई विभाग तो तय होना ही चाहिए कि किस विभाग को हम जिम्मेदारी देने वाले हैं। एक विभाग दूसरे विभाग पर डालता है और दूसरा विभाग पहले विभाग पर डालता है अपनी जिम्मेदारी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि इन दोनों कॉलोनियों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई न कोई जवाब सरकार की तरफ से आए कि कैसे इन कालोनियों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। इतना ही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री शंकर सिंह। ब्यावर वाले तो बहुत एक्टिव होते हैं।

(14.00 बजे)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो मुझे यह बताओ कि आप इतनी देर से क्यों उठे? मैंने दो दफा आपका नाम पुकारा, आप तो बड़े एक्टिव हो।

ब्यावर में पीने के पानी की गम्भीर समस्या

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं कुछ पाइण्ट लिख रहा था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पर हमें बहुत नाज है, आप हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इतना आप पर विश्वास भी रखते हैं कि हमारी समस्या हम आपको बताएंगे तो आप हमें उसका मंत्रीजी से जवाब भी दिलवाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में अगर कहीं सबसे ज्यादा पीने की समस्या है तो ब्यावर शहर के अन्दर है। यह बात सही है कि 1994 के अन्दर लाठी चार्ज हुआ, कर्फ्यू लगा तो राजस्थान में कहीं और नहीं लगा, ब्यावर में लगा था और सैकड़ों आदमी घायल हुए थे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, पीने की कमी है या पानी की कमी है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): पीने के पानी की कमी है, पीने वाले खूब हैं।

श्री उपाध्यक्ष: शंकरसिंहजी, आपके पड़ौसी आपकी भावनाओं को समझते हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इसलिए वह हमारी मदद करने के लिए बोल रहे हैं। मैं मान रहा हूं इस चीज को।

पीने के पानी की कमी ब्यावर क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। 1994 के अन्दर सैकड़ों आदमी घायल होकर अमृत कौर अस्पताल में भर्ती हुए तो जो वर्तमान में मुख्य मंत्री महोदय हैं, वह उस टाइम सांसद थे, सांसद के रूप में ब्यावर अस्पताल में आये, सैकड़ों आदमियों को अस्पताल में सम्भाला उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि ये निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, वे वापस करवाएंगे हमारी सरकार आएगी तो। और ब्यावर की बहुत लम्बे समय से जिला बनाने की जो मांग है वह भी हम पूरी करवाएंगे हमारी सरकार आएगी तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि न तो वे मुकदमे वापस हुए हैं और न ब्यावर को जिला बनाया गया है। आपके दोनों की दोनों बातें ही अधूरी हैं।

मैं आपका ध्यान एक और जो घटना हुई है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं, इसकी पुनरावृत्ति न हो। पीने के पानी के नाम पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, अगर न्यायिक रूप से भी देखा जाए तो ब्यावर में जिस प्रकार के हालात में घटना हुई थी वे हालात आज भी बने हुए हैं। माननीय वसुन्धराजी की जब सरकार थी तो उन्होंने खारे पानी की जगह मीठे पानी का एक सर्वे करवाकर 199 गांवों के लिए 149 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी थी, लेकिन इसकी वित्तीय स्वीकृति अभी तक जारी नहीं हुई है। उसके बाद में नया सर्वे करवाकर, वित्तीय स्वीकृति जारी कर इस सरकार ने अन्यों को पीने का पानी दे दिया है लेकिन ब्यावर के गांवों को अभी तक पानी नहीं दिया गया है। 13 सितम्बर, 2011 को तत्कालीन जलदाय मंत्री माननीय महीपालजी मदेरणा वहां आए थे और हमने वहां पर उनको याद दिलाया था, कि, जलदाय मंत्रीजी, हम आपको चुनौती देते हैं कि आप जवाजा नहीं आ सकते। आप अपनी सरकार की ताकत पअगर आना चाहते हो तो आप पधारो, हम आपके स्वागत के लिए जेब में छुपा कर काले झण्डे नहीं लाएंगे, आपको

(श्री शंकर सिंह)

100 झण्डे सामने खड़े मिलेंगे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होगा जो हमारे उन झण्डों को हटवाकर हमारी मांग को ठुकरा दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह दिन था 13 सितम्बर, वह आये जबरन और पुलिस का पूरा लवाजमा लगाया, लेकिन, सैकड़ों झण्डे आगे उनके स्वागत के लिए खड़े थे। मंत्रीजी आकर बोले, विधायकजी, इन झण्डों को नीचे करवा दीजिए। मैंने कहा कि ये आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, जलदाय मंत्रीजी। ऐसा +++ जलदाय मंत्री मैंने कहीं देखा नहीं। इन्द्र राजा भी कहीं अगर बरसात करता है तो कोई कांग्रेसी का खेत खाली नहीं छोड़ता, वहां भी बरसात करता है। लेकिन, मदेरणाजी, निश्चित तौर पर आपके जैसा +++ मंत्री नहीं होना चाहिए। आप राजस्थान के जलदाय मंत्री हैं, आपको पूरे क्षेत्र को एक जैसी दृष्टि से देखना चाहिए। आप क्यों नहीं वहां वित्तीय स्वीकृति जारी करते हैं? 150 करोड़ रुपए का मामला कोई ज्यादा होता है क्या? लेकिन उस +++ मंत्री ने वहां पर किसी प्रकार की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की और न ही उस पर कड़ा रुख अपनाया। वहां से बीजेपी का विधायक जीता हुआ है इसलिए मैं पानी नहीं दे पाऊंगा। हमने कहा, आपको श्राप लगेगा। मेरी जुबान काली है, आप ध्यान रखना। मैंने उसी जगह पर जवाजा की जनता के नाम पर कहा, माननीय मंत्रीजी, आपको श्राप लगेगा यदि आप हमारी भावनाओं के साथ कुठाराघात करेंगे, आप इस सरकार के अन्दर नहीं रहेंगे, यह मैं कहता हूं। मैं वर्तमान सरकार से भी कहना चाहता हूं..।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आगे तो मेहरबानी रखना।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): हम आप पर मेहरबानी रखेंगे लेकिन आप हमारे पर पानी की मेहरबानी तो करवाओ। जलदाय मंत्रीजी को बुलवाकर जवाब तो दिलवाओ। मुझे मंत्रीजी ने कहा कि मैं वचन देता हूं। मैंने कहा, मुझे असत्य वचन मत देना। मंत्रीजी, आप यह कह दो, वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए मुझे आश्वासन दिलवा दो, कि जवाजा के गांवों को पानी आज मिलेगा या कब मिलेगा, यह जवाब दिलवा दो। माननीय मंत्रीजी, वह दिन था, मुझे क्या मालूम था कि वो जलदाय मंत्रीजी ऐसे कामों में फंसे हुए हैं। वह उनकी आखिरी मीटिंग थी। हमारा श्राप लगा और वह इस सदन में वापस नहीं पहुंच पाये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, वर्तमान मंत्रीजी, आप निश्चित तौर पर सदन में पधारें। कहीं पर भी, आप मेरी आवाज अपने चैम्बर में भी सुनते

(श्री शंकर सिंह)

हों तो आपको लगे उसकी सौगंध है, आप सदन में आकर मुझे आश्वस्त करें, नहीं तो जवाजा के गांवों का श्राप आपको लगेगा। यह अच्छी बात नहीं है। यह श्राप सरकार को कहीं नहीं लग जाए, मेरा आपसे इतना निवेदन है कि आप मेरी भावनाओं को समझें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे जवाब दिलवाएं, पीने के पानी की भयंकर समस्या है। मैं कोई अखबारों में आने के लिए अपनी पीड़ा को नहीं कह रहा हूं। न किसी मीडिया में छाने के लिए कह रहा हूं न मैं सदन को गुमराह करने के लिए कह रहा हूं। हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि एक मिनट के लिए माननीय मंत्री महोदय से जवाब दिलवा दें और पीने के पानी के नाम पर वह इस प्रकार का भयंकर श्राप न लें।

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपा करके विराज जाएं। मैं आपकी बात को समझ गया। आप विराजिए, एक मिनट।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप पीने के पानी के नाम पर तो हमारी मदद कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी समस्या सही है। इसके समाधान के लिए आप सहयोग प्रदान करें। ब्यावर में वास्तव में पानी नहीं है। (व्यवधान) आप व्यवस्था करें। यह नागौर वाले भी पास खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो तो सही। (व्यवधान) मीठा, स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आपने बात सरकार के ध्यान में ला दी, निश्चित तौर पर आपकी बात पर सरकार गौर करेगी। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा निवेदन तो सुन लो इसी मामले में एक लाइन का। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार पानी नहीं पिलाना चाहती, 32 हजार करोड़ रुपये की योजना के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप सहयोग दिलवाओ। अजमेर जिले के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ब्यावर ही नहीं पूरे अजमेर जिले के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अजमेर के जन प्रतिनिधि सत्ता पक्ष में भी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: देवनानीजी, आप तो मंत्री रहे हो, सब जानते हो। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों जब माननीय मुख्य मंत्रीजी अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे तो एक बात कह रहे थे कि उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय राठौड़ साहब, मेरा निवेदन है कि सिर्फ मेरे पानी का जवाब दिलवा दीजिए। मेरी रिक्वैस्ट है, मेरी आपसे प्रार्थना है। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पीने के पानी की समस्या को लेकर ये माननीय सदस्य सदैव मानसिक तनाव में रहते हैं। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैंने विधान सभा में क्वेश्चन रखा, मुझे जवाब दिया ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बार-बार क्यों खड़े होते हो? (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सदस्य की पीड़ा को सुना जाए। यह ब्यावर के लिए हमेशा बोलते रहते हैं, इनकी पीड़ा को समझा जाए।

श्री उपाध्यक्ष: यह जिम्मेदारी आसन की नहीं है, आप मंत्री रहे हैं, कोई न कोई परिस्थिति चल रही होगी। चार साल पहले इन्होंने कुछ किया होगा तथा आगे बढ़ रहा होगा। मीठा, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाना कोई भी सरकार हो, किसी भी स्टेट की हो हिन्दुस्तान में। नियम है, आपने अपनी जानकारी दे दी, आपकी बात सरकार के ध्यान में आ गई।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सरकार ने जवाब दिया उसका निवेदन तो करूं।

श्री उपाध्यक्ष: हर चीज का जवाब, नोटिस सरकार ने ले लिया, अब वह जवाब देगी, आगे कार्यवाही करेगी। श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सरकार का जो जवाब आया....

श्री उपाध्यक्ष: शंकरसिंहजी, कृपा करके आप विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सरकार ने जवाब दिया कि पानी की उपलब्धता नहीं है बांध के अन्दर, जबकि आज बांध में पूरा पानी भरा हुआ है। जवाब आ गया है कि पैसों की कमी है, पानी ही नहीं है लेकिन अभी वहां बांध भरा हुआ है। पैसों की कमी क्यों है सरकार में?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): फिर कहते हैं, हम खर्च कहां करेंगे। 149 करोड़ रुपये के बजट का मामला है, अभी तक भी इस बजट के अन्दर दिया नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आप एक मिनट का जवाब तो दिलवाओ ...(व्यवधान) दूसरों के मामले में आप जवाब दिलवाते हो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय शंकर सिंह जी, आप सदन चलाने दें ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप नहीं दिलवा रहे हो तो मैं निश्चित रूप से पीड़ित होकर आज धरने पर बैठने के लिए आऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपके मुख्य सचेतक कुछ बोलने जा रहे हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात के ऊपर जवाब नहीं दिलवाया जा रहा है, पीने के पानी के नाम पर मुझे जनता ने चुन कर भेजा है, उनके हितों के ऊपर कुठाराघात किसी सूरत में मैं सहन नहीं कर पाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): चाहे इस पद पर रहूं या न रहूं।

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ की बात अंकित होगी, केवल राजेन्द्र जी राठौड़ की।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप हर बात पर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पेमाराम जी, आपको नहीं बोलना है क्या, आप कृपा करके बैठिए। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना में महंगी व अमानक दवाइयों की खरीद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण का वाचन यहां किया और उन्होंने यह कहा कि मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवाई योजना से राजस्थान में प्रति दिन दो लाख लोगों को नि:शुल्क दवाइयां मिलती हैं और ये सारी दवाइयां मेडिकल कारपोरेशन, राजस्थान के विभिन्न चिकित्सालयों में सप्लाई करता है। उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर बात तो यह है कि ये जो दवाइयां गरीब तक पहुंच जाती हैं, ये उसके जीवन की रक्षा नहीं कर रही हैं, बल्कि उसके साथ के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अमानक दवाइयां, नकली दवाइयां और दवाइयों के नाम पर चांदी कूटने का काम जो हो रहा है, वह सबसे गम्भीर बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा, पिछले वर्ष पूरे देश के अन्दर जोधपुर नगर इस बात को लेकर शर्मसार हुआ था कि 16 प्रसूताओं की मौत हो गई संक्रामक ग्लूकोज देने के कारण। अख़बारों की सुर्खियों में मामला चला, चिकित्सकों की जांच समिति बनी, माइक्रोबायलोजी की जांच में यह पाया गया कि संक्रमित ग्लूकोज था। कलकत्ता में सैम्पल भेजा गया, उसके अन्दर यह आया कि संक्रमित ग्लूकोज था, केन्द्र सरकार की तीन सदस्यों की टीम आई, उन्होंने भी यह कहा। उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले की जांच के लिए 23 मार्च, 2011 को पीई दर्ज हुई और उस पीई के आधार पर दवा निर्माता कम्पनी को, कुछ चिकित्सकों को, दोषी पाया गया। उसके बाद अलग-अलग तीन मुक़दमे दर्ज हुए 12 अप्रैल, 2011 को। अब मंत्री महोदय, आपने न जाने किस के दबाव में आकर उनको दफ्तर दाखिल कर दिया। यही नहीं, जो उम्मेद चिकित्सालय में जो दवाइयां क्रय की गई थीं, वे दवाइयां क्रय की थी अंशुल फार्मा, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी से और उन्होंने सबलैट कर दिया पेरैंटल सर्जिकल ड्रग्स को। यह बात यहीं खतम नहीं होती, आपके मेडिकल कारपोरेशन ने इसी एसएसआई यूनिट के नाम पर फार्मा केम इंडिया से 4 अगस्त, 2011 को 20 करोड़ की दवाई खरीदने का अनुबंध किया। यह तय हुआ था कि 40 दवाइयां 45 दिन में सप्लाई करेंगे। उन्होंने 40 दवाइयां 45 दिन में सप्लाई नहीं कीं, सिर्फ 22 कीं। और आपके पास पत्रावली आई और आपने ....

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पूछो, मुफ्त दवा योजना कब से चालू हुई और यह प्रकरण कब का बता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बता रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन 22 दवाइयों की सप्लाई करने वाले को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था, इन्होंने उसको भी आगे बढ़ा दिया और उसको 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्डर दे दिया। अब मैं निवेदन करूं, 24 मार्च को वह हॉस्पिटल जो पूरे देश में बदनाम हुआ प्रसूताओं की मौत को लेकर, उसके पोस्ट एंटीवायरल वार्ड में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने से 8 प्रसूताओं की तबीयत अचानक खराब हुई, उसके बाद वहां के अधीक्षक महोदय, नरेन्द्र छंगाणी ने बचाने के लिए लोगों को यह कह दिया कि यह तो आम बात है। फिर एक टीम बनी, टीम ने यह कहा कि नहीं, निश्चित तौर पर यह जो प्रसूताओं की तबीयत खराब हुई है, इसमें कहीं न कहीं कंटेमिनेशन है, इंजेक्शन में है। वहां 84 हजार बोतलें पड़ी हैं, उनमें से सिर्फ 1200 बोतलों का इस्तेमाल हुआ है। मुझे अंदेशा है, चिकित्सा मंत्रीजी, अगर आपने गम्भीरता से कदम नहीं उठाया तो फिर यह मौतों का सिलसिला वहां जारी हो जाएगा। चिकित्सालयों में चाहे जननी सुरक्षा योजना बनाओ, चाहे दूसरी योजना बनाओ, लोग उसकी तरफ देखेंगे नहीं। यह मैं मेरे लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे कोई अख़बार में नाम छपाना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर जिस नि:शुल्क दवा योजना की बात को लेकर आप ढिंढोरा पीट रहे हो, करोड़ों का विज्ञापन दे रहे हो, यह तो देखो कि उसमें दवाइयां आ कैसी रही हैं और दवाइयों की खरीद-फरोख्त के नाम पर किस तरह चांदी कूटने का काम हो रहा है।

आपको याद होगा, इस बार आपने नाम कमाया है, हम दूसरे नम्बर पर हैं देश में स्वाइन फ्लू की मौतों को लेकर। पिछली बार आप एपेडेमिक एक्ट ला रहे थे, उस समय तो आपको इतनी चिंता थी और आज की तारीख में जहां कुल मिलाकर 28 प्रसूता मौतें स्वाइन फ्लू से राजस्थान में हुई हैं, स्वाइन फ्लू के वायरस को खतम करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके कंट्रोल रूम और हैल्प लाइन बंद पड़ी हैं, स्वाइन फ्लू का सीरप नहीं है, वैक्सीन के सेवा केन्द्र बंद पड़े हैं, हास्पिटल व आइसोलेशन वार्ड बंद पड़े हैं, मै समझ नहीं पा रहा, आप क्यों इस राजस्थान का नाम इस चिकित्सा के क्षेत्र में नीचा कर रहे हैं, क्यों राजस्थान के लोगों के जीवन से ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उधर नहीं, इधर, माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर 24 मार्च को जो इंजेक्शन लगाने से, मैं नाम ले रहा हूं सेप्ट्राएक्सोजोन, जेंटामाइसिन, सिस्ट्रायल वाटर, ये सारे इंजेक्शन, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके चिकित्सकों की रिपोर्ट कह रही है कि सारे अवधि पार भी थे और सारे के सारे अमानक भी थे और इनको लगाने से मरीज की जान को खतरा है। जोधपुर का चिकित्सालय जिसके साथ मुख्य मंत्रीजी का नाम जुड़ा है, अगर इस तरह वहां के लोगों के साथ खिलवाड़ होगा तो, चिकित्सा मंत्रीजी, यह बदनामी का दाग लगेगा। आप चाहें जवाब दें या नहीं दें, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप एक भले आदमी के रूप में राजस्थान में जाने जाते हैं। पहले प्रसूताओं की मौत हुई, मौत के बाद आपने जांच कमेटी बनाई, एसीडी में मामला गया, पर एसीडी में मामला आप रफा-दफा कर रहे हो, उन दोषियों को जिनको आपकी खुद की जांच समिति ने दोषी माना है। उसके बाद एसएसआई यूनिट के नाम पर इस तरह की दवा खरीदी जा रही है। माइक्रोबायलोजी की जो रिपोर्ट है, आप कहो तो मैं पढ़ कर सुनाऊं। माइक्रोबायलोजी में आरएलडीएस-5, कल्चर 9 ग्राम, नेगेटिव बेस्ला जीएनएम और ग्राम पोजिटिव बेस्ता जीवीपी, ये सारी की सारी ऐसी हैं कि अगर इनको इंसान तो क्या, पशुओं पर भी लगा दिया जाए तो पशु मर जाएं। इसलिए भगवान के नाम पर इसको आप गम्भीरता से देखें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उम्मेद हास्पिटल के अन्दर बच्चों को इधर-उधर कर दिया गया, लड़के को लड़की बना दिया।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची का मामला है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, पर्चियों का मामला है तो जोधपुर का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जोधपुर का तो इन्होंने बोल दिया तो क्या हो गया? जानकारी, चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, अगर दें तो कोई गुनाह थोड़े ही हो जाएगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप यह तो कहो ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, जवाब तो देवें, मूक दर्शक बनकर बैठे हो आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिड़ला जी, मैं आपसे निवेदन करूं, आप अपना जितना टाइम लेना चाहते थे, वह ले चुके हैं, फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि राजस्थान के अन्दर जोधपुर के लोगों में यह तो मैसेज जाए कि दवाइयां ठीक कराएंगे, जांच कराएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिड़ला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कम से कम आश्वस्त तो करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय ओम जी बिड़ला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कम से कम कुछ तो आश्वस्त करें ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि बोतलें पड़ी हैं, उनका क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिड़ला। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं तो और मौतें होंगी। आप दिखा तो लें। आपको जांच कराने में, मंत्री महोदय, कोई दिक्कत है क्या? कम से कम यह तो कहें कि जांच तो करवाऊंगा। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वे बोतलें किस काम की हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिड़ला जो बोलेंगे वही अंकित होगा। माननीय ओम जी बिड़ला।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी, सरकार सुन चुकी है, सरकार की जानकारी में नहीं है ...(व्यवधान) माननीय ओम जी बिड़ला।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्चियों में जो नाम थे, मेरे खयाल से वे तो चार ही थे, वे तो खतम हो गये, आगे हाउस की कार्यवाही भी चलानी है। अगर इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी जवाब तो दें। आप जांच कराने की बात तो करें। आप यह तो कह दें कि जांच करवाएंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): परमिशन आपने दी है क्या? हाउस परम्पराओं से चलता है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती का किसान ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट। आपको इंफार्मेशन देनी है, यह इंफार्मेशन है, आप इंफार्मेशन तक सीमित रहें।

सूचना

हाड़ौती के किसानों का समर्थन मूल्य एवं बोनस की मांग को लेकर विधान सभा पर प्रदर्शन

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती का किसान गेहूं के समर्थन मूल्य और उसके बोनस की मांग को लेकर विधान सभा पर आया है। मेरा सरकार से, मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकार तुरन्त समर्थन मूल्य के कांटे लगाये और मध्य प्रदेश में जिस तरह से 100 रुपये बोनस दिया है, राजस्थान सरकार भी 200 रुपये उन किसानों को बोनस दे। समर्थन मूल्य के कांटे सही समय पर न लगे तो किसानों को अपना गेहूं सस्ती दर पर बाजार में बेचना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात सुन ली। माननीय पेमाराम जी। केवल माननीय पेमाराम जी की बात अंकित हो। माननीय पेमाराम जी।

पाले से हुए नुकसान की पुनः गिरदावरी

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान विधान सभा के सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि आज अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 10 हजार किसान राजस्थान विधान सभा के बाहर इस बात को लेकर प्रदर्शन करने आये हैं कि अभी सरकार ने जो पाले का मुआवजा उन सबको किया, वह गंगानगर से लेकर पूरे राजस्थान में कुछ लोगों को छोड़कर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह बात पहले भी कह चुके हैं इसलिए शार्ट करें इसको।

श्री पेमाराम (धोद): इसकी पुनः गिरदावरी करवाने की मांग को लेकर कहना चाहूंगा। दूसरा, जो ब्याज का ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 200 करोड़ की पहले ही घोषणा कर दी है, ये बार-बार इश्यू बनाते हैं। और इसके लिए आप अलाउ कर रहे हो। यह काम सरकार का है, सरकार संवेदनशील है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 200 करोड़ रुपये की घोषणा कर दी है।

श्री पेमाराम (धोद): यह ब्याज का है। मना कर दो कि नहीं देते हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह सिलसिला चल चुका है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पेमाराम जी, आप विराजें। अंकित नहीं हो।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वित्त विभाग की 29 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 29 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-95 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-96 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान भूमि कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-97 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत पूर्व में जारी अधिसूचना को अतिष्ठित किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-98 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को उनके पदाभिधान के आधार पर कतिपय क्षेत्रों के लिये उप-रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-99 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(47)एफडी/टैक्स/09-04 दिनांक 09.4.2010 में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-100 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग कम्पनियों के अमलगमेशन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है ;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-101 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-102 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 में संशोधन किया गया है ;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-103 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-104 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-105 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में कर भुगतान की समय सीमा निर्धारित की गई है ;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-106 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर हेतु व्यवहारियों का वर्ग अधिसूचित किया गया है ;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-107 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-150 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है ;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-108 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-151 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है ;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-109 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

16- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-110 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1990 में कर भुगतान की समय सीमा निर्धारित की गई है ;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-111 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-37 दिनांक 6.5.2006 में संशोधन किया गया है ;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-112 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-39 दिनांक 6.5.2006 में संशोधन किया गया है ;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-113 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-164 दिनांक 15.3.2011 में दिनांक 1.4.2012 से संशोधन किया गया है ;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-114 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में इसके द्वारा दिनांक 1.4.2012 से संशोधन किया गया है;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-115 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों का वर्ग दिनांक 1.4.2012 से अधिसूचित किया गया है;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-116 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-117 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

24- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-118 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन किया गया है ;

25- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-119 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

26- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-120 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ;

27- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-121 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा मनोरंजन के सभी प्रवर्गों पर प्रभार्य मनोरंजन कर का परिहार किया गया है ;

28- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-122 दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ; एवं

29- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु./2012/1-क्यूए दिनांक 26 मार्च, 2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या :एफ.6(179)परि/कर/मु./95/1-पी दिनांक 9.3.2010 में संशोधन किया गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल विधि विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

विधि विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधि विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.8(1)विधि-2/95 दिनांक 11.1.2012 जिसके द्वारा राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 में संशोधन किया गया है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या : एफ.8(1)विधि-2/95 दिनांक 14.3.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.8(1)विधि-2/95 दिनांक 11 जनवरी, 2012 में शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी।

याचिका

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

सूरसागर के मसूरिया क्षेत्र की संतोषपुरा कच्ची बस्ती का नियमन

1- सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के मसूरिया क्षेत्र की 50 से अधिक वर्षों से आबाद संतोषपुरा कच्ची बस्ती का नियमन किये जाने बाबत् ; एवं सूरसागर के प्रताप नगर में सीवरेज

सूरसागर के प्रताप नगर क्षेत्र में सीवरेज बिछाने बाबत

2- सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के प्रताप नगर क्षेत्र में सीवरेजविहीन क्षेत्र में सीवरेज बिछाने बाबत् ।

श्री उपाध्यक्ष: आपका जवाब मैंने दे दिया। अब हर चीज पर सरकार जवाब दे। आपकी बात नोटिस में चली गई सरकार के।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबू सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा, 6 याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 6 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बालेसर पंचायत समिति में चयनित ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया जाना

1- पंचायत समिति बालेसर में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत सर्वे 2003 में चयनित ढाणियों में नलकूप/ओपन वैल खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत् ;

शेरगढ़ पंचायत समिति में चयनित ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया जाना

2- पंचायत समिति शेरगढ में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत सर्वे 2003 में चयनित ढाणियों में नलकूप/ओपन वैल खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत् ;

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

शेरगढ़ पंचायत समिति की चयनित अभावग्रस्त अनुसूचित जाति/ जनजाति की ढाणियों को नवीन नलकूप/जीएलआर/टांके से जोड़ना

3- पंचायत समिति शेरगढ़ की राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित अभावग्रस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ढाणियों (नेशल हैबिटेशन सर्वे, 2003) को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत नवीन नलकूप/जीएलआर/टांका में पाइप लाइन से जोड़ने बाबत् ;

बालेसर पंचायत समिति में नवीन हैण्डपम्प व बोरवेल में सिंगल फेस पावर पम्प की स्वीकृति

4- पंचायत समिति बालेसर में नाकारा हैण्डपम्प व नाकारा बोरवेल में सिंगल फेस पावर पम्प के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प व बोरवेल में सिंगल फेस पावर पम्प की स्वीकृति जारी करवाने बाबत् ;

शेरगढ़ पंचायत समिति में नवीन हैण्डपम्प व बोरवेल में सिंगल फेस पावर पम्प की स्वीकृति

5- पंचायत समिति शेरगढ़ में नाकारा हैण्डपम्प व नाकारा बोरवेल में सिंगल फेस पावर पम्प के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प व बोरवेल में सिंगल फेस पावर पम्प की स्वीकृति जारी करवाने बाबत् ; एवं

बालेसर पंचायत समिति की चयनित अभावग्रस्त अनुसूचित जाति/ जनजाति की ढाणियों को नलकूप/जीएलआर/टांके से जोड़ना

6- पंचायत समिति बालेसर की राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित अभावग्रस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ढाणियों (नेशल हैबिटेशन सर्वे, 2003) को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत नलकूप/जीएलआर/टांका में पाइप लाइन से जोड़ने बाबत् ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य, विधान सभा, एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के सैक्टर 62 के पार्क में लगे ट्रांसफार्मर को पार्क से बाहर लगाये जाने बाबत

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रताप नगर, सांगानेर (जयपुर) स्थित सैक्टर 62 में स्थित पार्क में लगे ट्रांसफार्मर (बिजली) को पार्क से बाहर लगाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति जनलेखा समिति 2011-12 समिति के 14 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (क्र.सं. 143 से 156)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति, 2011-12 के निम्नांकित 14 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.3 महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011 -12 का 143वां प्रतिवेदन ;
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सिविल) का प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 4.1.1 शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 144वां प्रतिवेदन ;
3. जनलेखा समिति, 2010-11 के 53वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 145वां प्रतिवेदन ;
4. जनलेखा समिति, 2010-11 के 57वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 146वां प्रतिवेदन ;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

5. जनलेखा समिति, 2009-10 के 38वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 147वां प्रतिवेदन ;

6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.2.4 उद्यान विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 148वां प्रतिवेदन ;

7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008 -09 के अनुच्छेद संख्या 4.1 में समाविष्ट वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 149वां प्रतिवेदन ;

8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सिविल) का प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 3.1.2 में समाविष्ट प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 3.4.5 में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 150वां प्रतिवेदन ;

9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008 -09 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.2.1 सहकारिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 151वां प्रतिवेदन ;

10. जनलेखा समिति, 2010-11 के 60वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 152वां प्रतिवेदन ;

11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सिविल) का प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.1.4 आपदा प्रबंधन एवं सहायता तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.2.5 व 3.4.2 राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सम्बन्धित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 153वां प्रतिवेदन ;

12. जनलेखा समिति वर्ष 2004-05 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट खान एवं पैट्रोलियम विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 154वां प्रतिवेदन ;

13. जनलेखा समिति वर्ष 2006-07 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट खान एवं पैट्रोलियम विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 155वां प्रतिवेदन ; एवं

14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट खान एवं भू-विज्ञान विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 156वां प्रतिवेदन ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात अंकित हो गई, सरकार के नोटिस में चली गयी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य, नियम समिति, 2011-12 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

नियम समिति (क्र.सं. 1)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति 2011-12 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2011-12 समिति के इक्कीसवें एवं बाइसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी।

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति (क्र.सं. 21 व 22)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अनुमति से महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2011-12 के इक्कीसवें एवं बाइसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। डा. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक, वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

1. ''इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2012-13 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2012-13 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख' 2012-13 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।"

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके पांव में दर्द हो रहा होगा, आप विराजिए। आप विराजिए। प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 (व्यवधान) माननीय शंकर सिंह जी, कृपा करके आप विराजिए। आप बैठिए। (व्यवधान) आप सुनिए मेरी बात। मेरी बात सुनिए। आसन से यह अनुरोध किया गया है, यह आपको बताया गया है, आपके ध्यान में लाया गया है कि स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। इतनी बात कहने का आशय आप समझ लीजिए। आप विराजिए। आप जिद मत करिए। (व्यवधान) आप जिद मत करिए। कृपा करके आप जिद मत करिए। आप विराजिए। (व्यवधान) आपकी जिद से सदन नहीं चलेगा, सदन की मर्जी से सदन चलता है। एक सदस्य की मर्जी सदन के ऊपर थोपी जाए, यह अच्छा संकेत नहीं है। इस तरह की आप बात नहीं करें। कृपा करके आप विराजिए। आप विराजिए। मैंने अर्ज कर दिया आपसे।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उन्होंने पुर:स्थापित कर दिया और आप आज्ञा के लिए पूछ रहे हो। पहले वो पूछें, फिर ये पूछें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे। मैं बिल्कुल राइट पाथ पर था, आपने मुझे इधर-उधर करने की कोशिश की। अब आप ऐसा मत करिये, आप ऐसा मत करिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इन्होंने दो बार पुरःस्थापित कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद। श्री रमेश खण्डेलवाल। कल इधर समाप्त हुआ था, मुझे याद है, रमेश जी मीणा ने आखिरी में बोला था। माननीय सदस्य, विराजें।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से दो दिन पूर्व हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने वर्ष 2012-13 का बजट पेश किया। यह बजट आम जनता का बजट, या मैं यह कहूं कि हर वर्ग का बजट है। न केवल छात्रों का, न केवल बेरोजगारों का, बल्कि छोटे-छोटे व्यापारियों से लेकर हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। कहीं-कहीं तो विपक्ष की तरफ से भी यह महसूस किया गया कि यह बजट उनके स्वप्न का बजट है। हमारी विपक्ष की नेता ने तो भूलवश कहा या बगैर सोचे-समझे कह दिया कि इस बजट में वो सब बातें शामिल हैं जिनकी हम पहले घोषणा करना चाह रहे थे या कर चुके। मेरा पूरे सदन से और विपक्ष के सभी जो सामने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, इनसे निवेदन है, आपने और हमने हमेशा एक बात सुनी है कि वही योद्धा मैदान जीतता है जिसमें दूरदर्शिता होती है, वही योद्धा मैदान जीतता है जिसमें एकाग्रता होती है, जो संतुलन बनाकर चलते हैं। वीर पुरुष वीर वसुंधरा भोगते हैं, यह हमेशा से वेद-पुराण में लम्बे समय से एक कहावत

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

चली आई है। ये सब सोचते रहे, हमारे जनप्रिय नेता ने उस बजट को पेश किया। बहुत-से अखबारों ने तो यह कहा कि यह चुनावी बजट है। यह बजट चुनाव से दो साल पहले आया, इस बजट को अगर चुनावी बजट मानकर सभी वर्गों को राहत दी जाए, सभी वर्गों के अधिकारों की समान अधिकार से चिंता की जाए तो मैं यह मानकर चलता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने एक ऐसा बजट पेश किया है जिससे राज्य की जनता न केवल लाभान्वित होगी बल्कि यहां की जनता और सरकार उन्नति की तरफ भी अग्रसर होगी। यह 2012-13 का बजट 33141 करोड़ रुपये का अनुमोदित किया गया लेकिन उल्लेखनीय बात तो यह रही कि योजना आयोग ने इसे 33500 करोड़ रुपये का स्वीकार किया। यह बजट 13वें वित्त आयोग और राजस्थान के एफआरबीएम एक्ट के पूर्ण रूप से अनुरूप बनाया हुआ है और पिछले बजट से 21.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी लिए हुए है। अगर सकल घरेलू उत्पाद के वित्तीय घाटे को देखें तो सिर्फ 2.14 प्रतिशत के वित्तीय घाटे पर इस बजट को मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया है।

अगर इस बजट के सभी पहलुओं पर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर शिक्षा के मामले को लेकर मुख्य मंत्री ने काफी कुछ किया है। सरकार के मुखिया या राज्य के मुख्य मंत्री का यह राजधर्म होता है कि वो अपनी जनता को शिक्षित करने के लिए शिक्षा के उन सभी पहलुओं पर ध्यान दे जिससे वहां की शिक्षा आम छात्र एवं छात्राओं को न केवल कम खर्चीली मिले बल्कि कम खर्च के साथ-साथ उच्च तकनीकी से भरपूर और पूर्ण रूप से रोजगारोन्मुखी हो, रोजगार के समर्पित हो। ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने, दसवीं और बारहवीं की मैरिट में जो छात्र-छात्राएं आएंगे, 20 हजार लैपटाप छात्र-छात्राओं को बांटने की घोषणा की है। इससे हम यह मानकर चलते हैं कि एक अच्छी तकनीकी शिक्षा की तरफ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यह उल्लेखनीय घोषणा है। इसी के साथ-साथ उच्च माध्यमिक में जितने भी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे उनके लिए 24000 लर्निंग लैपटाप शुरूआती दौर में ही बच्चों को ई-एजुकेशन के प्रति या यह कहूं कि अच्छी तकनीकी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ये 24000 लैपटाप अपने-आप में काफी सहयोगी होंगे। इसी के साथ-साथ एससी, एसटी के लिए उदयपुर और बीकानेर में जो 50-50 बच्चियों के हास्टल के लिए व्यवस्था की

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

गई है, उससे मुख्य मंत्री महोदय ने उन छात्राओं को भी शिक्षा के प्रति अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से बेरोजगारों का इसमें ध्यान रखा गया है। कोई भी स्नातक बेरोजगार जो बेरोजगारी का अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहा है उसको 500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता और विकलांग जो स्नातक है उसको 600 रुपये बेरोजगारी भत्ता देकर मुख्य मंत्री महोदय ने उन लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन-यापन के लिए, मेहनत करने की ओर अग्रसर किया है। मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पेश किया गया बजट न केवल राज्य को विकास की तरफ लेकर जाएगा, न केवल सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगा बल्कि मैं तो यहां तक भी मानता हूं कि जिन छात्राओं को लैपटाप देने के लिए, शिक्षा के प्रति अग्रसर करने के लिए यहां के सभी 142 महाविद्यालयों के पुस्तकालय और लैब को.... (व्यवधान) पढ़ा हुआ मान लिया, मान लिया नहीं, मैं बताऊंगा, मैं मनवाऊंगा, अभी रुक जाओ जरा।

कम्प्यूटराइजेशन से बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। 6 नई यूनिवर्सिटी जो मुख्य मंत्री महोदय ने दी हैं, उनमें एक शेखावाटी यूनिवर्सिटी भी है जिसकी लम्बे समय तक मांग रही। मुख्य मंत्री महोदय ने इस यूनिवर्सिटी को देकर हमारे क्षेत्र को न केवल लाभान्वित किया है बल्कि सीकर, झुंझुनूं और शेखावाटी की जो लम्बे समय तक मांग रही थी उसको भी पूरा किया है। इसी तरीके से अलवर की मत्स्य यूनिवर्सिटी दी है, उदयपुर की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो आदिवासी यूनिवर्सिटी के नाम से दी है, भरतपुर में ब्रज यूनिवर्सिटी दी है। मुख्य मंत्री महोदय ने 6-6 यूनिवर्सिटी एक साथ देकर उच्च शिक्षा के प्रति अपनी इच्छाशक्ति दर्शायी है, वे उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, यह भी दोहराया है।

मैं पूरे सदन को यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय की बजट की जो सोच थी, वह आम लोगों की सोच थी। वह सोच न केवल छात्रों को, न केवल माइनोरिटी को बल्कि किसान वर्ग को भी साथ लेकर चलने की थी। किसानों की खरीफ और रबी की फसल के लिए ढ़ाई लाख टन डीएपी खाद की उपलब्धता के लिए अलग से फण्ड रखा गया है। इसी तरीके से दो लाख मैट्रिक टन सुपर फास्फेट की व्यवस्था इन्होंने की और 50,000 मैट्रिक टन काम्प्लैक्स फर्टिलाइजर की व्यवस्था की है। मैं यह मानकर चलता हूं कि रबी

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

और खरीफ की फसल की बुवाई के वक्त इसकी अपनी महत्ता बनी रहेगी और हमारे किसानों को वक्त पर यह काम आयेगी। मेरा यही निवेदन है आपसे कि मुख्य मंत्री महोदय ने अपने इस बजट को न केवल आम लोगों का बजट बनाया। निःशुल्क दवा वितरण योजना के बारे में अभी बता रहे थे सामने से तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कि किस तरीके से निःशुल्क दवा योजना के बाद में यह घटना घटी। मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूं कि यह घटना पहले की है, निःशुल्क दवा वितरण योजना पूरे राज्य में आम लोगों में लोकप्रिय हो रही है। आप देखिये, जिन लोगों के पास में इलाज के लिए व्यवस्था नहीं होती थी, आज ऐसे दो-दो लाख लोग रोजाना इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जब भी किसी गरीब से हाल पूछा जाता था कि किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वह एक ही बात कहता था कि मेरे पिताजी बीमार है या मेरी घर से बीमार है। इस बीमारी की वजह सिर्फ एक ही है कि पैसों का अभाव है, पूरा इलाज करा नहीं पा रहा। मुख्य मंत्री महोदय ने इस महती आवश्यकता को समझा और इस महती आवश्यकता को समझकर इस योजना को लेकर आये आप और हम सबके बीच में। कोई भी गरीब आदमी चाहे अस्पताल में जाये, चाहे पी.एच.सी. में जाए, चाहे सी.एच.सी. में जाए, उसको वहां पर निःशुल्क दवा की व्यवस्था होगी। यह अपने आप में एक ऐसी योजना है जो आम लोगों को गरीबी से बचने के लिए और अपना इलाज कराने के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इसी तरीके से 50 पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में बदलना और 100 पी.एच.सी. का नया खोलना, यह भी स्वास्थ्य के प्रति मुख्य मंत्री महोदय की सोच को दर्शाता है। इसी तरीके से दो साल में 3,000 सब सेंटर हैल्थ के खोलना, मैं यह मानकर चलता हूं कि आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा, आम जनता को इसका लाभ मिलेगा।

मेरा निवेदन है, मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना आज के एक साल पहले बनी और 10 लाख मकान तीन साल में बनाकर देंगे। अगर यह बीपीएल आवास योजना रूटीन में चालू होती तो यह 22 साल में पूरी होती। इसमें न केवल राजनैतिक इच्छाशक्ति है, बल्कि गरीबों के प्रति मुख्य मंत्रीजी की सोच क्या है, यह दर्शाता है- 10 लाख मकान तीन साल में बनाना और उसके लिए हुडको जैसी संस्था से 34 करोड़ रुपये का लोन लेना। पिछले साल

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

जितना टार्गेट बनाया था, वह लगभग पूरा होने को आया और इस योजना को और आगे बढ़ाया जा रहा है। इस योजना से आम लोगों को राहत मिलेगी, उनको छत और आशियाना सुलभ हो सकेगा।

इसी तरीके से ग्रामीण बीपीएल और मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना को जब सफल होता देखा तो मुख्य मंत्री महोदय ने इसी योजना को शहर में भी लागू करने की सोची। शहर में इस योजना के लागू होने से जो शहरी बीपीएल के लोग हैं, उनको भी आवास की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मैं पेयजल के बारे में बात करना चाहूंगा। पेयजल की व्यवस्था को आज से पहले आप और हम सब देख रहे थे, एससी और एसटी के लोगों को एक साल पहले किस दुर्गति से पानी पीना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था। मैंने पहले भी सदन में कहा है, कई बार तो एक दलित की बेटी को, दलित की बहू को एक-एक किलोमीटर दूर श्मशान भूमि से जाकर पानी लाना पड़ता था क्योंकि वहां उनको कोई पानी भरने नहीं देता था। मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना को इस कारगर तरीके से लागू किया कि आज एससी और एसटी की बहुत-सी आबादी में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए 7,000 एससी और 500 एसटी की आबादी को आने वाले समय में फिर पेयजल की व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा। मैं कहना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय से कि आम बीपीएल और एससी एसटी की पानी की जो योजना है, इस योजना में एक छोटी-सी कमी रह रही है। पता नहीं हमारे यहां के आई.ए.एस. आफिसर्स उस कमी को या तो महसूस नहीं कर पा रहे या उन्होंने आगे आकर कोई अड़ंगा लगाया है। 1.6 लाख रुपये कनेक्शन के मांग रहे हैं ये लोग। जब आपने तीन लाख रुपये सिंगल पाइंट के मंजूर किये हैं एससी और एसटी की आबादी के, तो यह 1.6 लाख रुपये का गैप है, यह कहां से पूरा होगा इसके पूरा न होने पर यह योजना अधर में लटकी हुई है, यह पूरी होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मेरा यह निवेदन है कि 1.6 लाख रुपये का पांच साल का बिजली का बिल इन एससी और एसटी की आबादी से वसूल करने की बजाय जो सरकारी योजना है या मुख्य मंत्री महोदय की जो इच्छा है, इसके तहत जो एससी और एसटी की आबादी है, उनके कनेक्शन कराये जाएं। मेरा जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एमएलए लैड से हम लोग जो सिंगल पाइंट लगाते हैं, उसमें भी पांच साल के कनेक्शन की अनिवार्यता कर दी। आप बताइये, पांच साल तक किसी सिंगल पाइंट में पानी होगा? या नहीं होगा लेकिन हम लोग तीन लाख में या ढाई लाख में ही एमएलए लैड से

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

सिंगल पाइंट किसी गरीब बस्ती के अन्दर लगाते हैं तो उसके साथ पांच साल का बिजली कनेक्शन का खर्चा भी मांगते हैं कि पांच साल का बिजली का बिल भी दीजिये। मांगा तो मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट से भी था लेकिन मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट ने अपने यहां दिल्ली से इसका आर्डर भिजवाकर इसको कैंसिल करा दिया। मेरा जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपा करके एमएलए लैड का यह अनावश्यक पैसा मिसयूज न करें और ये 1.6 लाख रुपये हमसे अनावश्यक वसूल न करें। जितना भी पैसा एससी और एसटी की आबादी या गरीब बस्ती में हम सिंगल पाइंट के लिए देते हैं, उसका पांच साल का बिजली का बिल एक तरफ करके हमें कनेक्शन जल्दी से जल्दी कराकर दिया जाए।

यहां मैं उद्योग के मामले में बात करना चाहूंगा। बजट न केवल सर्वांगीण विकास का बजट है, बजट न केवल सभी वर्गों का बजट है, बजट न केवल आमजन का बजट है बल्कि उद्योग को लेकर भी यहां उद्योग के अधिकारी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नीमकाथाना क्षेत्र में मिनरल काफी मात्रा में मिलता है, सीकर और झुंझुनूं का 90 प्रतिशत मिनरल मेरे नीमकाथाना क्षेत्र में होता है। चाहे केल्साइट है चाहे फेल्सपार है, चाहे क्वार्टज है चाहे माइका है और चाहे लाइमस्टोन जैसे मिनरल्स हैं, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं लेकिन वहां कोई इण्डस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा नहीं है। छोटा-सा एक इण्डस्ट्रियल एरिया है, उसमें जगह पूरी भर गई। वहां 127 हैक्टेयर जमीन सरकारी है उसके लिए मैं बार-बार निवेदन कर चुका हूं न केवल उद्योग मंत्री महोदय को, बल्कि मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन कर चुका हूं। यहां का बेरोजगार चाहता है कि रोजगार लगाएं, क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि रोजगार लगे। सरकारी जमीन पड़ी है बगैर एक्वीजिशन के, तो फिर वहां पर उद्योग लगाने में इनको दिक्कत क्या आ रही है? एक तरफ ये सिंगल विंडो की तरफ हमें आकर्षित करते हैं और बार-बार हमें आगाह करते हैं और दूसरी तरफ जब कोई क्षेत्र का एम.एल.ए. बार-बार अपने प्रपोजल लेकर आता है कि मेरे क्षेत्र में उद्योग लगाये जाएं, मेरे क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध है, मेरे क्षेत्र में मिनरल्स उपलब्ध हैं, मेरे क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले नये नौजवान मौजूद हैं और लगाने के लिए उन लोगों के पास प्रतिभाएं मौजूद हैं, वहां उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। इससे न केवल राजस्व मिलेगा, बल्कि राजस्व के साथ-साथ मेरे क्षेत्र को रोजगार मिलेगा और उस रोजगार के साथ-साथ क्षेत्र का विकास भी हो सकेगा।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

इसी तरीके से मैं माइनिंग मिनिस्टर माहेदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 90 प्रतिशत मिनरल मिलता है मेरे नीमकाथाना क्षेत्र में आज के 15 साल पहले पता नहीं क्या बात हुई, कि वहां का ए.एम.ई. कार्यालय उठाकर सीकर लगा दिया गया। दुनिया भर की मिनरल्स की चोरी होकर हरियाणा बार्डर से होकर माल चला जाता है। तीन-तीन, चार-चार करोड़ रुपये महीने का नुकसान सरकार को हो रहा है, राजस्थान की जनता को हो रहा है। बार-बार निवेदन करने के बाद भी वहां कोई कार्यालय नहीं खोल रखा। जान-बूझकर अफसर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस चोरी को न केवल देख रहे हैं, बल्कि चोरी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, चोरी करने दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जनता की कमाई को इस तरीके से बर्बाद नहीं होने दिया जाए और माइनिंग का कार्यालय नीमकाथाना में हर हालत में खोला जाए।

यह बजट संतुलित बजट है, यह बजट आम लोगों का बजट है। यह बजट चुनावी बजट नहीं होकर हमारे मुख्य मंत्री महोदय की राजनैतिक इच्छाशक्ति का जीता-जागता प्रमाण है। बीपीएल आवास योजना को इसके तहत वह आगे बढ़ाना चाहते हैं। दो रुपये किलो गेहूं गरीब बीपीएल परिवार को दिया और एपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्न की जो व्यवस्था की, वह उनकी राजनैतिक इच्छाशक्ति का जीता-जागता प्रमाण है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरीके से इन फ्लैगशिप योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है, इसी तरीके से आने वाले समय में मेरा क्षेत्र सर्वांगीण विकास कर सके। नीमकाथाना में पाटन एक ऐसा कस्बा है जो नीमकाथाना हैडक्वार्टर से 25-30 किलोमीटर दूर है, 25 पंचायतें उसके नीचे पड़ती हैं। लेकिन अबकी बार जो घोषणा की गई, मेरे पाटन क्षेत्र को उप तहसील बनाने में या तो कहीं अफसरों ने चूक की या जानबूझकर छोड़ दिया गया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि नीमकाथाना के पाटन को उप तहसील बनाया जाए जिससे वहां का गरीब आदमी भटक कर अपने न्याय के लिए आकर शहरों में नहीं लुटे और पाटन में ही अपना न्याय पा सके।

इस बजट की जो रूपरेखा मुख्य मंत्री महोदय ने तैयार की है, मैं कहना चाहूंगा कि इससे आम महिलाओं को लाभ मिला है, दस प्रतिशत महिलाओं का मानदेय बढ़ा, मानदेय के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तीकरण और महिलाओं में आत्मबल करने के लिए उन्होंने एक सेंटर भी स्थापित किया

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

जो चौबीस घंटे महिलाओं की समस्याओं के बारे में सुनवाई करेगा, उन्हें पूर्ण रूप से देखेगा। इस बजट में मुख्य मंत्री महोदय ने सर्विस गारंटी सुरक्षा का जो आयोग बनाने की घोषणा की है, इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। आज तीस लाख मामलों का निपटारा हुआ। सदन पूरा बैठा हुआ है, मेरा आपसे निवेदन है, सर्विस गारंटी का यह अधिनियम बना और इसके लिए आयोग बन रहा है लेकिन आम आदमी इतना जागरूक नहीं होता कि वह अपनी एप्लीकेशन का रिजल्ट प्राप्त कर सके। हर तहसील मुख्यालय, एसडीएम मुख्यालय और कलेक्टर मुख्यालय पर एक ऐसे बाबू की व्यवस्था होनी चाहिए कि हर लैटर वहां एन्डोर्स हो, वहां एंट्री होकर उसका नम्बर पड़े, फिर वह जाए अधिकारियों के पास और अधिकारियों के पास जाने के बाद पता लगे, कि क्या इसका डिस्पोजल हुआ या नहीं हुआ। अगर यह व्यवस्था की गई तो आम लोगों को जो आप सर्विस गारंटी अधिनियम के तहत लाभ देना चाहते हैं, वह लाभ मिल पाएगा। वर्ना आम आदमी, साधारण आदमी जो ढाणी से आता है, वह तो अपनी एप्लीकेशन लगाने के बाद तीस दिन में रिजल्ट मिलना चाहिए, पन्द्रह दिन में रिजल्ट मिलना चाहिए, पांच दिन में रिजल्ट मिलना चाहिए, इसके बारे में इतना जागरूक नहीं हो पाता। तो आप यह निश्चित करें और व्यवस्था करें कि जो भी एप्लीकेशन एसडीएम या तहसीलदार कार्यालय में दी जाए, जो भी हैण्ड पम्प रिपेयरिंग की व्यवस्था दी जाए। वह पहले एन्डोर्स हो डिपार्टमेंट के एक रजिस्टर में और उसके बाद में उस एप्लीकेशन के बारे में पता लगाया जाए। वर्ना वह एप्लीकेशन मूव होती ही नहीं। अगर इस तरह की मानिटरिंग की गई और इस तरह की टेली व्यवस्था की गई तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आम लोगों को जो हम उसका लाभ दिलाना चाहते हैं जो हम ई-गवर्नेंस के जरिये आम लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं, वह लाभान्वित करने में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। मैं पुन: आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पेश किया गया बजट एक संतुलित बजट है और यह बजट आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री कालीचरण सराफ। (व्यवधान) आप कालीचरणजी को डिस्टर्ब मत करिये। कालीचरणजी बोल रहे हैं, इनको डिस्टर्ब क्यों करते हो आप? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो

(श्री कालीचरण सराफ)

दिन से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रदेश की जनता के सामने पेश किया है, उसके बारे में चर्चा चल रही है, मैं भी इस चर्चा में अपने आप को शामिल करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2008 में जब विधान सभा के चुनाव हुए, जोड़तोड़ करके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, आदरणीय अशोकजी गहलोत प्रदेश के मुख्य मंत्री बने, तो उन्होंने एक ही बात कही कि कड़ी से कड़ी जोड़ो।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): रघुजी, यह क्या इशारा कर रहे हो? महिलाओं को इशारा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको आसन पर कौन नजर आता है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कड़ी से कड़ी जोड़ो। यदि राज्य का विकास चाहते हैं तो कड़ी से कड़ी जोड़िए। प्रदेश की जनता ने हमारे मुख्य मंत्रीजी की बात मानी। लोक सभा के चुनाव हुए, 25 में से 21 सीटों पर कांग्रेस जीती, भारी बहुमत के साथ जनता ने लोक सभा के चुनाव में कांग्रेस को जिताया। फिर नगरपालिकाओं के चुनाव हुए, नगर परिषदों के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात, नगर निगम में भी जीते, नगर परिषदों में भी जीते, नगरपालिकाओं में भी जीते। फिर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, उसमें भी जनता ने कड़ी से कड़ी जोड़ी, पंचायती राज के चुनाव में भी कांग्रेस को जिताया। कड़ी से कड़ी केन्द्र से लेकर पंचायत तक जुड़ गई तो प्रदेश की जनता ने सोचा और हमने भी सोचा कि अब तो प्रदेश में भी उनकी सरकार, देश में भी उनकी सरकार, पंचायती राज में भी उनका कब्जा, नगर निगम में, नगर पालिकओं में उनका कब्जा, अब तो प्रदेश का बड़ा जबरदस्त विकास होगा। महंगाई से निजात मिलेगी, जो हमारा प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है उससे उसको राहत मिलेगी। परन्तु मुझे अफसोस है यह बताते हुए कि कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद भी जब पिछले दिनों लोक सभा में आदरणीय केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणवजी मुखर्जी ने बजट पेश किया तो राजस्थान सरकार की एक भी बात उन्होंने नहीं मानी। तीन साल से केन्द्र में बजट पेश हो रहा है कांग्रेस की सरकार के द्वारा और यहां भी राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार, एक शब्द तीन साल में उन्होंने राजस्थान के बारे में नहीं कहा चाहे रिफाइनरी का सवाल हो, चाहे प्रदेश में पेयजल के लिए विशेष पैकेज की बात हो, चाहे प्रदेश की डूबती हुई बिजली कंपनियों को बचाने का इंतजाम हो, चाहे बांसवाड़ा में परमाणु बिजली घर लगाये जाने का मामला हो, चाहे प्रदेश

(श्री कालीचरण सराफ)

(14.56 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

में नया एयरपोर्ट बनाने की बात हो और चाहे किसानों को पाले या शीतलहर से हुए नुकसान का मुआवजा दिये जाने का मामला हो, कहीं भी बजट में इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया। कोई भी बड़े निवेश की और रोजगार परियोजना की घोषणा भी केन्द्रीय बजट में नहीं की गई। केन्द्र में हमारे प्रदेश के चार-चार मंत्री- सीपी जोशी, सचिन पायलट, आनंदजी शर्मा, नमोनारायण मीणा, पच्चीस में से इक्कीस सांसद, पर किसी की भी नहीं चली और मुझे कहते हुए अफसोस है कि केन्द्र की सरकार ने राजस्थान सरकार की किसी भी बात को नहीं माना।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जवाब, साहब, आप बीकानेर में हवाई अड्डे की घोषणा करके आये थे, उसका क्या हुआ, ढाई साल निकाल दिये आपने? यह सही कह रहे हैं, सराफ साहब।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और माननीय सभापति महोदय, यह जब बजट पेश किया गया तो इसमें कई प्रकार की घोषणाएं की गईं। मैं इस मामले में तो मुख्य मंत्रीजी की तारीफ करना चाहूंगा...

श्री सभापति: आसन की बगैर अनुमति से अगर कोई भी बोले तो वह अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं इस मामले में तो मुख्य मंत्रीजी की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने घोषणा करने में....

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री सभापति: यह भी अंकित नहीं होगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री सभापति: आप बोलें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए तो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने घोषणा करने में तो महारत हासिल कर रखी है। उन्होंने यह चौथा बजट पेश किया है, हर बजट में उन्होंने घोषणाओं के पुल बांध दिये। अब मैं इनकी घोषणाओं का बताना चाहता हूं। यह मेरा नहीं, डिपार्टमेंटवाइज बजट एपीआर कम्प्लायंस स्टेटस आन 22 फरवरी, 2012 है। इन्होंने पहली घोषणा

(श्री कालीचरण सराफ)

की एनीमल हसबैण्डरी डिपार्टमेंट में, 200 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु औषधालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। सीएमओ के कमेंट क्या हैं? वित्त विभाग द्वारा घोषणा के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया, नाट फिजिबल। दूसरी घोषणा की, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट, बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना में सीवरेज परियोजनाएं तथा सांगोद में जल परियोजना जिनकी कुल लागत लगभग 311 करोड़ रूपये है, क्रियान्वित की जाएंगी, इस राशि में से पच्चीस प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी तथा शेष राशि संबंधित नगर निकायों द्वारा स्वयं के संसाधनों तथा ऋण लेकर वहन की जाएगी। अब, साहब, क्या हुआ इसमें? मकराना, डीडवाना, फतेहपुर शेखावाटी, नाथद्वारा, गंगानगर, बालोतरा एवं बांसवाड़ा में सीवरेज कार्यों हेतु बजट घोषणा की घोषित राशि 291.97 करोड़ के स्थान पर वित्त विभाग द्वारा संशोधित स्वीकृति 427.1 करोड़ की जारी कर दी गई है, इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन का स्वरूप तय किया जाना है। बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा परियोजना की पच्चीस प्रतिशत का निर्वहन किया जाएगा और स्थानीय निकायों द्वारा पिचहत्तर प्रतिशत राशि का निर्वहन किया जाएगा। स्थानीय निकायों द्वारा अपनी असमर्थता दिखाई गई है अतः राज्य सरकार के स्तर पर वित्तीय प्रबंधन का फार्मूला तय किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य

(15.00 बजे)

सचिव, यूडीएच एण्ड एलएसडी द्वारा विभिन्न विकल्पों पर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये गये। उक्त सात शहरों में गंगानगर को छोड़कर शेष शहरों के सीवरेज कार्यों की संशोधित डीपीआर संबंधित नगर निकाय द्वारा इंगेज कन्सलटेंट द्वारा तैयार की जा चुकी है। संशोधित डीपीआर का अप्रेजल आरयूएफडीसीओ के माध्यम से किया जा रहा है। आरयूआईएफडीसीओ द्वारा संशोधित डीपीआर के कार्य की क्रियान्विति हेतु कार्यवाही नगर विकास न्यास द्वारा की जा रही है। सांगोद जल परियोजना की क्रियान्विति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जानी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के प्रस्तावों पर विभाग की पीपीसी में भी विचार किया जा चुका है। भविष्य में सांगोद के संबंध में सूचना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। यह सीएमओ का स्टेटस है इसका क्या है कि यह नाट फिजिबल है, यह भी बेगार हो गई। तीसरा मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट।

(श्री कालीचरण सराफ)

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं संस्थागत प्रसव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एनआरएचएम के अन्तर्गत 975 नर्स ग्रेड-।। तथा जीएनएम की नियुक्ति की जाएगी। पीआईपी 2011-12 में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण उपरोक्त 975 नर्स ग्रेड-।। एवं जीएनएम की नियुक्तियां नहीं दी जा सकतीं। यह भी नाट फिजिबल हो गया। अब चौथी घोषणा देखिए आप, पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 289 आयुर्वेद, 40 यूनानी और 40 हौम्योपेथिक चिकित्सकों तथा 392 आयुर्वेद नर्स-कंपाउण्डरों को नियुक्ति दी जाएगी। पीआईपी 2011-12 में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण एवं एनआरएचएम में संविदा पर दिनांक 17.6.11 के द्वारा राज्य सरकार से रोक लगने के कारण नियुक्ति फिलहाल नहीं की है। भविष्य में वित्त विभाग की अनुमति एवं केन्द्र राज्य सरकार से बजट प्राप्त होने पर नियुक्तियां दी जा सकेंगी। इस घोषणा का भी हश्र हो गया।

अब आप देखिए, माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया शुद्ध के लिए युद्ध अभियान बहुत सफल रहा है। राज्य के जिला मुख्यालयों में पीपीपी मोड पर स्थायी प्रयोगशालाओं की स्थापना कर इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। अब इसका क्या हुआ? यह बजट प्रस्ताव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित है इसलिए नहीं किया जाएगा। यह भी गई। अब छठी पर्यटन विभाग। चित्तौड़गढ़, आमेर और कुंभलगढ़ दुर्ग पर लाइट एण्ड साउण्ड शो की सफलता को देखते हुए बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट एवं उदयपुर में सज्जनगढ़ फोर्ट पर लाइट एण्ड साउण्ड शो प्रारम्भ किए जाएंगे। अब इसमें देखिए, क्या हुआ है। बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट में लाइट एण्ड साउण्ड शो हेतु जूनागढ़ ट्रस्ट के प्रतिनिधि जिला कलक्टर, बीकानेर, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन एवं आईडीएसपीएल के द्वारा स्थल का संयुक्त निरीक्षण करने एवं ट्रस्ट पदाधिकारियों से वार्ता करने पर यह निर्णय लिया गया कि उक्त ट्रस्ट लाइट एण्ड साउण्ड शो हेतु अनुमति प्रदान नहीं करेगा। अतः प्रकरण वित्त विभाग को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उदयपुर में सज्जनगढ़ फोर्ट पर लाइट एण्ड साउण्ड शो स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है। इसकी भी ऐसी-तैसी हो गई। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट की 26

(श्री कालीचरण सराफ)

घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर अण्डर प्रोसेस अभी काम शुरू ही हुआ है। इस प्रकार की घोषणाएं करके मुख्य मंत्रीजी क्या करना चाहते हैं? और, माननीय सभापति महोदय, केवल पिछले साल की घोषणाओं की ही क्रियान्विति नहीं हुई हो, ऐसा नहीं है।

2009-10 में जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें भी है। आज से तीन साल पहले, उसमें आप देखिए, इन्होंने कावंटिया और जयपुरिया अस्पताल को जिला स्तर के अस्पतालों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। 24 घंटे ट्रोमा और आपातकालीन सेवाएं शुरू करने की घोषणा। कागजों में तो जिला अस्पताल बन गये। जयपुरिया अस्पताल मेरी कांस्टीट्युएंसी में है, वहां डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल खोलने की घोषणा तो हमारे राज में दिगम्बर सिंहजी ने ही कर दी थी। वहां न तो पर्याप्त डॉक्टर, न नर्सिंग स्टाफ और न पैरा मेडिकल स्टाफ है। और ट्रोमा सुविधा तो अभी तक उपलब्ध ही नहीं करवाई गयी है, घोषणा कर दी। तीन साल पहले जयपुर में आयुष भवन के निर्माण की घोषणा की गई थी, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। एसएमएस कॉलेज में शोध कार्यों के लिए स्टेम सैल प्रयोगशाला शुरू करने की घोषणा की गई, शुरू नहीं हुई है। 26 जिलों में किशोर गृहों के लिए भवन निर्माण, बाबू जगजीवनराम योजना के तहत छात्राओं के लिए 13 जिलों में छात्रावास निर्माण, काम पूरा नहीं हुआ। वक्फ विकास परिषद के गठन की घोषणा की गई, कुछ नहीं हुआ। प्रदेश के 247 आश्रम छात्रावासों में एक भी वाचनालय का निर्माण पूरा नहीं हुआ। बाघ संरक्षण बल के गठन की घोषणा की गई, कुछ नहीं हुआ। उच्च शिक्षा सुधार आयोग के गठन की घोषणा की गई, कुछ नहीं हुआ। युवा विकास के केन्द्रों की स्थापना की घोषणा, कुछ नहीं हुआ।

अब 2010-11 की देखिए। यूनानी निदेशालय के गठन की घोषणा की गई थी, कुछ नहीं हुआ। हर ज़िले में बुज़ुर्गों के लिए जेनियाट्रिक केन्द्र जयपुर में चालू है, बाकी कहीं पर चालू नहीं हुआ। जेके लोन अस्पताल में सुपर स्पेशिलिटी विंग, काम पूरा नहीं हुआ। भरतपुर संभाग मुख्यालय पर नारी निकेतन में पुनर्वास गृह भवन की घोषणा, कुछ नहीं हुआ। राजस्थान ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन, नहीं हुआ। सभी पीएचसी को इन्टरनैट कनेक्शन सुविधा के साथ कम्प्यूटर देने की घोषणा पूरी नहीं हुई। प्रदेश के गांवों का मास्टर प्लान बनाने की घोषणा हुई, कुछ नहीं हुआ।

(श्री कालीचरण सराफ)

अब 2011-12 की देखिए, महिला शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े ब्लाक्स में 400 करोड़ की लागत से माडल स्कूल शुरू करने की घोषणा, बहुत धीमी शुरूआत। महाविद्यालयों में 200 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति, अभी तक नहीं हुई। 15 करोड़ के अंशदान से दस तकनीकी महाविद्यालयों का गुणवत्ता सुधार, अभी प्रक्रिया में है। कर्जे में दबे सहरिया जाति के लोगों को अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। संभागीय मुख्यालयों पर आनलाइन लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं हुआ। कई जिलों में हवाई पट्टियों के निर्माण की घोषणा, कई जिलों में काम ही चालू नहीं हुआ। नए एमएलए फ्लैट्स के निर्माण की घोषणा हुई थी, कुछ नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, इस बार भी जो घोषणाएं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने की हैं, उनको महारत हासिल है घोषणाएं करने में, बड़ी तालियां बजा रहे थे आप लोग, मेजे थपथपा रहे थे पर उनको कान में जाकर यह पूछना कि, मुख्य मंत्रीजी, जो घोषणाएं आप कर रहे हो, वास्तव में इन पर काम होगा या नहीं होगा।

अब मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि 41 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है और 20 हजार शिक्षक भर्ती और की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, 2011-12 में भी मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि 50 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता पार्टी लोगों से, क्या पिछले तीन साल में एक भी शिक्षक की नियुक्ति हुई? (व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, सम्माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वसुंधरा जी के राज में, जब हमारा राज था, हमने 1 लाख 18 हजार शिक्षकों की नियुक्तियां की थीं आरपीएससी के माध्यम से और 40 हजार पैरा टीचर्स को रैगुलराइज किया था, प्रबोधक बनाया था। यानी इस प्रकार से हमने पांच साल में डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की। पर मुझे कहते हुए अफसोस है कि आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने घोषणाएं तो यहां हर बार कीं कि हम इतने शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, हम इतने शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, पर आज तक के रिकार्ड में एक भी तृतीय श्रेणी शिक्षक की नियुक्ति इन्होंने नहीं की है।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात आपको और निवेदन करना चाहता हूं, हमने जब घोषणा की थी शिक्षकों की नियुक्ति की तो प्रद्युम्न सिंहजी खड़े होकर बोले कि हम पांच साल में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाये, आप कैसे करोगे? तो हमने कहा था कि हम जो कहते हैं वह करते हैं और जो करते हैं वह कहते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमने आरपीएससी के माध्यम से डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की और आप पहले पांच साल में एक शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाये। क्यों नहीं कर पाये? जिला परिषद के माध्यम से करोगे और इस बार फिर वही गलती कर रहे हो। पिछली बार जब आप ने जिला परिषद के माध्यम से नियुक्ति की घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट में चले गये पीड़ित लोग। सुप्रीम कोर्ट ने यह रूलिंग दी 98 में कि एक प्रदेश में दो मैरिट नहीं बन सकतीं और आज भी वह रूलिंग कायम है। जब एक प्रदेश में दो मैरिट नहीं बन सकतीं तो आप पैंतीस-पैतीस जिलों में जिला परिषद के माध्यम से नियुक्तियां कैसे करेंगे? कोई भी पीड़ित व्यक्ति चला जाएगा, स्टे आ जाएगा और आपकी यह योजना फिर धरी रह जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, सरकार की यदि वास्तव में नीयत ठीक है और वास्तव में आप शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहते हैं तो आपका यह जो जिद्दीपन है, हठवादिता है, इसको छोड़कर आरपीएससी के माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति करवाओ तो निश्चित रूप से नियुक्तियां होंगी अदरवाइज नहीं होंगी। आज आप जो जिला परिषद के माध्यम से नियुक्तियां करवा रहे हैं, झुंझुनूं जिला बंद, झुंझुनूं में लोगों में आक्रोश, सीकर जिला बंद, सीकर में आक्रोश, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में, जयपुर में, हर जगह लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है, लोग आंदोलनरत हैं। मैं आपको सावचेत करना चाहता हूं क्योंकि मैं पूर्व में शिक्षा मंत्री रहा हूं, मुझे पता है इस बात का, कि प्रद्युम्न सिंह जी ने जो हमको चुनौती दी थी कि आप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पाओगे पर हमने क्योंकि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति थी और हम पारदर्शिता के आधार पर नियुक्तियां करना चाहते थे इसलिए हमने डेढ़ लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर दी, पर आपकी नीयत में यदि खोट है, है आपकी नीयत में खोट, तो आप जिला परिषद के माध्यम से एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाओगे, मैं चुनौती देना चाहता हूं। आप वास्तव में यदि नियुक्तियां देना चाहते हो तो आरपीएससी के माध्यम से नियुक्तियां दीजिये, अदरवाइज आप कोई भी नियुक्तियां नहीं कर पाओगे।

(श्री कालीचरण सराफ)

मानननीय सभापति महोदय, एक घोषणा और की है हमारे मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा विभाग में कि इस साल एक हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। तीन साल में तो खोले नहीं। अब इन्होंने क्या किया? मैंने एक प्रश्न लगाया था उसका जवाब आया है। मैंने पूछा था कि कितने विद्यालय आपने बंद किये? तो जवाब आया कि हमने गत तीन वर्षों में 336 विद्यालयों को पेपर विद्यालय बताकर बंद कर दिया, किन्होंने? कांग्रेस ने। और 850 विद्यालयों को अनार्थिक बताकर के इन्होंने मर्ज कर दिया। यानी तीन साल में 1186 प्राथमिक विद्यालयों को आपने बंद कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि हम एक हजार स्कूल खोलेंगे। क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? 1186 बंद कर दिये, एक हजार आप खोलोगे, 186 फिर भी बंद रहेंगे। जब राज था राजस्थान में वसुन्धरा जी का तो हमने तय किया था- हर एक किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल, हर दो प्राइमरी स्कूल पर एक मिडिल स्कूल और हर ग्राम पंचायत में एक सैकण्डरी स्कूल। हमने पचास हजार से ज्यादा स्कूल पांच साल में राजस्थान की धरती पर खोले। प्राइमरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले और सैकण्डरी स्कूल में उनको क्रमोन्नत किया और आज आप 1186 स्कूलें बंद कर रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि हम एक हजार स्कूल खोलेंगे और आप टेबलें थपथपा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 1186 स्कूलों को किस आधार पर बंद किया और आज ये घोषणा करके कि एक हजार स्कूल खोलेंगे आप 186 स्कूलें बंद कर रहे हो ये घोषणा करनी चाहिए थी आपको और आपने एक घोषणा और की कि राजस्थान में शेखावाटी विश्वविद्यालय, अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय और भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय आपने क्या मेहरबानी कर दी। तीन साल पहले हम लोगों ने इन तीनों विश्वविद्यालयों की घोषणा की थी और केवल घोषणा नहीं की थी हमने वहां ओएसडी भी लगा दिये थे। नि:शुल्क जमीन भी चिह्नित कर ली थी और एक-एक करोड़ रुपये विश्वविद्यालय की शुरूआत हो इसके लिए हमने बजट से इनको आबंटित भी कर दिया था। आज यदि उस घोषणा पर आप लोग कायम रहते तो आज तीन साल में सारी तीनों यूनिवर्सिटीज बन जातीं और काम चालू कर देते। तीन साल तक आपने कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब आप कह रहे हो कि हम विश्वविद्यालय चालू कर रहे हैं। क्या मेहरबानी करोगे? आपने कुछ चालू नहीं किया। हमने जो घोषणा की थी तीन विश्वविद्यालयों की, अभी आप कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी की हम प्रशंसा

(श्री कालीचरण सराफ)

करना चाहते हैं कि उन्होंने यह किया, क्या किया, हमारी घोषणाओं को ही यानी वो होता है न, पुरानी बोतल में नयी शराब।

अब एक, साहब, आपने चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा होगा। माननीय सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा होगा। उसमें एक यह लिखा कि यदि कांग्रेस की सरकार आ गयी तो पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस के करों में पड़ौसी राज्यों के समान रियायतें दी जाएंगी। अभी घोषणा की, 28 प्रतिशत की जगह 26 प्रतिशत टैक्स, बड़ा एहसान कर दिया। 54 पैसे की रियायत दी है इन्होंने डीजल में। हरियाणा में डीजल पर टैक्स कितना है? 8 प्रतिशत। पैट्रोल पर टैक्स कितना है? 20 प्रतिशत। पंजाब में डीजल और पैट्रोल 8 प्रतिशत, दिल्ली में डीजल पर 12 प्रतिशत, पैट्रोल पर 20 प्रतिशत। आपने यह कहा था कि हम चुनाव घोषणा पत्र को बाइबल मान करके राजस्थान का विकास करेंगे, कहां गया आपका वो वादा? यहां पर घोषणा कर रहे हैं और आप तालियां बजा रहे हो, टेबलें थपथपा रहे हो। 2 प्रतिशत कम कर दिया, साहब, बड़ा एहसान कर दिया। पिछले दो साल में 15 रुपये पैट्रोल की कीमत बढ़ गई और आपने एक रुपया सस्ता कर दिया। यदि वास्तव में आपकी नीयत ठीक है और गरीबों का भला करना चाहते हैं तो जैसे अभी गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कल जो बजट पेश किया, उसमें उन्होंने टैक्स में इतनी कमी की है कि अब पैट्रोल केवल 55 रुपये लीटर में मिलेगा वहां पर, आप यह घोषणा करिये।

अब आपके मुख्य मंत्रीजी की जो अपना मकान बनाकर रहना चाहते हैं उनके ऊपर क्या पता क्यों कोपदृष्टि है। उन्होंने एक ही काम किया है मुख्य मंत्री बनने के बाद-2009 में डीएलसी रेट पच्चीस परसेंट बढ़ाई, 2010 में ईंट, पत्थर और स्टील पर टैक्स बढ़ाया, 2011 में डीएलसी की रेट फिर 15 परसेंट बढ़ा दी और सम्पत्ति खरीदने और बेचने पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगा दिया और 2012 में डीएलसी की रेट फिर 10 परसेंट बढ़ा दी। यानी तीन साल में आपने डीएलसी की रेट पचास प्रतिशत बढ़ा दी। और इस बार तो आपने इतना ही नहीं किया, आपने यह भी घोषणा की है बजट में कि कंपनी या पार्टनरशिप फर्म की ओर से कोई कृषि भूमि आवासीय योजना या अन्य योजना के लिए खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी मास्टरप्लान में भूमि के दर्शाये भू-उपयोग के अनुसार डीएलसी दर के हिसाब से तय होगी। इसका मतलब यह हुआ कि स्टाम्प ड्यूटी पहले जितनी थी, उससे तीन गुना ज्यादा स्टांप ड्यूटी अब भवन

(श्री कालीचरण सराफ)

निर्माताओं पर लगेगी। आप गरीबों को सस्ते मकान देने की बात करते हो, सस्ते मकान कैसे मिलेंगे? पचास परसेंट डीएलसी रेट बढ़ा दी आप लोगों ने। रेडीमेड गारमेंट्स, पेंट, फोम, मशीनरी व कई उत्पाद, इन पर पड़ौसी राज्यों-हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेश से दुगना टैक्स है अपने यहां। हम सोच रहे थे कि हमारे गरीबों के मसीहा गांधीवादी मुख्य मंत्री इन चीजों पर तो टैक्स पर रियायत देंगे और पड़ौसी राज्यों के बराबर टैक्स लाएंगे पर इन्होंने नहीं किया। तो मैं यह मांग करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब अपना रिप्लाई दें तो रेडीमेड गारमेंट, पेंट, फोम, मशीनरी के जो कई उत्पाद हैं इनके ऊपर पड़ौसी राज्यों के बराबर टैक्स लगाया जाए जिससे कि व्यापार जो यहां खतम हो रहा है, वो फिर से चालू हो सके।

अब चूंकि मैं जयपुर शहर से जीत कर आया हूं तो जयपुर शहर के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक जयपुर शहर का सवाल है, चुनाव से लेकर आज तक चाहे इनके हाईकमान राहुल जी गांधी जयपुर में पधारे हैं या और कोई छोटा-बड़ा नेता, जो भी आता है केन्द्र से, या स्टेट का या जो भी, एक ही बात कहता है कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, जयपुर को विश्वस्तरीय नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे समय में जहां जयपुर शहर एशिया के टाप दस सुन्दर शहरों में आता था ...(व्यवधान) हा-हा क्या कर रहे हो? हंसने से काम नहीं चलेगा। श्रीमान् जी, दस सुन्दर शहरों में आता था, यह रिकार्ड की बात है और आज आपका शहर तीसरे नंबर पर तो आता है पर वो सुन्दर शहरों में नहीं। आज मुझे कहते हुए अफसोस है कि हमारे देश में अपराधों में जयपुर शहर आज तीसरे नम्बर पर आ रहा है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): हंसो, अब हंसो जोर से।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब नहीं हंसेंगे ये। आज मैं पूछना चाहूंगा, हमारे नगर निगम की महापौर और निगम के अधिकारी इनके बीच में जो झगड़े चल रहे हैं, क्या जयपुर शहर को वर्ल्ड सिटी बनाने का सपना साकार होगा? प्रतापसिंह जी खचारियावास बैठे हैं, यह भी दुःखी हैं नगर निगम से। हो कि नहीं? हो न दुःखी? कूड़े के ढेर, गन्दगी से अटा शहर, टूटी सड़कें, पानी के लिए तरसते लोग, दूषित पानी का प्रकोप, यही है वर्ल्ड क्लास की कल्पना? आप हंस रहे थे आजाद साहब, आज स्थिति यह है कि वर्ल्ड क्लास का सपना देख रहे गुलाबी नगर का देश के साफ-सुथरे शहरों में 229वां

(श्री कालीचरण सराफ)

नंबर है। हमारे टाइम में तो 10वां नंबर था पूरे एशिया में। और आपके कार्यकाल में? हमारे महापौर जी जिनके कार्यकलापों से सिविल लाइन्स के माननीय सदस्य प्रताप सिंह जी और हवा महल से आने वाले मंत्री बृजकिशोर जी ने अपनी पीडा व्यक्त भी कर दी है, ये दोनो भी दुःखी हैं। आप 229वें नंबर पर आ गये। अब हंसो, अब टेबल थपथपाओ। जयपुर शहर के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं, भगवान करे कि यह जो घोषणाएं पूरी हो और मैंने अभी जो फ़ेहरिस्त बताई उन घोषणाओं की तरह इसका हश्र नहीं हो। अच्छी बात है, घोषणाएं तो बहुत की है, टेबलें भी बहुत थपथपाई हैं, पर उनका क्या होगा, वह वास्तव में पूरी होंगी भी या नहीं होंगी?

माननीय सभापति महोदय, मैं जयपुर के बारे में कुछ बातें और पूछना चाहूंगा। प्रताप सिंह जी खाचरियावास भी मेरी बात की ताईद करेंगे, पृथ्वीराज नगर की योजना कई सालों से लंबित पड़ी है, नियमन नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहूंगा कि पृथ्वीराज नगर के मामले में सरकार की क्या मंशा है, जब वह अपना रिप्लाई दें तो उसमें बताएं। उसी प्रकार से नये जयपुर की एक योजना लाई गई थी, विधान सभा में भी बोले थे। पहले 135 वर्ग किलोमीटर, फिर घटाकर 65 किलोमीटर और अब वह ठंडे बस्ते में है। यानी जयपुर की घोषणा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिये तो नहीं कर रहे थे? आज उस योजना का क्या हुआ, वह कौन से बस्ते में बंद है, इसके बारे में सरकार की क्या नीयत है, नया जयपुर वास्तव में बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, बनाना चाहते हो तो कितने किलोमीटर में बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते तो क्यों नहीं बनाना चाहते, इसके बारे में भी माननीय मुख्य मंत्री जी अपने रिप्लाई में बताएं।

इसी प्रकार से जयपुर शहर में आज भी कृषि भूमि पर बनी हुई गृह निर्माण सहकारी समिति की कई कालोनियां हैं। मेरे खाल से पूरे जयपुर शहर में एक हजार से ज्यादा कालोनियां हैं जिनका अभी नियमन नहीं हुआ है। उनके पट्टे की कोई बात नहीं हुई। वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करते हो तो इन एक हजार कालोनी के बारे में सरकार का क्या विचार है, सरकार क्या इनका नियमन करना चाहती है? नियमन करना चाहती है तो जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको सरकार किस प्रकार से दूर करेगी, इसके बारे में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी बताएं।

(श्री कालीचरण सराफ)

ये गरीबों के बड़े मसीहा बनते हैं कि अनुसूचित जाति के हम खैरख्वाह हैं, अनुसूचित जाति के हम रहनुमा हैं, गरीब लोगों के हम रहनुमा हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आप भी बैठे हो, प्रताप सिंह जी, ईमानदारी से बताना, जयपुर शहर में पिछले तीन साल में गहलोत साहब की सरकार ने कच्ची बस्ती में रहने वाले कितने लोगों को पट्टा दिया? जवाब मिलेगा जीरो। एक भी कच्ची बस्ती निवासी को, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी की सरकार में पट्टा नहीं मिला है। चलो, कोई बात नहीं, तीन साल तक तो आपने नहीं दिये, अब दो साल में तो भला कर दो क्योंकि वोटों का मामला आ गया। जितनी कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं- कोई नाले पर बसी हुई है, कोई वन भूमि पर बसी हुई है, कोई निजी जमीन पर बसी हुई है, इनके बारे में सरकार का क्या सोच है, सरकार क्या करना चाहती है, इनको नियमित करेगी या नहीं करेगी, वहीं पर बसाएगी या किसी दूसरी जगह बसाएगी, नहीं बसायेगी तो क्या उनको उजाड़ेगी, इसके बारे में भी बताना चाहिये।

एक हमारे समय में जो सेंट्रल जेल है वह थिकली पापुलेटेड एरिया में है, यहां से उसको स्थानांतरित करने की योजना बनी थी। इसके बारे में सरकार का क्या सोचना है, क्या वास्तव में यह सरकार इस सेंट्रल जेल को यहां से स्थानांतरित करना चाहती है, करना चाहती है तो कहां स्थानांतरित करना चाहती है, कितनी जमीन उसके लिये देना चाहती है, उसके लिये फंड की क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में भी बताएं।

इसी प्रकार से एक योजना, बृजकिशोर जी बड़े प्रश्न पूछते थे जब हमारा राज था, जलमहल से जयगढ़ तक रोप वे बनाया जाएगा, क्या हुआ? मंत्री बनते ही चुप? अब उस रोप वे का क्या हुआ, क्या उसका भविष्य है? क्या रोप वे वास्तव में जयपुर में लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते, मुख्य मंत्रीजी को इसके बारे में भी बताना चाहिये।

कई पार्किंग प्रोजैक्ट की घोषणा की गई थी। रामलीला मैदान में पार्किंग के लिये एक प्रोजैक्ट तैयार किया था नगर निगम ने, क्या हुआ? जितने पार्किंग प्रोजैक्ट की घोषणा की थी, उन पार्किंग प्रोजैक्ट का क्या हुआ, मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी अपने रिप्लाई में इसके बारे में भी बताएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी पूछना चाहूंगा, जयपुर नगर निगम में जिस प्रकार महापौर भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रही हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई भी अधिकारी से उनकी पटरी नहीं बैठती, पांच-

(श्री कालीचरण सराफ)

पांच सीईओ का उन्होंने स्थानांतरण करवा दिया। सरकार ने घुटने टेक कर उनकी बात को मानते हुए पांच-पांच सीईओ, तीन तीन आईएएस, तीन-तीन आरएएस का स्थानांतरण कर दिया। और अब कोई प्राइवेट कारपोरेट कम्पनी हो जैसे, दो तीन दिन पहले हमारे महापौर जी का स्टेटमेंट आया कि मैं विज्ञापन जारी करूंगी सीईओ के बारे में, जैसे कि उनकी कोई व्यक्तिगत जायदाद है। नगर निगम सरकार के अंडर में आता है, वहां इस सीईओ साहब का क्या भविष्य होगा मुख्य मंत्रीजी यह भी बताएं? क्या इस बार भी सरकार महापौर जी के आगे नत मस्तक हो जायेगी या इस सीईओ को काम करने का मौका मिलेगा, इसके बारे में भी निश्चित रूप से बताये। मैं तो एक चीज और कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी भ्रष्टाचार के बडे खिलाफ हैं, आवाज उठाने वाले बनते हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि महापौर जी के इतने इतने भ्रष्टाचार के आरोप आईएएस आफिसर ने लगा दिये, वहां जो कमिश्नर थे उन्होंने लगा दिये, उन्होंने लिखित में दे दिया, क्या कार्यवाही हुई? मैं मांग करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां घोषणा करें यदि वास्तव में वह भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो महापौर के क्रियाकलापों की एसीडी से जांच करवाई जाएगी। इस बात की घोषणा करें। आज केवल यह कहकर कि अंकेक्षण विभाग से उसकी जांच होगी, लीपापोती करने का प्रयास नहीं करें। यदि वास्तव में आपको लगता है कि महापौर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिये और यदि मुख्य मंत्री जी अपने आप को पाक दामन साबित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसकी भी उन्हें जांच करनी चाहिये।

एक बात मैं और पूछना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से, जयपुर के पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान क्या होना चाहिये? हमारे राज में हम बीसलपुर योजना में 1600 करोड़ रुपये खर्च करके बीसलपुर से जयपुर पानी ले आये और आज बीसलपुर की स्थिति क्या है? मानसून बढ़िया आ जाए तो बीसलपुर का बांध भर जाएगा, और नहीं हो तो बीसलपुर का पानी नहीं आएगा। पीएचईडी ने चंबल से बीसलपुर को जोड़ने की 1400 करोड़ की एक योजना बनाई थी, उस योजना के बारे में सरकार की क्या मंशा है, क्या करना चाहती है, क्या नीयत है? क्या पेयजल के स्थाई समाधान के लिये चंबल से बीसलपुर को जोड़े जाने की बात सरकार के ध्यान में है, इसके बारे में भी वह निश्चित रूप से बताए। जैसा आज सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुबह बताया था कि जयपुर में 1500 कालोनियां इस प्रकार की हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री कालीचरण सराफ)

दो-तीन मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: 35 मिनट हो चुके हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 1500 कालोनियों को किस प्रकार से पेयजल से जोड़ा जाएगा? वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात करते हो, आज चेन्नई में 98 परसेंट लोगों को पेयजल उपलब्ध होता है जलदाय विभाग की ओर से, बैंगलोर में 95 परसेंट लोगों को पेयजल उपलब्ध होता है जलदाय विभाग की ओर से, चंडीगढ में 100 परसेंट जल उपलब्ध होता है जलदाय विभाग की ओर से। और जयपुर में केवल 60 परसेंट लोगों को। 40 परसेंट लोग आज भी निजी लोगों के रहमो- करम पर पानी पी रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्रीजी बजट भाषण पर रिप्लाई करें तो इसके बारे में भी निश्चित रूप से वह बताएं।

अब आपने घंटी बजा दी इसलिए मैं ज्यादा लम्बा समय नहीं लेकर अंत में यही कहना चाहूंगा कि यह बजट महंगाई बढाने वाला है, प्रदेश को कर्जे में डुबोने वाला है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, व्यापारी विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी और आम-अवाम विरोधी है। पिछले तीन सालों में बिना किसी विजन के राज के संचालन का यह परिणाम है कि जहां हमारे राज में राजस्थान विकासशील राज्यों की श्रेणी में आ गया था, आपने पुनः इसे बीमारू राज्यों की श्रेणी में ला दिया। इसलिए मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं, आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जो मुख्य मंत्री भी हैं, उन्होंने 2012-13 के लिये जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। सभापति जी, किसी भी राज्य का, देश का बजट जो सरकार पेश करती है, जो व्यक्ति पेश करता है, जो पार्टी पेश करती है उसका विजन क्या है, वह सारा विजन उस बजट में दिखाई देता है। पिछले तीन और यह चौथा बजट जो आदरणीय अशोक जी गहलोत ने पेश किया है यह उनकी विचारधारा का एक प्रतिछाया रूप है। उनके विचार गांधीवादी, जिसके लिए बार-बार गांधी जी का नाम लेकर ये उनको संबोधित कर रहे हैं, उनकी तरफ बात कर रहे हैं। उस

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

गांधी का जिस गांधी जी ने ये कहा था कि अगर आप किसी गरीब का भला करना चाहते हैं तो यह देखो कि जो काम आप करना चाहते हैं, जो स्टैप आप लेना चाहते हैं उस कदम से पंक्ति में आखिरी में खड़े व्यक्ति को आप लाभ पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। उस विजन को लेकर बजट तैयार किया गया है। उसी संबंध में गरीबों, समाज में पीछे खड़े हुए लोगों, दलितों, शोषितों, जिनको कोई पूछने वाला नहीं हो, उनकी बातचीत करने के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था :- "The greatest man of our generation Mahatma Gandhi has to wipe every tear from every eye, as long as there are tears, the work will not be over." यह सिद्धान्त हमने बनाया, हमारी पार्टी ने बनाया, हमारे नेता ने कि लगातार उस गरीब की मदद करते रहो जब भी आपको मौका मिले। उन्होंने इसी सिद्धान्त के आधार पर यह बजट बनाया है। यह बजट जिसके बारे में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं और विचार प्रकट कर रहे हैं हमारे विरोधी पक्ष के आदमी, इनको कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं, इनको कोई बातचीत नहीं मिल रही। ये उत्तर दे रहे हैं तो केन्द्र के बजट का उदाहरण दे रहे हैं। ये लफ्फाजी और आंकड़ों के बल पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह बजट मूल भावनाओं से हटकर बताया जा रहा है। मगर मैं आपको बताता हूं जो समाचार पत्रों ने लिखा है। समाचार पत्रों ने लिखा है जो हमेशा यह लिखते थे कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है। एक अख़बार ने लिखा है कि जो इन लोगों का विचार है कि वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है, इस बजट ने इन लोगों के इस विचार की हवा निकाल दी है। मैं आपको आगे और बताना चाहता हूं, यह कह रहे हैं कि यह चुनावी बजट है। अभी आपने चुनावी बजट देखा ही कहां है। दो साल हैं चुनावी बजट के पहले। और यह बजट ऐसा बनाया हुआ है कि पूरे राजस्थान के नक्शे को लिया जाए और किसी भी विद्वान को, किसी भी अर्थशास्त्री को यह कह दिया जाए कि आप इसमें ढूंढो कि राजस्थान के किस क्षेत्र का विकास यहां पर नहीं लिया गया है। आप ढूंढो, किस वर्ग को नहीं लिया गया है। आप ढूंढो, किस संस्कृति और कला संस्कृति के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, कौनसा ऐसा काम है जिसमें हर व्यक्ति को छूकर यह बजट नहीं बनाया गया है, तो आप यह बात नहीं निकाल सकते। इसलिए आप इसको यह कहो कि यह चुनाव का बजट है, अभी आपने चुनाव का बजट नहीं देखा है। अभी तो आप जो मजाक करते थे, उसकी हवा निकली है। जब दो बजट और देखोगे, तब आपको

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

मालूम पड़ेगा कि चुनावी बजट क्या है। तब आप पूरे अपने शासन काल की बात को देखकर याद करेंगे कि आपने बातें की हैं, आपने घोषणा की है, आपने असत्य बोला है, आपने हर काम को अपना काम बताया है, आपने हमारी योजनाओं को अपना बताया है। मगर हमारे नेता ने यह नहीं कहा। हमारे नेता ने गरीब की तरफ देखा। गरीब के चेहरे को देखा, उसकी बीमारी को देखा, उसकी भूख को देखा और वह देखकर सारी योजनाएं बनायी हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछड़े और गरीब लोग रहते हैं, राजस्थान की पूरी भूमि, उधर रेगिस्तान है, मीलों दूर गांव बसे हुए हैं। झोंपड़ी-झोंपड़ी में जब प्रसव के समय में औरतों को परेशानी होती थी मुख्य मंत्री ने उस बात को अपने दिमाग में रखा और उन्होंने 12 सितम्बर, 2011 को राजस्थान जननी शिशु योजना की शुरूआत की। शुरूआत में महिलाओं की, शिशुओं की जांच है, दवा है, सामान देना है, खर्चा देना है, लाना है, ले जाना है और उसके बाद में भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी क्षेत्रों को 1000 रुपये देकर उनके आंसू पौछना है जिनको आज तक किसी ने पूछा नहीं था। इस योजना की आप आलोचना करके कर रहे है। जिनके पास गांठ में पैसा नहीं था, जो झौंपडी में दूर जगह रहकर अपना इलाज नहीं करा पाते थे, उन लोगों की इस योजना का मजाक करके आप गरीब का मजाक कर रहे हैं। आप उन महिलाओं का मजाक कर रहे हैं, उन बच्चों का मजाक कर रहे हैं जो इस दुनिया में आये हैं जिनको जिंदा रखने के लिए हमारी सरकार, हमारा बजट, हमारा नेता पूरी कोशिश कर रहा है।

मैं इसी सम्बन्ध में एक बात और कह देना चाहता हूं, जो नि:शक्त शिशु जन्म लेते हैं इनकी पूरे देश में योजना बनी और योजना बनने के बाद में उन्होंने इस तरह के अस्पताल बनाये कि जब तक वे बच्चे ठीक नहीं हो जाएं, उनको वहां रखा जाए, सारे यंत्र लगाये जाए। इस तरह की पहली योजना सबसे पहले हिन्दुस्तान में, राजस्थान में गुलाब नबी आजाद ने आकर चालू की। मुझे यह बात बताने में प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और दुर्रू मियां के प्रयत्न से, मेरे यहां जब अस्पताल बना बच्चों का, 50 लाख रुपये की योजना शुरू हुई, उससे पहले सवाई माधोपुर में सौभाग्य मिला था मुझे उसका उद्घाटन करने का। आज वहां जितने पलंग पड़े हैं, एक-एक पलंग पर तीन-तीन बच्चे इस दुनिया में आये हैं। जब वे जिंदा रहेंगे, उनका प्रतिशत बढ़ेगा

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

तब मालूम पड़ेगा कि यह योजना जिस आदमी ने बनाई है और बजट में प्रावधान रखा है, यह उन लोगों को जिंदगी देने के लिए है।

दूसरी बात, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना की बात आई है और उसकी आलोचना करने में यह बताया गया है कि दो लाख गरीबों को सहायता दी जाती है। आपकी आलोचना करने का कोई कारण नहीं है। आप बताने लगे कि वहां पर मौत हो गई है, दवाएं खराब मिलती हैं इसलिए यह योजना कारगर नहीं होगी। आप कृपा करो, यह योजना बंद करके इन लोगों को सुविधाएं देना बंद कर दो। मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि मित्र ही नहीं, समझदार लोग ही नहीं, दुश्मन भी इस योजना की तारीफ कर रहे हैं। आप ही के एक महामंत्री ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से कहो, इन योजनाओं की अपने गांवों में जाकर मदद करो। ऐसी योजना है, अगर आपने मदद की तो अपने वोट बढ़ सकेंगे। हमारी योजनाओं को जब आप वोट देने की बात कर रहे हैं तो हमें आप बता देना, इन योजनाओं को पूरा हो जाने दो, उसके बाद में आप राजस्थान में किसी से कुछ कहने योग्य नहीं रहोगे। जनता से आप लफ्फाजी करके असत्य बात कहोगे, जनता आपको बाहर निकाल देगी। हमारे मुख्य मंत्री ने कहा कि ये योजना हमको सरकार में दुबारा लाएगी। अगली बार मुख्य मंत्री देखना, आप जो ये सपने देख रहे हो, आपके ये सब सपने धरे रह जाएंगे। मरीजों को, जो बीपीएल लोग हैं उन लोगों को मदद के लिए इस सरकार ने बजट रखकर बहुत ही बढ़िया काम किया है और देश में एक आदर्श प्रस्तुत किया है।

एक योजना हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और चालू की है मुख्य मंत्री आवास योजना। मेरे मित्रों ने बताया है कि 3400 करोड़ रुपये से 10 लाख मकान गरीबों को दिये जाएंगे। आपको यह अच्छा नहीं लग रहा। आप उनको कच्ची झोंपड़ी में ही रहने देना चाहते हैं, आप उनको पक्की छत नहीं दिखाना चाहते। आप यह कहते है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं कहा, मैं स्वयं इस योजना को देखना चाहता हूं, मेरे सारे मिनिस्टर देखेंगे, मेरे सारे सैक्रेटरी देखेंगे और मौके पर जाकर देखेंगे। सबसे पहले मुख्य मंत्रीजी जहां गये सवाई माधोपुर में, मैं उनके साथ था। एक कच्ची बस्ती में जाकर देखा। एक हरिजन महिला, एक बुजुर्ग महिला, एक फकीर के घर की छत देखी, उनके आखों में आंसू आ गये।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

उन्होंने देखा, यह कैसी स्थिति है। जिन लोगों के कच्ची झोपड़ियां थीं, जिन लोगों ने कभी सपना नहीं सोचा था। आप इस योजना की आलोचना करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि हमने योजना बनाई है? आप पूरे राजस्थान में मुझे ले चलिये और बता दीजिए कि हमारे टाइम में गरीब के पक्का मकान बनाया था। आप अगर आलोचना करते हैं तो आलोचना का तरीका निकालिए। आप गरीबों के लिए घड़ियाली आंसू मत बहाइये। आप यह देखिये कि इस तरह की एक योजना देश में थी-इंदिरा आवास जो 22 साल में लोगों के मकान की आवश्यकता पूरी करती, उसको उन्होंने 3 साल में पूरा करने की योजना बना ली। क्या गलत किया? 10 लाख मकान देने के लिए क्या गलत कर दिया? मैं आपको बताता हूं कि आलोचना आलोचना की तरह होनी चाहिये। आप गरीबों की बात करते हैं, आप शोषितों की बात करते हैं, पीड़ितों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको मदद की जरूरत है तो आपको ऐसी बातों पर आलोचना करने से परहेज करके इन बातों की तारीफ करनी चाहिए। यह मैं स्वीकार करता हूं कि कोई भी कार्य करिये आप, कमी रहेगी। यह भी स्वीकार करता हूं कि काम करने वाले कारिन्दों की भी कुछ गलती होती है। यह भी स्वीकार करता हूं कि योजनाओं में कुछ कमी हो सकती है। मगर ये वे योजनाएं हैं जो प्रदेश का भविष्य बदलेंगी। गरीबों का भविष्य बदलेंगी। उनको एक नई जिन्दगी देंगी। परम्परा रही है हमारी पार्टी की कि गरीबों की, आम आदमियों की भलाई करो, जो कोई अभावग्रस्त हैं उनकी मदद करो।

एक बनाई गयी मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना। क्या गलत हुआ इसमें? आप आटे को लेकर कह रहे हैं कि आटा सड़ा हुआ है। आप गेहूं को लेकर कह रहे हैं कि इसमें कीड़े पड़े हुए हैं। आपको और कुछ दिखता ही नहीं है? अच्छाई तो आपको दिखती नहीं है। हजारों आदमी, लाखों आदमी गेहूं ले जाकर अपने घर पर रोटी बनाकर उपयोग कर रहे हैं, वह आपको दिखता नहीं है। आपको दिखता है कि पिसाई में दो पैसे कहां गये। इस तरह से किसी योजना की आलोचना करके उस योजना के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। याद रखिये 10 मई, 2010 से चालू की गई, यह योजना लोगों को दो रुपये किलो अनाज देकर लाखों लोगों के भविष्य को सुधार रही है। हमारी

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

यह योजना जिसका बजट में पैसा रखा गया है, वह लोगों को बहुत ही फायदा देगी।

मैं अल्पसंख्यकों के बारे में भी कुछ बात कहना चाहता हूं। इस बजट में अल्पसंख्यकों के लिये अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के द्वारा 15 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। चार प्रतिशत ब्याज इस पर मिलेगा और वह भारत सरकार देगी इन लोगों को काम धन्धा करने के लिये। बार-बार यह कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते। इस तरह से लोग ऋण लेंगे, ब्याज इन पर नहीं लगेगा और अपने धन्धे प्रारम्भ कर सकेंगे। वक्फ बोर्ड के लिये भी पहले 45 लाख रुपये, फिर 50 लाख रुपये, फिर 50 लाख रुपये अनुदान दिया गया है। सरकारी भवन, यह बहुत पहले की बात है, महत्वपूर्ण जगह पर वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं और अब भी बन रहे हैं। हमने बहुत पहले यह मांग उठाई थी कि ये भवन बने हैं तो चूंकि अब इसमें मालिकाना हक तो नहीं आ सकता, आप इसका किराया दीजिए। बार-बार मीटिंग होते-होते इनका पांच करोड़ रुपये तय किया गया, पांच करोड़ रुपया अग्रिम देकर तीन करोड़ से ऐसा फण्ड बनाया जाएगा ताकि वक्फ बोर्ड अपने पांवों पर खड़ा हो सके। मदरसों के आधुनीक करण के लिये भी एक नई योजना मुख्य मंत्री मदरसा योजना बनाई गई है। मदरसे जब चालू किये गये, हमारा मकसद बिलकुल अलग था, मगर मैं यह बात कहना नहीं चाहता हूं। मदरसे हमारे समय जो चालू किये गये थे, पहला चेयरमैन मुझको वहां पर बनाया गया। मकसद यह था कि जहां पर कोई स्कूल नहीं हो, कोई भी आदमी 40 बच्चे लेकर बैठ जाए, उनको पढ़ाए। क्योंकि जब तक इनको नहीं पढ़ाएंगे, मुख्य धारा में नहीं मिल पाएंगे। इसलिये मदरसों के लिये भी एक हजार पैरा-टीचर्स रखना, और एक हजार कम्प्यूटर के आदमी रखने का प्रावधान किया गया है। उससे पहले भी एक हजार और डेढ़ हजार रख चुके हैं। इस तरह से मदरसे भी नई तालीम से मुख्य धारा में बहकर तरक्की कर पाएंगे। एक अनुप्रति योजना बनाई गई है। माइनोरिटी के लोग बार-बार यह कहते थे कि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., दूसरे लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे हम लोगों को नहीं मिलती हैं। मुख्य मंत्रीजी ने अनुप्रति योजना बनायी जिसके तहत वे लोग जो आई.ए.एस., आई.पी.एस., आर.ए.एस. की परीक्षा में आते हैं, एक लाख रुपया और 50 हजार रुपया दूसरों को मिलता है, उनको भी मिलने

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

लग गया है और हमें यह कहते हुए खुशी है कि इस वक्त 49 छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं। यह पहली बार ही दिया गया है।

मैं यहां यह बात और कहना चाहता हूं, माइनोरिटी के सम्बन्ध में। 6 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, मैं मांग करता हूं कि और राज्यों की तरह तथा केन्द्र की तरह एक उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय की राजस्थान में स्थापना की जाए, साधन जब भी हों। वह यूनिवर्सिटी यहां रहेगी तो विदेशों में जाकर लोगों को नौकरी मिलेगी इन लैंग्वेजेज में दूसरे लोग यहां पर पी.एचडी. करने के लिये आएंगे और उससे बड़ा जबरदस्त लाभ होगा। मैं मांग करता हूं कि ऐसा हो। आप कितना भी माइनोरिटी को साधन दे दीजिए, आप कितनी भी सुविधाएं दे दीजिए, मगर आज वे इस स्थिति में नहीं हैं कि कम्पीटीशन करके नौकरी में लग जाएं। मैं यह भी आज मांग करता हूं कि जिस तरह से केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, अन्य राज्यों और केन्द्र में नौकरियों में कुछ प्रतिशत माइनोरिटी को दिया गया है, उस तरह से यहां भी माइनोरिटी को कुछ प्रतिशत आरक्षण के रूप में दिया जाए ताकि नौकरी में दूसरों के मुकाबले में वे आ सकें।

पेयजल मुहैया कराने के बारे में बड़ी जबरदस्त सुविधाएं दी गयी हैं। मेरे यहां सवाई माधोपुर में एक पालीघाट की योजना बनाई गई थी, मेरे साथी जो गला फाड़-फाड़ कर यह कह रहे थे कि योजना तो हमने बनाई है, उसका नाम बदल दिया गया है तथा लाभ और यश ये ले रहे हैं, मैं उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान में यह सबसे उत्तम उदाहरण होगा, यह दिखाने के लिये कि राजनीतिक विद्वेष के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। देखिये, सवाई माधोपुर में एक पेयजल योजना बनाई गई थी, पालीघाट, 243 रुपये की योजना और ज्योंही सरकार बदली, मुख्य मंत्री महोदय ने उसका उद्‌घाटन कर दिया, मैं उसमें मौजूद था। वहां पर बोर्ड लगा दिया गया, वहां एक दफ्तर बना दिया गया और उसका उदघाटन कर दिया गया। मगर ज्योंही सरकार गयी, दूसरी सरकार ने उस योजना को बिलकुल बंद कर दिया और बदल दिया। आप भी आरोप लगा सकते हैं कि बदल दिया गया होगा। मगर पूरे देश के किसी विद्वान या विश्व के किसी विद्वान को यहां बुला लिया जाए कि यहां पर चम्बल नदी है, यह सवाई माधोपुर है, 42 किलोमीटर दूर है और मण्डरायल 165 किलोमीटर दूर, यहां से पानी वहां ले जाया जाए और 165 किलोमीटर दूर लाकर सवाई माधोपुर में पानी लाया जाए तो कभी

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

नहीं आ पाएगा। इस तरह का जबरदस्त अन्याय आपकी सरकार ने हमारे साथ में किया था। आज जनता को याद है कि आपने किस तरह से उस योजना को खत्म किया। खत्म क्यों किया? कई लोग कह लेंगे, आपका अधिकार है। अधिकार खोकर बैठे रहना, यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ में अपने बंधु को भी दण्ड देना धर्म है। आपको अधिकार मांगना चाहिए। मगर मेरे अधिकार की बात सुनिये, चम्बल नदी मेरे बिलकुल पास से होकर निकलती है, बनास नदी सवाई माधोपुर के इस तरफ से निकलती है। चम्बल में आपने कई बांध बना लिये, बीसलपुर आपने बनास पर बना लिया। जो पानी सदियों से वहां होकर निकलता था, आज वहां एक बूंद पानी नहीं निकलता और लड़के वहां क्रिकेट खेलते हैं। पानी की योजना वहां बन नहीं सकती है। आप मांग कर रहे हैं, हमें ला दीजिए, हमें ला दीजिए। हमने कभी यह मांगा नहीं। मगर हम यह कहते हैं कि पानी आप कहीं भी ले जाएं, प्रकृति का यह न्याय है कि जिसके हिस्से का आप पानी छीन रहे हैं और ले रहे हैं, पहला हक उस पानी पर उन लोगों का होता है। हम चाहते हैं कि किसी तरह की व्यवस्था और योजना बनाई जाए और अगर नहीं बने तो पानी की ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए। जो पानी का घर रहा हो, जहां पर पानी के सोते बहते हों, विश्व के लोग आज भी घूमने आते हैं, वहां इस तरह की स्थिति के लिये मैं मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई बात निश्चित रूप से होनी चाहिए। हमारे यहां गेम सैंक्चुरी के लिये भी कुछ पैसा रखा गया है, वहां पर जंगल लगाने के लिये पानी संग्रह करके लाया जाएगा। मगर मैं इस मौके पर यह कहता हूं, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, हर एक-दो महीने बाद टाइगर एक न एक आदमी को खा जाता है। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है उनको समझाने में। पहले 50 हजार रुपये देते थे, हमने एक लाख करवाया, फिर पिछली बार कहकर दो लाख करवाया। मैं आज मांग करता हूं कि अगर गेम सैंक्चुरी इलाके में किसी भी व्यक्ति को जंगली जानवर खा ले तो उसको कम से कम पांच लाख रुपये का मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। वे लोग गेम सैंक्चुरी को अपनी जान को जोखिम में रखकर, अपने विकास को खत्म करके सहे हुए हैं। इतनी-सी मांग और इतनी-सी मदद कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। उस गेम सैंक्चुरी की वजह से पानी की स्कीम गयी, तेल शोधक कारखाना गया, गड़ेपान खाद का कारखाना चला गया। कारखाने लग नहीं सकते हैं। दुनिया में आजकल प्रदूषण विहीन सैकड़ों कारखाने लगने

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

लग गये हैं। नया जमाना आ गया है विज्ञान का, सरकार को सोचना चाहिए और ऐसे कारखाने जिनसे कोई रोजगार मिल सके, उनको लगाने की बात की जानी चाहिए।

एक बात और, हैरिटेज के बारे में इस बजट में काफी गुंजाइश रखी गई है मगर इस हैरिटेज के मामले में एक ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहता हूं। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाला हमारा मुल्क है, दुनिया उनका नाम लेती है। महाराष्ट्र और गुजरात के कदम-कदम पर महात्मा गांधी गये, वे जहां गये वहां पर पार्कों में उनके स्मारक बने हुए हैं। राजस्थान से महात्मा गांधी चल कर निकल गये हों, मगर महात्मा गांधी जहां एक जगह गये वह सवाईमाधोपुर था। जब वह जा रहे थे पंजाब में आंदोलन करने के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद 1919 में मथुरा लाया गया, रात को बैरक में मथुरा रखा गया और जब कोई गाड़ी नहीं थी तो मालगाड़ी में बैठाकर सवाईमाधोपुर लाया गया और चार घंटे उनको वहां पर रखा गया। बाम्बे से फ्रंटियर मेल से कैप्टन बोरिंग आये और आने के बाद उनको वहां से ले गये। उसके बाद पूरे देश में आंदोलन चालू हो गया। मेरी मांग है कि वहां पर गांधी हैरिटेज के नाम पर, गांधी स्मारक के नाम पर गांधीजी की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए और कोई ऐसा स्मारक बनाना चाहिए ताकि राजस्थान के लोग याद रखें कि उस आंदोलन में सबसे बड़ा महत्व देने वाला व्यक्ति वहां पर आया था और उसको गिरफ्तार किया गया था। मैं इस समय यह मांग करना चाहता हूं।

डी.एल.सी. रेट के बारे में बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें की गई हैं। नहीं उखाड़ना चाहता गड़े मुर्दे। क्यों उखाड़ूं? आप तो फिर भी धनवानों को, पैसे वालों को मदद करके गरीबों की, किसानों की जमीन लेकर उनको देना चाहते हैं। वही 90-बी जैसी स्कीम फिर कराना चाहते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि किसान की जो जमीन हो पूरा पैसा उसको मिले और जो स्कीम बने उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। इस तरह की स्थिति हमारी सरकार चाहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस, मैं तो बहुत अनुशासित आदमी हूं। इस बजट के बारे में एक प्रतिक्रिया किसी अख़बार से मैंने पढ़ी है। कोई मेरे मित्र ने लिखी है कि यह बजट ऐसा है कि मूसा लिखे और ईसा पढ़े। आपने भी पढ़ी होगी। मगर यह

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

सही है कि वह क्या पढ़ेंगे, उनको क्या बजट लगेगा, बजट पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए इसमें। पूरे क्षेत्र के ... (व्यवधान) आप ताली क्या बजाते हो? आप यहां बात कर लो या बाहर बात कर लो, पूरा क्षेत्र, पूरे लोग, पूरा इलाका, पूरी समस्या, विकास की पूरी सम्भावनाएं इस बजट में रखी गई हैं। यह बजट आज तक राजस्थान के इतिहास में बने हुए बजटों में सर्वोत्तम बजट है और अगर कोई मुझसे बहस करना चाहे तो यहां पर भी और बाहर भी बहस कर सकता है। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया कि मैं उनके पक्ष में अपनी बात कह सकूं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कमला कस्वां।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, 26.3.2012 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, दो दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष से बजट पर बहस हो रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।

दो दिन से जिस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष का हर वक्ता नि:शुल्क दवा वितरण की चर्चा किये बिना अपना भाषण शुरू नहीं करता। क्या है यह योजना? कैसे इसका क्रियान्वयन हो रहा है? क्या इस पर कभी आपने सोचा है, विचार किया है? आज आप अस्पतालों में जाइए, पहली बात तो उस गरीब को पता ही नहीं है कि कितनी दवाइयां नि:शुल्क मिलती हैं। न उन दवाइयों के वह नाम जानता है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा नम्बर था।

श्री सभापति: आप अपने स्थान पर जाएं पहले तो। आदरणीय सदस्या बोल रही हैं और आप बीच में। और अब आप उनको क्रास करेंगे, यह भी गलत है। अब विराजिए आप। (व्यवधान) आप अभी विराजें। आसन ने इस बात की इजाजत नहीं दी है कि कोई भी सम्माननीय सदस्य बोल रहा हो, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि उस सदस्य की अहमियत और उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप कम से कम कोई बीच में व्यवधान नहीं डालें। वह जब बोल चुकें, उसके बाद में आप अपना प्रश्न करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह पूछना चाहता हूं कि शायद आपके पढ़ने में गलती हो गई। मेरा नाम था।

श्री सभापति: नहीं, मैंने पढ़ने में गलती नहीं की, चश्मा भी लगाता हूं, मुझे ठीक से दिखता भी है। आसन कहीं गलती नहीं करता। नाम आपका जब आएगा, तब आएगा। कृपया आप प्रतीक्षा करें।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): मुख्य मंत्रीजी ने एक घोषणा की थी कि 400 दवाइयां हम नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज अस्पतालों में कहीं 100 दवाई, कहीं 150 दवाई, कहीं 200 दवाई और वह दवाई भी डाक्टर पर्ची में लिखे तब ही उस गरीब को मिलती है। और डाक्टर क्या अस्पताल में है? आप किसी भी राजकीय अस्पताल में चले जाइये, आपको ड्यूटी पर डाक्टर नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो उस गरीब को पर्ची पर यह लिख देंगे कि तू घर आ जाना और घर आकर जब वह दिखाएगा तो उसको अपने घर में जो दवा की दुकान उसने खोली हुई है, उसमें उपलब्ध दवाइयां वह उस प्रैस्क्रिप्शन पर लिखता है।

अभी कुछ ही दिन पहले माननीय चिकित्सा मंत्रीजी हमारे जिले के दौरे पर आये और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी रात साढ़े नौ बजे पहुंचे जबकि पांच बजे पहुंचना चाहिए था उनको समय के अनुसार। लेकिन मंत्री हैं, देर हो गयी। गांव के लोगों ने उनसे शिकायत की कि इस अस्पताल में डाक्टर उपलब्ध नहीं होते, दवाई नहीं मिलती। ऐसी योजना आपने बना दी, बहुत अच्छा किया, गरीब को दवाई मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी? क्या आपने इस बात की मानिटरिंग की कि डाक्टर आपको वे दवाइयां लिख रहे हैं, गरीबों को उपलब्ध हो रही हैं? जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय तक दवाई आने में कितना समय लगता है? एक दवाई खतम हो जाए तो वह जिला मुख्यालय को लिखते हैं कि हमारे पास यह दवाई खतम हो गई और जब तक जिला मुख्यालय वहां भेजे और राज्य सरकार को लिखे, वहां से आये, दस दिन का समय लग जाता है। गरीब को वह दवाई उपलब्ध नहीं होती।

आप बड़े गर्व से कह रहे हैं कि दो लाख मरीजों को यह नि:शुल्क दवाई मिल रही है। यह गर्व करने का विषय नहीं है। यह शर्म का विषय है कि हम अपने प्रदेश में मरीजों की संख्या देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। क्या हमने कोई ऐसी कार्य योजना बनाई कि हमारे प्रदेश में मरीजों की संख्या कम हो, बीमारियां कम हों, ऐसा वातावरण हो कि लोग स्वस्थ रहें, उनको बीमारियों से निजात मिले? दवाई दे देना ही किसी के शरीर को स्वस्थ करना नहीं है। ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाना कि मरीज ही नहीं हो। बीमारी पैदा नहीं हो, यह बहुत जरूरी है। क्या इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान रखा है कि हम अपने

(श्रीमती कमला कस्वां)

प्रदेश को स्वच्छ, सुन्दर और ऐसा खुशहाल बनाएंगे, ऐसा वातावरण पैदा करेंगे, ऐसा पोषाहार देंगे, ऐसी खाद्यान्न की क्वालिटी पैदा करवाएंगे कि हमारा नागरिक स्वस्थ ही पैदा हो और स्वस्थ ही रहे।

आज आप बाजार में खाद लेने जाओ, मिलावटी। बीज लेने जाओ, मिलावटी। खाद्यान्न लेने जाओ तो वह तो आपकी मेहरबानी से ऐसा आटा मिल रहा है जिसको जानवर भी नहीं खाता। पशु भी नहीं देखना चाहता उसको। उस फोर्टिफाइड आटे को आप 10 किलो भेज रहे हैं। जो आप कहते हैं कि हम खाद्यान्न दे रहे हैं दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से, वह भी आपने जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया है जिसकी कोई हद नहीं है।

हमारे समय में 35 किलो गेहूं मिलता था 4 रुपये 67 पैसे के हिसाब से। आप 25 किलो गेहूं दे रहे हैं 2 रुपये किलो के हिसाब से। 50 रुपये लग गये। बाकी जो वह 15 किलो गेहूं बाजार से लेगा वह 12 रुपये किलो मिलेगा और उसका पैसा उसको साढ़े छह रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। और अब तो आपने हद कर दी कि उस 25 को भी 15 कर दिया। दस किलो वह आटा दे रहे हैं जो कोई लेता नहीं है। तो यह भी आपने जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, आपने जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस योजना के साथ-साथ गरीब का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, उसको तकलीफ नहीं हो, उसको बीमारियों से निजात मिले, इस विषय में भी अपने बजट में प्रावधान करना चाहिए था और इस विषय पर भी कोई कार्य योजना बनानी चाहिए थी।

(16.00 बजे)

दूसरी सबसे बड़ी योजना, जिसके बारे में मुख्य मंत्रीजी और सत्ता पक्ष के लोग बार-बार चर्चा कर रहे हैं मुख्य मंत्री ग्रामीण बी पी एल आवास योजना, क्या आपने जाना है कि यह कैसे होगी? इंदिरा आवास योजना का पैसा केन्द्र सरकार से आता है और इस योजना का पैसा हुडको से ऋण लेकर उपलब्ध कराया गया है, हुडको का ऋण कौन देगा? जिला परिषद। जिला परिषद कहां से देगी? निजी आय तो है नहीं, ठन ठन गोपाल। एस एस टी, टी एफ सी की अनुदान राशि जो उसको मिलती है, उससे यह ऋण चुकाया जाएगा। जिला परिषदें, पंचायती राज संस्थाएं आज निजी आय के अभाव में आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं, उन पर यह अतिरिक्त बोझ डालकर मुख्य मंत्रीजी क्या संदेश देना चाहते हैं, मेरे तो समझ में आया नहीं। 50 हजार

(श्रीमती कमला कस्वां)

रुपये देकर आप गरीब को यह कहो कि तू तेरा मकान बना ले आज इस सदन में 200 विधायक हैं, एक भी विधायक 50 हजार में एक कमरा बनाकर दिखा दे, मैं मान जाऊंगी कि यह योजना बहुत अच्छी और सही योजना है। अच्छा होता कि आप एक कमरा उसको बनाकर देते। तब आपको पता लगता कि एक कमरे को बनाने में डेढ़ लाख रुपया लगता है। ऐसी योजना जो गरीब को और गरीब बना दे, कर्जवान को और कर्जवान बना दे, मैं समझती हूं, राजस्थान के ग्रामीणों के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक है, इस मजाक को बंद कीजिये।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, जिसका मुख्य मंत्रीजी ने भी बड़ी शान से उल्लेख किया है, कि हमने पांच विभाग पंचायती राज को सौंप दिये हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आपने पांच विभागों का बोझ हल्का करके, पांचों विभाग एक ही विभाग को दे दिये, पंचायत राज को। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? मुझे याद है, 2003 में जब अशोक जी ही मुख्य मंत्री थे, उस समय मैं पंचायती राज में एक छोटे-से पद पर थी, प्रधान थी। तब ऐसे ही 16 विषय मुख्य मंत्रीजी ने दिये थे। उन 16 विभागों में 4-5 विभागों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी गेंती-फावड़ा लेकर पंचायत समिति में आ गये। मैंने कहा, अरे भाई, यहां क्या करोगे कि हमको तो यहां भेजा है। काम क्या करोगे? आप बताओ। काम कुछ नहीं, बजट नहीं और उनके पास कोई उनका साधन नहीं। वे बेचारे बैठे रहे, उनको तनख्वाह नहीं मिली। मूल विभाग कह देता, आप पंचायती राज में चले गये, वह देगा। पंचायती राज कहे कि हमारे पास आपका बजट ही नहीं आया तो हम क्या दें। और आखिर में वह योजना फ्लॉप हो गयी। 2 अक्टूबर, 2010 को दुबारा ये पांच विषय दिये। अच्छा किया 16 नहीं दिये, पांच ही दिये। पर आज क्या स्थिति है? यहां सभी मंत्रीगण बैठे हैं- प्रारम्भिक शिक्षा का प्रश्न लगेगा तो शिक्षा मंत्री जवाब देंगे, पशुपालन का लगाओ, कृषि मंत्रीजी जवाब देंगे, महिला बाल विकास का लगाओ, महिला बाल विकास मंत्री इसका उत्तर देंगी। जब आपके विभाग का समन्वय हुआ नहीं, पंचायती राज को आपने दिये ही नहीं, पूरी तरह से वे कर्मचारी मूल विभाग से सम्बन्धित हैं, मूल विभाग से उसका वेतन उठ रहा है, मूल विभाग के प्रति वे उत्तरदायी हैं तो पंचायती राज में कैसे इसका समन्वय हुआ, कैसे उसको अधिकार दिये? अब एक सरपंच अगर ए एन एम की शिकायत कर दे कि यह काम ठीक नहीं करती तो प्रधान उसको रैक्टिफाई कर दे। प्रधान कह दे कि यह कर्मचारी या अध्यापक ठीक नहीं पढ़ा रहा है तो जिला परिषद में जिला प्रमुख उसको

(श्रीमती कमला कस्वां)

रैक्टिफाई कर दे। आपने इस तरह से पंचायती राज का मजाक क्यों बनाया है? पंचायती राज को अगर सशक्त करना ही था, उसको ताकत देनी ही थी तो आपने पिछले बजट में जो घोषणा की थी कि हम राज्य सरकार को मिलने वाले करों में पंचायती राज को उसका अंशदान देंगे, वह देना चाहिये था।

(16.04 बजे)

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

इस बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा। आपने कोई उल्लेख नहीं किया कि हम कितना कर, जो हमको मिल रहा है उसका कितना अंश पंचायती राज संस्थाओं को देंगे। आप कथनी और करनी में अन्तर मत रखो। जो आप कहते हो, उसको आप करके दिखाओ।

अभी सत्ता पक्ष के एक विधायक जी कह रहे थे कि आप में इतनी योग्यता नहीं है कि आप इस बजट को पढ़ सकें। अजी, पढ़ तो आप लीजिये, हम तो समझ रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है। पढ़ तो एक साक्षर भी लेगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। और समझने के लिये दिमाग की जरूरत होती है, जबान की जरूरत नहीं होती।

दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि मुझे समय बहुत थोड़ा मिलेगा। इसलिये मैं अपने मेन मुद्दे पर ही आ रही हूं। पंचायती राज में जब तक किसानों को हक न मिले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान को यह महसूस न हो कि तेरा भला हो रहा है, तुझे इस बजट से कुछ अच्छा मिलने वाला है, तब तक मैं इस बजट को अच्छा नहीं मान सकती, चाहे आप इसका आकार 33 करोड़ का कर लो, चाहे 63 करोड़ का कर लो। अच्छी चीज वह होती है जिससे गांव के अन्दर चौराहे पर बैठा हुआ साधारण आदमी उसे रिलीफ मिले कि हां, यह बजट आया तो तेरे पानी का सुधार हो गया, पीने का पानी मिल गया, तेरे कुए का कनेक्शन हो गया, तेरे बच्चे मई-जून की गर्मी में बिजली के अभाव में झुलसेंगे नहीं, वह पंखा तो चला लेंगे। ए.सी. नहीं है उनके पास, लेकिन पंखा जरूर है गांवों के अन्दर, तो पंखे की हवा ही खा लेंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है? गांवों में बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं, चलने को सड़क नहीं। वे सड़कें जो अटल बिहारी जी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई थीं, उनके बाद में हमारे क्षेत्र में एक इंच सड़क नहीं बनी। जो गांव नहीं जुड़े, वे नहीं जुडे। और जो सड़कें बनाईं, उनकी क्या

(श्रीमती कमला कस्वां)

हालत है? मंत्रीजी हमारे जिले में गये थे, वह खुद देखकर आये कि आज सड़क बनी और 15 दिन बाद ही उस सड़क के अन्दर गड्ढे हो गये। हालत यह है कि हर सीजन में गड्ढों से पटी सड़क अपना मूल स्वरूप कहां है, ढूंढती है। हर बार पैच का काम होता है और हर बार सड़क टूट रही है। अगर ऐसी ही सड़कें बनानी हैं तो बजट में जो 11 मेगा हाइवे की घोषणा है, जो आपने राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की है, उस घोषणा को बस्ते में रख दो। इस राज का पैसा खुद का पैसा नहीं है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, आप ऐसा घटिया निर्माण करके उस पैसे का दुरुपयोग न करें। आप बजट पर अपना जवाब दें तब यह जरूर कहें कि हमारी जवाबदेही होगी कि जो भी सड़कें बनेंगी, उनका मानक अच्छा रखा जाएगा, उनकी गुणवत्ता पर ध्यान रखा जाएगा और उनकी मोटाई 20 एम एम पी नहीं हो। आज आप कारपेट 20 एम एम का मंजूर करते हैं, उस पर जब इतने साधन जाते हैं तो वे सड़कें टूट -फूटकर खत्म हो जाती हैं। 80 एम एम जो अटल बिहारी जी वाजपेयी की ग्रामीण सड़कों का मानक है, उसी के अनुरूप अगर आप अपने राज मार्गों, मेगा हाइवेज का मानक रखेंगे तो ही सड़कें अच्छी बनेंगी और हमको मिलेंगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, वह जहां भी बैठे हैं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनें। 20 नवम्बर, 2011 का दिन मुख्य मंत्रीजी कभी नहीं भूलेंगे। यही वह दिन है, जब इस राजस्थान सरकार की सुरक्षा में छेद हुआ और माननीय मुख्य मंत्रीजी के हैलीकाप्टर को मेरे विधान सभा क्षेत्र के चांदगोठी गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करके उतारा गया। पंखुडी टूट गयी थी। जिस हैलीकाप्टर की पंखुडी खराब हो, उसमें कैसे मुख्य मंत्री को बैठकर रवाना कर दिया गया? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर प्रशासन को देना चाहिये कि उनसे ऐसी चूक कैसे हुई? टैक्नीकल फाल्ट नहीं होना चाहिये था। जब वह वहां आये तो चांदगोठी के लोगों ने होश-हवाश में लाने के लिये उनको ठंडा-ठंडा पानी पिलाया, खेत में खाट डालकर उनको आराम करवाया। जब मुख्य मंत्रीजी थोड़े ठीक हुए तो बोले, बोलो कोई गांव की समस्या? तो गांव वालों ने कहा कि, मुख्य मंत्रीजी आप सड़क मार्ग से जाओगे भोरूका ट्रस्ट, वहां जाने के लिये आपको पिलानी-राजगढ़ की सड़क पर चलना पड़ेगा और यह सड़क खराब हालत में है, इसको आप साढ़े पांच मीटर चौड़ा करवा दीजिये। ताकि दो साधन साथ-साथ निकल सकें और हमारा

(श्रीमती कमला कस्वां)

भला हो जाए। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी कि आपका यह काम हो जाएगा, आपकी सड़क बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 16 सितम्बर, 2011 को सड़क मंजूर हुई, वह राजमार्ग है, वह 3.75 की सड़क थी और उतनी ही बनी। साढ़े पांच मीटर की नहीं बनी। मुख्य मंत्रीजी, जिस तहसील ने आपको दो बार जीवनदान दिया, एक बार पहले भी सुरखनियां में आपका हैलीकाप्टर खेजड़ी में अटक गया था और इस बार चांदकोठी में, आपको जीवनदान देने वाली तहसील को अपना किया हुआ वादा पूरा कीजिए, उस सड़क को साढ़े पांच मीटर कीजिए।

सभापति महोदय, अब सबसे बड़ी समस्या जो पूरे प्रदेश की है, पीने के पानी के ऊपर दो बात कहना चाहूंगी।

श्री सभापति: अब आप सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): सभापति महोदय, मैं दो मिनट ही लूंगी।

आपने इस बजट में 19 ऐसी परियोजनाओं का वर्णन किया है जिनमें पानी की समस्या को हल करने का वर्णन है। मेरे क्षेत्र की भी भयंकर समस्या थी, उसको हल करने के लिए आपने बूंगी-राजगढ़ जलप्रदाय योजना की घोषणा की है जिसके लिए 248 करोड़ रुपये आपने स्वीकृत किए हैं, बहुत धन्यवाद। लेकिन शर्म की बात है कि जो योजना 2008 में मंजूर हो गयी थी और जिसका हमको आज लाभ मिलने वाला था, उसको हठधर्मिता से आपने छह साल पीछे कर दिया। आप तीन साल का समय दे रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूं और आप भी जानते हैं कि सरकारी काम कछुए की चाल चलता है, धीरे-धीरे। अभी दो महीने में तो उसके टेण्डर भी नहीं हुए। वर्क आर्डर कब होंगे, कब काम चालू होगा और कब पानी हमारे क्षेत्र में आएगा? तब तक तो हम प्यासे मर जाएंगे। पानी की एक बूंद नहीं है क्षेत्र के अन्दर। सारी पाइप लाइनें टूटी पड़ी हुई हैं। कोई कुआ चालू नहीं है। कोई मोटर सही नहीं है। किसी भी हैण्ड पम्प में पानी नहीं आ रहा। सबमर्सिबल हरिजन बस्ती में बनाये गये थे, वे भी अब बन्द कर दिये कि आपके यहां तो बूंगी योजना आ रही है। रामलुभायाजी पता नहीं यहां बैठे हैं या नहीं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या ए सी वाले कमरे में बैठकर आप उस गांव के गरीब का दर्द महसूस कर सकते हैं जो पानी

(श्रीमती कमला कस्वां)

के लिए कोसों चलकर भी पानी नहीं पी पाता। पूरा का पूरा क्षेत्र डार्क जोन है। पानी की एक बूंद नहीं है। जो क्षेत्रीय योजनाएं हैं, वे नष्ट हो गयी हैं। आपणी योजना खत्म हो गयी है। आप कुओं के लिए मोटर नहीं देंगे, पाइप लाइन की मरम्मत नहीं कराएंगे, नये बोरिंग नहीं बनाएंगे, तब तक बूंगी योजना का काम होगा और तब तक मेरा क्षेत्र तो मर जाएगा। मैं भी शायद मर जाऊं क्योंकि पानी की कमी के कारण मेरे होंठ भी सूखने लगे हैं। पानी है नहीं मेरे क्षेत्र में। जब वही पानी नहीं पीए तो मैं कैसे पानी पीऊं। यह मैं सोचती हूं। सरकार को यह सोचना चाहिए कि किसी भी योजना को पूरा करने में समय लगता है। जब तक वह योजना पूरी हो, तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, आपसे पहले उपाध्यक्षजी कह रहे थे कि शुद्ध जल, मीठा जल, पीने के लायक पानी पहुंचाना, देना, उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि तब तक के लिए मेरे क्षेत्र के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें।

अन्त में दो ही लाइन कहूंगी। 1981 में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों का एक समझौता हुआ था और पंजाब और हरियाणा से हमको जो पानी मिलना चाहिए था 1.2, वह आज दिन तक नहीं मिला। उसमें से हमारे हिस्से का पानी 0.6 पंजाब दे नहीं रहा। हरियाणा भी 0.17 हमारे नोहर और सिद्धमुख क्षेत्र को मिलना चाहिए था, वह नहीं दे रहा। आज हम पानी होते हुए भी अपने गांव में सिंचाई से वंचित हैं। चौदह गांव मेरे क्षेत्र के लगते हैं लेकिन हरियाणा में जब पानी की बारी आती है तो हरियाणा के गांव के लोग मोटे-मोटे पाइप डालकर मोटर लगाकर पूरा पानी खींच लेते हैं। चोरी करते हैं। मेरे बार-बार निवेदन करने के बाद भी, यहां स्थगन लगाने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजस्थान के हक का पानी चाहे वह यमुना का हो, चाहे वह भाखड़ा का हो, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में एक शब्द भी नहीं कहा कि हम उस पानी को लाने का कोई प्रयास करेंगे। यह जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जब पानी ही नहीं होगा तो हम किससे तो सिंचाई करेंगे और क्या पीएंगे? इस विषय पर भी मुख्य मंत्रीजी जबाव दें तब अपना स्पष्टीकरण दें कि किस कारण से हमने इतने महत्वपूर्ण विषय को नहीं छुआ।

श्री सभापति: अब आप सम-अप करो, माननीय सदस्य। आपका काफी समय हो चुका।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): मैं ज्यादा नहीं कह रही। आप दो मिनट दीजिए। लोग तो बीस बीस मिनट बोलते हैं, आप दस मिनट के बाद ही घंटी बजाने लगे। प्लीज दो मिनट और।

आखिर में, महिला होने के नाते, राजस्थान में महिला कितनी सुरक्षित है, इस विषय पर बोलना चाहती हूं। आपने जोधपुर और जयपुर में कमिश्नरी बना दी, क्या अपराध कम हो गये? आज महिला चाहे अस्पताल में इलाज करवा रही हो, चाहे थाने में रिपोर्ट लिखा रही हो, चाहे बाजार में खरीददारी करने जा रही हो, कहीं सुरक्षित नहीं है। रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। थाने के अन्दर जब किसी लड़की की इज्जत तार-तार होती है तो मैं समझती हूं कि वह शासन शासन करने लायक नहीं है। डूब मरने की बात है कि जिस थाने के अन्दर हम रक्षा के लिए जाती हैं, वहीं पर हमसे दुर्व्यवहार किया जाता है और हमारी अस्मत तार-तार की जाती है। आप एक महिला थाना बनाने की घोषणा कर देते हैं कि जिले में एक महिला थाना बनेगा। क्या होगा जिले के अन्दर एक थाना बनाने से? क्या पूरे जिले की तहसीलों की महिलाएं उस थाने तक जा पाएंगी? आपको चाहिए कि आप इसकी व्यवस्था हर तहसील पर, हर थाने में करें। जो थाना उस तहसील में है वहां महिला डैस्क की व्यवस्था हो ताकि महिला उस महिला कर्मचारी को अपनी बात कह सके। आज एक थाने के अन्दर महिला जाती है तो वह शर्म के मारे सिपाहियों और थानेदारों से बात नहीं कर पाती है। उसको शर्म आती है। आज भी गांव की महिला इतनी आगे नहीं आयी है कि वह किसी के साथ जाकर बात कर ले। थानों में व्यवस्था कीजिए। कमिश्नरी में सुधार कीजिए। जयपुर में लड़कियों की रोजाना चेन लुट रही है। हम तो नकली जेवर पहनने के लायक भी नहीं रहीं क्योंकि उसको भी असली समझकर खींच लिया जाता है। गर्दन में चोट आती है और प्रताड़ित अलग होती हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि महिला की सुरक्षा का ध्यान रखिए।

आज राजस्थान के अन्दर लिंगानुपात कम होता जा रहा है, महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। दिन-रात भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। हमें पैदा होने का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। क्या हम आधुनिक युग में रह रहे हैं? इस स्थिति को देखकर मुझे मैथिलीशरण की पंक्तियां याद आती हैं, वह कहते थे, 'अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंखों में आंसू और आंचल में पानी। क्या हम इस युग को वापस लाएंगे? आज पचास साल बाद उस पंक्ति को याद करने से मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा है कि हम इतने बड़े सदन में

(श्रीमती कमला कस्वां)

बैठी हैं फिर भी महिलाओं को जो गांवों में बस रही हैं, सुरक्षा नहीं दिला पातीं। आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि महिला की सुरक्षा का ध्यान रखें और भ्रूण हत्या को रोकने के कारगर उपाय करें। सख्त सज़ा का प्रावधान करें। किसी डाक्टर का लाइसेंस बन्द कर देना या उसकी दुकान बन्द कर देना ही काफी नहीं है, उसको सख्त सज़ा दी जाए ताकि भविष्य में कोई कन्या भ्रूण में मरने को मजबूर नहीं हो।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा, राजस्थान की विधान सभा में उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान की जनता के लिए जो बजट पेश किया गया, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया। चाहे एस सी हो, चाहे एस टी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे गरीब हो और चाहे किसान हो, सब वर्गों का ख्याल रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट पेश किया। मैं पिछले दो दिनों से विपक्ष के साथियों की बात भी सुन रहा था और मैंने उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी। उन्होंने बातें कहीं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में तो हमारी घोषणाएं थीं, जो हमारी घोषणाएं थीं वो घोषणाएं उन्होंने वापस की हैं। मैं विपक्ष के साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि यदि उन्होंने अपने कार्यकाल में ये घोषणाएं की थीं तो वो घोषणाएं उन्होंने पूरी क्यों नहीं कीं? इन्होंने राजस्थान के अन्दर पांच साल शासन किया और कई साथी उस शासन काल का बहुत ही पुरजोर शब्दों से बखान कर रहे थे, तो वो यह भी जवाब दें कि उन्होंने ये घोषणाएं कीं, उन घोषणाओं से राजस्थान की जनता को कितना फायदा हुआ?

मैं कहना चाहता हूं और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो भी बात कही है, वो बात उन्होंने करके दिखायी है। इसका उदाहरण मैं अपने क्षेत्र से बता सकता हूं, जब पूर्व में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब थे तब दो जिलों की सबसे बड़ी मांग थी जैसलमेर और बाड़मेर की पोकरण-फलसूंड-सिवाना-बालोतरा पेयजल लिफ्ट योजना। उस योजना के लिए मुख्य मंत्रीजी ने अपने कार्यकाल में लास्ट में घोषणा की। जब शासन चेंज हुआ, विपक्ष के साथियों का शासन आया तो उस योजना के लिए पांच

(श्री शाले मोहम्मद)

साल तक एक पैसा नहीं दिया गया और अंत में जब उनका पांचवां वर्ष चल रहा था, तब राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने मेरे पोकरण में आकर एक पत्थर लगा दिया। पर पैसा कितना दिया? 30 लाख रुपये। एक हजार करोड़ की जो योजना थी उसमें सिर्फ 30 लाख रुपये दिये? वो 30 लाख रुपये काहे को दिये, कि वो जो शिलालेख लगा था, जो पट्टी लगी थी, उसमें जो पैसा खर्च हो रहा था वो उसमें ही पूरा हो गया। पांच साल तक एक पैसा नहीं दिया। जब हमारे मुख्य मंत्रीजी आये, मैंने निवेदन किया कि हमारी सबसे पहली मांग है कि बाड़मेर और जैसलमेर के 890 गांवों के लोगों को हमें मीठा पानी, नहर का पानी पिलाना है, पहले बजट के अन्दर 300 करोड़ फर्स्ट फेज के अन्दर राशि दी उन्होंने। मैं बताना चाहूंगा कि आज लगभग उसका काम पूरा भी हो गया, दो-ढाई महीने के अन्दर पोकरण तक वो पानी पहुंच भी जाएगा। मुझे आज बताते हुए इस बात की खुशी है कि इस बजट के अन्दर भी सैकिण्ड फेज के लिए 590 करोड़ की राशि पेयजल योजना के लिए मंजूर कर दी गयी है।

तो यह आदमी की सोच की बात है। यदि सोच अच्छी है, यदि कोई काम करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। यदि केवल बातें करनी हैं, करना कुछ भी नहीं है और बड़े-बड़े वादे करने हैं तो उससे काम नहीं होता। मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही शानदार 3796 करोड़ की योजना राजस्थान की जनता को दी है, मुझे विश्वास है कि तीन साल के अन्दर ये सभी परियोजनाएं हैं परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी और राजस्थान की जनता को फायदा होगा।

अभी सादुलपुर से आने वाली माननीय सदस्या जी बोल रही थीं कि मेरा भी गला सूख रहा है, मैं भी एक दिन मर जाऊंगी यदि मेरी जनता को पानी नहीं मिला तो। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह आपने खुद कहा है कि हमारी भी यह योजना है ...

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): मरने की जरूरत नहीं है ...(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मरने की जरूरत नहीं है। यह मैं कह रहा हूं कि हमारी भी जो पेयजल योजना, 3796 करोड़ रुपये की यह जो योजना है, उसके साथ ली गयी है। यह भी कहा कि यह तो पूर्व में स्वीकृत हो गयी थी। तो आपके यहां भी यही हुआ होगा, कि पत्थर कोई लगाकर चला गया होगा और पैसा नहीं दिया होगा। उनकी सोच नहीं है पानी पिलाने की।

(श्री शाले मोहम्मद)

सिर्फ एक ढिंढोरा पीटना था कि हम पानी पिलाएंगे। और पानी पिलाया नहीं। मैं कहना चाहता हूं सादुलपुर से आने वाली माननीय सदस्या जी को कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने आपसे जो वादा किया है कि तीन साल में पानी पहुंचाएंगे तो पानी पहुंचेगा।

एक माननीय सदस्य: आपकी बात मैं मान लेता हूं।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मानना पड़ेगा क्योंकि पानी मिलेगा, क्योंकि हमारी यह सोच है। आप लोगों की तरह नहीं है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता सुखी रहे। आप क्या चाहते हो? आप यह नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि साम्प्रदायिक दंगे हों, आप चाहते हैं लड़ाई-झगड़े हों, रोजाना कोई काण्ड हो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): गोपालगढ़ किसने कराया? (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आपके लोगों ने। माननीय सदस्य, यह पता नहीं है आपको, किसने कराया? यह रिकार्ड जाकर देखो। यदि यह रिकार्ड जाकर देखोगे, कल रमेश मीणा जी को सुन रहा था, यह बात उन्होंने भी कल चलायी थी, मैंने उनको कल भी यह कहा था कि वहां पर सभी समुदाय बैठ गये थे और वहां के सरपंच और सब लोगों ने मिलकर समझौता करा दिया था। फिर आप खुद देख लो कि वहां पर कौन लोग गये थे, किस संस्था से जुड़े हुए लोग आये थे और उन्होंने क्या बात वहां आकर कही थी और किस वजह से झगड़ा हुआ था। आप जानते हो, आप तो वहां गये हो, आप ईमानदारी से बता दो। आप ही ईमानदारी से बता दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आप, माननीय सदस्य, अपने बजट पर आओ न।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं बजट पर ही आ रहा हूं।

श्री सभापति: बजट पर आओ, कहां आप। आप दिशा भ्रमित मत हो, आप बजट पर आओ, बजट पर। (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): उन्होंने यह बात छेड़ दी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। विराजें आप।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय सदस्य, आप ईमानदारी से कह दो कि वास्तव में क्या हुआ था, किसकी वजह से हुआ था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बजट पर आओ। आप दिग्भ्रमित मत हो और आप बजट पर आओ। (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ऐसा नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि ये आप लोगों के करम हैं, आप लोग चाहते हो कि राजस्थान का जो शांति सौहार्द बना हुआ है, वो सौहार्द बिगड़े, हालात इस प्रकार के हों कि कानून व्यवस्था भी बिगड़े। पर हमारे मुख्य मंत्री जी यह कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी मंशा पूरी हो। उनके पूर्व काल में भी जो कुछ हुआ था, अजमेर के अन्दर तो आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या हाल किया। आपके जो लोग वहां सौहार्द बिगाड़ने आये थे, उन्होंने उनको किस प्रकार से जेल में बंद किया था। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी हैं, उनकी सोच अच्छी है, वो कभी भी आपकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। (व्यवधान) 2013 भी आ जाएगा, वो भी चिंता मत करो। यह सीट आप सुरक्षित कर लो, आपको यहीं बैठना है। क्योंकि यह जो बजट आया है इस बजट में आज भी लग रहा है। आज भी सीटें खाली पड़ी हैं। विपक्ष, घबरा गया, उनको बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उनके बोलने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने ...

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): आपके मंत्री नहीं हैं, सारे मंत्री गये। (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, विपक्ष की बात कह रहा हूं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इसका मतलब मंत्री भयभीत हैं, शाले मोहम्मद जी, जो गायब हो गये सारे के सारे।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मंत्री नहीं, मैं विपक्ष की बात कह रहा हूं, मंत्री तो मेरी बात सुन रहे हैं। मंत्री तो अपनी-अपनी जगह मेरी बात सुन रहे हैं पर विपक्ष में ना पक्ष की लाबी भी देख लो, वहां भी नहीं होगा विपक्ष। विपक्ष के पास में कोई भी मुद्दा नहीं है जो जनता के सामने कह सकें कि तीन साल के अन्दर या इस बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने कुछ नहीं दिया। बात कहने लायक रखा ही नहीं उन्होंने, इतना शानदार बजट दिया है। इसलिए ही तो ये सीटें गायब हो गयीं, यहां कोई नहीं दिख रहा है। तो आप चिंता मत करो ...(व्यवधान) 2013 के बाद भी आप लोगों को यहीं बैठना है, यह जगह फिक्स कर लो आप।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मुंगेरी लाल के सपने मत देखो।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ये सपने नहीं हैं, यह हकीकत है, यह हकीकत रहेगी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज किसी भी विभाग को देख लें, किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें, सड़कों के अन्दर 2900 गांवों को जोड़ने के लिए 250 और 500 आबादी के जो गांव हैं, जो काफी वर्षों से सड़क से जुड़े नहीं, उन लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ थी, आने-जाने के लिए साधन नहीं मिलते थे, पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने 3590 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिये हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने के लिए शानदार मेगा हाइवे बने ताकि बाहर से जो लोग राजस्थान को देखने के लिए आएं या राजस्थान से दूसरे राज्य में जाने के लिए बाहर जाएं तो उनको आने-जाने में कोई तकलीफ नहीं हो। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा बजट मुख्य मंत्रीजी ने मेगा हाइवे के लिए बनाया है। उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

ऊर्जा के अन्दर हमारे मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी ने जो बात कही, जैसलमेर जिले के अन्दर पवन ऊर्जा को देख लें चाहे सोलर ऊर्जा को देख लें, आज 1880 मेगावाट की पवन ऊर्जा अकेला जैसलमेर दे रहा है। वहां पर अभी सोलर का जो प्रोजैक्ट बन रहा है, 1100 मेगावाट बिजली का उत्पादन वहां हो रहा है। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में राजस्थान के लोगों को अभी बिजली की जो बहुत बड़ी तकलीफ है वह दूर हो जाएगी।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): किसने कहा?

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): तकलीफ तो आप ही कह रहे थे, आपके लोग ही कह रहे थे कि बिजली मिलती नहीं। (व्यवधान) चौबीस घण्टे मिलने के लिए ही तो ये सब कोशिशें की जा रही हैं। जब बिजली उत्पादन नहीं होगा तो बिजली कहां से मिलेगी? पवन ऊर्जा से, सोलर ऊर्जा से जब बिजली पैदा होगी तब ही तो राजस्थान को बिजली मिलेगी। तो यह बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। जिस प्रकार से अकेले जैसलमेर जिले में पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा पर काम हो रहा है, इतना बड़ा उत्पादन हो रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता की तकलीफ भी दूर हो जाएगी।

आज एक लाख किसानों को कृषि कनेक्शन दिये हैं, जो लोग कई वर्षों से कृषि कनेक्शनों के लिए इन्तजार करते थे कि चार-पांच साल पहले कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन दिए हैं वे कृषि कनेक्शन कब आएंगे, कब हमारे खेत में ट्यूबवैल लगेगा, उनको भी चिन्ता मुक्त कर दिया है। आज आप सब डिवीजन में चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, उन्होंने हर किसान के जहां भी जरुरत समझी है, 2009 तक के सबके डिमांड नोटिस जारी कर दिये

(श्री शाले मोहम्मद)

हैं, सभी लोगों के कनेक्शन जारी कर दिये हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने 300 आबादी की जनसंख्या वाली बड़ी ढाणियां हैं, उन ढाणियों को भी विद्युतीकृत करने के लिए इस बजट के अन्दर घोषणा की है। मैं समझता हूं, जो लोग इस जमाने के अन्दर भी अन्धेरे में थे, उनकी ढाणियों में भी, गरीब के घर में भी एक लट्टू जल जाएगा और उनको भी अन्धेरे में नहीं रहना पड़ेगा।

इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में आप देख लें। अभी मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य सराफ साहब को सुन रहा था, वह काफी चीजें कह रहे थे। उन्होंने ऐसी चीजें भी कहीं कि जो घोषणाएं हैं, मैं पहले कह चुका हूं। वास्तव में उन्होंने ऐसी बातें कही हैं शिक्षा के ऊपर, वह खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने 1 लाख 18 हजार शिक्षकों की भर्ती कर दी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि आपने इतनी बड़ी भर्ती कर दी तो वे शिक्षक कहां गये? आज उन शिक्षकों की मांग क्यों आयी? वे पाठशालाएं आज बंद क्यों हो रही हैं? आप लोगों ने विद्यालय खोल दिये, यह ठीक था कि एक-एक किलोमीटर पर विद्यालय खोले पर स्कूलों में मास्टरों की भर्ती नहीं की। मास्टरों की भर्ती नहीं होने की वजह से आज विद्यालय खाली पड़े हैं। आज किसी भी गांव में चले जाओ, हर गांव की यह मांग रहती है कि हमारे यहां मास्टर नहीं है या हमारे यहां 200 बच्चे हैं, मास्टर तीन ही हैं। ये स्थितियां क्यों बनीं? इसलिए बनीं कि आप लोगों ने विद्यालय एक एक किलोमीटर पर खोले, पर मास्टरों की भर्ती नहीं की। आज शिक्षा के जो हालात बिगड़े हैं, वे आप लोगों की वजह से बिगड़े हैं। ये हालात राजस्थान की शिक्षा के नहीं बनते। इसलिए बने हैं कि आप लोगों ने शिक्षा के इतने हालात खराब कर दिये कि आज हर गांव में इसकी मांग आ रही है ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आप क्या करना चाह रहे हो? (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): शिक्षकों की भर्ती की है। सैकिण्ड ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती हुई है, थर्ड ग्रेड का मामला चल रहा है ...(व्यवधान) भर्ती चल रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इंटरप्ट मत करो। आप लोग इस तरह से करने लग जाओगे ...(व्यवधान) आप इधर से बोल रहे हो, फिर उधर से टीका-टिप्पणी शुरू हो जाएगी, क्या मतलब है? वह बोल रहे हैं, उनको

(श्री सभापति)

बोलने दें आप। आपका जब मौका आए, जब आप जवाब दे देना। कहां दिक्कत है?

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): अभी जिला परिषदों के माध्यम से थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती हो रही है, जो हमारे साथी विरोध कर रहे हैं कि जिला परिषद के माध्यम से भर्ती नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। पर यह भर्ती सरकार ने नियम लागू किये, तब शुरू हुई है। यह तो आपको खुद पता है कि शिक्षकों की भर्ती का थर्ड ग्रेड का मामला चल रहा है तो यह जल्दी हो जाएगा। दो महीने में मैं समझता हूं कि शिक्षकों की भर्ती भी हो जाएगी। आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। इस बजट के अन्दर भी मुख्य मंत्रीजी ने बीस हजार थर्ड ग्रेड नये शिक्षकों की भर्ती की बात कही है, मैं समझता हूं कि यदि जल्दी भर्ती हो जाएगी तो राजस्थान में जो अभी मास्टरों की भर्ती की मांग आ रही है, वह जल्दी पूरी हो जाएगी।

इसके अलावा पहली बार इस बजट में एक हजार नई स्कूलें दी गयी हैं। हमारे इलाके में ऐसे काफी राजस्व गांव हैं जहां पर विद्यालय बिलकुल नहीं हैं, लोगों को दस-दस किलोमीटर शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। एक हजार नये स्कूल खोलने की बात कही है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी विद्यालय खोल दें ताकि जो राजस्व गांव विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं, वे जल्दी जुड़ जाएं। इसके अलावा मेरी यह भी मांग है कि जो बड़ी-बड़ी ग्राम पंचायतें हैं या बड़े-बड़े जो स्थल हैं, वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। हमारे क्षेत्र की, हमारे जिले की सबकी यह मांग रही है, लोगों की वह मांग तभी पूरी हो पाएगी जब वहां पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चिकित्सा के अन्दर पहली बार हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छा काम किया। राजस्थान की जनता को मुफ्त दवाई जो मिल रही है, इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिला है। जो गरीब आदमी पैसे की वजह से...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके दो मिनट लेना चाहूंगा, नया हूं, पहली बार आया हूं।

चिकित्सा के क्षेत्र में, गरीब व्यक्ति जिसका इलाज नहीं हो पाता था, जो इलाज के लिए पैसे की वजह से भटक रहा था, आज किसी भी हास्पिटल

(श्री शाले मोहम्मद)

में, पी एच सी में, सी एच सी में, सब सेण्टर में जब मुफ्त दवाई मिल रही है तो उनको इसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। उन्होंने पिछली बार भी काफी पी एच सी खोली हैं और अभी इस बजट में जो नये सब सेण्टर खोलने की बात कही है, यह स्वागत योग्य है।

मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि तीन हजार सब सेण्टर नये बनेंगे। जिस गांव में ए एन एम नहीं है, लोगों को दस-दस किलोमीटर जाना पड़ता है, कोई साधन नहीं है, मैं समझता हूं कि यह जो घोषणा हुई है तीन हजार सब सेण्टर की, इसमें राजस्थान के काफी इलाकों में नये सब सेण्टर बनेंगे और बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। काफी पी एच सी को सी एच सी बनाने की भी घोषणा की है। मैं समझता हूं, चिकित्सा के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए ये बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी हालात चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर हुए हैं। पिछले सालों में, मैं खुद जिला प्रमुख था, तब मैंने खुद अस्पतालों के हालात देखे हैं। मेरे पोकरण के अन्दर हास्पिटल्स के हालात इतने खराब थे कि जहां पर दस-दस डाक्टर थे, वहां पर तीन तीन डाक्टरों के सहारे हास्पिटल चल रहे थे। आज खुद मैंने भी कोशिश की तो आज हमारे डाक्टर भी लग गये, वहां मुफ्त दवाई की योजनाएं चल रही हैं तो उसका भी लोगों को फायदा मिल रहा है। हमने नये जनरेटर भी लगवाये एन आर एच एम में, नई एक्स-रे मशीनें भी लगाईं। इसके लिए मैं चिकित्सा मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ये सब सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारे जैसलमेर जिले की जो परिस्थितियां हैं वे अन्य जिलों से भिन्न हैं, दूसरे जिले तो दस-दस किलोमीटर या पचास किलोमीटर में पूरे सिमट जाएंगे, पर हमारे जिले में एक पंचायत की पचास से साठ किलोमीटर की दूरी है। तो हमारे जो परिस्थितियां है वे अलग हैं। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई भी घोषणा होगी तो मैं समझता हूं, हमारे इलाके को उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।

200 नई 108-एम्बुलेंस मिल रही हैं, यह बहुत अच्छा कदम है। 108 एम्बुलेंस से पूरे राजस्थान में लोगों को फायदा मिल रहा है, जरुरतमंद लोगों के लिए यह बहुत अच्छी बात है। उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

सबसे खास एक बहुत ही अच्छी योजना इन्होंने चालू की है मुख्य

(श्री शाले मोहम्मद)

मंत्री मदरसा आधुनीकरण योजना। मैं समझता हूं, इन्होंने दस करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया है। अभी खास तौर से वक्फ बोर्ड के हालात बहुत ही खराब थे, इन्होंने विभागों का किराया दिलाकर 10 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि इससे भी वक्फ बोर्ड के हालात सुधरेंगे। वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो सम्पत्तियां हैं, वे भी सुरक्षित हो जाएंगी।

मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मदरसा पैराटीचर्स, कम्प्यूटर पैराटीचर्स की राशि में 25 परसेंट की वृद्धि की गयी है। 2010 तक के मदरसा पैराटीचर्स और कम्प्यूटर पैराटीचर्स के लिये ही यह वृद्धि हुई है, मैं मांग करना चाहूंगा कि पांचवें चरण के जो 4 हजार लोग हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाए तो गरीब पैराटीचर्स को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अभी तक 2600 पैराटीचर्स को इसका फायदा मिलेगा, 4000 पैराटीचर्स रह जाएंगे, इनको भी साथ जोड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी।

इसके साथ वे मदरसे जहां सैकण्डरी स्कूल चल रहे हैं, मौलाना आजाद फाउण्डेशन द्वारा 50-50 लाख की ग्राण्ट देकर उनको मजबूत कर रहे हैं, उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद दूंगा। राजस्थान के अन्दर पहली बार काफी ऐसे सैकण्डरी के मदरसे बने हैं जिनको उनकी तरफ से बहुत बड़ी सहायता मिल रही है।

इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में हमेशा किसानों को संघर्ष करना पड़ता था। मैं हमेशा देखता था कि उपनिवेशन के किसानों को जिला स्तर पर, पवन दुग्गल जी बैठे हैं, हड़तालें करके, धरना देकर ब्याज माफी दिलाते थे। मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने कहीं भी धरना नहीं होने दिया, कहीं भी कोई हड़ताल नहीं करनी पड़ी, उन्होंने तुरन्त वहां के किसानों की ब्याज माफी की है। उसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा जो सिंचाई शुल्क है, आबियाना की ब्याज माफी हो जाए तो लोगों को काफी फायदा मिलेगा।

अभी इन्होंने पोण्ड और डिग्गियों के अन्दर जो राशि बढ़ायी है, 2 लाख से 3 लाख कर दी, मैं समझता हूं, उपनिवेशन क्षेत्र का राजस्थान का जैसा किसान है, जिसको पानी की कमी की वजह से भुगतना पड़ता था, उनको भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री शाले मोहम्मद)

सभापति महोदय, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता पर कुछ मेरे क्षेत्र की जरूरी मांगे हैं। बनियाना उप तहसील है उसको क्रमोन्नत किया जाए, वहां के लोगों की यह मांग रही है। वहां के लोगों को 50-60-70 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े, उप तहसील को तहसील बनाया जाए तो वहां के लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

दूसरा, जो चक आबादी है, मेरे यहां 200 नये राजस्व गांव बसेंगे। बहुत बड़े नहरी क्षेत्र में पूरे राजस्थान के 5-7 जिलों के लोग वहां आकर बस गये। वहां लोग आबाद रह रहे हैं। लेकिन काफी ऐसी आबादी है जिसको अभी भी राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया है। उसके प्रस्ताव यदि जल्दी तैयार किये जाएं और उन सभी चक आबादी को राजस्व गांव घोषित कर दिया जाए तो मैं समझता हूं, हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

मेरे इलाके में यदि बारानी भूमि का आबंटन खोल दिया जाता है, हमारे पूरे क्षेत्र की हमेशा मांग रही है, ऐसा हो जाता है तो वहां के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

मैं खास तौर से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान की जनता के लिये बड़ी अच्छी सोच रखकर पहली बार इतिहास के अन्दर शानदार और अच्छा बजट पेश किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान विकास की ओर बढ़ेगा, इसलिये मैं एक बार पुनः मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम गंगानगर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, सोमवार, 26 तारीख को मुख्य मंत्री द्वारा जो बजट रखा गया, उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए प्रदेश और मेरे इलाके की कुछ बातों को रखना चाहूंगा। हमारे नेताओं ने इधर से काफी अच्छे सुझाव भी दिये हैं, लेकिन बड़े दुःख की बात है, बड़ी विडम्बना है, सामने मुख्य मंत्री क्योंकि खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको यहां रहना चाहिये था। उन्होंने बजट रखा है, वही लोगों की बात सुनेंगे तो उस पर कोई जवाब देंगे, लेकिन यहां कोई सीरियस काम नहीं है। यहां तो ऐसा है कि आप बोल दो, उनके जंचे जो कुछ उन्हें करना है। फिर भी हमें तो अपने इलाके के लोगों की कुछ बात यहां कहनी है, रखनी है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वाकई मैं जब 8 साल का बच्चा था तो हमारे यहां मैस्मराइज करने के लिये एक जादूगर आया था। वह हमारे नाखून पर काले रंग की स्याही लगाकर हमें....

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): 8 साल के कब थे आप? कब थे?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं अब तो 75 का हुआ हूं। तो उस वक्त वह कहते, इसमें देखो, क्या दिख रहा है, यहां कोई झाड़ू देने वाला आया है? हमें कुछ दिखता नहीं तो हम कह देते कि आया है। वह कहते, यहां पानी डालने वाला आया है? हम कहते थे, आया है। इसी तरह वह 10 सवाल करता था। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेता, सेम उसी तरीके से हमारे मुख्य मंत्रीजी ऐसे मैस्मराइज करते हैं और ऐसी कला जानते हैं कि जादू करके उस तरफ बैठे हुए भाइयों को यह कह दिया कि ऐसा बजट तो आ ही नहीं सकता। अभी-अभी आपके सामने कालीचरण जी ने जो आंकड़े रखे, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े थे। मेरे सामने वाले मित्रों, वास्तव में अगर उनकी बात पर ध्यान दिया होता, 3 साल में जो भी काम आपने किये, जो घोषणाएं कीं, क्या उसमें एक भी काम पूरा हुआ? ये घोषणाएं जो अब हुई हैं, यह तो वास्तव में सी एम साहब को यह लग रहा है कि जैसे कोई मध्यावधि चुनाव होने वाला है। मध्यावधि चुनाव की कोई सम्भावना नहीं है। यह बजट मध्यावधि चुनाव का बजट है। इसमें ऐसी चीजें दर्शायी गयी हैं, ऐसा कुछ बढ़-चढ़कर कहा गया है...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ही ज्यादा कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव की तो। आपकी बात मानें या उनकी मानें?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मध्यावधि चुनाव का हमारी

(डा. रघु शर्मा)

पार्टी के किसी व्यक्ति ने कभी नहीं कहा। अब आपके मित्र मुलायम सिंहजी आ गये हैं, वह आपको सीधा कर देंगे, चिन्ता मत करो।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, इनके राज्य सभा के सम्माननीय सदस्य जी ने बजट के बाद यह वक्तव्य दिया कि यह मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी जानकारी में नहीं हो तो...

श्री सभापति: बजट पर बोलो माननीय सदस्य, कहां मध्यावधि चुनाव में चले गये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): भूमिका तो बनानी थी। विषय ऐसा ही था। विषय ऐसे कहां से आ जाएगा? कौनसा मैं बोल दूंगा और आप पूरा करवा दोगे ? अगर ऐसे ही कहना है तो मैं 5 मिनट में अपनी बात कह देता हूं।

यह बात कही है कि 250 से लेकर 500 तक की आबादी के गांव सड़कों से ज़ोड़ देंगे। यह तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से था, उन्होंने जोड़े। वही की वही बात आप दोहरा रहे हो। आप कह रहे हो, बिजली का बड़ा भारी उत्पादन कर दिया। तो बिजली गयी कहां? 8 महीने, 6 महीने से, रघु जी, सर्दी में 5 घण्टे बिजली हमेशा दिन में गुल रही है। 2 घण्टे एक बार, 2 घण्टे फिर, 1 घण्टे फिर। गांवों में यह रही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मैंने आंकड़े देखे हैं, 36 हजार गांवों में बिजली रही 8 घण्टे, शहरों में रही 24 घण्टे। वह बिजली कहां से आ गयी थी? अब बिजली कहां चली गयी? ये जो आप स्कीम्स बता रहे हैं, ये तो आलरेडी पाइप लाइन में थीं। भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती वसुन्धरा जी ने कार्यक्रम चलाये थे जिनकी बदौलत आपको अब कुछ मिल रहा है। आज तक कभी नहीं सुना, सर्दी के अन्दर 6 महीने तक 5-5 घण्टे का कट। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, रघु जी, गलत नहीं कह रहा। आप मजाक समझ रहे हो। वास्तव में यह..

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति जी, मैं आपकी बात को बहुत गम्भीरता से ले रहा हूं कि आप नये-नये गये हो इसलिये आपको स्थापित होना है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ऐसा है, मैं तो स्थापित हो गया पहले दिन ही। मैंने तो 40 साल आपके वहां बैठकर भाड़ झोंकी। मेरे को तो मजा ही अब आया है और आपने ले लिया मजा...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मंत्री रहे हो न यहां, भाड़ कैसे झोंकी ?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपने मेरे को टिकट नहीं देकर मजा ले लिया न? मेरे को तो मेरी बहन ने बुला लिया, मैं चला गया और मैं बहुत खुश हूं। मेरी जो इज्जत, सम्मान 40 साल में नहीं हुआ, वह इन 3 सालों में हुआ, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। और ईमानदारी से कहता हूं, रघु जी, एक दफा आप आकर देखो यहां, आप छोड़ोगे ही नहीं कभी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): देखिये, मैं तो खुश हूं जहां भी हूं। आपको मुबारक हो आपकी नयी जगह।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरे को मुबारक हो, यही दुआ करते रहो आप। मैं आपकी दुआओं से आगे बढ़ता रहूंगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपके सामने माननीय उप नेता महोदय बैठे हैं, इनके दिल से पूछो, उन्होंने भी 40 से ज्यादा गुजारे हैं उधर और क्या बीत रही है अभी उनके दिल पर, इनसे पूछो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कुछ नहीं, यह जब बोलते हैं तो आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है। यह अभी बोलेंगे। आपने अभी सुना नहीं राजपाल जी को और सुना नहीं कालीचरण सराफ को, किस तरह के आंकड़े और किस तरह की बातें आपके सामने प्रस्तुत की गयीं। उस पर हम सबको मिलकर गम्भीरता से निर्णय लेने चाहिए। केवल मात्र हम तालियां पीट दें, खुश हो जाएं और यह सोच लें कि यह बजट इतना बढ़िया आ गया, सिर्फ अख़बार में जाने से या टीवी पर रोज नयी बात आ जाए, जब आप उसको तरीके से आगे बढ़ाओगे नहीं तो क्या होगा? मैं तो सबसे पहले अगला बजट सैशन जब आएगा, मैं माला डालूंगा अगर ये सारी योजनाएं पूरी हो जाए, एक माला सी.एम. को, एक रघु जी को डालूंगा, चाहे हमारे नेता नाराज ही हो जाएं। लेकिन कुछ नहीं होगा, होने वाला कुछ नहीं है। आपको गलतफहमी है। अब तो वही होगा जो आपको पता है। वही होगा, आपको मालूम है।

सभापति महोदय, मेरे को बड़ा दु:ख होता है, जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, ज्यादातर मेरे परिवार के और मेरे मित्र हैं। मेरे को दया आती है जब उनसे बात करते हैं। वह कहते हैं, क्या करें, हमारी तो मानते ही नहीं हैं अफसर। न आई.ए.एस. मानें, न कोई एस.पी. मानें, न कोई कलक्टर मानें, बड़ी गजब की बात है। एक ही जगह अशोक जी ने पकड़ कर चीज को रखा

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हुआ है। थोड़ा बहुत हमारे श्रीमान शांति धारीवाल जी और दूसरे हमारे श्रीमान सिपहसालार रघु शर्मा, ये तो कभी काम करवा लें तो मैं कह नहीं सकता, बाकी कोई नहीं। अन्दर से आप जर्जर हो रहे हो। लेकिन क्या करो, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि हम एक सिस्टम से बंधे हुए व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय, बिजली के बारे में बात की, सी.एम. साहब ने यहां कहा था गंग कैनाल के लिए। वह जमाना मुझे याद है, रघु जी, मेरे एक जिले में मेरे एक व्यक्ति के कहने से मैंने प्रस्ताव बनाकर दिया और 446 करोड़ रुपये आपने दिये थे। लेकिन वह आपके भाग्य में लिखा नहीं था खर्च करना, खर्च किया मैडम ने आकर। और अब वह 446 की बजाय 600-700 करोड़ रुपया हो गया। आज तक भी गंग कैनाल रो रही है और आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम सीकर को इंदिरा गांधी कैनाल का पानी दे रहे हैं, हम झुंझुनूं को दे रहे हैं। मेरे को यह बताओ कि पानी है कहां आपके पास? कहां से दोगे? 18400 क्यूसेक्स की इंदिरा गांधी कैनाल के अन्दर 12000 से ज्यादा पानी आज तक नहीं चला। क्योंकि जो समझौते हुए उन समझौतों में, मैंने अभी एक प्रश्न किया था रावी-व्यास के बारे में, उसमें सरकार ने मुझे जवाब दिया है। उस समझौते के कारण अशोक जी का एक भी लैटर नहीं गया बीबीएमबी में, जबकि वसुन्धरा जी के 6 लैटर मुझे मिले हैं लगे हुए, वे आपने भेजे हैं। बार-बार चिंता करने से होता है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अशोक जी का भी है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): तब उनकी गलती है, मुझे नहीं दिया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, उसमें जो लैटर हैं वे वसुन्धरा जी के भी हैं और अशोक जी के भी हैं, मैंने भी देखा है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरे राजा भैया, मेरे पास जो रिप्लाई आयी है मैं वह कह रहा हूं। उन्होंने जरूर लिखा होगा लेकिन मेरे पास जो प्रश्न के उत्तर में आया है उसमें केवल मात्र वसुन्धरा राजे सिंधिया, मुख्य मंत्री के लैटर हैं। मैं और निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मंत्रीजी, मंत्रीजी यहीं मौजूद हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं दिखा दूंगा आपको। बिलकुल, आपको दिखा दूंगा ...(व्यवधान) अभी दिखा दूंगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने निकाल दिया होगा उन पत्रों को ...(व्यवधान) मेरे पास जवाब है ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): और सुन लो गम्भीरता से बात ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, ऐसा क्यों बोल रहे हो ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): तीन पत्र वसुन्धरा जी ने लिखे और दो अशोक जी के हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरी बात को तो सुनो, क्यों इतने गुस्से में आ रहे हो ...(व्यवधान) मैं कोई गुस्से वाली बात कह ही नहीं रहा।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मेरे पास हैं लैटर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप मेरे पड़ोसी हैं और मेरे छोटे भाई हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): देखो, आप अपनी बुनियाद मजबूत करो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बुनियाद मजबूत करने में अगर गलत तथ्य लोगे तो हमको प्रतिवाद करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ऐसा है, मैं कभी गलत तथ्य बोलता ही नहीं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मंत्री जी बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं मंत्रीजी को पेश करूंगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मंत्रीजी की सुन लो ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अभी कल ही तो प्रश्न था, अभी कल ही तो प्रश्न किया था ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मेरे बड़े भाई, मंत्रीजी मौजूद हैं यहां। यह क्या लिखा हुआ है? महात्मा गांधीजी ने...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ऐसा है मेरे पास जो आया है मैं उसकी बात कर रहा हूं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इस सदन में असत्य बात नहीं कही जा सकती है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरा पड़ोसी है, जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह माननीय मुख्य सचेतक जी को राजा भैया शब्द से संबोधित कर रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह तो एक्सपंज करो, माननीय सभापति जी। यह मुझे प्यार कर रहे हैं या मुझे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उत्तर प्रदेश वाले राजा भैया ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश वाले राजा भैया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हैं, मंत्री हैं वो ...(व्यवधान) मंत्री हैं, मंत्री ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारी इच्छा वही है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): देखो, आपके जैसे मित्र मिल जाएं तो मुझे उत्तर प्रदेश का राजा भैया ही बनाकर रहोगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस इंदिरा गांधी कैनाल के अन्दर चार-चार, पांच-पांच फीट सिल्ट पड़ी है। उसको कोई निकाल नहीं रहा। फर्स्ट फेज में आपका पानी पूरा नहीं हो रहा और बात कर रहे हो जैसलमेर और पता नहीं कहां तक पानी देने की। कभी आप चार दिन दे देते हो और बाद में किसान रोता फिर रहा है आपकी और हमारी जान को, दोनों को।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इस साल पानी की कमी आयी क्या?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पानी है कहां?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): बताओ, किसने कहा कि पानी की कमी है? पानी की कमी रही ही नहीं, कहीं नहीं रही।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): पूरा पानी है, आप साढ़े तीन रोज छोड़ रहे हो अभी भी ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सिंचाई मंत्रीजी,

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सुनिये तो सही, मैं आपको सब चीजें खोलकर बताऊंगा। जो भी पानी आ रहा है 9 हजार-10 हजार क्यूसेक्स इंदिरा गांधी कैनाल में, वह आपको मालूम है, क्या आ रहा है? एक हजार क्यूसेक्स जहर आ रहा है, जहर। आप नहीं पी सकते। सीवरेज का पानी, सेम का पानी, फैक्ट्रियों का प्रदूषण का पानी, वह सारा मिलकर। भटिंडे से एक ट्रेन चलती है, शायद आपको ध्यान नहीं, उसका नाम है कैंसर ट्रेन, वह बीकानेर तक कैंसर के मरीजों को ले जाती है। आपकी जानकारी में है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप बोल नहीं सकते। आप बता दो, कभी किसी ने लिखा है तो। कभी किसी ने लिखा है क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): लिखा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): इतना दूषित पानी आप और हम पी रहे हैं, गजब की बात है। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, ये तो आंकड़े हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जन लेखा समिति, कटारिया साहब चेयरमैन हैं उसके, हम सब लोग जाकर आये बीवीएमबी में, मीटिंग हुई, हमने बाकायदा राज्य का प्रोटेस्ट वहां दर्ज कराया। हमारे प्रिंसिपल सैक्रेटरी जो इर्रिगेशन के हैं, वहां मौजूद थे। आप ऐसी बातें सदन के अन्दर क्यों कर रहे हैं, हमने प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। यह समस्या आपके समय में भी थी। यह जो केमिकल की समस्या है, सही है, लेकिन यह कितने सालों से चल रही है समस्या?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप ऐसा करो, आप मुझे थोड़ा-सा सुन लो उसके बाद आप पूरी बात कह देना, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा था, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इस तरफ मुखातिब होकर बोलें ...(व्यवधान) आप मेरी तरफ मुखातिब हों। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): हां, मैं आपको ही कह रहा हूं ...(व्यवधान) आप उनको भी रोकिये, मुझे बीच में टोक रहे हैं तो मैं क्या करूं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप उनको आमने-सामने देखते हैं तो पुराने दिन याद आ जाते हैं ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि गंग कैनाल आज ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आज सवेरे ही परांठे खिलाकर इन्होंने मुझे रवाना किया है, अब मैं वह धर्म तो निभाऊंगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): गंग कैनाल इस वक्त रो रही है, पूरा पानी नहीं है। जहां हमें 3 हजार क्यूसेक्स पानी गंग कैनाल में मिलना चाहिए, वहां 1700-1800, 2100 से ज्यादा कभी आज तक नहीं मिला। यह इण्डेंट नहीं देते। हमारी सम्माननीय वसुन्धरा जी ने एक अध्ययन दल बनाया था, एक-डेढ़ साल पहले की बात है। हम सारे लोगों को चिंता हुई, बड़े धरने हुए, किसान इकट्ठे हुए, लोग रोये। सरकार को कम से कम बीस लैटर मैंने लिखे। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हम लोगों का अध्ययन दल मिलकर गया, वहां हमने प्रकाश सिंह बादल से बात करके पानी छुड़वाया। यह कोई मेरे कहने की बात नहीं है, यह तो रिकार्ड में है।

सभापति महोदय, उसके अलावा, आपने गंग कैनाल का टेंडर किया, जो बाकी रिपेयर रह गयी, उसमें एक ही व्यक्ति ने टेंडर दिया। उस व्यक्ति का 37 प्रतिशत एबव रेट आया और टेंडर कैंसिल कर दिया रामलुभाया जी ने। किसलिए? कि आप बंदी ले रहे हो, 10 तारीख को बंदी लेकर किसान को मारना चाहते हो। बाग़ उजड़ जाएंगे, लोग प्यासे मर जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं। अगर आपको पानी नहीं लाना और काम नहीं करना तो मेहरबानी करके बंदी मत लीजिये। अगर काम करना है तो हम बड़े खुश हैं, कोई बात नहीं। आप चाहते हैं कि 20 दिन की बंदी हो, आप 40 दिन की लेना चाहते हो, वह भी हम मान लेंगे, काम तो करवाओ।

(17.00 बजे)

पैसा है नहीं बजट में। आपने कैनाल को क्या पैसा दिया, मंत्रीजी आप ही बता दो? कहां से कराएंगे रिपेयर, कोई एक टेण्डर नहीं हुआ, 10 तारीख तो आ गई। 10 तारीख कहां दूर है? आपने ही पास किया है कि 10 तारीख को बंदी ले रहे हैं। आपने पंजाब को लिख दिया, उनको तो वहां 10 तारीख को बंद कर देना है। किसान रोता है तो रोओ। अगर इसके बाद भी अच्छा समझते हो तो मैं बैठ जाता हूं, नहीं बोलता। आप इस बार कम से कम हैडवर्क्स का काम तो पूरा करवा दो। 4 तारीख को साधुवाला हैड का रेलवे रोड तक का डायवर्जन से काम हो जाएगा। हैडवर्क्स का काम करवाने से यह जो बंदी ली है, उसका कुछ लाभ तो उठा लो। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह काम होगा। अगर हो तो आप यहां घोषणा करना, तब तो पता लगेगा कि वास्तव में आपने कोई काम किया है।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला 10 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू राजस्थान सरकार को देते हैं, 10 हजार करोड़ रुपये का, और एक रुपया कभी वापस जाकर लगा नहीं, क्या यह हमारे साथ अन्याय नहीं है? इस बात को हम अन्याय नहीं समझते? अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो आप मुझे बता देना, मैं माफी मांग लूंगा। कोई एक योजना, कोई इण्डस्ट्री की बात हो, कोई किसानों के लिए बात हो, कोई मजदूरों के लिए बात हो, कोई महिलाओं के लिए बात हो, कोई नौजवानों के लिए बात हो। नौकरी दे देंगे, नौकरी है कहां? ढूंढने से नहीं मिलती। हर वक्त कहते हैं, इतने टीचर लगा रहे हैं, 3 साल के आंकड़े जो हमारे मित्र ने पेश किये, उसका किसी ने जवाब दिया क्या एक का भी? अगर इसमें असत्यता थी तो आप छाती ठोक कर कहते। कालीचरणजी सराफ को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कितने सुन्दर ढंग से तैयारी करके अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत की। आपको उन बातों पर मनन करना चाहिए, मानना चाहिए और मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहिए ताकि जवाब देते समय इन चीजों को सम्मिलित किया जा सके।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां शुगर फैक्ट्री की जो मैडम के जमाने में 4 मुरब्बा जमीन ले ली, शिलान्यास कर दिया, ओएसडी लगा दिया, 3 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिया, वह कहां गया, वह कहां गई? क्या वह शुगर फैक्ट्री गुम हो गई? आपको क्या हर्ज था जो 22 करोड़ रुपये का आपने घाटा खाया है, 22 करोड़ रुपये का? किसान रो रहा है, किसान बैठा है, गन्ने की ट्रोलियां खड़ी हैं। यह तो मंत्रीजी ने बीच में पड़ कर कुछ कर दिया, दिला दिया पंजाब जाने के लिए, वह बैठे श्रीमानजी। श्रीमानजी, 70 रुपये? मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन वह भी आज तक मिला नहीं पैसा, घोषणा तो आपने कर दी। किसान आपकी जान को रो रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि खतरा पैदा हो जाए। कृपा करके मुख्य मंत्रीजी को कह देना कि वह पैसा दें, आपकी घोषणा का आदर होना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 14 लाख हैक्टेयर में बुवाई होती है, 14 लाख क्विंटल गन्ना शुगर फैक्ट्री के लिए आप एग्रीमेंट करते हो, आप बीजो और हम खरीदेंगे। किसान बीज देता है, भोला किसान है लेकिन खरीदने का नाम ही नहीं। मिल एक दिन नहीं चली। ये बैठे हैं दो-दो मंत्री यहां पर, हमारे मित्र हैं, इनसे पूछ लो, एक दिन भी मिल चली हो तो। एमएलए बैठे हैं इनसे पूछ लो मिल एक दिन नहीं चली। 14 लाख क्विंटल

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

गन्ना लोगों के पास पड़ा है, क्या करेंगे लोग? फेंकेंगे? मारा गया किसान, किसान की हालत बुरी है।

अब एक नई बात और हुई, सरसों को पाला मार गया। हमारे यहां 20 किलो से कम सरसों नहीं हुई। सबसे पहले एक प्रश्न मेरा कुदरती लग गया, मैं बोला, मैंने बोलने की गलती कर ली। और सजा क्या मिली? गंगानगर और हनुमानगढ से मुआवजा ऊपर से चला गया। कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में नुकसान ही नहीं हुआ। बड़ी गजब की बात है, कुछ तो इंसाफ करो। इतना रेवेन्यू जहां से आ रहा है, वहां के किसान की, मजदूर की, महिला की, नौजवान साथी की पुकार को तो आप सुनो। आप बड़े राजी हो रहे हो कि 10 लाख मकान, मेरे मित्रों, अभी तो 50 हजार भी पूरे नहीं हुए और साल बाकी डेढ़ ही रह गया, डेढ़ साल में क्या आप साढ़े नौ लाख मकान बना लेंगे? जिस तरह से रेटें चल रही हैं, आप खुश हो जाते हो, ताली बजा देते हो, स्कीम तो आपकी बड़ी अच्छी है, स्कीम का हम आदर करते हैं कि गरीबों को छत मिलनी चाहिए... (समय-समाप्ति सूचक घंटी) लेकिन थोथी घोषणा करने से इसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह देखो, मैं अपने टाइम में से दो मिनट भी नहीं बोला हूं और आप घण्टी बजाने लगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 22 मिनट हो गये, 22 मिनट।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपको मुझसे ज्यादा प्यार है, बीच में और माननीय सदस्य भी तो बोल लिये।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के 17 माननीय सदस्यों और 5 सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को अभी और बोलना है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): तीन-चार साल पहले कहा गया था कि महाराजा गंगासिंह का बनाया हुआ हास्पिटल, उस वक्त वह हास्पिटल छोटा पड़ रहा था, मैं आप लोगों को एक ऐसी बात सुनाऊं, गंगानगर की जनता ने 4 मुरब्बे जमीन लेकर अपने पैसों से शुरूआत की, कि क्या करें। अपने पैसों से। ऐसा कोई है क्या जिला, जिसने गंगानगर की जनता जैसा इतना बड़ा 'ए' क्लास का हास्पिटल खड़ा किया हो अपने पैसों से? और जो हास्पिटल महाराजा गंगासिंहजी का बनाया हुआ है उसमें महिला हास्पिटल और लोकल डिस्पेंसरी के लिए मैं कितने सालों से चिल्ला रहा हूं। औरतों को 10

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

किलोमीटर चलकर गांवों से, रामनगर और ब्लाक एरिये में रहते हैं, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। आप बातें तो करते हो जननी सुरक्षा की और जननी को मारने के लिए तैयार बैठे हो।

कोई एक काम तो आप बता दो। शुगर फैक्ट्री वहां नहीं, हास्पिटल वहां नहीं। काम तो किया है, रघुजी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहां महाराजा शार्दूलसिंह के टाइम में एक टैक्सटाइल मिल होती थी जेसीटी, बहुत बड़ी, जिसमें 8 हजार आदमी काम करते थे, वह खतम कर दी। स्पिनिंग मिल थी बहुत बड़ी, वह खतम कर दी। आयल फैक्ट्री जो सारे देश में 800 करोड़ रुपये का तेल बेचती थी, महाराज आयल। कौनसी फैक्ट्री है जिसमें उड़ीसा जाता है तेल, बिहार जाता है तेल, असम में जाता है तेल। हिन्दुस्तान का कोई कोना नहीं। सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन वहां होता है। मैंने कहा कि आप टैक्सटाइल पार्क गंगानगर को दे दो, क्या बुराई जी? गंगानगर में 90 प्रतिशत कपास पैदा होता है और टैक्सटाइल पार्क कहीं और ले जा रहे हो। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सबसे ज्यादा जिप्सम पैदा होता है, आप हनुमानगढ़ जिले में खाद की फैक्ट्री लगाओ, देखो, वारे-न्यारे हो जाएंगे। लेकिन मैं कितने सालों से चिल्ला रहा हूं, पता नहीं, हमारी बात का तो कुछ असर ही नहीं है। खाद फैक्ट्री कहां गई, पता नहीं। मैं यह चाहता हूं कि कल्पना चावला नालेज पार्क होना चाहिए गंगानगर में। कल्पना चावला जिसने हिन्दुस्तान का इतिहास लिखा है, उसके नाम से नालेज पार्क श्रीगंगानगर में होना चाहिए, क्या मेरी डिमाण्ड गलत चीज है? चीफ मिनिस्टर साहब इन चीजों को पूरा करते हैं तो मैं आपको दो बार नमस्कार करूंगा, उनको भी और आपको भी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बीपीएल वाली बात करते हो, लेकिन अभी तो बीपीएल का नया रिकार्ड आएगा भारत सरकार से, उसके बाद आप चयन करेंगे। राशन कार्ड के लिए लोग मारे-मारे फिर रहे हैं, राशन कार्ड लोगों के पास हैं नहीं। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इण्डस्ट्रियल एरिया गंगानगर का बर्बाद हो रहा है, इण्डस्ट्री है नहीं, नहरों में पानी नहीं, गन्ने के लिए मिल नहीं, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं, जहर पिला रहे हो तो हमारा आप गला घोंट दो, नक्की हो जाए काम, न रहे बांस न बजे बंसी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गंगानगर का नाम जब लेते हैं, आपने बीच में कह दिया, 'ए' माइनर के लिए तीन करोड़ रुपये। उसका तो कभी का टेण्डर हो गया। सीएम साहब ने

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मेरी तरफ इशारा करके कहा था। मैंने कहा, गंगानगर के लिए कुछ भी नहीं, आप डेढ़ घण्टा बोल लिये और गंगानगर का कहीं नाम हीं नहीं आया । पिछले बजट सैशन में मैंने यह कहा था कि गंगानगर कोई पंजाब का हिस्सा है, अगर आप यह तय कर दें तो फिर आपकी मर्जी। गंगानगर का नाम ही नहीं लेते। सीवरेज की बात करें, सीवरेज की घोषणा यहां मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने की। कहां गई वह सीवरेज? घोषणा की आरओबी की, वह आरओबी कहां गया, तीन साल पहले, दो साल पहले, एक साल पहले। न तो वहां ओवरब्रिज और न वहां सीवरेज का पता है, कहां गुम हो गये? आज बता रहे थे, आंकड़े उन्होंने निकाले हैं, 5 जगह तो शायद काम चालू हो जाएगा, लेकिन गंगानगर का चालू नहीं होगा क्योंकि गंगानगर से आपके प्रिय भाई एमएलए बन गये न।

तो आपको प्यार ज्यादा है, तड़पाना जानते हो यों-यों करके। ये बातें ऐसी हैं जो आप चीफ मिनिस्टर की नजर में लाओ। सीएम की नजर में अगर ये चीजें आ गईं तो मैं विश्वास कर सकता हूं कि क्या पता उनके दिमाग में कोई आ जाए, जंच जाए और इसमें सुधार कर लें। अन्यथा यह बजट किसी भी काम का नहीं है। इस बजट में कोई विजन नहीं है, इस बजट में कोई सोच नहीं है।

श्री सभापति: श्री भगवानसहाय सैनी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): केवल मात्र प्रचार है आपका।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरे खयाल से प्रचार का अगर आपसे बिल पूछा जाए, यह पता किया जाए ...(व्यवधान)... कितने पैसे लगते हैं ...(व्यवधान) मेरे को यह तो देखो जी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री भगवानसहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, 26 मार्च को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री सम्माननीय श्री अशोक जी गहलोत ने इस सदन में बजट पेश किया, वह राजस्थान की विधान सभा में अब तक के जितने भी बजट हुए हैं, उनमें से निश्चित रूप से सर्वोत्तम बजट है। अभी सवाई माधोपुर से आने वाले हमारे सम्माननीय सदस्य आजाद साहब ने कहा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजें। (व्यवधान)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): कि यह बजट सर्वोत्तम बजट है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): आज तक जो बजट पेश हुए हैं, इस तरह का बजट नहीं पेश किया गया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, आप विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: यह क्या बात हुई? (व्यवधान) आपको 20 मिनट दिये हैं, आपने बोलना शुरू किया। माननीय सदस्य, आपने 4 बज कर 45 मिनट पर शुरू किया और 5 बज कर 10 मिनट तक बोल लिये। (व्यवधान) मैंने नाम पुकारा दूसरे माननीय सदस्य का ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: कितना समय लेंगे?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एक मिनट, सिर्फ एक मिनट।

श्री सभापति: ठीक है, माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर शहर की सड़कों पर इस वक्त 6-6, 7-7, 8-8 फीट के गड्ढे हो गये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप डिमांड पर बोल लें ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एक स्पेशल पैकेज गंगानगर की सड़कों को दिया जाए और ...(व्यवधान) हमारी परिषद् का अध्यक्ष ...(व्यवधान) उस चोर के लिए यहां घोषणाएं की कि हम इंक्वायरी कराएंगे, आज तक इंक्वायरी नहीं कराई गई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उसकी इन्क्वायरी करें। जिस आदमी ने 36 करोड़ का बजट पास करके तीन

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

साल में एक रुपया भी नहीं लगाया, सारा पैसा डकार गया। यह बहुत बड़ा एक ऐसा इश्यू है, राजस्थान में ऐसा नहीं मिलेगा। (व्यवधान) 50 परसेंट ठेकेदारी खुद करनी, यह गजब हो गया। यहां घोषणा करते हो आप कि एंटी-करप्शन से जांच कराएंगे, धारीवाल जैसा आदमी और मुकर जाए, फिर हाउस का मतलब क्या रह जाता है? वहां कलक्टर घोषणा करता है कि मैं एंटी-करप्शन से जांच करवाऊंगा, ...(व्यवधान) फिर सीडी भी बदल जाती है, गजब की बात है। इस तरह हम अपनी बात कौन से प्लेटफार्म पर कहेंगे, और कहां कहेंगे? अपना दुःख, अपनी पीड़ा आपके सामने ही तो रखेंगे, आप ही पर तो हमें विश्वास है कि आप कोई चीज उनको समझा कर ठीक करवा लें। चलो, मैं आपका इशारा समझते हुए, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री भगवानसहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, 26 मार्च को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया, हमारे पहले वक्ता, माननीय सदस्य, हमारे सत्ता पक्ष ने कहा कि इस बजट से सर्वोत्तम बजट कोई नहीं हो सकता, बिलकुल सही है। इस बजट में सभी वर्गों को साथ लेते हुए- एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरिटी, महिला, युवा वर्ग, छात्र और बीपीएल, एपीएल, सामान्य वर्ग सभी के जन कल्याण की जो घोषणाएं की गयी हैं, निश्चित रूप से राजस्थान का यह खुशहाली का बजट है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में दो महत्वपूर्ण ऐसी घोषणाएं हुई हैं जो राजस्थान के इतिहास के 60 साल में कभी नहीं हुई। एक घोषणा बेज़बान जिनके ज़बान नहीं होती, पशुधन के लिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है कि पशुधन को भी निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाई जाएगी, उनका इलाज निःशुल्क होगा। एक बहुत बड़ी घोषणा है। आज तक मानव के बारे में सोचा गया है, कभी भी पशुधन के बारे में नहीं सोचा गया है। दूसरी घोषणा, जो सदन में सदस्य बैठे हैं, बिना चुनाव लड़ कर सदन में आना चाहते हैं ...(व्यवधान) उसके लिए घोषणा की है, विधान परिषद् के गठन की घोषणा। यह 60 साल में पहली बार हुई है, जिसका स्वागत हमारे सम्माननीय विद्वान पंडित घनश्याम जी तिवाड़ी ने भी किया। (व्यवधान) अब, श्रीमान जी, बैठ जाओ, बात सुन ली, कह दिया आपने, बहुत कह दिया। घोषणा ही नहीं है,

(श्री भगवान सहाय सैनी)

यह घोषणा पूरी होगी, संकल्प जाएगा और आने वाले एक साल में निश्चित रूप से विधान परिषद् का गठन होगा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट जो चर्चा की गई है निःशुल्क दवा योजना की। अभी सादुलपुर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि निःशुल्क दवा की चर्चा तो कर रहे हैं, दवाओं की स्थिति क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो। इस तरह का बजट देख करके हतप्रभ है इसलिए वे कह रहे हैं। दवाओं की स्थिति इतनी अच्छी है कि जहां 200-250 का आउटडोर होता था, अब वहां 6-7 सौ का आउटडोर हो रहा है। 5-10 परसेंट दवा नहीं मिलती, वह एक अलग बात है, बाकी निःशुल्क दवा योजना बहुत बड़ी योजना है। इतनी बड़ी योजना में यदि छोटी-मोटी कोई कमी भी रहती है तो उसका सुधार होगा निश्चित रूप से। और जननी सुरक्षा योजना ऐसी योजना है कि रात को 12 बजे, 2 बजे भी महिला के प्रसव की आशंका हो तो टेलीफोन करते ही राजस्थान सरकार की गाड़ी वहां पहुंचेगी, उसको हास्पिटल लाएगी, डिलीवरी होगी और उसके बाद वापस घर सरकारी खर्चे पर जाएगी। इस तरह की योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने लागू की है, यह ऐतिहासिक योजना है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं तो तीन वर्षों में राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 3380 मेगावाट की वृद्धि हुई है, राज्य की उत्पादन क्षमता 9480 मेगावाट हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिजली की नींव तो हमने लगाई थी। ये ही बिजली की नींव लगाते तो आज अपने राज्य की क्षमता 15-20 हजार होती। आगामी वर्ष में राज्य क्षेत्र में 1860 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र में 540 मेगावाट क्षमता वृद्धि करने का लक्ष्य है और जब जिला बारां में 1320 मेगावाट क्षमता की परियोजना का उत्पादन शुरू हो जाएगा तो राजस्थान में बिजली की अच्छी स्थिति हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, 2006 और 2007 में भारतीय जनता पार्टी जब राज में थी तो अख़बार के पिछले पृष्ठ पर चाहे राष्ट्रदूत हो, दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, वसुंधरा राजे सिंधिया और खींवसर मंत्रीजी की फोटो आती थी कि 2008 में बिजली में राजस्थान स्वावलम्बी हो जाएगा। वह स्वावलम्बी कहां गया? ये बातें करते हैं आंकड़ों की, आंकड़ों के जाल में फंसा कर कहना क्या चाहते हैं? 2006 और

(श्री भगवान सहाय सैनी)

2007 के अख़बार डीपीआर से मंगवा लें, पूरे के पूरे पृष्ठ जिसमें इन्होंने करोड़ रुपये खर्च किये 2006 और 2007 में कि 2008 में राजस्थान बिजली में पूरा सम्पन्न हो जाएगा, बिजली दूसरों को बेचेंगे। बेचने की बात कर रहे हैं, उत्पादन तो इन्होंने किया नहीं अपने राज्य में। मध्य प्रदेश को बिजली देना इन्होंने चालू कर दिया था जो कांग्रेस के विरोध के बाद बंद की गई।

माननीय सभापति महोदय, बिजली का उत्पादन ही नहीं किया, बल्कि 44 केवीए, 132 केवीए, 400 के जीएसएस भी स्थापित किये हैं और आने वाले समय में 233 केवीए के जीएसएस स्थापित करने की घोषणा की गई है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले डेढ़ साल में गैर आबादी क्षेत्र में कृषि कनेक्शन किसानों को नहीं मिल रहे थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में वे कृषि कनेक्शन भी देने की घोषणा की है और उसके लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये विभाग को देने की घोषणा की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा में राजकीय क्षेत्र में काफी लम्बे समय बाद बीएड कालेज खोलने की घोषणा की गयी है, उसमें एक कालेज मेरे क्षेत्र कालाडेरा में खोला जाएगा। मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बीएड का कालाडेरा में दिया। कालाडेरा ही नहीं दिया, जयपुर जिले में दूसरा चिमनपुरा में दिया। केवल पांच कालेज खोले गये हैं जिनमें से दो जयपुर जिले में हैं। महाविद्यालय में नये विषय प्रारंभ करने के लिए भी कहा है, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि राजकीय महिला बाल महाविद्यालय, चौमूं में जियोग्राफी और इकोनोमिक्स विषय खोले जाएं। माननीय अशोक जी गहलोत की जिन जिलों में महाविद्यालय नहीं हैं वहां यदि कोई खोलना चाहे तो उसके लिए दो करोड़ और जहां पहले से कालेज है वहां यदि कोई कालेज खोलना चाहे तो उसके लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा स्वागत योग्य है। राजस्थान में 6 नये विश्वविद्यालय, अभी माननीय कालीचरण जी सराफ कह रहे थे कि तीन की तो हमने भी घोषणा कर दी थी, लेकिन तीन नहीं छह विश्वविद्यालय की घोषणा की गयी है और घोषणा आपने लास्ट में जाते-जाते की थी। यदि घोषणा डेढ़-दो साल पहले कर देते तो मानते कि आप विश्वविद्यालय खोलना चाहते थे, लेकिन आप खोलना नहीं चाहते थे। आप तो केवल लुभावनी घोषणा करके वोट लेना चाहते थे, लेकिन आपका मंसूबा सफल नहीं हुआ।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदेश के काश्तकारों को खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता दिलाने का जो अधिनियम बनाया है, वह महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य है। आज काश्तकार के खेत तक पहुंचने के लिए आये दिन झगड़े होते रहते हैं, इन झगड़ों को मिटाने का काम माननीय अशोक जी गहलोत ने किया है, इसका राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यही नहीं, राजस्थान के जिला कलक्टर परिसरों में 25-25 लाख रुपये से किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, पक्षकारों के लिए बैठने के लिए सुविधा, छाया की सुविधा, पानी की सुविधा की जाएगी, यह भी जनता के लिए एक राहत की बात है।

800 पटवार मण्डल, 24 नई तहसीलें, 33 उप तहसीलें और 7 अतिरिक्त तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत करना भी महत्वपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति का मुख्यालय गोविन्दगढ़ है, गोविन्दगढ़ में भी यदि उप तहसील खोली जाती है तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के खातों में मंदिर माफी का पेंशन नोट 1993 में गलत ढंग से लगाया गया है, जो काश्तकार 1952 में खातेदार थे, पट्टेदार थे उन काश्तकारों के भी राजस्व अधिकारियों ने गलत तरीके से पेंशन नोट हटा दिये। 2007 और 2011 में हटाने के आदेश भी राजस्व विभाग ने दे दिये, लेकिन, सभापति महोदय, ये आदेश इस तरह के दिये कि तहसीलदार को किसान जब तक आवेदन नहीं करेगा, तब तक वे नोट नहीं हटेंगे। इसमें तहसीलदार चाहे तो हटाए और वह नहीं चाहे तो नहीं हटाए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मंदिर माफी नोट जो गलत तरीके से लगाये गये हैं, ये नोट राजस्व अधिकारियों ने अपने स्तर पर लगाये हैं, राजस्व विभाग इसके लिए निर्देश दे जिससे किसानों को परेशान न होना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी पुरस्कार राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, इससे प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। प्रत्येक उप खण्ड स्तर पर खेल स्टेडियम हेतु 10 लाख रुपया मैचिंग ग्रांट दिये जाने की जो घोषणा की है, वह भी ऐतिहासिक है। 10 लाख रुपया स्टेडियम

(श्री भगवान सहाय सैनी)

के लिए, बाकी पैसा सांसद कोष, एमएलए कोष या अन्य निकायों से मिलेगा तो इससे निश्चित रूप से खेल प्रेमियों को बड़ा फायदा होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 7 विधायक और 2 मंत्री सत्ता पक्ष में और मंत्री भी नागौर के।

श्री सभापति: बैठे हुए हैं।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, बजट में राज्य के पुलिस जिला मुख्यालयों में शेष 11 जिला मुख्यालयों पर महिला थाने खोलने की घोषणा की गयी है उससे महिलाओं को लाभ मिलेगा। अभी सादुलपुर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि केवल जिलों से क्या होगा, जब जिलों से पूर्ति हो जाएगी तो मैं निवेदन करूंगा कि तहसील स्तर पर भी इस तरह के थाने खोले जाएं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 हजार पुलिसकर्मी भर्ती करने की घोषणा की है, 12 हजार की प्रक्रिया चल रही है और नफरी शहरी थानों में 60 और ग्रामीण थानों में 45 बढ़ाने की जो घोषणा की है वह भी स्वागत योग्य है क्योंकि उससे लॉ एण्ड ऑर्डर में फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, चौमूं का आबादी क्षेत्र बढ़ रहा है, जनसंख्या भी 70-80 हजार के लगभग हो गई है, यदि चौमूं में एक कोतवाली थाना स्थापित कर दिया जाय तो इससे जनता को काफी राहत मिलेगी।

गैस पर 25 रुपये की राज्य सरकार की छूट और पैट्रोल पर 2 परसेंट वैट कम करने से 1 रुपया 6 पैसा प्रति लीटर कम हुआ है, इससे भी जनता को काफी फायदा हुआ है। सभी तरह के मनोरंजन कर मुक्त किये गये हैं। स्नातक स्तर के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 500 रुपया देने की घोषणा की गयी है। जयपुर शहर में मैट्रो रेल परियोजना वर्ल्ड क्लास सिटी का एक रूप है। शहर में आरओबी बनाये जा रहे हैं। राजधानी जयपुर को चमकाया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका राजस्थान में मैसेज जाएगा। मैंने पहले भी अनुरोध किया है और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैट्रो रेल परियोजना को चौमूं तक बढ़ाया जाए और चौमूं ही नहीं जयपुर के चारों ओर 30 किलोमीटर तक बढ़ाया जाए तो इससे आम जनता को, राजस्थान के निवासियों को काफी फायदा होगा।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा में 25 पीएचसी को सीएचसी, 100 पीएचसी और 3 हजार नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की गयी है, 3 हजार राजस्थान के नये गांव उप स्वास्थ्य केन्द्रों से जुड़ेंगे। सीएचसी में 20-20 शैयाओं के जननी वार्ड बनाये जाएंगे, 108-एम्बुलेंस 200 और बढ़ायी जाएंगी। लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को एक लाख रुपये देने की जो घोषणा की गयी है, वह स्वागत योग्य है। दंत चिकित्सकों के 250 नवीन पद स्वीकृत करने की बात की गयी है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि चौमूं बहुत बड़ा कस्बा हो गया है, चारों तरफ की आबादी बढ़ चुकी है, चौमूं में 200 बैड का महिला जनरल हास्पिटल खोला जाए तो जनता के लिए राहत की बात होगी।

8 वर्ष से कम आयु के नि:शक्त बालक-बालिकाओं को 250 रुपया पेंशन स्वीकृत किया जाना जनता की बहुत समय से मांग चली आ रही थी, क्योंकि 8 साल से कम आयु के जो नि:शक्त बच्चे थे, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। बेसहारा लोगों के लिए निराश्रित संबल योजना प्रारम्भ करना, एससी छात्रावासों में रह रहे छात्रों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करना, जयपुर में छात्रावास एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण कदम है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, साथिनों एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी से लगभग 1 लाख 80 हजार महिलाओं को फायदा होगा। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि विषय में अध्ययनरत उच्च माध्यमिक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार, बीएससी, एमएससी में 5 हजार से 10 हजार, पीएचडी में 10 हजार से 15 हजार करने से निश्चित रूप से हमारी बहनों में पढ़ने की जाग्रति आएगी और उन्हें पढ़ने के लिए घर वालों से मदद नहीं लेनी पड़ेगी। वे इस अनुदान राशि से पढ़ पाएंगी।

पशु चिकित्सा हेतु नि:शुल्क दवा के साथ 400 नये पशु उप केन्द्र, 200 उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में कन्वर्ट करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं के कमीशन में बढ़ोतरी की गयी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि मुख्य मंत्री शहरी बीपीएल योजना

(श्री भगवान सहाय सैनी)

लागू की जाएगी जिसमें गांवों में बीपीएल योजना में इंदिरा आवास, मुख्य मंत्री आवास योजना में मकान मिल रहे हैं, वे शहरों में भी मिलेंगे। अभी हमारे सम्माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि 50 हजार में क्या होगा। 50 हजार में कमरा तो बन जाएगा, लेकिन 50 हजार में शहरों में जमीन मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों में जमीन की व्यवस्था भी सरकार कराए जिससे गरीब को छत मिल सके।

शिक्षा में नये विद्यालय खोले गये हैं। अभी शिक्षा की बात कालीचरण जी सर्राफ कर रहे थे। आपने नये विद्यालय तो खोल दिये, लेकिन उनमें एक में भी विषयाध्यापक नहीं लगाये। वे दो साल तक खाली पड़े रहे। अब जाकर पातेय वेतन पर या भर्ती करके लगाया गया है। दो साल तक छात्रों का इतना बड़ा नुकसान हुआ, अनेक छात्रों की पढ़ाई छूट गई, इस तरह का काम किया है। यही नहीं, कालीचरण जी सर्राफ जब शिक्षा मंत्री थे इनके राज में भारतीय जनता पार्टी के जन प्रतिनिधियों ने झूठे शिलान्यास किये। मैंने पहले भी कहा था, कुशलपुरा गांव में विज्ञान विषय की पट्टिका लगाकर छोड़ दी वहां आज तक बायलोजी नहीं खुली। यह भारतीय जनता पार्टी के जन-प्रतिनिधियों का काम है। कांग्रेस जो कहती है वह करती है और भारतीय जनता पार्टी गणेशजी को दूध पिलाती है, यह मेरा कहना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की 2-3 समस्याएं हैं उनकी आपके समक्ष चर्चा करना चाहूंगा। चौमूं में सीवरेज लाइन डालने की योजना पिछले तीन साल से चर्चित हो रही है लेकिन यह स्वीकृत नहीं हुई। यह स्वीकृत की जाए तो चौमूं की जनता को काफी राहत मिल जाए। कालाडेरा में कोका-कोला प्लांट पिछले 15 साल से स्थापित है और पानी का दोहन इतनी मात्रा में हो रहा है कि आस-पास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कोका-कोला प्लांट को बंद किया जाए या अन्य जगह स्थानांतरित किया जाए जिससे आने वाले समय में जनता के लिए, किसानों के लिए पीने का पानी तो उपलब्ध रह सके।

इसके अलावा चौमूं में अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की है। चौमूं से महलां-चौमूं, हाड़ौता, टांकरड़ा, कालाडेरा होते हुए महलां तक मेगा हाइवे बनाने की घोषणा की है। चौमूं को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है उसके लिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-

(श्री भगवान सहाय सैनी)

बहुत आभारी हूं और मुख्य मंत्रीजी ने जो शानदार बजट पेश किया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पवन दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बजट 2012-13 जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा है, उस पर अपनी बात बहस के दौरान रख रहा हूं। सभापति महोदय, दो दिन से सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों ने इस बजट की सराहना की है। कुछ चीजें अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 4 साल तक लगातार चार बार बजट को पढ़ा है, सुना है और पहली दफा विधान सभा में पहुंचे हैं, लेकिन 4 सालों में गांवों में क्या लगाया है? सभापति महोदय, हम बहस कर लेते हैं, विपक्ष में बोलते हैं, अपनी मेजें थपथपा लेते हैं मगर बजट का असली फायदा तब है, इस तरह मेजें थपथपाने का असली फायदा तब है जब गांव में बैठे हुए आम-अवाम को इसका फायदा हो।

सभापति महोदय, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में कांग्रेस कितनी ही वाहवाही करे, मगर जितने भी पक्ष और विपक्ष के विधायक जीतकर आये हैं वो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गांवों में बिजली 3 और 4 घंटे से ज्यादा नहीं रहती है। बिना बिजली के आप अंदाजा लगा सकते हो कि सारी चीजें प्रभावित होती हैं। उससे शिक्षा भी प्रभावित होती हैं क्योंकि आम गरीब किसान का बेटा गांव में बैठा हुआ है। गांव में स्कूल हैं लेकिन स्कूलों में बिजली नहीं है तो वो किस हालत में शिक्षा का अध्ययन करेगा, यह सभी विधायक जानते हैं। इस पीड़ा को, इस चीज को अगर यहां रखकर सुधार करें तो हमारा यहां तक पहुंचने का फायदा है।

सभापति महोदय, हम जिस जिले से निर्वाचित होकर पहुंचे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में अधिकांश किसान आज अपने खेत में, ढाणियों में रह रहे हैं। ढाणियों में अभी भी, आज 64 साल हो गये, बहुत-से विधायक आये हैं, 70-80 प्रतिशत गांवों में, ढाणियों में जो किसान बैठा है, उनके बिजली नहीं है। बिजली के लिए ऐसी-ऐसी शर्तें इन्होंने लगा रखी हैं जिसके कारण से वो किसान अपनी बिजली ले ही नहीं सकता। सभापति महोदय, दो साल पहले विधायक और सांसद अपने निजी कोष से एक ग्रुप बनाकर बिजली देते थे, पर माननीय मुख्य मंत्रीजी जब से सत्ता में आये हैं तो इन्होंने वो भी बंद कर दिया। हम यह चाहते हैं कि जो हमें फण्ड दिया जाता है, हम उसको

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

योजनाबद्ध तरीके से विकास में लगाएं। हम मानते हैं कि बहुत मामूली है, मगर गांव में बैठा हुआ किसान बिजली चाहता है तो हम जबरदस्ती सड़क नहीं दे सकते। उसको पूरी तरह से बंद किया है। नियम यह बना दिया कि 500 मीटर के दायरे में अगर आप नहीं होंगे तो बिजली नहीं लगेगी। सभापति महोदय, अब वो 500 मीटर में है नहीं और उसके कभी बिजली मिल नहीं सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब बजट पर मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी अपना संशोधन पेश करेंगे तो यह जो 500 मीटर का दायरा है, इसे हटाकर कम से कम हजार करें। इसके साथ-साथ विधायक और सांसद जो अपने एमएलए लैड से, एमपी लैड से एक ग्रुप बनाकर बिजली देना चाहते हैं, उस प्रथा को दुबारा लागू करें।

सभापति महोदय, जहां तक जल संसाधन का मामला है, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर जो जिले हैं, ये पूरी तरह से इंदिरा गांधी नहर पर टिके हुए हैं। उनकी जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर है। मगर इंदिरा गांधी नहर की क्या हालत हो गई है? अभी इसी सत्र के अन्दर हमारे सत्ता पक्ष के मंत्रीजी ने भी कहा था, हमने मांग की थी कि मरम्मत की जाए मगर इन्होंने पूरा ढिंढोरा पीटा कि हम बंदी ले रहे हैं। पहले तो किसान को गुमराह किया कि 90 दिन की बंदी ले रहे हैं और लास्ट में जाते-जाते इन्होंने कहा कि बंदी नहीं है। सभापति महोदय, अभी भी यह हालत है, पिछले चार साल का आप रिकार्ड निकाल कर सदन तक लेकर आएं तो एक भी ऐसी फसल इन तीनों जिलों में नहीं हुई है जिसमें इन्होंने पर्याप्त पानी दिया हो। डैम की स्थिति बेहतर होने के बावजूद भी इन्होंने हमेशा पानी आंदोलन करने के बाद ही दिया है, किसान को बर्बाद करने के बाद दिया है। आज भी डैम की स्थिति है मगर पानी चल रहा है साढ़े तीन रोजा। किसान की गेहूं की फसल जो लगभग ढाई लाख हैक्टेयर के अन्दर दोनों जिलों में खड़ी है, वह फसल बर्बाद हो रही है।

सभापति महोदय, हम यह उम्मीद कर रहे थे कि तीन साल निकल गये, कुछ गंगानगर जिले को मिलेगा, जैसे हमारे साथी विधायक ने भी कहा था। मगर दुर्भाग्य है, चार बजट में तो हम खुद उपस्थित हैं और इससे पहले खूब सारे बजट रखे हैं, हमेशा गंगानगर जिले की उपेक्षा हुई है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा प्रदेश को आय देता है मगर हालत यह है कि उसको एक अलग रखा हुआ है। अन्तरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर है, जब भी देश पर दुःख और तकलीफ आती है तो वहां का किसान, वहां का मजदूर फौजी के

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

साथ संघर्ष करता हुआ नजर आता है, मगर प्रदेश की सरकार हमेशा उनको नैग्लेक्ट करती नजर आ रही है।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मनरेगा जहां तक चली है, उसमें चाहे इन्होंने कितनी ही वाहवाही लूटी हो, केन्द्र सरकार ने लूटी हो कि हमने बहुत सारी योजना चला दी, पर वर्तमान में हालत यह है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना है वह पूरी तरह मृत हो चुकी है। उस योजना का भट्टा बैठा दिया इन्होंने प्रदेश के अन्दर। उसमें हालत भी कैसे किये हैं? गंगानगर जिले के अन्दर जो लघु-सीमांत काश्तकार थे, जिनके पास स्वाभाविक रूप से 10-12 बीघा जमीन थी, उनको नरेगा के अन्दर डिग्गी खोदने का पैसा दिया गया। आज तीन साल निकल चुके हैं, उनके पास 10 बीघा जमीन थी उसमें से एक बीघा में उन्होंने डिग्गी खोद ली, दूसरे बीघा में मिट्टी डाल दी लेकिन उनको बनाने की इनके पास कोई योजना नहीं है। कोई कार्य योजना इनके पास नहीं है। उलटा किसान को कह रहे हैं कि हम डेढ़ लाख से ऊपर नहीं दे सकते, बाकी पैसा आप स्वयं दो। सभापति महोदय, अगर ये डिग्गी नहीं बना सकते और किसान को तीन साल तक इन्होंने बरबाद किया है तो मेरी आपके माध्यम से यहां मांग है कि कम से कम डिग्गी जो खुदी है उसको वापस भरने के लिए तो पैसा दे दो जो इन्होंने किया हैं किसान इसमें भी संतुष्ट हो जाएगा।

सभापति महोदय, जैसे कल भी हंगामा हुआ था, विद्यार्थी मित्रों पर इन्होंने लाठी चार्ज किया। हालांकि आज सदन में असत्य बोल गये, मगर हकीकत में इन्होंने विद्यार्थी मित्रों को क्या दिया है? इन्होंने विद्यार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, मदरसा शिक्षा सहयोगी को क्या दिया है? सभापति महोदय, बजट में कितना गुमराह किया गया है। इन्होंने कहा है कि 31 मार्च, 2010 को देय मानदेय की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। अब आप यह बताएं, 2010 को आज दो साल निकल चुके, ढाई-तीन साल निकल चुके है और आप आज उनके 25 प्रतिशत वृद्धि कर रहे हो और दो साल पहले के मानदेय पर, आज के मानदेय पर नहीं। इसके अलावा वो भी कब लागू करोगे? आगे आने वाली एक जुलाई से, पीछे से शुरूआत नहीं की। सभापति महोदय, यह गुमराह किया गया है। यह 25 प्रतिशत जरूर कहा है, मगर यह 12-13 प्रतिशत भी नहीं बन रहा है जो उनका वर्तमान मानदेय है, उसके ऊपर।

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

सभापति महोदय, जहां तक प्रदेश का सवाल है तो न तो इस प्रदेश की कोई युवा नीति है, न इस प्रदेश की खेल नीति है। चाहे इन्होंने कितनी ही वाहवाही लूटी हो कि खेल में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए पांच गुना राशि बढ़ा दी। सभापति महोदय, राशि बढ़ाने से उन खिलाड़ियों का क्या भला हो जाएगा? उनको पुरस्कृत करने से उनका क्या भला हो जाएगा? अगर वास्तव में ये खिलाड़ियों के हमदर्द हैं तो इन्हें उनके लिए नौकरियों में एक कोटा रखना चाहिए। नौकरियों में कोटा देना चाहिए, उनके लिए रिजर्वेशन रखना चाहिए ताकि जो अपनी प्रतिभा को पेश करके देश-प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, अपने जीवन-यापन का उनको स्थायी साधन मिले। दो लाख दो, चाहे पांच लाख दो, मैं समझता हूं कि उससे उनका इतना ज्यादा भला नहीं होगा।

हालात ये हैं, आज पूरे प्रदेश में इतनी चिटफण्ड कम्पनियां चला दी हैं कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अभी गोल्ड सुख के डाइरेक्टर पकड़े गये हैं। आज तो हमने अख़बार में पढ़ा, बड़ा दुःख हुआ, राजस्थान की हमारी वह एक ही एथलीट थी जिसने कामनवैल्थ में गोल्ड मैडल जीता, उसके लिए आज अख़बार में आया है कि वह भी ठगी का शिकार हो गई और वह भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सभापति महोदय, क्योंकि वे साउथ अफ्रीका गये हुए थे, उनके परिवार ने दबाव डाला तब कल जाकर कहीं शाम को मुकदमा दर्ज हुआ है। किस खिलाड़ियों की और किस नौजवानों की ये लोग बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घड़साना को, खाजूवाला को और लूणकरणसर को नगरपालिका का दर्जा दिया था लेकिन यह सरकार आते ही इन्होंने नगरपालिका को हटाकर वापस उनको ग्राम पंचायत कर दिया। यह आपने विकास किया है? लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ आप लोगों ने किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से और इस बजट से मैं यह उम्मीद करता हूं, हमारे गंगानगर जिले में 1954-1957 के बाद से काश्तकार बैठा हुआ है, अपनी जमीन का 10 गुना लगान भरकर वे जमीन पर काबिज हुए। उन्होंने 50 साल सेवा की है। सभापति महोदय, पानी की पर्ची उनके नाम है, वह जहां फसल बेचने जाते हैं उनकी पर्ची उनके नाम है, मगर यह दुःख की बात है कि 50 साल हो गये, उनको आज तक इन्होंने खातेदारी हक नहीं दिया। सभापति महोदय, ऐसे 468 परिवार अकेले अनूपगढ़

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

विधान सभा क्षेत्र में हैं और पूरे गंगानगर-हनुमानगढ़ का अगर सर्वे करें तो कितने किसान इनकी जान को रो रहे होंगे। न तो वे कोई राजकीय फायदा उठा सकते हैं, न अपनी जमीन का बेचान कर सकते हैं। मगर इच्छाशक्ति की कमी है, उन किसानों को खातेदारी हक नहीं देना चाहते। जो लम्बे समय से इनको जिताकर भेजते हैं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं कहना चाहते और यहां आकर मेजें थपथपाते हैं कि किसान के पता नहीं कितने बड़े हमदर्द हैं। वैसे भी पूरे प्रदेश के अन्दर पाला पड़ा है और पाले में इन्होंने घोषणा की है कि पता नहीं प्रदेश के किसानों को क्या दे दिया। सभापति महोदय, ऐसे आंकड़ों में किसान बेचारे को इन्होंने जकड़ रखा है। पूरे गंगानगर-हनुमानगढ़ का देखें तो भी 50 प्रतिशत से ऊपर है मगर इनकी गिरदावरी रिपोर्ट क्या है? हम दुबारा और बार-बार मांग कर रहे हैं कि यह संवेदनशील मामला है, यह गम्भीर मामला है, इस मामले के ऊपर सरकार को दुबारा अध्ययन करना चाहिए। मगर, सभापति महोदय, इच्छाशक्ति नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है। इन्होंने सोच लिया है कि ठीक है, पांच साल हमारा राज है। अब राज इनके हाथ से जाएगा। यह इनके दिमाग में बैठी है और इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के ये हालात इन लोगों ने कर दिये हैं।

सभापति महोदय, इन्होंने यह योजना चलाई, अच्छी योजना है, मुख्य मंत्री आवास योजना, हम स्वागत करते हैं योजना का। गरीब को मकान मिले, अच्छी सरकार है। लोग इनको वोट देते हैं अगर ये अच्छा काम करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, दुबारा चुनाव जीतकर आ जाएंगे। वैसे भी राजस्थान का इतिहास है, कभी दुबारा कोई नहीं जीता, जिसका सीधा-सा मतलब है कि राजस्थान प्रदेश जनता इनसे तंग और परेशान हो जाती है और हर पांच साल में इनको बदल देती है। मगर विकल्प नहीं है और उसी का ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, फायदा उठा रहे हैं।

सभापति महोदय, इन्होंने योजनाएं ऐसी बनाई हैं, पूरे गंगानगर जिले की बात कर रहा हूं, जो किसान लोग, मजदूर हैं, बीपीएल लोग बैठे हैं, खुद हमारी विधान सभा में 30,000 परिवार ऐसे हैं जो कच्ची बस्तियों में बैठे हुए हैं, उनको पट्टे आज तक नहीं मिले हैं। उनको बैठे हुए 30-30, 40-40 वर्ष हो चुके हैं। अब शर्त रखी है कि पट्टा नहीं है तो फिर आपको मुख्य मंत्री आवास नहीं दिया जाएगा, आपको इन्दिरा आवास नहीं दिया जाएगा। सभापति महोदय, वह गरीब, वह बीपीएल आदमी कहां से पट्टा लेकर आएगा? इनको

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

योजना बनानी चाहिए। उस बीपीएल के पास अगर पट्टा नहीं है तो वहां ग्राम पंचायत है, नगरपालिका है, उसमें इनको कंडीशन रखनी चाहिए कि सम्बन्धित जन प्रतिनिधि, सम्बन्धित अधिकारी अगर वे 10-20 साल से काबिज हैं तो उन लोगों को पट्टे देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। मगर, सभापति महोदय, इच्छाशक्ति नहीं है, काम करने का इरादा भी नहीं रखते हैं।

दूसरा, सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के मामले वैसे तो बहुत उजागर हुए हैं, कोई गिनती ही नहीं रही है। फिर भी मैं बार-बार कह रहा हूं कि बीकानेर के अन्दर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला हुआ है। 10,000 खाताधारक सरकार की जान को रो रहे हैं और सैकड़ों कर्मचारी पिछले चार साल से लगातार धरने पर बैठे हैं। मंत्रीजी जाते हैं, मुख्य मंत्रीजी जाते हैं और आश्वासन देकर घर वापस आ जाते हैं। इन्होंने उत्तर में मुझे जवाब क्या दिया है? लिख रहे हैं कि जो कर्मचारी है वह बीकानेर में धरने पर बैठा हुआ है इसलिए वसूली नहीं हो रही है। कौनसा बीकानेर का कर्मचारी धरने पर बैठा हुआ है? वे तो तैयार हैं, उनका समायोजन करो आप, उनको कहीं लगाओ। उनको अपनी नौकरी से मतलब है चाहे उनसे रिकवरी करवाओ, चाहे उनसे अन्य काम करवाओ, वे तैयार हैं मगर सरकार का इरादा नहीं है।

अभी इन्होंने कालेज की बात की है। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 1997 के अन्दर तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने नींव पत्थर रखे, एक कालेज की घोषणा की थी और उद्घाटन किया था। अब कितना तो राज इधर वालों का चला गया और दो बार इन्होंने राज कर लिया, पर कहीं भी कालेज की एक ईंट आज तक नहीं लगी है। अभी घोषणा की है कि कालेज खोलेंगे। हम कालेज खोलेंगे कहां? रुपया तो एक नहीं दे रहे हैं, बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं मगर कालेज खोलेंगे।

दूसरा, सभापति महोदय, सरकार संवेदनशील होने नाम दे रही है, आज ही हमने इस मुद्दे को सदन में उठाया था, कि एक दलित को पुलिस कस्टडी में पीट-पीटकर मार दिया गया और यहां जवाब दे रहे हैं कि नहीं जी, वह तो चलते हुए मर गया। हकीकत यह है, सभापति महोदय, उस बच्चे को, उस किशन को और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करके दोनों भाइयों की पिटाई की थी। दोनों भाइयों के लिए खुद मान रहे हैं कि इन्होंने गिरफ्तार किया था। मारकर जब उसकी पिटाई हुई, उसकी मौत हो गई तो उसको उठाकर जहां पुलिस चौकी है, मात्र 60 फीट की दूरी है, उठाकर

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

उस बच्चे को इन्होंने इन्दिरा गांधी नहर में डाल दिया और फिर कहने लगे कि वह बच्चा फरार हो गया। जब उसकी लाश मिली तो बाद में इन्होंने इस प्रकार का उत्तर दिया। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यह उम्मीद करूंगा कि सरकार को कुछ सद्‌बुद्धि आए, वर्ना पांच साल इनके निकल गये और इधर वाले हमारे भाई, ये भी तैयार बैठे हैं। ये भी तैयार बैठे हैं, इनको भी कुछ नहीं करना। इनको पता है कि अब उन्होंने शोषण कर लिया, खूब हम भी मजा देखें, हमारा नम्बर पक्का है। मगर, सभापति महोदय, इस बार राजस्थान की जनता ने और जो यू.पी. में चुनाव हुआ है, अदर स्टेट में जो चुनाव हुए हैं, उनमें हिन्दुस्तान की जनता ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के हाथ से शासन जाएगा। राजस्थान के अन्दर भी, मैं दुबारा दोहरा रहा हूं कि न भाजपा खुश रहे और न कांग्रेस रहे, तीसरी ताकत आएगी, तीसरा मोर्चा आएगा और तीसरा मोर्चा राजस्थान में किसान और मजदूर के लिए काम करेगा।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...उनके हक की बात करेगा, उनका जो 64 साल तक शोषण हुआ है, उस शोषण का जवाब लेगा। इसलिए मैं इस बजट की घोर निन्दा करता हूं। अगर इसमें कोई सुधार करे तो जरूर दुबारा उठकर धन्यवाद दूंगा, वर्ना यह 64 साल में जो बजट पेश हुआ है किसान, मजदूर, नौजवान विद्यार्थी विरोधी, उसकी निन्दा करता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना यह चौथा बजट पेश किया है, इस चौथे बजट में उन्होंने जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं, उनके लोग उसका प्रचार -प्रसार कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा लोक-लुभावन बजट इस बार प्रदेश का रखा गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि राजस्थान एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, कुर्बानियों और आवभगत के कारण उसको जाना जाता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब से राजस्थान में आई है, उसको और ही किन्हीं नामों से जाना जाता है। देश में कहीं भी बात करेंगे तो पहले वाले राजस्थान की बजाय ऐसे नामों का जिक्र किया जाता है, कि वहां का राजस्थान, वहां की बात कर रहे हैं क्या। क्योंकि हम बजट की

(श्रीमती अनीता सिंह)

बात कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी, सभापति महोदय, कि जिस लोक-लुभावन बजट के ऊपर इतनी सारी बातें चारों तरफ हो रही हैं, पक्ष वाले अपनी बात को बहुत अच्छे से रख रहे हैं कि हमने यह किया, हमने इतनी सारी चीजें कर दीं, हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया, हमने अपने तीन वर्ष में राजस्थान का बहुत विकास कर दिया, हम राजस्थान को बहुत आगे ले गये। लेकिन अगर वे आर्थिक समीक्षा को देखेंगे और वसुन्धरा राजे जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम से अगर उसका मिलान करेंगे तो कभी तो वे पीछे पाएंगे, कभी वे बराबर में आने की कोशिश करेंगे लेकिन आगे जहां जाने की बात करते हैं कि हमने बहुत आगे पहुंचा दिया राजस्थान को विकास में, वहां पर वे राजस्थान को नहीं पहुंचा पाये। इस प्रकार के झूठे आंकड़े आप सब यहां पर सुन रहे हैं और बात हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो बजट यहां पर रखा गया है, पिछले तीन वर्षों से लगातार रखा जा रहा है, उसमें सामाजिक सेवा पर बहुत अधिक अच्छा खर्चा यह सरकार दिखा रही है। यह अच्छी बात है, सामाजिक सेवाओं में अधिक खर्चा होना चाहिए। खर्चा यह होना चाहिए कि अभावग्रस्त जो लोग हैं हमारे प्रदेश के, जिनकी आवश्यकता है, जो दीन-हीन हैं, जो निर्धन हैं, उन तक सरकार की सेवाएं पहुंचें और उनका जीवन थोड़ा-बहुत ऊंचा उठ सके, उनके जीवन का उद्धार हो सके। इस प्रकार की सामाजिक सेवा उन तक पहुंचे, इस पर अच्छा खर्चा हो, ज्यादा हो तो अच्छी बात है। लेकिन तीन वर्षों में इन्होंने सामाजिक सेवाओं में कटौती ही की है और आर्थिक सेवा में इसको बढ़ाया है। आर्थिक सेवा में इसको बढ़ाया है तभी इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। मुख्य मंत्री और सब लोग कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू आधिक्य है, रेवेन्यू आधिक्य है, वह इसलिए कि इन्होंने आर्थिक सेवा में उसको बढ़ाया और सामाजिक सेवा में उसकी कटौती की है। जब आर्थिक सेवा में अच्छा आधिक्य आ रहा है, अच्छा रेवेन्यू आ रहा है तो सबसे पहले अगर खर्च करना चाहिए किसी लोकप्रिय सरकार को और जनता से चुनी हुई सरकार को, तो सामाजिक सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन आप इसकी कटौती पर कटौती कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आंकड़े आपको प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो आपका यह आय-व्ययक अध्ययन है, इसमें आंकड़े हैं, आंकड़ों में आपने रेवेन्यू एक्सपेंडीचर और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। एक्सपेंडीचर आन जनरल सर्विसेज, इसमें 2008-09 के अन्दर

(श्रीमती अनीता सिंह)

37.84 है और उसको घटाते-घटाते आज की तारीख में, जो कि अनुमानित है, अभी आपके पूरे आये भी नहीं हैं, 2011-12 के अन्दर आप 34.79 तक ले आये हैं। तो आपने जनरल सर्विसेज में कितनी अच्छी दी हैं, कितना परसेंट उसमें एक्सपेंडीचर आपने किया है, वह इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है। सभापति महोदय, एक्सपेंडीचर आन सोशल सर्विसेज, आप उसकी बात करें तो 2008-09 में जब वसुंधराजी राजे की सरकार थी, 40.98 उसको छोड़ा था। उसके बाद 09-10 में 41.10 हुआ, फिर उससे नीचे चले गये सोशल सर्विस में, वह आई 39.88 और उसके बाद आज की जो अनुमानित आपने बताई है, वह बताई 41.61 । यानी आज और 2008 में जो है वह बराबर की बात है सोशल सर्विस में। आप इस बात को नहीं कह सकते कि हमने लोगों के लिए बहुत सारी सोशल सर्विस की, बहुत ज्यादा बजट हमने इसके लिए किया है और लोगों तक बहुत सारी बातें पहुंच रही है।

सभापति महोदय, जो इकोनोमिक सर्विस में हमारा एक्सपेंडीचर है उसके विषय में भी मैं कहना चाहूंगी कि 08-09 के अन्दर जो 21.19 था वह घटकर 09-10 में 19.86 हो गया। उसके बाद 10-11 के अन्दर 22.17 और आज वह 23.60 हुआ है। इकोनोमिक सर्विस में आपका 23.60 है, इसका मतलब है कि इकोनोमिक सर्विस में आप अपना जो बजट है उसको बहुत कम दे रहे हैं। मैं निवेदन कर देना चाहती हूं माननीय पक्ष और मुख्य मंत्री महोदय को कि जिस प्रकार से आप इकोनोमिक सर्विस को कम करते जा रहे हैं, अगर आप इकोनोमिक सर्विस को कम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाला जो रेवेन्यू है उसमें फर्क पड़ेगा और फर्क पड़ने का यह है कि जो आपकी आमदनी है, जो प्रदेश की आमदनी है, वह कम होती जाएगी। अगर प्रदेश की आमदनी कम होती जाएगी तो निश्चित रूप से जो आगे गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, जो बीपीएल के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, जो दलितों के लिए काम करना चाहते हैं, हम जो गरीब को गणेश मानकर काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम उतनी सामाजिक सेवाएं नहीं दे पाएंगे जितनी कि हम अपने मन में विचार करके आते हैं कि हम इतना करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि यह इकोनोमिक सर्विस है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि रेवेन्यू इसका अच्छा आगे बढ़ता रहे। अगर आप लोगों ने यह महसूस ही कर लिया कि हमको राजस्थान को कंगाल करना है और इस तरीके से रेवेन्यू कम

(श्रीमती अनीता सिंह)

कर देना है कि आगे आने वाली सरकार के लिए कटोरा लेकर किसी तरीके से काम करने का वह रहे, तो यह भी एक बहुत गलत बात है।

सभापति महोदय, आपको मैं आंकड़े देना चाहती हूं सड़क की बाबत। सड़क की बात हो रही है कि पूरे प्रदेश में सड़कों का हमने जाल बिछा दिया है, जहां चले जाओ वहां सड़क ही सड़क है, इतनी अच्छी सड़क है कि पूछो मत। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जो स्टेट हाइवेज आज तक बने हैं, 2008-09 में जब वसुंधराजी की सरकार थी जब 11758 किलोमीटर की सड़क बनी थी, लेकिन आज की हम बात करें 2011-12 की, तो यह आंकड़ा बढ़ा नहीं है, यह आंकड़ा उलटा नीचे कम हो गया है। यह 11388 हो गया, यानि कि जितनी सड़क वसुंधराजी ने अपनी सरकार में बनाई थी उससे आपने आंकड़े को कम कर दिया, आपने सड़क अब कम बनाई है। यह तो स्टेट हाइवेज की बात है। अगर आप मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो 2008-09 के अन्दर जब वसुंधराजी की सरकार थी जब 7673 किलोमीटर की सड़क बनी थी। आपने उसमें थोड़ा-सा ही बढ़ाया है, कोई ज्यादा सड़क आपने बढ़ाई नहीं। 11-12 के आंकड़े में हम जायेंगे तो केवल नौ हजार के करीब आपने सड़क को बढ़ाया है जो थोड़ा-सा है, एक प्रतिशत सड़क मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में आपने इन तीन वर्षों में बढ़ाई है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, 08-09 के अन्दर उनका आंकड़ा था 24418, वह भी कम हो गया, वह भी 11-12 के अन्दर आज की तारीख में 24004 रह गया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सड़कों की बात हम करते हैं कि हमने बहुत अच्छी सड़कें बनाईं, लेकिन इनकी किताबों को उठाकर देखेंगे और आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो काम विकास का जो काम भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ, वह आपके समय में बिलकुल नहीं हुआ। आज गांव की और किसान की बात हम बहुत जोर से करते हैं। जब भी कांग्रेस के सदस्य कहते हैं, कहते हैं किसान की बात करेंगे, गांव की करेंगे, कि गांव के उस गरीब के घर में सड़क जानी चाहिए, क्योंकि जिस गांव में सड़क चली जाती है उस गांव के विकास के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अगर गांव की सड़कों की बात करेंगे, विलेज रोड्स की बात करेंगे तो मैं कहना चाहती हूं कि उसमें भी कांग्रेस की सरकार इन तीन वर्षों में पिछड़ी है। 08-09 में तेरह लाख सात हजार दो सौ पैंतीस, यह आंकड़ा वसुंधराजी की सरकार थी जब उन्होंने छोड़ा था और आज आप बात करेंगे तो वह भी सिर्फ तेरह हजार आठ

(श्रीमती अनीता सिंह)

सौ, पांच सौ चौवन आप बना पाये हैं। तो यह पूरी सड़कों की हालत है। अगर आप इनका उठाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से मान जाएंगे कि जो विकास की गंगा वसुंधराजी के समय में बही, वह विकास की गंगा अब पता नहीं कहां चली गई। आप खूब पैसा सब डिपार्टमेंट्स में दे रहे हैं, खूब पैसा सारी जगह दे रहे हैं, अखबारों में आप बार-बार निकलवा रहे हैं, यहां पर भी कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा लगा दिया सड़कों पर, हमने इतना पैसा इसमें लगा दिया। लेकिन धरातल पर जाकर आप देखेंगे तो आपका कोई भी काम जमीन पर नहीं हो पा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री के हृदय के नजदीक जो योजनाएं हैं, जिन योजनाओं की चर्चा हमेशा, हर पल होती रहती है, कि नि:शुल्क दवाएं हमने सारे अस्पतालों में उपलब्ध कराई हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह बहुत अच्छी योजना है, गरीब आदमी को अगर इलाज के लिए मुफ्त दवाई मिल जाए तो बहुत अच्छा है उसके लिए, उसका आर्थिक बोझ कम हो जाता है। किसान के पास और गरीब के पास वह पैसा भी नहीं होता, कैसे अपना इलाज कराए। लेकिन ये जो दवाइयां आपने मुहैया कराई हैं, वे दवाइयां एसएमएस में ज्यादा मिल जाती होंगी लेकिन ग्रामीण स्तर पर अगर आप देखेंगे, मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में भरतपुर जिले में अगर किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे, मेवात क्षेत्र से हम लोग आते हैं, मेवात क्षेत्र के किसी अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर दवाएं आपको नाममात्र की मिलेंगी, मिलेंगी ही नहीं। अगर कह दें कि दवा लिख दो, तो वह डाक्टर कह रहा है कि बाहर की दवा अगर लिख दी तो निश्चित रूप से मैं सस्पैण्ड हो जाऊंगा, मुझे तो ऊपर से आदेश हैं, जो दवा मौजूद है उसी को लिखूंगा। मौजूदगी में एक या दो दवा रहती हैं, इसके अलावा और दवाएं अस्पताल में मौजूद नहीं रहतीं। मैं बिलकुल इस बात को मान रही हूं कि जब से निःशुल्क दवाओं की यह योजना शुरू हुई है, आउटडोर निश्चित रूप से बढ़ा है। लेकिन आउटडोर में जो लोग आते हैं इस आशा के साथ कि हमको यहां नि:शुल्क दवा मिलेगी, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, वे खड़े रहते हैं एक-एक, दो-दो, तीन-तीन दिन, उनको इंतजार करना पड़ता है कि यह दवा आएगी। जब जिले से दवा आएगी तब उनको वहां पर मिलेगी। लम्बी-लम्बी कतारें उनकी लगी रहती हैं कि अब दवा मिलेगी और अब मिलेगी। दवा के अभाव में जब उसकी बीमारी बढ़ जाती है

(श्रीमती अनीता सिंह)

तो उसको मजबूरन निजी अस्पतालों की ओर अपना रूख करना पड़ता है कि

(18.00 बजे)

मैं निजी अस्पताल में जाऊं। दवाई महंगी मिले, कुछ भी हो लेकिन कम से कम जिंदा तो रह पाऊंगा। इस प्रकार की नि:शुल्क दवाइयां अपने अस्पतालों में मिल रही हैं। इसमें मैं एक अपना सजेशन रखना चाहती हूं, सभापति महोदय, नि:शुल्क दवाइयों में जो आपने बना रखा है कि ये सौ दवाइयां मिलेंगी या ये डेढ़ सौ दवाइयां मिलेंगी, इसके बजाय आपको एक आदेश निकाल देना चाहिए कि गरीब आदमी जो भी अस्पताल में आएगा, उसको जैसी भी दवा चाहिए, वह दवा अस्पताल उसको उपलब्ध कराए। अगर उसके पास नहीं हो तो अस्पताल प्रशासन सामने वाली जो दुकानें होती हैं, उन दुकानों से उनको खरीद कर उपलब्ध कराए।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि एक ओर योजना बहुत ज्यद्दा यहां पर प्रचारित हो रही है लोक सेवा गारंटी योजना। उन्होंने गारंटी दी है कि हमारे लोक में जो भी काम आएगा उसमें गारंटी है, हैंडपंप की अगर आपकी शिकायत आएगी तो सात दिन में लगा देंगे। बिजली की आएगी तो इतने दिन में लगा देंगे। इस प्रकार की लोक सेवाओं की गारंटी की योजना तो इन्होंने बना दी लेकिन ग्रामीण क्षेत्र उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे मेवात क्षेत्र में बिलकुल भी नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय, यहां पर जो बजट की किताब दी गई है इस किताब के अन्दर यह लिखा गया है कि पीडब्ल्यूडी की बहुत सारी रोड्स बनी हैं। रोड्स के अन्दर एक भरतपुर के लिए भी लिखा है कि भरतपुर-अलवर-बहरोड़-नारनोल 167 किलोमीटर की सड़क 249 करोड़ में बनेगी। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि भरतपुर से अलवर की जो सड़क है वह तो बन रही है, उसका पैसा तो पिछले साल ही आरएसआरडी से मंजूर हो गया था। एल एन अग्रवाल ठेकेदार उसमें काम भी कर रहा है और उसका 40 परसेंट काम हो भी गया है। माननीय मंत्रीजी उसको खुद देख भी आए थे। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि जो सड़क पहले से ही बन रही है उसको दुबारा इस बजट में रखने का क्या औचित्य है?

एक और बात, ऊर्जा की बात बहुत जोर से हो रही है। ऊर्जा की बात

(श्रीमती अनीता सिंह)

कर रहे हैं कि ऊर्जा हम इतनी करेंगे और राजस्थान का मैक्सिमम बजट 38.5 परसेंट ऊर्जा में लगा रहे हैं, कि हम आने वाले समय में स्वावलंबी हो जाएंगे। इतनी ऊर्जा हम बनाएंगे कि हमारे प्रदेश में गांव-गांव में ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा कहीं किसी गांव में नहीं पहुंच रही है, कहीं बिजली नहीं हो रही है। आज जो परेशानी है गांवों के अन्दर, वह 50 और 60 परसेंट बिजली को लेकर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, बस पाँच मिनट का समय दीजिए, पांच मिनट में मैं समाप्त कर लूंगी।

श्री सभापति: सम-अप करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो हमारे यहां सबसे ज्यादा बजट दे रहे हैं। बजट ज्यादा देने के बावजूद आज की तारीख में अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश में हमारा नम्बर, 17 इसमें प्रदेश दिए हुए हैं उन 17 में से 11वां नम्बर हमारे प्रदेश का आता है। ऊर्जा में अपनी खपत क्या है, वह 11वें नम्बर पर आती है। तो हम आगे से चल रहे हैं या हम पीछे से विकास कर रहे हैं, यह हमें मालूम नहीं पड़ता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सड़क के मामले में हमारा प्रदेश 17 में से 16वें नम्बर पर आता है। शिक्षा में भी 17 जो प्रदेश दिए गए हैं, उनमें अगर हम अपना आकलन करें कि हम कहां पर स्टैण्ड करते हैं तो 17 में से वहां पर भी 16 नम्बर पर शिक्षा की साक्षरता में हम अपने आपको खड़ा पाते हैं। हमको बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि जो राजस्थान बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा था- शिक्षा में भी जा रहा था, सड़कों में भी जा रहा था, विकास की उच्चतम लहर तक, उसका परसेन्टेज गिरता जा रहा है।

एक चीज की बधाई मैं अवश्य देना चाहूंगी कि गुड़गांव मुख्य नहर की पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी के रिनोवेशन का सरकार ने निर्णय लिया है, यह बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि इससे हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन इसके लिए फण्ड का आपने एलोकेशन नहीं किया है, इसलिए मुझे डर है, भय है। गुड़गांव नहर के रिनोवेशन की तो आपने कह दी लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिना फण्ड के इसमें कोई भी काम हो पाएगा। एक और योजना आपने भरतपुर की चंबल की जोड़ी कि पीने के पानी की भरतपुर में विशेष कमी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 262 में से 232 गांव ऐसे हैं जहां पर

(श्रीमती अनीता सिंह)

पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और यहां पर इन्होंने चंबल योजना इस बजट की किताब के अन्दर रखी है। भरतपुर जिले के 97 गांवों के लिए भरतपुर, डीग, कामां की जल वितरण प्रणाली के द्वितीय भाग में 162 करोड़ रुपए आपने मंजूर किये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, सभापति महोदय, कि 162 करोड़ रुपए से तो डीग तक भी पानी नहीं पहुंचेगा, नगर और कामां के पानी पीने की बात ही दूसरी रह जाएगी। इतना कम बजट दिया है और बातें ज्यादा लिख दीं। इसलिए भी मुझे इसमें पूरा शक है कि इस योजना को भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगी आपसे कि एसबीसी में गुर्जरों को, रैबारियों को आपने डाल दिया। एक परसेंट का रिजर्वेशन दे दिया और रोस्टर की इस तरह की प्रणाली कर दी कि सौ नौकरियां जब निकलेंगी तब जाकर एक गुर्जर और एक रैबारी को नौकरी मिलेगी। सौ नौकरियां आप कभी निकालते नहीं हैं, आज तक तीन सालों में सौ नौकरी कोई निकली नहीं, इसलिए एक भी गुर्जर को आज तक इस एसबीसी के अंदर नौकरी मिली नहीं है। बहुत ज्यादा खुले मन से बजट में पैसा दिया है- इसको भी पैसा दे दिया, मेवात को दे दिया, डांग को दे दिया, मगरा को दे दिया, लेकिन जब देवनारायण योजना की बात आई तो 200 करोड़ पिछली बार दिये थे, 200 करोड़ में से अभी तक 70-80 करोड़ भी खर्च नहीं किये हैं। सिर्फ जमीन ले ली, प्रक्रियाधीन है। लेकिन इस बार आपने बजट के अन्दर भी कमी की है। आपने एसबीसी वालों को सिर्फ 136 करोड़ रुपए दिये हैं। पिछले साल 200 था, इस साल तो आपको 300 करोड़ देने चाहिए थे। लेकिन आपने उसमें घटा दिये। क्या सोचकर घटाया है आपने, इसका तो मैं नहीं कह सकती हूं। लेकिन यह कह सकती हूं कि यह कांग्रेस की सरकार गुर्जरों के साथ अन्याय करने पर तुली है और इन्होंने यह तय कर लिया है कि हमको किसी भी प्रकार से देवनारायण योजना को और गुर्जरों को आगे नहीं बढ़ाना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करिए आप प्लीज। एक-दो मिनट में कर दें प्लीज।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): एक और निवेदन करना चाहती हूं मैं आपसे, जननी सुरक्षा योजना के अन्दर बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हम अस्पताल में जब महिला आएगी तो उसको ऐसे रखेंगे। उसको कहीं जाना होगा

(श्रीमती अनीता सिंह)

तो गाड़ी से लाएंगे, गाड़ी से ले जाएंगे। उस जननी को, उस मां को आप लोगों ने किस प्रकार ठगा है, मैं निवेदन करना चाहूंगी। ग्रामीण अस्पतालों में आप चले जाइए, भरतपुर के ग्रामीण अस्पतालों में आप चले जाइए, कहीं पर भी आपको महिला चिकित्सक नहीं मिलेगी। महिला चिकित्सक के अभाव में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले महीने में प्रसव के समय में दो मांओं की मौत हो गई बच्चों सहित। बड़ा दुःख होता है मुझे इस बात का। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तो पांचों साल वहां पर महिला चिकित्सक रही थी और अब जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है वहां पर नहीं है। बिना महिला चिकित्सक के आप कहें कि महिला आएगी, उसके प्रसव ठीक कराएंगे, गाड़ी घोड़ों से क्या होगा? गाड़ी से ले जाओ, गाड़ी से छोड़ आओ लेकिन उसकी देखरेख करने वाला अगर डाक्टर वहां मौजूद नहीं होगा तो आपकी यह योजना फेल है। इसमें सिफर है आपको, और कुछ नहीं हो पाएगा। मैं निवेदन कर देना चाहती हूं, यहां पर अभी शाले मोहम्मदजी थे तो वह एक चर्चा कर रहे थे भरतपुर क्षेत्र में गोपालगढ़ की और...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप कर दो प्लीज।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): बस लास्ट है, सभापति महोदय। इसकी चर्चा कर रहे थे। उस समय हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी, लोकप्रिय मुख्य मंत्री उन्होंने यह कहा था कि यह हुआ है गोपालगढ़ काण्ड जो हुआ है इसमें प्रशासन की, कलेक्टर, एसपी की बहुत बड़ी गलती रही है। इस गलती के लिए सीबीआई को मैं इसका निस्तारण करने के लिए दे रहा हूं कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। और इसमें इतनी गलती की है उसको सस्पैण्ड कर दिया। आज के समय पर मैं बताना चाहती हूं कि सीबीआई ने निर्दोष साबित किया है उस कलक्टर, एसपी को और निर्दोष साबित कर कोर्ट में पेश किया है चार्जशीट के साथ। चार्जशीट में भी जो वहां के जज हैं उन्होंने भी इस बात को ताकीद किया है कि कलक्टर, एसपी की कोई गलती नहीं थी। यह ऐसी एक घटना आपके मुख्य मंत्री और पूरा कांग्रेस जिसको कह रहा है कि यह गलत हुआ है, इतना गलत हुआ है लेकिन उसके बावजूद अब इस तरह की चर्चा हो रही है। मैं, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, 26 तारीख को हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत ने प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया। राजस्थान का आज तक का ऐतिहासिक और सबसे जनप्रिय बजट जिसमें एससी, एसटी, किसान, अल्पसंख्यक, युवा, व्यापारी,

(18.00 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

किसी वर्ग को इसमें वंचित नहीं रखा। ऐसा आलीशान बजट कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी तैयारी करके आये थे कि इस बार विधान सभा के अन्दर हम खूब सरकार के खिलाफ अपनी बात रखेंगे परन्तु जब बजट प्रस्तुत किया गया तो उनके बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं और सिर्फ आलोचना कैसे करें, उसके लिए ढूंढने के लिए समय लगाते रहे। मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे बजट के लिए जिसमें इतनी फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की गईं। एक गरीब आदमी जो झोंपड़ी में बैठा है, उसको क्या चाहिए? सस्ता खाना, रहने के लिए मकान, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जो योजनाएं लागू की हैं, एक से बढ़ कर एक, आप उनको देखें। चाहे मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना जिसके बारे में अभी हमारे साथी कह रहे थे कि योजना तो ठीक है पर अच्छी चल नहीं रही है। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इससे शानदार योजना आज दिन तक कभी राजस्थान में नहीं आयी। हम सब इसमें प्रयास करें कि किस तरह से गरीब की हम मदद कर सकें। किस तरह से इस मुफ्त दवा की योजना को आम गरीब तक पहुंचा सकें, इसमें हम सब मिलकर अगर मदद कर सकें तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता। इससे बड़ी कोई योजना हो नहीं सकती जिसके लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने तीन सौ करोड़ की राशि इस बजट में रखी है। गरीब के पास इलाज के पैसे नहीं हैं, वो अपने गहने बेचे चाहे इलाज के लिए या और कहीं से पैसों की व्यवस्था करे। उनके लिए हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने बिलकुल नि:शुल्क दवाइयों का वितरण किया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक झोंपड़ी में रहने वाला गरीब जो बीपीएल में है, उसने पक्का मकान कभी देखा ही नहीं। एक साथ दस लाख मकानों की घोषणा हुई। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि पचास हजार में क्या होगा। आप पहले थे न, इसमें आप कर देते, मना तो कोई नहीं कर रहा था। पचास हजार में कह रहे हैं कि नहीं बन रहा है तो

(श्री मेवाराम जैन)

हमारे बाड़मेर जिले में आप आकर देख लो कि कैसे मकान बन रहे हैं, आपको पता लग जाएगा।जिनके पास पक्का मकान नहीं था, कभी देखा नहीं था आज उनके रहने के लिए आलीशन मकान बन रहे हैं।

जननी सुरक्षा की बात करो, कितनी अच्छी योजना है। हमारे मुख्यमंत्री जी के हृदय में कितनी चिन्ता है जच्चे-बच्चे के बारे में। कि हम किस तरह से उन माताओं के लिए अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब घर से उठा कर हास्पिटल ले जाओ, पूरी दवा मुफ्त, जापे का पूरा खर्चा, उनको लाना और उनको पैसे देकर घर पहुंचाना- इससे ज्यादा उनके बारे में क्या हो सकता है। इसी प्रकार चाहे मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के दो रुपये किलो गेहूं की बात करें, चाहे बीपीएल के अन्दर कोई बीमार पड़े उसके लिए पांच लाख रुपये तक का खर्चा सरकार वहन करे, ये अपने-आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं है जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बजट के अन्दर इंसानों के लिए तो दवाई मुफ्त की ही की, पशुओं के लिए भी मूक पशु जिसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता, बीमार पड़ता उसके लिए दवाइयों का पता नहीं था, उनके लिए अस्पतालों के अन्दर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने मुफ्त दवाइयों की घोषणा करके एक बहुत ही पुण्य का कार्य किया, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके अलावा भी इस बजट में इतनी घोषणाएं हुई। अब हमारे साथी कह रहे थे कि ये सिर्फ घोषणाएं हैं, काम कुछ नहीं हुआ। हमारे शासन में इतना काम हुआ कि उसके मुकाबले में कुछ नहीं हुआ। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में बीजेपी के आपके पांच साल के कार्यकाल में एक भी उपलब्धि, एक कोई ऐसी चीज बता दें जो आपने की हो। मैं इस तीन साल के कार्यकाल में आपको बताना चाहूंगा कि इस तीन साल के अन्दर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बाड़मेर के लिए क्या-क्या योजनाएं दीं। बाड़मेर के लिए क्या-क्या कार्य हुआ, यह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जिसके लिए हम बीस साल से तरस रहे थे। पूर्व में जब अशोक जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, इस स्कीम की शुरूआत की थी। परन्तु वापस बीजेपी का राज आया, चार साल उस स्कीम को बंद बस्ते में रखा। जाते समय अभी मेरे भाई शाले मोहम्मद जी भी कह रहे थे कि उन्होंने जैसलमेर में उसका शिलान्यास किया और बाड़मेर के अन्दर पुन:

(श्री मेवाराम जैन)

शिलान्यास किया। 12 या 15 पाइप वहां पर जरूर डाले लेकिन एक टके का काम नहीं किया। अगर वो कर लेते तो यह स्थिति आज पैदा ही नहीं होती। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने 700 करोड़ रुपये उस पर खर्च किये, योजना का कार्य 90 से 95 परसेंट पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्दी बाड़मेर शहर और आस-पास के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने इस बजट के अन्दर हमारे को चार योजनाएं पीने के पानी के लिए स्वीकृत की। मोहनगढ़-बाड़मेर योजना के प्रथम फेज के लिए 260 करोड़ और पोकरण-फलसूंड के लिए 590 करोड़, धवा-समदड़ी के लिए 218 करोड़ और नर्मदा-गुढामालानी के लिए 160 करोड़। बारह सौ करोड़ के करीबन सिर्फ बाड़मेर जिले के लिए योजनाएं स्वीकृत की और पूरे राजस्थान के अन्दर बीस परियोजनाएं शुरू की इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ-साथ गांवों में एससी/एसटी की ढाणियों के अन्दर भी पाइप लाइनें हों चाहे जीएलआर हो इसके लिए राशि स्वीकृत की और पानी की सुविधाओं के लिए घोषणा की उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ-साथ मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना में कुछ कमी है। वाटर वर्क्स के अन्दर जो जनता जल योजना है, उसको पंचायती राज के अन्दर दे दिया। बाड़मेर जिला परिषद ने तो प्रस्ताव पास किया कि हमारे पास न तो टैक्निकल स्टाफ है न हम इसको चला सकते हैं, इसको पुनः पीएचईडी वापस ले। सारी स्कीमें ठप हो गई हैं। बिजली के कनेक्शन कट गये हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जनता जल योजना, हैंडपंप रिपेयर की योजना वापस पीएचईडी को दे दी जाए ताकि यह योजना सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ-साथ पीएचईडी के अन्दर जेईएन, एईएन और हैल्पर की कई सालों से कोई भर्ती नहीं हुई। अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं, स्कीमें खूब लंबी-चौड़ी बनाई गई हैं इनको चलाने के लिए स्टाफ की स्वीकृति जरूरी है। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में इनकी भर्ती की स्वीकृति दिलाएं, ताकि योजनाएं अच्छी तरह से चल सकें।

इसके अलावा चिकित्सा विभाग में मुफ्त दवाई के साथ-साथ चाहे पीएचसी है, सब सेन्टर है चाहे एएनएम की भर्ती है, चाहे 200 एम्बुलेंस की

(श्री मेवाराम जैन)

घोषणा है, बहुत ही स्वागत योग्य है। इसके साथ कृषि विभाग में भी फ्री दवाइयों के साथ चार सौ उप केन्द्र, दो सौ केन्द्रों को क्रमोन्नत करना, ये महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं।

शिक्षा में अभी हमारे साथी अध्यापकों की भर्ती के बारे में बात कर रहे थे, 8395 पहले दिये, 11800 की भर्ती अभी हो चुकी है और पोस्टिंग होने वाली है। थर्ड ग्रेड के लिये 41000 की पहले घोषणा हुई थी और 30000 की अब घोषणा की है। मैं कहना चाहूंगा कि आप भले किसी रूप में भी लें, बहुत ही जल्दी यह भर्ती होगी, स्कूलों में अध्यापक लगेंगे। आप आलोचना करना चाहो तो भले ही करो, पर हर हालत में इन अध्यापकों की भर्ती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं इनसे भी कहूंगा और हमारे मुख्य मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा कि आपने इस बजट में 89 नई सैकण्डरी स्कूलें खोलीं, एक हजार प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा की और 600 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की बात की, परन्तु जिस पंचायत हैडक्वार्टर पर सैकण्डरी स्कूल नहीं खुली हुई हैं उस जगह सैकण्डरी स्कूल जरूर खोलें। पूर्व में भी पंचायत हैडक्वार्टर छोड़कर ढाणियों में स्कूलें खोल दी गई, पंचायत हैडक्वार्टर पर स्कूलें होनी चाहिये वहां नहीं खोली गई हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बजट में अवश्य ही सैकण्डरी स्कूलों की घोषणा करें और प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में तीन-तीन, चार-चार सीनियर सैकण्डरी स्कूलों को भी क्रमोन्नत करें ताकि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

राजस्व विभाग में मुख्य मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी ने इस बजट में 24 नई तहसीलों की घोषणा की, 30 नई उप तहसीलों की घोषणा की। इसके साथ-साथ पटवारियों के 800 पद, आरआई की पोस्टें भी स्वीकृत कीं। काश्तकारों के जो पैसे बकाया थे, उसका ब्याज माफ कर किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया, इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

इस बजट में सड़क के लिये सबसे ज्यादा राशि रखी गई है। चाहे 200-250 की आबादी के गांवों की बात हो, नाबार्ड से भी 800 करोड़ की राशि से 3300 किलोमीटर जोड़ने की बात है। मेगा हाइवे के जो 16 प्रोजैक्ट लिये गये हैं उनके लिये भी बजट का प्रावधान किया है। राज्य की सड़कों की मरम्मत का कार्य भी हाथ में लिया है। एक वृहत् स्तर पर सड़कों का कार्य

(श्री मेवाराम जैन)

हाथ में लिया है, इसके लिये मैं तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शहरों में जो बी पी एल के परिवार बैठे हैं उनके लिये भी पहली बार 50 हजार रुपये का मकान बनाने की घोषणा की। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि हमारी बाड़मेर नगरपालिका को नगर परिषद बनाया। बी पी एल वालों के लिये मैं निवेदन करूंगा कि इनको शहर में एक प्लाट अलाट कर दिया जाए तो यह उनके लिये बहुत ही अच्छा होगा।

इसके साथ आर डी बी आई पी के तहत हमारे बाड़मेर में पहले से ही 25-25 करोड़ के दो ओवरब्रिज का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और एक ओवर ब्रिज अभी रेलवे द्वारा भी स्वीकृत हो चुका है। सीवर लाइनों का भी कार्य चल रहा है और शहर में अन्य कार्य भी खूब चल रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष के साथी कह रहे हैं कि इन तीन सालों में क्या काम हुआ है, आप वहां जाकर जरूर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से विकास हो रहा है। आपके पांच साल की तुलना हमारे इन तीन सालों से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा।

इसके साथ-साथ हमारे बाड़मेर में लिग्नाइट के अथाह भंडार हैं जहां पावर प्लांट लगा। किसानों को अच्छा मुआवजा देकर उनकी भूमि अवाप्त की गयी। आप किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, आपके कार्यकाल में एक बीघा भूमि अवाप्ति के 23000 रुपये आपने किसानों को दिये और हमने 3 लाख रुपये प्रति बीघा किसानों को देकर भूमि अवाप्ति करवाई। वहां तेल के भी अथाह भंडार है, मैंने विधान सभा में भी तेल के बारे में प्रश्न लगाया था एक दिन की रायल्टी 9 करोड रुपया सिर्फ बाड़मेर देता है राजस्थान सरकार को। बाड़मेर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में तेल का कार्य चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि बाड़मेर में जल्दी ही रिफाइनरी लगेगी। इसके लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, इसके लिये भी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ मैं विद्युत की बात भी करना चाहूंगा, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बिजली के उत्पादन के लिये खूब प्रयास किये। 3300 मेगावाट का उत्पादन का कार्य जैसलमेर-बाड़मेर में तेजी से चल रहा है। राजीव गांधी विद्युतीकरण में अभी यह कह रहे थे कि क्या कार्य हुआ, मैं

(श्री मेवाराम जैन)

कहना चाहूंगा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण में बी पी एल परिवारों को इतना लाभ मिला...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): साहब, कुछ तो टाइम दीजिए। इतना लाभ मिला ...

श्री उपाध्यक्ष: 20 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): साहब, पांच मिनट और। मैं निवेदन करूंगा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण में गांवों को और ढाणियों को इतना लाभ मिला कि 50 साल में गांवों में विद्युतीकरण का जो काम नहीं हुआ था बाड़मेर जिले में 50 साल में जितनी लाइनें और पोल लगे उतने इन तीन सालों में लगे हैं। हकीकत में आप गांवों में जाओगे और देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना काम हो रहा है।

इसके साथ-साथ होम की बात करें तो हमारे बाड़मेर में महिला थाना भी खुला, अभी एससी, एसटी के लिये एक अदालत भी खुली। नफरी बढ़ाने की बात है, वह सारी हो रही है। चाहे पंचायती राज की बात करें, चाहे सिंचाई विभाग की बात करें, हर तरह से इस बजट में घोषणाएं हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि इन घोषणाओं का लाभ आने वाले साल में मिलेगा।

मैं इस मौके पर मुख्य मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा कि बाड़मेर में कैनाल स्वीकृत हुई है जिसका करीब-करीब काम भी हो चुका है। बाड़मेर तहसील के गांवों में जहां पानी की भयंकर समस्या है, डेढ़-डेढ़, दो-दो साल से जिन गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है, उनको प्राथमिकता के आधार पर इस योजना में लेने का प्रयास करें।

दूसरा, अभी तहसीलों का तो पुनर्गठन हो गया, मैं चाहूंगा कि पंचायत समितियों और पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जाए। 1981 में 30 साल पहले पुनर्गठन किया गया था, उनका पुनः पुनर्गठन किया जाए। बाड़मेर जिले में रामसर को अलग पंचायत समिति बनाया जाए ताकि जिले का समीकरण अच्छी तरह से बैठे।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा कि नरेगा में जो ठेका प्रथा है उस ठेका प्रथा को खतम करें और पंचायतों को बीएसआर के आधार पर काम स्वीकृत करें ताकि सरपंचों में जो रोष है वह खतम हो सके। यह बहुत

(श्री मेवाराम जैन)

महत्वपूर्ण काम है इससे पंचायतों को लाभ मिलेगा, इसके लिये भी मैं निवेदन करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, जो पहले कृषि में विद्युत कनेक्शन दिये जाते थे, आज खेतों में कृषि कनेक्शन के लिये किसानों को पैसा देना पड़ रहा है जिसे वे देने में सक्षम नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें छूट दी जाए। किसानों को सस्ती दर पर कनेक्शन दिलाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ निकाय मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि सफाई कर्मचारी हर नगरपालिका के अंदर बहुत ही कम हैं, उनके लिए इस बजट में प्रावधान रखा जाए और भर्ती की जाए ताकि जो कर्मचारियों की कमी है उसमें लाभ मिल सके। मैं मुख्य मंत्रीजी से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में जीरा और ईसब की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, उसका सारा माल गुजरात में भेजा जाता है, बाड़मेर में मण्डी खोली जाए ताकि किसानों को वहां नहीं जाना पड़े और इसके लिए लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह शानदार बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। चाहे विपक्ष आज कुछ भी कहे, इनके पास कहने को शब्द नहीं हैं, खाली आलोचना करना ही बचा है। आप एक साल में देखेंगे कि शानदार योजना, शानदार स्कीमों की जो घोषणा की, यह काम होगा, निश्चित यह काम होगा। आने वाले दिनों में जो भी इनके दिमाग में है कि हम वापस आ गये, हमारी बीजेपी की सरकार आने वाली है, यह आपका सपना ही रहेगा और आने वाले दिनों में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी । मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बोलने का समय दिया धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

मैं चाहता हूं एक सदस्य और बोले, थोड़ा शोर्ट कर दें तो कृपा हो जाए आपकी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने यह चौथा बजट प्रस्तुत किया जिसमें वादों और घोषणाओं

(श्री वासुदेव देवनानी)

की भरमार है। यदि मैं पिछले तीन बजटों का आकलन करूं तो कुल 286 वादे किये गये थे, उसमें से 152 वादे अभी भी अधूरे हैं। चाहेंगे तो मैं 152 वादों का पुलिंदा सदन के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। उनमें प्रमुख घोषणा की थी कि हम उच्च शिक्षा सुधार आयोग बनाएंगे, इन्होंने घोषण की थी युवा विकास केन्द्रों की स्थापना करेंगे, इन्होंने कहा था हम भूमि अधिग्रहण कानून लाएंगे, इन्होंने कहा था अजमेर में हम इन्स्टीटयूट एसटीसी खोलेंगे, इन्होंने घोषणा की थी कि झुंझुनूं में शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय खोलेंगे, घोषणा की थी कि बीकानेर में हाइड्रोलोजी संस्थान खोलेंगे, घोषणा की थी इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर खोलेंगे लेकिन इनमें से एक भी चीज खोली नहीं गई, केवल वादे ही वादे रह गये। इन्होंने एक बड़ी घोषणा और की थी, जो रिसरजेंट कन्वेंशन हुआ था उसमें कुल मिलाकर 8 लाख रोजगार की घोषणा की थी। पहले बजट में 2 लाख रोजगार सृजित करने की घोषणा की और दो वर्षो में दो लाख की, इस तरह से कुल मिलाकर 12 लाख नौकरियों के सृजन की इन्होंने घोषणा की। पूरी कितनी हुई जरा हिसाब लगाएं। कुल मिलाकर इन्हीं के आंकड़े भी लिये जाएं तो केवल 54800 नौकरियां इन्होंने साढ़े तीन साल के अन्दर दी हैं, अर्थात केवल घोषणाओं की 4 परसेंट ये नौकरियां दे पाये। यह स्थिति क्यों बनी, अगर आकलन करेंगे तो वादों का इन्डैक्स 44 प्रतिशत हुआ। यह स्थिति बनी, यह कारण इसलिए बना कि ये वादे तो करते हैं लेकिन उसका वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय व्यवस्थाएं उसके लिए रखते ही नहीं हैं। इसलिए मुझे एक शेर याद आता है, 'वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे मारा गया यह बंदा सीधा सादा।' इस सरकार ने जो स्थिति बनाई, यह सरकार बीमार है और राजस्थान को बीमारू राज्य बना रही है। आपको अच्छा लगता है तो एक बार फिर दुबारा, 'वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे मारा गया यह बंदा सीधा सादा। जनता बेचारी सीधी-सादी आपके वादों पर मारी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: वासुदेव जी, आप औरों से घायल मत होइये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं तो आपसे होऊंगा। इस तरह यह सरकार पूरी तरह फेल हो गई और आम जन ठगा-सा महसूस कर रहा है। इन सारी स्थितियों का अगर आकलन करें, मुझे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या केवल बजट प्रस्तुत करने की औपचारिकता होती है? पंचवर्षीय योजना जब बनती है तो सदन का उसमें कोई रोल नहीं होता, जब वार्षिक योजना प्रस्तुत होती है तब सदन का उसमें कोई रोल नहीं होता और जब बजट प्रस्तुत

(श्री वासुदेव देवनानी)

होता है तो वार्षिक योजना में जो किसी मद में होता है उस चीज को बजट में शामिल कर दिया जाता है। इससे तो अच्छा हो कि केवल लेखा-जोखा प्रस्तुत कर दिया जाए और उस पर हम चर्चा करें। संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए केवल बजट प्रस्तुत करते हैं, उसमें आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आंकड़े तो पहले से ही कहीं और तय हो जाते हैं, उनको हम यहां केवल प्रस्तुत करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं ग्रोथ की चर्चा करूं तो बजट में केवल असत्य आंकड़े हैं जिनसे जनता को भुलावे में रखा जा रहा है। राज्य की 2011-12 की जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट है अगर उसको पढ़ेंगे तो इनके कहने के अनुसार विकास की दर 5.4 प्रतिशत है। यह 5.4 प्रतिशत कैसे निकली? यह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निकली। जो विकसित राष्ट्र हैं, जो विकसित राज्य है उनके अन्दर ग्रोथ की रेट खुदरा मूल्य सूचकांक के आधार पर निकालते हैं। खुदरा मूल्य सूचकांक के आधार पर निकालेंगे तो यह केवल 3.45 परसेंट ही आएगी, इसलिए आज देश भर में राजस्थान 17वें स्थान पर आ गया है। वसुन्धराजी राजे के समय, भाजपा के समय राजस्थान 7वें स्थान पर था और हम पांचवें, छठे पर आने की कगार पर थे। सारी स्थिति यह सरकार जो धीरे-धीरे लाई है, उसका स्पष्ट कारण है। आज जो पर कैपिटा इन्कम बताई जा रही है, बड़े-बड़े दावे सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं कि पर कैपिटा इन्कम 11.95 परसेंट है। पर कैपिटा तो हमने मान ली 11.95 परसेंट है, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ी? मंहगाई 14 परसेंट बढ़ी, यानि फिर भी 2 परसेंट तो अपन माइनस में गये। तो आपने कौन से तीर मार लिये जिसके आधार पर ग्रोथ की रेट के आधार पर बड़े खुश हो रहे हैं। ग्रोथ तो धीरे-धीरे कम हो रही है, इसका कारण बडा स्पष्ट है। सरकार की संवेदनहीनता है, इसका स्पष्ट प्रमाण है। कृषि उत्पादन जिस भी राज्य में कम होता जाता है, उसकी यही हालत होती है। आज राजस्थान की कृषि उत्पादन 82 हजार करोड़ से गिरकर 25 हजार करोड़ तक आ गया है। इन्होंने किसान की जो दुर्दशा की है उसका परिणाम है कि राजस्थान की ग्रोथ और सारी चीजों पर हम लोग नीचे जा रहे हैं।

आपने यहां की अर्थव्यवस्था का जो आकलन किया, कर्जे की अर्थव्यवस्था पर आधारित होंगे तो हम कंगाल नहीं होंगे तो और क्या होंगे?

(श्री वासुदेव देवनानी)

2002-03 में आपने सरकार छोड़ी उस समय 54903 करोड़ था, जब भाजपा सरकार ने छोड़ी उस समय 78786 करोड़ था, अर्थात पांच साल के अन्दर भाजपा ने 23883 करोड़ का कर्जा लिया। उसके अन्दर भी 23350 करोड़ के असेट्स बनाये, एक रूपये के अगेन्स्ट में एक रुपये का निर्माण किया और आपकी स्थिति क्या है? सवा तीन वर्षों के अन्दर 1 लाख 16 हजार 74 रुपये का कर्जा है और इसमें से 78786 करोड़ को घटाया जाए तो आपने 37338 करोड़ तो साढ़े तीन साल के अन्दर कर्जा ले लिया। इसके अन्दर अगर बिजली कम्पनियों का ऋण मिला दिया जाए, हुडका का ऋण मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 1 लाख 65 हजार करोड़ तक जाता है। उसके आधार पर प्रति व्यक्ति जो कर्जा बनता है 25 हजार रुपये। आज प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 28 हजार। 28 हजार तो आय है और कर्जा है 25 हजार, फिर व्यक्ति क्या निहाल होगा, क्या खाएगा, क्या पीएगा, क्या रहेगा? यानि आज व्यक्ति की स्थिति आपने दयनीय बना दी, एक-एक व्यक्ति को आपने कर्जदार बना दिया, और बड़ी डींगें हांकते हैं कि हमने राजस्थान को बड़ा विकासशील बना दिया है। यह स्थिति सोचनीय है और फिर अपन शेखी बघारते हैं कि सारी स्थिति हमने बनाई।

अब राजस्व घाटे की बात करें तो 7750 करोड़ तक राजस्व घाटा पहुंचा है जो आगामी वर्ष तक 8650 करोड़ हो जाएगा। अर्थात हम ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण ले रहे हैं। यह तो आपने वित्तीय स्थिति बना दी और फिर राजस्थान के बारे में कहते हैं कि हम आगे ले जा रहे हैं। यह स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी बदहाल है।

मैं एक बात और इस सरकार के सामने बताना चाहूंगा, सरकार कहती है कि हम गरीबों के हितैषी हैं, दलितों के हितैषी हैं, एस सी के हितैषी हैं, एस टी के हितैषी हैं। आप बजट आबंटन तो करते हो लेकिन व्यय नहीं करते हो। गत तीन वर्षों में आपने एस सी और एस टी का 13787 करोड़ खर्च ही नहीं किया। यह सामने है। एस.टी. उपयोजना के लिये 5166 करोड़ का खर्चा नहीं किया, एस.सी. परियोजनाओं में 8621 करोड़ आपने खर्च नहीं किया। यह सब बचाकर आप कहते हो कि राजस्व आधिक्य है। काहे का राजस्व आधिक्य है? आप आबंटन करते नहीं हो, खर्च करते नहीं हो। केवल कागजों में शो करते हो और फिर कहते हो, हम बहुत बड़े संवेदनशील हैं। आपके आंकड़े, आपकी

(श्री वासुदेव देवनानी)

पुस्तकें उजागर कर रही हैं। सोशल इकोनोमिक इंडिकेशन में राजस्थान इस समय 25वें नम्बर पर चला गया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हैल्थ में आपका इंडैक्स क्या है? 0.587 । आपका एजुकेशन में इंडिकेशन क्या है? 0.462 । और आप कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे किसमें बढ़ रहे हो? शिशु मृत्यु दर में आपने कहा था, हम 32 तक लाएंगे, क्या है आज आंकड़ा? 55 है आंकड़ा। आज शिशु मृत्यु दर बढ़ी हुई है। मातृ मृत्यु दर यह भी बढ़ी हुई है, यह 218 है इस समय। तो आखिर आप क्या करना चाहते हो? किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो? न चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, न इकोनोमी में बढ रहे हो, न आप राजस्व बढ़ाने में बढ़ रहे हो। जनता को बेवकूफ बनाकर, एस.सी; एस.टी; दलितों; गरीब का नाम लेकर, उनको केवल अपना वोट बैंक मानते हुए बड़ी-बड़ी लोक-लुभावन केवल घोषणाएं करके आप वाह-वाही लूट रहे हैं। जनता अब जागरुक हो गयी है, जनता इस चक्कर में नहीं आने वाली है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि राजस्थान की इकोनोमिक स्थिति बहुत दयनीय है। इस दयनीय हालत में जैसा मेरे से पूर्व हमारी विधायक महोदया कह रही थीं, क्या आपने यह सोच ही रखा है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे? यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, आपके अध्यक्ष भी कह चुके हैं। आपके पार्टी के अध्यक्ष कह चुके हैं। मुझे कई बार आता है, शायद मुख्य मंत्रीजी की यह स्थिति इसलिये बनी हुई है कि इनके ऊपर आलाकमान की तलवार लटकी हुई है। राज्य के केन्द्रीय मंत्री इनके मंत्रिमण्डल के गठन के अधिकार को चुनौती देते हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उनकी कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा करते हैं। मंत्री सुनते नहीं हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं। जनता को मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी लड़ती है। आज प्रदेश में प्रजातंत्र को जो बड़ा खतरा है, एक न्यायालय के आधार पर ही शासन चल रहा है। यह जो स्थिति बनी, वित्तीय स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिये राजस्थान की बड़ी दयनीय स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही पीड़ा से कहूंगा कि आपने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की, बेरोजगारी भत्ते की घोषणा में आपने क्या लिखा? यह तो वसुंधराजी के समय हम दे ही रहे थे, आपने आकर बंद किया। वापस शुरू करने में भी एक नाटक, एक चाल चली है। उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि जो व्यक्ति आज अपना पंजीयन कराएगा, उसके एक साल बाद उसको मिलेगा। एक साल के बाद आप रहोगे कि नहीं रहोगे, आपको पता

(श्री वासुदेव देवनानी)

है क्या? नवयुवक को एक लोक लुभावनी बात करके लूट मचा रखी है। आप एक पैसा उसे दोगे नहीं, केवल घोषणा कर रहे हो कि हम 500 का देंगे। तीन साल जिन युवकों को आपने कुछ नहीं दिया, उनका क्या होगा? आपने इस तरह की जो बातें की हैं, मैं समझता हूं कि आपको नैतिकता के आधार पर सत्ता छोड़कर चले जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने केवल राज्य की स्थिति बताई।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): धारीवालजी को बताएं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): धारीवालजी तो सुन रहे हैं ध्यान से।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिड़लाजी, धारीवालजी का नाम लेने वाले और ही बहुत हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह तो ओम-शांति आपस में करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नाम क्यों रट रहे हो, आप बोलने दो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के मुख्य मंत्री भी है, पर वह केवल जोधपुर के मुख्य मंत्री बन गये हैं। कभी-कभी उनको जयपुर याद आ जाता है तो कुछ जयपुर की घोषणाएं करते हैं। लेकिन अजमेर के साथ में पूर्णतया सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैंने अपेक्षा की थी क्योंकि पांच विधायक हैं। मुख्य मंत्रीजी ने हमारे यहां से मुख्य सचेतक कैबिनेट मंत्री के स्तर के दर्जे का बनाया, शिक्षा राज्य मंत्री बनाया, एक को संसदीय सचिव बना रखा है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि राजनीतिक बाध्यताओं के आधार पर मजबूरन इनको ये दायित्व देने पड़े ताकि इनकी कुछ हम सुनें नहीं। इनकी कुछ सुनवाई नहीं हुई। और अजमेर को केवल झुन्झुना, कुछ भी उसको नहीं मिला। आपने छह विश्वविद्यालयों की घोषणा की। राजस्थान के अन्दर जोधपुर में कितने विश्वविद्यालय हैं? जयपुर में कितने विश्वविद्यालय हैं? उदयपुर में कितने विश्वविद्यालय हैं? अजमेर में तो केवल एक विश्वविद्यालय है, खुले मन से कहते, कोई एक विश्वविद्यालय अजमेर को देते।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): पुष्कर को रेल से जोड़ रहे हैं न।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): तो लगता कि अजमेर में एक की जगह दो विश्वविद्यालय खोले गये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): पुष्कर को रेल से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं?

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (राज्य मंत्री, शिक्षा): केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी आया है, एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी भी है। अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्वीकृत है, कोर्ट की वजह से पैंडिंग है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वह तो हमारी सरकार ने किया है। ये तो हमारी सरकार के हैं। इसकी वाहवाही मत लूटो। इसकी वाहवाही तो वसुंधरा सरकार को दो। जब शिक्षा मंत्री माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी थे, शिक्षा राज्य मंत्री मैं था, उस समय इसकी घोषणा हो गई थी, आप तो फालतू की वाहवाही लूटने में लगे हुए हो। काहे का आपने केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिया है?

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (राज्य मंत्री, शिक्षा): खुला विश्वविद्यालय मिला है अजमेर को। यह बात आप नहीं कह सकते हो। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): काहे का आपने केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिया है? (व्यवधान) आप तो कुछ कर नहीं रहे हो। आप तो एक एस.टी.सी. इंस्टीट्यूट ही नहीं खुलवा पाईं तीन साल के अन्दर।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (राज्य मंत्री, शिक्षा): एस.टी.सी. का इंस्टीट्यूट, आपकी गलती। आप अजमेर में शिक्षा राज्य मंत्री थे, तब क्या लाये, यह बताओ, न आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा राज्य मंत्री बना दिया, बाकी तो तीन साल तक आप भी नहीं बोल रही थीं। अजमेर के अन्दर आप एक विश्वविद्यालय देते। आपने बाकी जगह दो-दो, तीन-तीन, चार-चार विश्वविद्यालय दे दिये, लेकिन अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार, क्योंकि वहां शहर से दोनों भा.ज.पा. के विधायक हैं, इसलिये इनके बारे में विचार ही नहीं करेंगे।

बीसलपुर पानी की बात आई, बीसलपुर परियोजना बनी क्यों? बीसलपुर परियोजना अजमेर के लिये बनी। अजमेर के लिये उसमें 5 टी.एम.सी. पानी है, इस समय अजमेर को केवल 1.75 टी.एम.सी. मिल रहा है। बाकी पानी? अजमेर के गांव प्यासे, अजमेर का शहर आधा प्यासा। 24

(श्री वासुदेव देवनानी)

घण्टे पानी देने की घोषणा हुई, लेकिन वह थोथी साबित हुई। अभी तक तो कहीं पानी नहीं। जो पहले आ रहा था उसका भी प्रैशर कम हो गया। उसके लिये जो सुदृढ़ीकरण के लिये पैसा दिया जाना चाहिए था, उस पैसे का कोई अता-पता नहीं। बजट में कोई प्रावधान नहीं। आ गये हमारे मुख्य सचेतक महोदय, मैं उनसे भी आग्रह करुंगा कि अजमेर की पैरवी करो। अजमेर सारी जनता का है। न आपका है, न मेरा है, अपन सबका है। अपन मिलकर पैरवी करें मुख्य मंत्रीजी से, कोई एक-आध विश्वविद्यालय खोलते। केकड़ी के एक सरवाड़ को तहसील बना देने से खुश मत होइये। अजमेर के बीसलपुर का पानी पहले जयपुर लाया गया और जयपुर में भी...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सरवाड़ पहले से ही तहसील है, सर, अभी नहीं बनी है, बहुत पुरानी है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): तो इसका मतलब वह भी अभी नहीं बनी, पहले से ही बनी हुई है। इसका झुन्झुना मिला, इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। आपसे निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि अजमेर जिले के गांव तरस रहे हों, उसमें घोषणा क्या हो रही है? 113 गांव की जो बीसलपुर परियोजना का द्वितीय फेज है। यह तो हमारी सरकार के समय की है। आपने 3 साल तक ठण्डे बस्ते में उसे दबाये रखा।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपकी सरकार ने तो उस पर रोक लगाई थी। आपने तो यह सोचा कि ये गांव आएं ही नहीं इसमें। इसलिये उसको पैंडिंग में डाला था, सैकिण्ड फेज में डाला था।

श्री उपाध्यक्ष: देवनानीजी, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): तीन साल तक आप चुप क्यों बैठे रहे? आप शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद भी अभी कहीं उसका कोई अता-पता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर के पानी का क्या किया? जयपुर में पर्यटन के लिये...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो मांग रखो, सर, मांग रखो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मांग रख रहा हूं। जयपुर में मावठा और तालाब भरेंगे। नावां, नागौर जिले में पानी को ले जाएंगे लेकिन अजमेर जिले को प्यासा रखोगे। यह अजमेर जिले के साथ सौतेला व्यवहार कभी हम सहन नहीं करेंगे। आवश्यकता हुई तो इन मित्रों को कहेंगे, हमारे

(श्री वासुदेव देवनानी)

साथ आ जाओ। वहां बैठे रहने से लाभ नहीं होगा। आइये, जनता के साथ खड़े हों कि अजमेर की जनता के प्रत्येक गांव को जब तक 24 घण्टे पानी नहीं मिलेगा तब तक एक बूंद भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। यह मैं आज कहता हूं सदन के पटल पर। इसके लिये जो कुछ त्याग करना पड़े, जो कुछ बलिदान देना पड़े, हम उसको आगे होकर देंगे। मेरे भाई और बहनों, आप इसको सुन लीजिए, सदन के माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय, आपको उसके लिये केकड़ी आना पड़ेगा क्योंकि पम्प हाउस सारे केकड़ी में ही हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं केकड़ी क्या जहां कहेंगे, वहां आ जाऊंगा। आप जहां कहेंगे, वहां आ जाऊंगा। अजमेर की जनता की लड़ाई लड़ने के लिये जहां कहेंगे वहां खड़ा मिलूंगा आपको।

श्री उपाध्यक्ष: देवनानीजी, समाप्त करें अब।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर के पानी की बात तो यह रही। अजमेर का चिकित्सालय सम्भागीय चिकित्सालय है, वहां पर स्पेशलिटिज की 3-4 वर्षों से लगातार हर बजट में हम अपेक्षा कर रहे थे कि शायद मुख्य मंत्रीजी घोषणा करेंगे। फीजियोथिरैपी विभाग की कई बार मांग की गई, कई बार न्यूरो फिजिशियन विभाग की मांग की गई, नेफ्रालाजी है, कार्डियो सर्जरी है, लेकिन एक भी पैसा नहीं। उनको ध्यान आता है जोधपुर। जोधपुर में मेडिकल में सौ करोड़ रुपये दे देंगे, लेकिन अजमेर के लिये 20-25-40 करोड़ भी देने की मुख्य मंत्रीजी ने सोची नहीं। इसलिये मैं, मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं। अजमेर सम्भाग है वहां कैथ-लैब भी लगाई तो सारे जन प्रतिनिधियों ने मिलाकर वहां पर कैथ-लैब की स्थापना की, सरकार का उसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं। मैं सरकार से मांग करुंगा कि कुछ करिये, अजमेर आपका है। अजमेर भी राजस्थान का पार्ट है, अजमेर राजस्थान से अलग नहीं है, इसके लिये भी कुछ चिन्ता करिये। यहां आपने विश्वविद्यालय खोले लेकिन क्या आपने अजमेर विश्वविद्यालय को पिछले तीन वर्षों में एक पैसा भी दिया है? उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कभी चिन्ता की? केवल एक बात कि विश्वविद्यालय खोलते जाओ। पुराने जो विश्वविद्यालय हैं उनकी कहीं कोई चिन्ता नहीं। यह जो दयनीय स्थिति बनी है, मैं समझता हूं कि उस पर विचार किया जाना चाहिए बजट में।

(श्री वासुदेव देवनानी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहता हूं उर्स के बारे में। 800वां उर्स हो रहा है, 300 करोड़ रुपये का सपना दिखाया गया। जो हमारे पूर्व गृह मंत्री महोदय हैं, इन्होंने आकर कलेक्ट्रेट में मीटिंग भी ली थी कि 300 करोड़ रुपये कैसे खर्च करेंगे। 300 करोड़ रुपये की सारी चर्चाएं कीं। कहां गये 300 करोड़? इस बजट में मुश्किल से 17 करोड़ तो केन्द्र सरकार से, 11 करोड़ अजमेर की यू.आई.टी. से और केवल पांच करोड़ से कायड़ विश्राम स्थली पर पानी की व्यवस्था करेंगे। यानी, कुल 5 करोड़ में 300 करोड़ की वाहवाही। उर्स के मेले के लिए आपने केवल वाहवाही लूटने की कोशिश की है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): केवल पांच करोड़ के आधार पर 300 करोड़ के सपने अजमेर को दिखाये गये। 800वें उर्स के मेले, अल्पसंख्यक भाइयों और अजमेर का मेला, वह तो सभी का मेला है, उसमें भी केवल वाहवाही लूटने के लिए झूठे वादे किये गये। अजमेर को दो कारणों से जाना जाता है, एक दरगाह शरीफ अजमेर की है और एक पुष्कर सरोवर है। 300 करोड़ रुपये यदि दरगाह के लिए दिये हैं तो 300 करोड़ रुपये पुष्कर के लिए भी देते तब हम मानते कि आपने पुष्कर के बारे में भी ... (व्यवधान) मेरे को बोलने दीजिए, आप बाद में बोलिये।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (राज्य मंत्री, शिक्षा): 48 करोड़ पुष्कर के लिए दिये गये हैं। मैं बताऊं तो सही न। आपको पता चलना चाहिए, केन्द्र की

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

सरकार ने 48 करोड़ रुपये दिये हैं, काम चल रहा है झील संरक्षण का। आप भी देखते हो और ... (व्यवधान) आप दिखवा लेना। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह आप अपने भाषण में बता देना। (व्यवधान) उसमें तो भैंसें डूबी हुई हैं। काहे का काम हो रहा है? चलिये मेरे साथ, दौरा कीजिए। मैं अभी पुष्कर में गया हूं।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं तो रोज जाती हूं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपके पड़ोस से ही हूं मैं भी। मुख्य मंत्रीजी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। यह सारा जो पैसा खा गये, पता नहीं कहां पैसा गया। इसलिए पुष्कर की यह सारी स्थिति बनी है पुष्कर के लिए 300 करोड़ रुपये देते तो बात करते। अजमेर शहर सारा आज ट्रैफिक समस्या से जूझ रहा है। हमने कहा कुछ एलिवेटेड रोड्स के लिए दीजिए। एलिवेटेड रोड्स के लिए एक पैसा नहीं है। बाकी सब जगह तो पैसा है, पैसा आप खर्च किये जा रहे हो, लेकिन आज अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार है, यह हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। मैं मांग करता हूं कि आप ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कुछ करें। आज अजमेर कराह रहा है। अजमेर की जनता प्यासी है। अजमेर की जनता चिकित्सा सुविधाओं के लिए एक तरह से नजर उठाकर देख रही है कि हम कहां जाएं। अच्छा होता कि पुष्कर के लिए भी आप विश्राम स्थली की तरह एक स्थान विकसित करते, तो लगता कि कहीं दरगाह के साथ-साथ पुष्कर के बारे में भी विचार किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं, एक बात कहता हुआ, भले ही मेरे किसी मित्र को बुरी लगे, आप धर्म के आधार पर गरीबों को मत बांटिये। आपने यह कहा कि आई.आई.एम. और बाकी जगह संस्थानों में अल्पसंख्यकों को आप एक लाख रहने का किराया देंगे। जो गरीब भी सवर्ण हैं, आप तो सभी गरीबों के लिए देते। अल्पसंख्यक तो हमारे भाई हैं, उनको दीजिए, लेकिन बाकी भी जो गरीब हैं, जरा उनको भी देते। इसलिए धर्म के आधार पर गरीबों को बांटना छोड़िए। यह वोटों की राजनीति करना छोड़िए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि सारी जनता खुशहाल रहे। सारी जनता को सुविधाएं मिलें। यही व्यवस्थाएं करेंगे तो ही ठीक होगा। वर्तमान बजट जन विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, दिशाहीन है। इससे महंगाई बढ़ेगी। इसलिए मैं

(श्री वासुदेव देवनानी)

मांग करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें तो इन तमाम मुद्दों को छू कर हमारी पूरी बातों को तवज्जोह देकर बजट में संशोधन करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने 26 तारीख को जो वर्ष 2012-13 के लिए बजट पेश किया, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो दिनों से जो बहस चल रही है उसमें प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से एक ही बात सुनने को मिल रही है, हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि बजट अच्छा है, देखने में अच्छा है, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं लेकिन धरातल पर लागू हो। मैं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि ये जो घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की हैं, धरातल पर लागू माननीय मुख्य मंत्रीजी करेंगे, आपको पीड़ा और तकलीफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अन्दर बात अलग हो रही है लेकिन बाहर जाकर पूर्व मुख्य मंत्रीजी से लेकर आम कार्यकर्ता तक एक ही बात सुनने को मिल रही है कि यह बजट कागजी है, ये घोषणाएं हमारे समय की हैं। यह बजट कोरा कागजी है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर योजनाएं आपके समय की हैं तो क्या आपने सिर्फ योजनाएं बनाईं या राजस्थान में कुछ विकास का काम भी किया है? आपने योजना बनाकर सिर्फ शिलान्यास ही किया है। आपने योजना अगर बनायी तो उस समय आपने काम क्यों नहीं किया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट के बारे में माननीय सदस्य बारबार एक ही बात कहते हैं कि पूर्व बजट में कितना खर्च हुआ, कितना परसेंट हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके समय में जो बजट पेश किये गये, क्या 100 परसेंट राशि खर्च हुई? यह बात बहकाने वाली है, इस तरह की बातों में राजस्थान की जनता आने वाली नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत ने जो चौथा बजट अपने कार्यकाल में पेश किया है 33500 करोड़ रुपये का, यह पेश करके इतिहास रच दिया, बढ़ोतरी हुई है, जब ये

(श्री मदन प्रजापत)

भारतीय जनता पार्टी का शासन छोड़कर गये 14000 करोड़ का बजट था, 14 हजार करोड़ रुपये की तुलना में 33500 करोड़ का बजट, 139.28 परसेंट बढ़ोतरी और इससे साबित होता है कि राजस्थान में अगर कोई विकास की गंगा बहा सकती है तो वह कांग्रेस सरकार बहा सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहला बजट पेश किया वर्ष 2009-10 का 18637 करोड़ का, 33 परसेंट बढ़ोतरी। दूसरा बजट 23822 करोड़ का, 33 परसेंट बढ़ोतरी और उसके बाद में लगातार 16.29 परसेंट बढ़ोतरी और उसके बाद में 33500 करोड़ का यह बजट पेश करके 21.8 परसेंट की बढ़ोतरी कुल चार सालों में एक लाख चार हजार 417 करोड़ का जो योजना का आकार और राजस्थान में जो खर्च होते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद में मात्र लगभग 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, जो आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक लाख करोड़ के करीब खर्च किया है, इन्होंने 15 सालों में भी एक लाख करोड़ की राशि खर्च नहीं की। ये क्या विकास की बात कर सकते हैं? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चार सालों में जो राशि खर्च की है भारतीय जनता पार्टी का जिस-जिस समय शासन रहा, इतनी राशि आपने आज दिन तक खर्च नहीं की, तो आप क्या विकास की बात करते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस कार्यकाल में जो किया, हम एक ही बात सुन रहे थे। कटारियाजी बार-बार कह रहे थे कि मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, अन्तर मन से पीड़ा बता रहा हूं। भाषण नहीं दे रहा हूं, अन्तर मन से मुझे पीड़ा हो रही है वह बता रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपके मन में वास्तव में पीड़ा थी तो वसुन्धराजी के शासन में ललित मोदी ने लूट-लूटकर खाया, उस समय आप क्या नींद में थे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट को लेकर और भी बात आ रही है कि उधार लेकर घी पी रहे हैं। उधार लेकर घी पी रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के राज में हम उधार लेकर घी नहीं पी रहे हैं, गरीबों के लिए हम सुविधा कर रहे हैं। घी तो आपके शासन के समय ललित मोदी ने उधार लेकर आपको पिलाया। माननीय जब हम पहली बार जीतकर आये तो हमें कुछ आशाएं थीं, हम नये

(श्री मदन प्रजापत)

110 माननीय सदस्य हैं जो राजस्थान की विधान सभा में पहली बार आये, कि हमें भी पुराने सीनियर माननीय सदस्यों से कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये बातें और असंसदीय शब्द, मैं कह सकता हूं कि जब सात बार, चार बार, छह बार जीत कर आये माननीय सदस्य इस तरह की भाषा का प्रयोग करें तो हम क्या सीख लें उनसे? मैं नहीं कहते हुए भी बताना चाहता हूं, वे शब्द मेरे मुंह से भी अच्छे भी नहीं लगते हैं- 'कुत्ते की पूछ,' 'गला काट दो', 'क्या खाक है'। और मुझे बड़ा दु:ख होता है कि सरकारी स्कूलों को भी बूचड़खाना करार दिया जाता है। बूचड़खाना स्कूलों को बताना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दु:ख होता है। सीखने की बात तो अलग है, राजस्थान की आम-अवाम जनता में क्या संदेश जाएगा कि विधान सभा में माननीय सदस्य इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं! इस भाषा के साथ मैं यह भी कह सकता हूं कि सीखने को तो नहीं मिलता है। बल्कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से राजस्थान की विधान सभा की गरिमा गिरती है।

(19.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो 10 लाख मकानों की घोषणा की, इनके मन में एक जोरदार बौखलाहट हो गयी कि ये 10 लाख मकान बन गये तो हमारा आने वाले समय में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, सूपड़ा साफ हो जाएगा। तब एक ही बात कहने लगे, 50 हजार में मकान बन सकता है? यह गरीब के साथ मजाक है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके शासन में इंदिरा आवास की तर्ज पर गिनती के मकान बने, लेकिन आप 35 हजार रुपये का भुगतान कर रहे थे आज के चार साल पहले। तो क्या चार साल में इतनी मंहगाई बढ़ गयी? आप 35 हजार दे रहे थे और हम 50 हजार रुपये की राशि गरीब के मकान के लिये दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह का बजट पेश किया, बोलने के लिये कोई शब्द विपक्ष के पास नहीं है। 50 हजार में मकान नहीं बनता, आप देखो, यह गरीब के लिये मदद है। आप 35 हजार दे रहे थे, हम 50 हजार दे रहे हैं। लेकिन कटाक्ष करने के अलावा इनके पास कुछ रहा नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हर बात में एक ही बात हमें सुनने को मिलती है। धन्यवाद देने से पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि कल जो प्रश्न

(श्री मदन प्रजापत)

काल था, प्रश्न काल में महत्वपूर्ण प्रश्न लगने के बावजूद प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के गम्भीर नहीं होने से जाहिर होता है कि आज इस बहस के ऊपर वे क्या बोलेंगे। आम-अवाम में संदेश जा रहा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शानदार बजट पेश किया और प्रतिपक्ष के सदस्यों को यह बोलना पड़ा कि यह सुनामी बजट है। सुनामी बजट की बात करना इससे मतलब है कि बजट शानदार है। आप अपने मुंह से कह रहे हैं। चुनाव दो साल के बाद में हैं उसके पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शानदार बजट पेश किया। आप जान-बूझकर दूसरी बातों को ला रहे हैं कि बजट के ऊपर क्या बात करें, क्या बताएं। मैं धन्यवाद दूंगा आपको अगर आप बजट के बारे में सुझाव दें, आप बजट के बारे में कमियां बताएं। आप नये तरीके से सुझाव देंगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन बजट के ऊपर नहीं बोलकर कोई जिले पर बोल रहा है। आज एक पूर्व मंत्री जिले के ऊपर सीमित रह जाये, और एक पूर्व मंत्री गंगनहर के ऊपर सीमित रह गये। राजस्थान के ऊपर बोलना चाहिये आपको, बजट के ऊपर बोलना चाहिये।

कल महेन्द्रजी चौधरी ने बातें कहीं कि वो बड़ा, गणेश बड़ा, राम लफड़े में पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस अयोध्या की धरती को, जिसने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवा दी, सूपड़ा साफ करवा दिया ताकि राम लफड़े से निकल जाए और हिन्दुस्तान में अयोध्या का नाम लेकर वोट बटोरने की जो हमेशा कोशिश करते हैं, वह नाम लेना भी बंद कर दें। अयोध्या की जनता ने आपको नकार दिया, अयोध्या की जनता ने आपकी जमानत जब्त करवा दी। आप हिन्दुस्तान में क्या बात कर सकते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) मेहरबानी करके सुनो, मसाला बाद में आएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैट्रो की बात करें तो आज दिल्ली के बाद में किसी ने अगर जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्रयास किया है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत ने किया है। मैट्रो आ रही है। करोड़ों का बजट दे दिया, अब मैट्रो के लिये क्या बात करें? कि मैट्रो के लिये पैसा मिल जाता है, गरीब के लिये नहीं। गरीब के लिये कितनी योजनाएं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट आपने पढ़ा ही नहीं। जो भी भारतीय जनता पार्टी का वक्ता जाता है, एक ही बात सुनने को मिलती है कि ये भाव इतने

(श्री मदन प्रजापत)

हो गये, आलू-कांदा ये भाव हो गये, मंहगाई इतनी हो गयी, वो हो गया। मैं कह सकता हूं कि मंहगाई के अलावा आपके पास हर वक्ता के पास में भाषण देने के लिये कोई शब्द नहीं रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजीव गांधीजी की बार-बार बात आती है, इनको इतनी एलर्जी होती है कि बी.पी. और पारा बढ़ जाता है। मैं उनको बताना चाहता हूं, राजीव गांधीजी का सपना था कि भारत 21वीं सदी में जाए। कम्प्यूटर क्रान्ति के जनक राजीव गांधी, इस नाम से इनको जलन होती है, लेकिन हिन्दुस्तान की आम जनता राजीव गांधीजी को उस नजरिये से देखती है। उस जमाने में राजीव गांधीजी कम्प्यूटर लेकर आये। आप विरोध कर रहे थे कि कम्प्यूटर से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, देश बरबाद हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज राजीव गांधीजी का वह सपना राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के माध्यम से अशोक गहलोतजी पूरा कर रहे हैं। हर पंचायत को कम्प्यूटर, हर पंचायत में लैपटाप। आज जो विज्ञान संसार आगे बढ़ रहा है, उसमें राजस्थान भी हिन्दुस्तान के साथ में निरन्तर कदम से कदम मिलाकर प्रगति कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी दूसरी बातें ही की हैं, विकास के बारे में अगर बात करें तो चाहे कितनी भी बात करें, वह कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं सड़क के बारे में बात करूं, ये एक ही बात कर रहे हैं कि 250 वाली आबादी को जोड़ने का काम हमारे राज में किया। आपने कम दिमाग लगाया, उसमें लिखा हुआ था, ढाणी, मगरे, गांव तमाम बस्तियां जुड़ सकती हैं 250 की आबादी की। आपने सिर्फ गांव-गांव ही जोड़े, ढाणी-मगरे और बस्तियों को छोड़ दिया। इनके कारण अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी इनको अब जोड़ने जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सड़कों में साढ़े 1550 गांव इस साल जुड़ेंगे, अगले साल 1400 गांव जुड़ेंगे। चाहे मेगा हाइवे, राज मार्ग हो, तमाम जगह सड़कों का जाल अगर किसी ने बिछाया है तो माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने बिछाया है।

बिजली के बारे में माननीय मंत्री जितेन्द्र सिंहजी और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने योजनाएं बनाईं, 38 प्रतिशत देना अपने आप में बहुत मायने रखता है, कोई मामूली बात नहीं है।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी के बारे में बात करें तो शाले मोहम्मद और मेवारामजी ने बात कही कि झूठे शिलान्यास किये गये, झूठे उद्घाटन किये गये। योजनाओं से पानी लाने का अगर किसी ने काम किया है और मुझे खुशी है कि आज पूरे राजस्थान में 3700 करोड़ रुपये में से 1200 करोड़ रुपये अगर कहीं मिल रहे हैं तो पश्चिमी राजस्थान की धोरों की धरती बाड़मेर जिले को मिले हैं। उसमें 590 करोड़ रुपया बालोतरा के लिये, 218 करोड़ रुपया उम्मेद सागर-कल्याणपुर-समदड़ी के लिये जो दिया है, इस बात के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारी भावना की आपने कद्र की। उसके बाद में आज चाहे हास्पिटल के बारे में लें, 100-100 पी एच सी, ए एन एम भर्ती वगैरह का जो काम किया है, और जो करने जा रहे हैं, चाहे 200 एम्बुलेंस का मामला हो, इनसे जाहिर होता है कि विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी के सदस्य घबरा गये हैं। साल भर पहले जो सपना था कि इधर से इधर आएंगे, मैंने गत अभिभाषण में भी कहा था, इधर नहीं, सिर्फ उस कोने में रह जाओगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज गरीबों के प्रति उनकी जो भावना है, दो रुपये किलो अनाज की योजना लागू करके यह साबित कर दिया कि गरीब का भला किसी के मन में, गरीब का दर्द कोई समझता है तो वह माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत समझते हैं। गरीब मजदूर के लिये फ्री साइकिल की योजना, यह कोई मामूली कदम है। चाहे मदरसों का विकास हो, चाहे राजीव गांधी संरक्षण के लिये इनाम की योजना हो, ये राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिये 10 गुणा बढ़ोतरी करके यह साबित कर दिया कि खेल की भावना भी हमारे माननीय मंत्री और हमारी सरकार समझती है।

मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है, किसानों के बाद में पशुपालन का ले लो, अभी साथी बता रहे थे, आज जो योजना लागू की है पशुओं के लिये दवाई फ्री की, ये कभी सोच नहीं सकते थे। राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत लैपटाप दे रहे हैं, लैपटाप क्या अखिलेश यादव की तर्ज पर दे रहे हैं? अशोकजी गहलोत की खुद की भावना है कि राजस्थान का आम नागरिक प्रगति करे। लैपटाप के लिए युवा शक्ति इतनी तैयार हो जाएगी कि आपको क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको बीस मिनट हो गये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में पूरी बात करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

मैंने उधार लेकर घी पीने वाली बात पहले भी निवेदन की थी- गरीब की सेवा के लिए मकान फ्री, दवाई फ्री, पानी का टांका फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, डिलीवरी का खर्चा फ्री, टेंशन फ्री। दो रुपये किलो गेहूं। इस बजट में हमने तो समझा कि यह पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यह योजना अभी लागू की है। पशुओं के लिए दवा फ्री, बेरोजगारों के लिए पांच सौ का भत्ता, लैपटाप फ्री और मजदूर के लिए साइकिल फ्री। खिलाड़ियों के लिए दस गुना इनाम। लोक कलाकार जो अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं, उनके लिए बीमा फ्री। छोटे काश्तकार जो बंटाई पर खेती करते हैं, जो काश्तकार दूसरों के खेत में मजदूरी के आधार पर खेती करते हैं, उनके लिए भी मुख्य मंत्रीजी योजना बना रहे हैं।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के मन में पीड़ा थी कि कन्या भ्रूण हत्या रुके तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक लाख रुपया इनाम किया है ताकि आने वाले समय में यह कलंक मिट सके। और भी तमाम योजनाएं हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय नगरीय विकास मंत्री धारीवालजी भी विराजमान हैं, मैं धन्यवाद देता हूं धारीवाल साहब को कि बालोतरा में बीस सालों से जो पूर्व में मंत्री थे वह भी नहीं कर सके, बालोतरा में ओवरब्रिज स्वीकृत कर दिया, बालोतरा में डीटीओ आफिस स्वीकृत कर दिया। सड़कों का जाल बिछा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन मांगे हैं, सुझाव हैं, मैं निवेदन करता हूं कि बजट में आएं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं निवेदन करता हूं कि हरेक विधान सभा क्षेत्र हैड-क्वार्टर पर जहां सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं, कम से कम पांच स्कूल सैकण्डरी और...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप बीच में क्यों? आपको मौका मिले जब बोलना।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अपन तो बातें बाद में करेंगे। अपन तो पड़ौसी हैं।

एक विधान सभा क्षेत्र में पांच सैकण्डरी और पांच हायर सैकण्डरी, इस प्रकार पांच-पांच स्कूल्स यदि खोले जाएं तो यह अपने हित में है, मैं निवेदन करता हूं कि जब आप जबाव दें तो कहें कि जरूर स्कूल खोलेंगे।

(श्री मदन प्रजापत)

दूसरी बात मैं निवेदन करूं, चाहे पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, सबकी भावना है, आज एम पी लैड कोटा पांच करोड़ रुपये का हुआ है, यहां पर हमेशा तुलना 50 परसेंट की रही है, पांच करोड़ की तुलना में कम से कम ढाई करोड-तीन करोड़ एमएलए कोटा किया जाए। सबकी भावना है, सब संतुष्ट हैं क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रजापतजी, आप एमपी से छोटा क्यों रहना चाहते हो? पांच की जगह पांच ही मांगिए, मांगने में कंजूसी क्यों करते हो आप?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): वह तो आपकी मेहरबानी हो जाएगी तो हो जाएगा। यह सबकी भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने छह महीने में समिति गठित करने का निर्णय किया है, शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि राजस्थान में जिले का गठन होगा और राजस्थान में एक नम्बर पर कोई जिला बनेगा तो वह बालोतरा बनेगा क्योंकि सत्ताइस लाख की आबादी है और तीन सौ किलोमीटर का क्षेत्रफल है, इतनी दूरी तक आम आदमी को जाना महंगा पड़ता है। मैं निवेदन करता हूं कि बालोतरा-सिवाना विधान सभा क्षेत्र, सिणधरी उप तहसील, गिणा उप तहसील इन सब सर्किल को मिलाकर बालोतरा को जिला बनाया जाए। बालोतरा जिला बनेगा, हमें पूरा विश्वास है।

विधान सभा में गत कार्यकाल में भी बार-बार यह बात आ रही थी कि पोपाबाई कौन थी, पोपाबाई कहां थी। घनश्यामजी तिवाड़ी के मन भी बात थी कि वास्तव में पोपाबाई कौन है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि पुराने जमाने में पोपाबाई बाड़मेर जिले के खेड़ ग्राम में थी और वर्तमान में अवतार लेकर गत कार्यकाल का जो राज था, मैं कह सकता हूं कि वही पोपाबाई का राज था, उनको ही पोपाबाई कहते हैं। पोपाबाई कोई महिला नहीं, जो राज पोपाबाई की तरह करते हैं, उनको पोपाबाई का राज कहते हैं। आम जनता के मन में भावना है। मुझे कहा कि पोपाबाई का राज कहां था, मैंने कहा, आज से चार साल पहले जो राज था, वह पोपाबाई का राज था।

उपाध्यक्ष महोदय, और भी कई बातें मैं निवेदन करता हूं, विधान परिषद् का गठन करना कोई मामूली बात नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विधान परिषद् की घोषणा की, उनके मन में है कि राजस्थान आगे बढ़े,

(श्री मदन प्रजापत)

राजस्थान प्रगति करे, राजस्थान विकास करे। यह साबित कर दिया। इतिहास रचा है। आगे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां याद करेंगी कि विधान परिषद् का गठन किसी के राज में हुआ तो माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी के राज में हुआ।

आज छोटे आदमी का भी ध्यान रखा गया है। एक सेल्समैन होता है गांव में, वह गरीब आदमी होता है, गत बजट में उसका भी 1600 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये किया। पैराटीचर, प्रबोधक वगैरह जो भी थे, उनकी 25 परसेंट बढोत्तरी। आंगनबाड़ी सहायकों की 10 परसेंट बढ़ोतरी। चपरासी और जो छोटे कर्मचारी हैं, उनकी वर्दी में बढ़ोतरी। इससे साफ जाहिर होता है कि चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे आम आदमी हो, सबको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बजट लेकर आये। हमें था, मैंने अभिभाषण में भी कहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आने वाले बजट में इतना बड़ा पिटारा लेकर आएंगे कि आपकी बोलती बन्द हो जाएगी। मुझे जैसा विश्वास था वैसा बजट पेश हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, उसकी मैं तहेदिल से तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं, समर्थन करता हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसमें से धरातल पर जब खर्च होगा और जब काम शुरू होंगे, तब जनता अपने आप कहेगी कि राज अगर कोई है तो कांग्रेस का है। मुख्य मंत्री अगर कोई है तो अशोक गहलोतजी हैं। आपके मन में जो सपने हैं, वे मेहरबानी करके छोडें। हमेशा कांग्रेस की सरकार बनेगी, आने वाले समय में बनेगी और दिल्ली में बनेगी, यह मैं कह सकता हूं। मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, समर्थन करता हूं।

यूपी में हमारा क्या हुआ? आप अपने पैरों में झांक कर देखें कि आपका क्या हुआ। (व्यवधान) किसी का कुछ होने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की यूपी में जो हालत हुई है, इससे साफ जाहिर होता है। आप कभी गऊ माता के नाम पर, कभी राम के नाम पर, भगवान गणेश के नाम पर करते हैं। वह जमाना गया, जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आरएसएस वाली जो बात कही थी, आरएसएस के चक्कर में जनता आने वाली नहीं है। जनता जागरूक है और कांग्रेस के शासन से जनता संतुष्ट है। कर्मचारियों की बात करें, इतिहास में पहली बार डीए जब केन्द्र बढ़ाता है, उसी दिन बढ़ाया जाता है।

(श्री मदन प्रजापत)

आपने अभिभाषण के समय किसानों की पीड़ा जताई, हमने भी कहा था, हमें विश्वास है। माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद किसान हैं, किसान की पीड़ा समझते हैं, इनको कहने की जरूरत नहीं। हाथों-हाथ विधान सभा सत्र शुरू हुआ, इनसे पहले किसानों के लिए घोषणा की है, और भी करेंगे। जब-जब भी कांग्रेस का शासन आया, किसानों के लिए अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि 72 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ करके यह साबित कर दिया कि किसानों की अगर कोई हितैषी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, किसानों की अगर किसी ने चिंता की है तो अशोक गहलोतजी ने की है। आपने झूठे वादे किये, आपने आज दिन तक किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनायी। मुझे कहते हुए बड़ा ही अलग महसूस होता है जब राजस्थान का पूर्व शिक्षा मंत्री कहे कि अजमेर में कुछ नहीं हुआ। आपने पांच साल में क्या किया? आप कहां थे, क्या आप जिले का विकास भूल गये थे? एक मंत्री होने के बावजूद विकास अगर नहीं दिखता है तो शायद उनको विकास करने का अनुभव नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यह एक शानदार बजट पेश किया।

आप बार-बार कह रहे हैं कि यह हमारे समय में हुआ है, मैं बताना चाहता हूं कि आपके 15 सालों में चाहे भैरोंसिंहजी का शासन रहा, चाहे वसुन्धराजी का रहा हो, आंकड़े देख सकते हैं कि इतनी राशि आपने खर्च नहीं की और न ही कर सकते हैं। विकास करने का अनुभव आपको नहीं है।

इस बात की मैं तारीफ करता हूं कि विपक्ष में हल्ला करने का अनुभव शुरू से आपका रहा है। भगवान से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यह ट्रेनिंग, यह अनुभव भारतीय जनता पार्टी का सदियों-सदियों तक रहे। ये मुकाबला करते रहें और कांग्रेस वाले हम राज करते रहें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: पेमारामजी, आप चार-पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलो तो इजाजत है बाकी ...(व्यवधान)...

श्री पेमाराम (धोद): आपकी आज्ञा चाहिए, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनट मात्र, इससे ज्यादा असमर्थ हूं।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यह दे दें, माननीय चीफ व्हिप साहब टाइम दे दें अपना तो मुझे कोई नहीं ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): नहीं, इनसे बात ही नहीं, मैं तो आपकी तरफ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, आप स्टार्ट करिए। स्टार्ट करिए।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके पीछे जो महात्मा गांधीजी की तस्वीर लगी हुई है, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी कि हमारा देश आजाद होगा और आजाद होने के बाद इस भारत देश की धरती पर पैदा होने वाले हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, हर नौजवान को काम मिलेगा, किसान के हर खेत को पानी मिलेगा और शायद स्वर्ग आकाश से टूटकर इस धरती पर आएगा, इस धरती पर पैदा होने वाले तमाम की हिस्सेदारी होगी।

अभी जो बजट पेश किया है, पक्ष के साथी कह रहे हैं शानदार बजट, विपक्ष के साथी उलटा कह रहे हैं। आलोचना-प्रत्यालोचना चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

महेन्द्र सिंहजी, मैं वो ही बोलूंगा जो वाकई में है। जो आप बोल गये, आप बोल गये।

2008 में जब से अशोक गहलोत की सरकार बनी है, 65 साल की आजादी के बाद मैं समझता हूं कि यह पहला मौका है किसान के हितैषी होने की बात करते हैं, राजस्थान में गांव के बाहर ढाणियों में आवास करने वाला किसान है, मुझे आप खड़े होकर कह दो कि ढाणियों के कनेक्शन नहीं खुलने चाहिए, मैं मान लूंगा आपकी बात। पहला मौका है। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप में सद्‌बुद्धि आए, मुख्य मंत्री महोदय से कहें कि ढाणी में रहने वाला, इस राजस्थान में पैदा हुआ हमारा किसान जो कोई गुनाह नहीं करता, ढाणी में बसता है, उसकी ढाणी में घरेलू कनेक्शन खोलने के लिए सरकार इस बजट में कोई प्रावधान करे। तीन साल आपने सफर करवा दिया, अब तो उनके बिजली के कनेक्शन खोलो। लेकिन इसके लिए एक नये पैसे का प्रावधान नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह कह रहे थे, मुझे मेरे जिले का

(श्री पेमाराम)

अनुभव है, हमारे बीच में कृषि मंत्रीजी भी आ गये, कि सिंचाई के लिए बूंद-बूंद का करेंगे। ये करेंगे, वो करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे लेकिन 2010-11 का बजट है, दो साल पीछे का, जिन किसानों ने फव्वारे खरीदकर पत्रावलियां गहलोत साहब के सीकर के दफ्तर में लगा दीं, डेढ़ करोड़ रुपये अकेले सीकर जिले के बाकी हैं। इस तरह से पूरे राजस्थान के किसान के साथ सरकार ने किया है, मैं समझता हूं कि ज्यादा ही होंगे। यदि उन किसानों को देते तो मेरी समझ में बेहतर होता। बजट के जवाब के दौरान मुख्य मंत्रीजी जिन जिलों में बकाया पैसे पड़े हैं, वो किसानों के दें तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा।

जहां तक सड़कों की बात है, चाहे माननीय सदस्य कोई कुछ भी कहे लेकिन हकीकत यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सड़कें ये बना रहे हैं। कौनसी बना रहे हैं? टोल बूथ वाली। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने इसलिए लड़ा था कि आजाद भारत में सड़कों का निर्माण सरकार करेगी, लोक कल्याणकारी कार्य करेगी। आज इन्होंने सड़कें कम्पनियों को देकर टोल बूथ जगह-जगह बना दिये। एक चीज बची है, वो और करवा दो। सांस लेने पर और टैक्स लगवा दो। राजस्थान में पैदा होने वाले इन्सान पर सांस लेने पर टैक्स और बाकी रह गया, वो और लगवा दो। उसके बाद आपका यह होगा कि हमनें चारों तरफ टैक्स की भरमार कर दी है।

सारी सड़कें टूटी हुई। और ग्रेवल सड़कें, किसी ने कहा नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे सड़क अकाल राहत में बन गयी, किसी दूसरी योजना में बन गयी, नरेगा में बन गयी, डामरीकरण सड़कों का तो एक नियम है कि दस वर्ष के बाद उसका नवीनीकरण होता है। लेकिन राजस्थान में ग्रामीण इलाके से चुनकर आने वाले हर जन प्रतिनिधि के इलाके में ग्रेवल सड़कें हैं, दस साल में उनकी रिपेयर कोई करता नहीं, उनमें एक-एक फुट के खड्डे हैं। सरकार को उन ग्रेवल सड़कों की आज तक कोई सुध नहीं हो पायी और उनके बारे में इस बजट में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं हो पाया। इसलिए मैं समझता हूं कि सड़कों की हालत में सुधार हो नहीं पाएगा।

जहां तक बिजली का सवाल है, आकाश में बनाएंगे, पाताल में बनाएंगे, हवा में बनाएंगे, मगर कहां बनाएंगे? अभी सीजन था, किसान की गुमटी तक तो चार घंटे, एक पुराना गाना–'कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लड़के, हो गये 85 झटके', एक-एक घंटे में पचास-पचास झटके

(श्री पेमाराम)

दिये। ऐसी बिजली इन्होंने दी। एक तरफ पाले की मार दूसरी तरफ इनके झटकों की मार, जो कुछ बचा-खुचा था उसमें भी किसान को चौपट करने का काम किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी बोलने के लिए खड़ा ही हुआ हूं।

जहां तक पीने के पानी का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की हालत तो यह है, अभी हमारे प्रभारी मंत्री जिले में गये थे, ये कहां पानी पिलाएंगे? शायद आपके भी वो ही हालात हैं। अलग-अलग जिलों में अलग-अलग पोजिशन है। पीने के पानी के पैसे भारत की आजादी से लेकर आज तक राज्य सरकार के खजाने से जमा होते थे, यह पहला मौका है जब आपने जनता के हवाले कर दिया कि जनता अपने गांव में पैसा इकट्ठा करेगी। जिसकी जेब में पैसा होगा, वो पीने का पानी लेगा। हमारे अकेले जिले में 200 गांवों के बिजली के कनेक्शन कटवा कर इस सरकार ने जन विरोधी काम किया है। मैं समझता हूं कि भारत की आजादी के बाद ऐसा मौका कभी नहीं आया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक चिकित्सा का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, 65 साल के बाद भी कोई माननीय सदस्य यह मांग करे कि हमारे इलाके में पांच सैकण्डरी खोलो, पांच सीनियर सैकण्डरी खोलो। एक ही काम किया, शिक्षा का बंटाढार करने का काम किया। यदि कहीं खोली है तो स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। कहां दवाई? दवाई लिखने के लिए तो अभी सरकार ने हुक्म जारी किया है कि हमारे पास डाक्टर नहीं हैं, भर्ती नहीं करेंगे? कम्पाउण्डर को दवाई लिखने का अधिकार इन्होंने भेजा है। जनता की जिन्दगी के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ जिस तरह का खिलवाड़ सरकार करने जा रही है, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी, चुन-चुन कर बदला लेगी और सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी।

जहां तक अल्पसंख्यक समुदाय का सवाल है, मैं किसी घटना विशेष की बात नहीं जानता, मगर, उपाध्यक्ष महोदय, पूरे भारत देश में वाकई में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हिन्दुस्तान की आजादी से लेकर आज तक जो

(श्री पेमाराम)

दुभांत हो रही है उसमें हमारे देश में सच्चर समिति का गठन किया गया। सच्चर समिति ने जो तथ्यात्मक रिपोर्ट रखी उनके मोहल्लों की, शिक्षा की, आर्थिक स्थिति की, वह तमाम रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार ने एक काम किया कि उसका क्या इलाज हो। उसके लिए हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज रंगनाथ मिश्र के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया। आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं, मैं स्वागत करता यदि गहलोत साहब की सरकार रंगनाथ मिश्र की एक भी सिफारिश को राजस्थान के इस बजट में सम्मिलित करती और अल्पसंख्यकों को राहत देने का काम करती। तो मैं समझता कि सरकार ने वाकई में अल्पसंख्यक समुदाय के भले के लिए इस बजट में कोई हिस्सेदारी निभाई है। लेकिन सरकार एक ही काम करती है।

इसी तरीके से दलितों के उद्धार की बात करें, हमारे सीकर जिले में समाज कल्याण विभाग में गत वर्ष के भी जो पढ़ने वाले बेटे और बेटियां थे, जिनके फार्म छात्रवृत्ति के पड़े हैं, राजस्थान की सरकार...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री पेमाराम (धोद): मैंने तो शुरू ही किया है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, समाप्त करें। दस मिनट हो गये आपको।

श्री पेमाराम (धोद): मैं तो मंत्रीजी से भी कहना चाहता हूं कि या तो सरकार में आपकी चलती नहीं और चलती है तो हमारा सीकर मुख्यालय है, मुख्यालय पर, उपाध्यक्ष महोदय, सारी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, मोहल्लों में गंदा पानी है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, सारी की सारी बंटाढार है। जनता आए दिन कभी बाजार बंद करके विरोध करती है, कभी जनता सड़कों पर आकर ज्ञापन देती है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बजट में सीकर शहर, सीकर मुख्यालय की व्यवस्था सुधारने के लिए कोई योजना बनाकर कोई पैसा अलाट करें जिससे सीकर शहर को भी मिले।

इसी के साथ एक चीज और कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत कह ली।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): धोद के लिए भी कह दो थोड़ा, फिर भूल जाओ।

श्री पेमाराम (धोद): धोद के लिए तो कहने की आवश्यकता नहीं। आप आ जाना धोद में। पहले भी आये थे। आप और ये दोनों मिलकर आये थे, और फिर आ जाना। धोद के लोग तो आज भी आये थे यहां पाले और शीतलहर के सवाल को लेकर, पांच हजार से ज्यादा आये थे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पेमारामजी, समाप्त करो, आप दोनों एक ही जिले के हो।

श्री पेमाराम (धोद): मेरा निवेदन है कि हमारे जिले में प्याज पैदा होता है, हमारे जिले के पड़ौस में झुन्झुनूं में भी प्याज पैदा होता है।

श्री उपाध्यक्ष: पूरे राजस्थान में होता है। अब समाप्त करो।

श्री पेमाराम (धोद): हमारे जिले के पड़ोस में नागौर में भी प्याज पैदा होता है, कुचामन आ गया, प्याज पैदा होता है। आज प्याज का भाव डाउन जा रहा है, सरकार को चाहिए कि प्याज उत्पादन करने वाला किसान बरबादी के कगार पर है, सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना में प्याज खरीद करे। निर्यात पर रोक लगी है, 18 रुपये किलो से नीचा प्याज बाहर निर्यात नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना में प्याज खरीदे और राजस्थान के किसानों को बचाने का काम करे। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, बजट 2012-13 पर वाद-विवाद प्रतियोगिता जैसा माहौल बना हुआ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने बजट भाषण को प्रस्तुत करते समय कहा था और आज हमारे सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने भी कहा था कि सामने वाले पक्ष के शायद यह बजट समझ में नहीं आएगा। जब इधर वाले लोगों के ही समझ में नहीं आया, हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के ही समझ में नहीं आया हो और बजट बनाने वालों ने केवल उनसे बजट पढ़वा दिया हो तो सामने वाले पक्ष को समझने का समय तो चाहिए।

कुछ ऐसी घोषणाएं जो लगातार 2009 के बजट से आज तक होती आ रही हैं और आगे भी शायद होती रहेंगी, अगले बजट में भी । यूनिवर्सिटी की बात मेरे से पूर्व अनेक वक्ताओं ने कही। राजस्थान विधान सभा के एक प्रश्न का उत्तर मेरे हाथ में है, पूर्ववर्ती सरकार ने अलवर में मत्स्य

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

यूनिवर्सिटी की केवल घोषणा ही नहीं की, दिनांक 30.08.2008 को और 29.9.2008 को इस यूनिवर्सिटी को खोलने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। यह प्रश्न का उत्तर राजस्थान सरकार का है। उसके पश्चात् बजट एलोकेशन किया गया और ओ एस डी की नियुक्ति की गयी। अगर समय रहते उस घोषणा को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते इन्होंने निरस्त नहीं किया होता, लम्बित नहीं किया होता तो, मेरे हाथ में समाचार पत्र की प्रति है, 91 परसेंट अलवर का छात्र एम एस सी से वंचित रह जाता है, बी एस सी करने के बाद घर बैठ जाता है। यह राजस्थान की सरकार उन एम एस सी करने से वंचित छात्रों के पाप की दोषी है। इस मत्स्य यूनिवर्सिटी की घोषणा को इन्होंने केवल मात्र इसलिए बर्फ में लगाया कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार को जाएगा।

कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र 2008, इसमें अगर देखें तो इन्होंने बड़े जोर-शोर से घोषणा की थी कि स्थानीय करों में राहत देंगे पैट्रोल, डीजल, कैरोसिन और गैस पर। एक रुपया कुछ पैसे की छूट पहली बार इन्होंने पैट्रोल पर दी। आम आदमी चाहे वह मोपेड चलाता है, स्कूटर पर चलता है, कार में चलता है, एक रुपये लीटर की छूट देकर ऐसा कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा इन्होंने कुबेर का खजाना राजस्थान में लुटाकर रख दिया।

बड़ी बातें हो रही हैं, पूर्व में भी की जाती रही हैं। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार पर अनेक बार 90-बी में घोटालेबाजी के आरोप लगाये गये। मेरे हाथ में एक दस्तावेज है, इस राजस्थान की वर्तमान सरकार का है। इस सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने एंटी करप्शन में एफ आई आर लाज कराई है। यह कागज मेरे हाथ में है, अस्सी बीघा जमीन की नियम विरुद्ध 90-बी। जब मैंने राजस्थान की विधान सभा में प्रश्न लगाया, सरकार ने गलत उत्तर दिया। जब मैंने इसका आक्षेप किया तो सरकार ने इसकी एम के खन्ना कमेटी बनाई, एम के खन्ना कमेटी ने जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया, कि निश्चित रूप ये 90-बी गलत हुई थी और इस 90-बी को निरस्त किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कार्यवाही करते हुए तीन अधिकारियों के खिलाफ और दो बेनीफिशरीज के खिलाफ कार्यवाही की।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

ऐसी जोरदार यह सरकार जो बार-बार पिछली सरकार पर घोटालेबाजी के आरोप लगाती रही लेकिन सारे आरोप निराधार। एम एम माथुर आयोग की स्थापना की गयी, क्या हुआ उस आयोग का? सारी इनकी जितनी जांच – पड़ताल थी, सब झूठ का पुलिन्दा निकली। वसुन्धराजी की सरकार और वसुन्धराजी एकदम साफ, स्पष्ट तौर पर प्रामाणिक निकलीं। कोई घोटाला उनके राज में नहीं हुआ। और वर्तमान सरकार के समय का यह प्रामाणिक घोटाला मेरे हाथ में है। सरकार चाहे तो इसको टेबल करने को मैं तैयार हूं। सरकार पारदर्शिता के साथ आज भी इन लोगों को न गिरफ्तार कर पायी, न इनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर पायी।

एक और बड़े घोटाले की रिपोर्ट मैं इस हाउस के सामने इस बजट के माध्यम से रख रहा हूं। अलवर में एक संस्था का संचालक जो सात-सात एजुकेशन कालेज चलाता है, उस आदमी ने अलवर के जिला कलक्टर के दस्तखत 22.01.2009 को कर लिये। जिला कलक्टर के कार्यालय का लैटर पैड बनाया फर्जी, उस फर्जी लैटर पैड पर दस्तखत किये फर्जी, मोहर लगाई फर्जी, अपनी संस्था का भू-रूपान्तरण कर लिया फर्जी, ए आई सी टी ई से मान्यता ले ली फर्जी और आर टी यू से एफीलिएशन ले लिया फर्जी। सात-सात कालेजों का मालिक, सी बी आई की रेड हुई, सी बी आई ने वह पत्र पकड़ा 14174 दिनांक 22.1.2009 । पत्र पढ़कर जब सी बी आई ने पूछा कलक्टर, अलवर से तो कलक्टर अलवर ने जवाब दिया, मेरे हाथ में यह जवाब है, कि यह पत्र इस कार्यालय के द्वारा जारी करना नहीं पाया जाता है। इस राजस्थान की वर्तमान सरकार के जिला कलक्टर महोदय ने बहुत भारी भरकम राशि लेकर उस फर्जी कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफ आई आर तक राज्य सरकार की ओर से नहीं कराई। इस बारे में जब मैंने क्वेश्चन लगाया, राजस्थान की सरकार कहती है कार्यवाही सी बी आई कर रही है। सी बी आई किस बारे में कर रही है? सी बी आई रांग सब्मिशन के बारे में कार्यवाही कर रही है, फाल्स डाकूमेंट तैयार करने के बारे में कोई कार्यवाही आज तक राजस्थान की सरकार नहीं कर रही। जब भी पूछा जाता है, राजस्थान की सरकार गुमराह करने वाले जवाब देती है।

मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं 2009 के बजट से अब तक की राजस्थान सरकार की गम्भीर चूक की ओर। राजस्थान में पावर आफ अटार्नी को

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

राजस्थान की सरकार ने डिफाइन किया है रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल। 2010-11 के बजट में राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी के नाम पर स्टाम्प ड्यूटी को 2 परसेण्ट से पाइन्ट 2 परसेण्ट किया। इन्होंने साथ में घोषणा की कि इसके लिये स्टाम्प एक्ट में संशोधन किया जाएगा। 2010 से स्टाम्प ड्यूटी 10 परसेण्ट हो जानी चाहिये थी, जो वसूल की जा रही थी उसका दसवां हिस्सा वसूल होता। इन्होंने उस संशोधन को नहीं किया। इसलिये नहीं किया, असत्य घोषणा करके सत्ता पक्ष के सदस्यों ने खूब मेजें थपथपायी। बहुत अच्छा किया माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्टाम्प ड्यूटी घटायी। लेकिन आज तक सरकार बताए, कितनी स्टाम्प ड्यूटी घटायी और कहां घटायी। उतनी की उतनी स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जा रही है। माननीय, 2011-12 के बजट में फिर इन्होंने एक घोषणा की कि स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज 10 परसेण्ट लिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज की घोषणा हुई, उस बजट को पास करने तक की इन्होंने जिम्मेदारी नहीं समझी। घोषणा के साथ राजस्थान की सरकार ने उसमें भी लिखा था इस स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज को वसूल करने का कि स्टाम्प एक्ट में संशोधन किया जाएगा। कोई संशोधन नहीं हुआ। एक मिनट भी नहीं लगा और राजस्थान की सरकार ने तुरन्त प्रभाव से 10 परसेण्ट सरचार्ज वसूल करना शुरू कर दिया।

अभी पिछले दिनों विधान सभा से पहले एक तीसरा सर्कुलर अटार्नी को लेकर आया। उसमें कहा गया, अटार्नी पर दी गयी स्टाम्प ड्यूटी को तीसरे पक्ष के हक में समायोजित किया जाएगा। क्या सरकार चल रही है यह? कायदे-कानून का पता नहीं, स्टाम्प एक्ट का पता नहीं, तीसरे पक्ष के हक में कैसे समायोजित करेंगे? पावर आफ अटार्नी पर ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी का, भुगतान प्रथम पक्ष करता है। दूसरा पक्ष जिसके हक में पावर आफ अटार्नी होती है, वह विदाउट एनी रैमुनरेशन उसका एक एजेण्ट होता है, पावर आफ अटार्नी देने वाले का। फिर जो एजेण्ट तीसरे व्यक्ति, क्रेता के हक में रजिस्ट्री कराएगा उसके हक में आप पहले पक्ष के द्वारा भुगतान की हुई स्टाम्प ड्यूटी को कैसे समायोजित करेंगे? कौन से खाते में समायोजित होगी? लेकिन अभी मदनजी ने भी कहा और हमारे राधेश्यामजी गंगानगर ने भी कहा, दूसरे भाई के टिकट कटने की तैयारी हो गयी। गंगानगर साहब का कट ही गया था। पोपाबाई का राज है, कोई पता नहीं। चल रहा है, घोषणा हो रही है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

एक अहम बात और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन्होंने कहा है- रिवोकेबल और इर्रिवोकेबल, अटार्नी तो इर्रिवोकेबल होती ही नहीं। इसलिये कि जब किसी का एजेण्ट गलत काम करेगा तो वह उसको एक सैकिण्ड में रिवोक करने की पावर रखता है। फिर आप रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल कहकर कानून को किस तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हैं? माननीय, यह सरकार, अगर इसको जरा-सी भी समझ हो तो पावर आफ अटार्नी रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल और स्टाम्प ड्यूटी पर जो इन्होंने सरचार्ज लगाया है, अपनी इस गम्भीर चूक में संशोधन करने का काम करे।

एक बहुत जबरदस्त प्रचार हो रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी। पूरे राजस्थान में प्रचार हो रहा है। कहां है अफोर्डेबल हाउसिंग? अलवर में घोषणा हुई। बड़े-बड़े होर्डिंग लगे, बैनर लगे, फ्लैक्स लगे, अखबारों में पूरे-पूरे पेज के विज्ञापन छपे। लोगों ने हमसे भी कहा, साहब, राजस्थान की सरकार अफोर्डेबल हाउस गरीबों के लिये ला रही है। 2 लाख 40 हजार में मकान मिलेगा और 3 लाख 75 हजार में मकान मिलेगा दो कमरे का। जाकर हमने भी उन होर्डिंग्स को देखा। पता लगा कि वह अफोर्डेबल हाउस की योजना जो राजस्थान सरकार शहरी गरीबों के लिये लायी है, उसमें अलवर शहर विधान सभा, अलवर ग्रामीण विधान सभा और उसके बाद तीसरी विधान सभा रामगढ़ विधान सभा, अलवर शहरी गरीबों के लिये रामगढ़ में जाकर मकान बना रही है, बड़े शर्म की बात है। जो आदमी अपना राशन कार्ड शहर का बनवा रहा है, जो आदमी गांव से पलायन करके शहर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये आ रहा है, उसको आप वापस ले जाकर गांव में बसाने की योजना बना रहे हैं। राजस्थान की सरकार अपनी 300 उपलब्धियों में उसका बड़े जोर-शोर से बखान कर रही है, बड़ी शान से बखान कर रही है, समझ नहीं आता। वह आदमी गांव से शहर आया और आपने वापस उसको गांव में ले जाकर टिकाने की कोशिश कर दी।

एक बात मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं, अलवर में इसी योजना के तहत यू आई टी के माध्यम से राजस्थान सरकार ने 500 मकान बनाये हैं। उन 500 मकानों के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये। आवेदन आये 32 हजार, आवेदन बिके 62 हजार। एक आवेदन की कीमत 100 रुपये। आवेदन को छपवाने की कीमत 10 रुपये, बेचा गया 100 रुपये में। कैसा गरीबों के साथ मजाक कर रही है राजस्थान की सरकार। 10 रुपये का फार्म

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

उसको आप फ्री में नहीं दे सकते-बी पी एल के आदमी को, गरीब आदमी को? आप उसकी कीमत 100 रुपये वसूल कर रहे हैं। 62 हजार फार्म बिके हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 62 लाख रुपये का रेवेन्यू यू आई टी को प्राप्त हुआ। 32 हजार फार्म जमा हुए। इन गरीबों से जिनकी झोंपड़ी में बैठकर बजट बनाने की बात कांग्रेस की सरकार कर रही है। इस झोंपड़ी वाली सरकार ने बिना झोंपड़ी वाले आदमी से 56 लाख रुपये लूट लिये। जिसके सिर पर फूस की झोंपड़ी नहीं है। यह स्थिति इस राजस्थान की सरकार की है। जिस आदमी को 10 रुपये का फार्म फ्री में दिया जाना चाहिये था उस आदमी को मकान का सपना दिखाकर 56 लाख रुपये उससे लूटे। 56 लाख अब तक। राजस्थान की सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को साकार करने का सपना दिखा रही है। मकान कहां बनेंगे? जमीन पर। ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार न जमीन के अन्दर, न आसमान के ऊपर, बीच में मकान लटकाएगी। क्योंकि जमीन तो इनको मिल नहीं सकती। शहरों में मकान बनेंगे अफोर्डेबल। शहर की योजना है। शहर में वर्तमान समय में 30 हजार रुपये बीघा में जमीन अवाप्त करना चाहती है राजस्थान की सरकार। सौ बार बात हो गयी सरकार से। यह घोषणा पत्र रहा कांग्रेस सरकार का। इसमें कहा है, भाजपा के राज में किसान मरने को तैयार थे, सुसाइड करने को तैयार थे, हम हरियाणा की तर्ज पर अवाप्ति कानून लाएंगे, राजस्थान के किसान को बचाएंगे।

अभी बात हो रही थी, आपकी सरकार थी तो योजनाएं क्यों नहीं लायी। आप जाते-जाते क्यों लाये? आप भी तो जाते-जाते ही कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो, कौनसा आप आते हुए हो? जाते-जाते की स्थिति है। स्थिति वही होनी है। आज आपने किसान के हित में कोई निर्णय नहीं लिया। किसान की स्थिति आज यह है कि जहां 30 हजार रुपये गज का अलवर में रेट है वहां 30 हजार रुपये बीघे में अवाप्ति हो रही है। जहां यू आई टी 20 हजार रुपये मीटर में जमीन बेच रही है, वहां 1 लाख 50 हजार रुपये बीघे में अवाप्ति हो रही है। कहां के अफोर्डेबल हाउस बनेंगे आपके ?

इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी क्या स्थिति हो रही है? अगर आप इसको देखेंगे, पूरे राजस्थान में अलवर में जो हालात गुजरे हैं आपके राज में, इस कांग्रेस के राज में राजस्थान के सारे बांधों को भू-माफियाओं ने प्लाट काट-काटकर समाप्त कर दिया। वाटर रिचार्ज सिस्टम कहां से आएगा? कहां से बांध भरेंगे? सब में प्लाट कट गये। राजस्थान की सरकार ने जब इस बारे में

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

कतई चेत नहीं किया, राजस्थान का हाई कोर्ट राजस्थान की सरकार को आदेश दे रहा है कि राजस्थान के सारे बांधों में से प्लाट्स को हटाओ। राजस्थान में सारी जो अवैध कालोनीज बस गयी हैं, इनको हटाओ। बांधों के पेटे में से प्लाट हटाओ। अब सरकार घड़ियाली आंसू बहा रही है कि हम इन प्लाट्स को हटाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि राजस्थान की सरकार के नुमाइन्दों के द्वारा भू-माफिया के रूप में राजस्थान के सारे बांधों को समाप्त करने का कार्य कर दिया गया है...

श्री उपाध्यक्ष: आप थोड़ा शार्ट कर लें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय, मुझे तो 20 मिनट भी नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, ज्यादा हो गये। आपको 15 मिनट हो गये। 15 मिनट।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): एक विशेष समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, माननीय...

श्री उपाध्यक्ष: 15 मिनट हो गये, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अभी परसों राजस्थान की सरकार ने, मुझे अपने बहुत सारे मुद्दे छोड़ने पड़ेंगे, परसों राजस्थान की सरकार ने ईमानदार गरीब के बच्चे विद्यार्थी मित्रों पर लाठियां चलायीं। दूसरी ओर 26 तारीख को राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत करते समय खूब मेजें थपथपायीं, कि नरेगा के मजदूर की मजदूरी 100 रुपये से बढ़ाकर 133 कर दी। कितने हुए? 4 हजार। पढ़े-लिखे एम एस सी, बी एस सी, एम काम, बी काम, एम ए, बी एड, एम एड टीचर की मजदूरी कितनी ? 100 रुपये। क्यों उनके मुंह पर जूता मारने का काम कर रहे हो जिन्होंने अपने जीवन के 20-20 साल एजुकेशन पर लगा दिये? उनके मां-बाप ने सपने देखे कि हमारे बेटे को कर्ज लेकर हमने बी एड करा दी, कर्ज लेकर एम एड करा दी, इसको बी एस सी और एम एस सी करा दी, अब हमारा बेटा और भी कहीं नहीं जाएगा तो विद्यार्थी मित्र तो बनेगा। हो सकता है राजस्थान की वसुन्धरा की सरकार लौटकर आए और विद्यार्थी मित्रों को कन्फर्म करे। ऐसा ही होगा। लेकिन कम से कम लाठियां तो मत बरसवाओ। 100 रुपये आप उनको दे रहे हो। 3 हजार रुपये आप दे रहे हो थर्ड ग्रेड को, 3500 दे रहे हो आप सैकिण्ड

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

ग्रेड को, और उसके बाद अगर वह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने आपके पास आ रहा है, अधिकारों को शांतिपूर्वक मांगने आ रहा है तो महात्मा गांधी की कसम खाकर आप उन पर लाठियां चलवाएं। इनके हाथ में लाठी भी नहीं है। इनकी लाठी ले जाकर वहां आप अपने पुलिस के लोगों से उनको पिटवा रहे हो, बड़े शर्म की बात है।

राजस्थान में कानून-व्यवस्था, बड़ी जोरदार बात। हमारे गृह मंत्री महोदय अभी नहीं हैं, राजस्थान का तिजारा विधान सभा हमारे चिकित्सा मंत्री जी का क्षेत्र, रोजाना पुलिस पिटती है अवैध खनन को रोकने में। एक बार एक अपराधी कुए में कूद गया, 302 लगा आई पी एस के। आप देखिये, किस तरह की हमारे यहां कानून-व्यवस्था है। रोज पुलिस पिटती है। कभी कोई गायों के ट्रक को पकड़ते हुए पुलिस पर चढ़ा जाता है। हमारा एक ए एस आई ट्रक के नीचे आकर मारा जाता है। तिजारा में तो हालत यह हो गयी है कि अब पुलिस को सूचना देकर जाना पड़ता है कि भाई साहब, हम आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, एक-आध को हममें से निपटा मत देना। यह हमारे चिकित्सा मंत्रीजी के क्षेत्र की स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी आप बात कर रहे थे कृषि भूमि पर बसे प्लाटों के नियमन की, बहुत जोरदार काम किया अलवर में। 660 रुपये की जो रिजर्व प्राइस है, उसमें सारे जन-प्रतिनिधि भी शामिल हैं, ट्रस्टों की कमेटियों से निकाल दिये चुपचाप, सारे ट्रस्टों की कमेटियों से 200 के 200 विधायक निकाल दिये, 660 रुपये की रिजर्व प्राइस 3000 कर दी। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम इन गरीबों के मकानों का जो एग्रीकल्चर में बस गये, उनका नियमन करेंगे, इधर आपने रिजर्व प्राइस 3000 कर दी। 25 प्रतिशत उसकी राशि लोगे। 660 रुपये की अगर आप लेते तो 120-130 रुपये में पिंड छूट जाता उसका। अब आप उससे मांग रहे हो 750 रुपये प्रति वर्ग गज। इसका मतलब आप साफ-साफ कह देते कि हमारे बस की नियमन करना नहीं है, हम से इस तरह की बात मत करो।

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में बड़े-बड़े उद्योगों का नाम लेकर राजस्थान की सरकार मेज थपथपा रही है। कहीं सेंट गोबिन का नाम ले रहे हैं, कहीं होंडा सीएल का नाम ले रहे हैं, कहीं भिवाड़ी, नीमराणा, टपूकड़ा, खुशखेड़ा की अन्य फैक्ट्रियों का नाम ले रहे हैं। अलवर शहर सहित, अलवर एमआईए सहित,

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

भिवाड़ी, नीमराणा, खुशखेड़ा, बहरोड़ इनकी सारी फैक्ट्रियों में बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि स्थानीय युवा रोजगार के लिए सम्पर्क नहीं करें। पानी हमारा, बिजली हमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, राजस्थान की सरकार हमारी बिजली काट रही है 3 घंटे, 4 घंटे, शहर की बिजली काट रही है, गांव की काट रही है 14 घंटे। किसलिए काट रही है? उन उद्योगों को बिजली दे रही है? उन उद्योगों में स्थिति क्या है? हमको सपने दिखाये जाते हैं कि हम 2 हजार करोड़ का उद्योग ला रहे हैं। होंडा सीएल 2 हजार करोड़ लगाएगी, सेंट गोबिन 14 सौ करोड़ लगाएगी। और बाहर बोर्ड लगाएगी कि स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाएगा। क्यों हमारा पानी और बिजली उपयोग कर रहे हैं? किसलिए हमारी जमीन सस्ते में लेकर काम कर रहे हैं? केवल कमाने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इस राजस्थान की सरकार की क्या जिम्मेदारी है? गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार देने की बात की गयी, कितने गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार दिये गये? राजस्थान की सरकार यह व्यवस्था तो कर दे। आप सर्विस गारंटी बिल लाये, यह जानकारी करे सरकार कि कितने गैर खातेदारों ने इसमें आवेदन किया खातेदारी के लिए?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, दो-चार मिनट दीजिये। अब मेरे बाद तो किसको बुलवाओगे आप? कितने गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार दे दिये?

श्री उपाध्यक्ष: आप तो समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): वह गरीब हमारे पास आता है कि मैंने सरकार के कहे मुताबिक ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मेरा अनुरोध है कि आप समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मुंगेरीलाल के हसीन सपने वह किसान देख रहा है कि मेरी जमीन भी खातेदारी हो जाएगी। पता लगता है कि तहसीलदार मांगता है कि 25 हजार रुपये बीघा ले आ। सरकार 75 हजार रुपया बीघा ले रही थी, तुम 25 हजार दे जाओ। उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को मिटाने की तो राजस्थान सरकार को नसीहत आप दे दो, थोड़ी बहुत नसीहत आप दे दो।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत बड़ी-बड़ी बात हो रही थी, सड़कों के व्यवसायीकरण की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार का। सरकार बड़े-बड़े ढोल पीट रही है कि हम सड़कें बना रहे हैं। आज राजस्थान में टोल है और एक वाहन का जब रजिस्ट्रेशन होता है, उस वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय एक बार ही कर लिया जाता है, जिसमें अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 1-2 परसेंट की कटौती की है। इतना बढ़ाया था पिछले 2-3 सालों में कि अब उस कटौती का भी कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। पड़ोस का प्रदेश हरियाणा वहां वन टाइम टैक्स का इतना कम रेट है, राजस्थान में इतना ज्यादा है कि आप उस अंतर को कहीं भी किसी तरह से अंतर भी करने की स्थिति में नहीं हो। आप राजस्थान में हरियाणा से आने वाले वाहनों को रोक नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर आज राजस्थान की स्थिति देखें, सड़कें आप बना रहे हो, सड़कें बीओटी आधार पर, पीपीपी मोड पर बन रही हैं। इन सड़कों को बनाने से पहले टोल नाके लगा दिये जाते हैं। आज एक आदमी अलवर से जयपुर आता है और लौट कर अलवर जाता है तो जितना उसका डीजल का खर्चा होता है, उसके बराबर टोल का खर्चा होता है। वह किसलिए वन टाइम टैक्स दे रहा है, डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख रुपये एक-एक गाड़ी पर? इस तरह की व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने कर रखी है। हम लोगों का नहीं लगता, लेकिन आम आदमी का तो टोल टैक्स लगता है। कम से कम जो डोमेस्टिक व्हीकल हैं, जिनका आदमी एक-एक लाख रुपया, डेढ़-डेढ़ लाख रुपया रजिस्ट्रेशन का दे रहा है, इन पर तो कम से कम सरकार यह सोचे कि इनका कोई टोल टैक्स नहीं लगे। सड़कें बनाईं और उठाकर चंबल के डाकुओं के-से नाके लगा दिये।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें कृपया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बिलकुल कर दें, साहब। एक मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको कनक्लूड करने दें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने अब जो यूनिवर्सिटीज की घोषणा की है, यह घोषणा हमारी है। अगर इसका भी इनको श्रेय ले लेने दिया जाए तो 3 साल में एक भी सरकारी कालेज नहीं लाये। स्थिति यह हो रही है कि किसी गरीब अभिभावक का बच्चा अर्थ अभाव के कारण अपने अध्ययन को आगे रख पाने की स्थिति में नहीं है। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जितने प्राइवेट कालेज इनके पास मान्यता के लिए आये, उनको इन्होंने तुरन्त प्रभाव से ...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद प्लीज।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अंडर दी टेबल इन्होंने फटाफट इनको पास करके दे दिया। लेकिन राजस्थान की सरकार ने जब हमने यह कहा कि आप सरकारी क्षेत्र में भी कालेज खोलें तो कह दिया कि इनकी वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद खोला जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट कालेज की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वैधानिक प्रक्रिया रातों-रात पूरी हो जाती है। सरकारी कालेज की, सरकारी यूनिवर्सिटी की वैधानिक प्रक्रिया ऐसी कितनी बड़ी हो गयी? बनाने वाली सरकार, पास करने वाली सरकार, लीगल सेल इनका, लेकिन इनकी वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती। मेरा यह मानना है कि राजस्थान सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझे। सड़कों के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझे। अलवर के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझे। उपाध्यक्ष महोदय, और कोई है तो मैं ये 3-4 मिनट आपके लिए छोड़ दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बोलने दो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): समय थोड़े ही बढ़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: यह माननीय घनश्यामजी सिफारिश कर रहे हैं आपकी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट की ओर राजस्थान में आने वाले नये उद्योगों को इस कंडीशन के साथ जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए कि अगर वे युवाओं को रोजगार देंगे तो उनको राजस्थान की धरती दी जायेगी। राजस्थान की बिजली और पानी उपयोग करने की

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

इजाजत दी जाएगी। अन्यथा उनको राजस्थान का खून चूसने की कोई इजाजत, राजस्थान की सस्ती बिजली उपयोग करने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अनेक बार बात आती है कृषि की, मेरे अलवर जिले में नौगावां कृषि अनुसंधान केन्द्र जो रिसर्च सेंटर के रुप में काम कर रहा है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास है, बहुत बड़ा संसाधन इसके पास है। जमीन है, इसके पास बहुत स्टाफ है। अगर अलवर जिले और आसपास के किसानों के पढ़े-लिखे बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध करायी जाये कि वे अपनी कृषि करने के लिए वैज्ञानिक तरीके सीख सकें, या कृषि में स्नातक की यूनिवर्सिटी नौगावां कृषि अनुसंधान केन्द्र में प्रारम्भ की जाए तो अलवर जिले का, भरतपुर जिले का, दौसा जिले का बहुत बड़ा कल्याण होने की स्थिति है। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से नौगावां एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पर नौगावां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी मांग करता हूं। जिस प्रकार से मैंने इन सब मुद्दों को रखा, इस बजट में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। मदनजी कह ही चुके कि पोपाबाई का राज चल रहा है, राधेश्यामजी कह चुके पोपाबाई का राज चल रहा है। यह बजट आम आदमी की समझ से परे है न गांव के किसान को समझ आया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): न किसी गरीब को समझ आया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन लाल वर्मा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। दिल्ली की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। श्री मदन लाल वर्मा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मदन लालजी वर्मा जब तक बोलें, तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की राय है कि श्री मदन लाल वर्मा के बोलने तक समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय श्री मदन लाल वर्मा, सदस्य के बोलने तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): वह भी सरकार तुम्हारी है, यह भी सरकार तुम्हारी है। बेरोजगार युवा और भूखी जनता, बेचारी फिरती मारी-मारी है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह पोपाबाई कह रहे हैं इनको मालूम नहीं है। यह तो भाई हैं, पोपाबाई कौन है उनको मालूम ही नहीं है। वह तो भाई हैं, पोपाबाई वो हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): राधेश्यामजी बताएंगे पोपाबाई कौन है।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा राजस्थान सरकार का बजट राजस्थान की विधान सभा में पेश किया गया, उसके समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इस पर आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लगभग सवा 3 साल पूर्व राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार के मुखिया आदरणीय अशोकजी गहलोत ने सत्ता संभाली, उसके बाद राजस्थान की जनता में एक भरोसा हुआ। राजस्थान में शांति-व्यवस्था की एक मिसाल कायम हुई। गरीब आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, कर्मचारी, हर वर्ग के व्यक्ति के मन में यह विश्वास हुआ कि आज हमारा हित सुरक्षित है तो कांग्रेस की सरकार में है। आदरणीय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में हमारा राजस्थान तरक्की करेगा और राजस्थान की गरीब जनता सुरक्षित रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में सवा तीन साल पहले जो इतिहास था, सवा तीन साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी का राज था तो किस तरह के दहशत के वातावरण

(श्री मदनलाल वर्मा)

में वहां का नागरिक जी रहा था। वहां का कांग्रेस का कार्यकर्ता, वहां का कर्मचारी, वहां का अधिकारी और हर वर्ग का व्यक्ति दहशत में था। वह कभी अपने

(20.00 बजे)

मन की बात बोल नहीं सकता था, किसान अपनी आवाज उठा ही नहीं सकता था, व्यापारी अपनी बात बोल भी नहीं सकता था। और तो और, राजस्थान के इतिहास में 2005 में एक काला दिन भी आया जब मेरे डग में थाना जलाया गया। थाना जलाने वाले व्यक्ति कोई और थे, लेकिन मेरे प्रधान सहित 80 आदमियों को तीन महीने तक जेल में डाला गया, उनकी आवाज तक नहीं सुनी गई। उसके बाद मेरे साथी विधान सभा में कैलाशजी मीणा जो मनोहरथाना से विधायक हैं, 22 मुकदमे एक साथ उन पर किये। हम दोनों तीन साल तक हाई कोर्ट में घूमते रहे। पूरे झालावाड़ में कार्यकर्ता दहशत में रहा कि कौन बोले। हमारे साथ कोई चलने को तैयार नहीं। किसी दफ्तर में जाएं तो वहां के अधिकारी हमको बैठने के लिए नहीं कहे, पानी पीने के लिए नहीं कहे कि भाई आओ। जब आदरणीय गहलोतजी ने सत्ता तो सम्भाली तो झालावाड़ जिले में खुशी का वातावरण बना, आम आदमी में एक विश्वास पैदा हुआ। गरीब आदमी में यह विश्वास पैदा हुआ कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी आवाज सुनी जाएगी। किसान को इस बात का विश्वास हुआ कि हमारे हितों की रक्षा होगी। आदरणीय गहलोतजी ने इस सवा तीन साल के कार्यकाल में एक के बाद एक जो योजनाएं राजस्थान की जनता को दीं, राजस्थान के गरीबों को दीं, राजस्थान को किसानों को दीं, राजस्थान के नौजवान और बेरोजगारों को दीं, यह एक ऐतिहासिक बात है। राजस्थान के हर वर्ग का व्यक्ति मुख्य मंत्रीजी की इन योजनाओं से प्रभावित है। हर वर्ग का व्यक्ति चाहे वह बच्चा हो या माता हो या बहनें हों या नौजवान हों या बालिकाएं हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इनसे लाभान्वित है। विकास की बात जब आती है तो हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति विकास के लिए उम्मीद करता है, कि जो सरकार बैठी है वह हमारे गांव का विकास करेगी। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने गरीब की झोंपड़ी में झांकने का प्रयास किया कि इसके घर में रोटी कैसे बनती है, इसके बच्चे रोटी कैसे खाते हैं, इसके पढ़ने की व्यवस्था कैसी है, इसके घर में छप्पर है कि नहीं, यह अपने मकान में बारिश में किस तरह से अपने बच्चों का पालन-पोषण करेगा। यह पूरा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने देखा और देखने के बाद राजस्थान में गरीब के हित में एक के बाद एक फैसले

(श्री मदनलाल वर्मा)

लिये। वे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। राजस्थान में दो रुपये किलो अनाज देकर गरीब के घर में रोटी देने का प्रयास किया है। राजस्थान में 10 लाख बीपीएल परिवारों को 50 हजार रुपये देकर उसके परिवार को छप्पर दिया है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के परिवारों के वे बच्चे जो शिक्षा से महरूम रह सकते थे, हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते थे, छात्रावासों में पढ़ाने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी, आज उन सभी बच्चों को एक के बाद एक योजना और सहायता देकर हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। आज उस गरीब के दिल में यह आस है कि राजस्थान में यदि कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ही हमारी रक्षा कर सकता है। राजस्थान में पांच साल तक बिजली के बिलों को नहीं बढ़ाकर किसानों के हित में न्याय किया है। राजस्थान में 12 साल से कृषि कनेक्शन लम्बित पड़े हुए थे, 12-12 साल तक की लम्बी फेहरिस्त थी, उन सारों को कृषि कनेक्शन एक साथ खोले मुश्किल से 3 साल के लम्बित कनेक्शन बाकी हैं। इस तरह किसानों को भी राहत देने का प्रयास किया है। राजस्थान में गरीब और नौजवान जो रोजगार की आस में भटकता फिरता था, उस आदमी को सारे विभागों में नौकरियों के रास्ते खोल कर रोजगार देने का प्रयास किया है। यह हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है इसलिए हम मुख्य मंत्रीजी के आभारी हैं। आज उन्होंने राजस्थान के हर वर्ग के व्यक्ति के दिल में जगह बनाई है। यह जगह बनाई इसलिए कि कांग्रेस के राज में बड़े फैसले हुए हैं। राजस्थान की जनता इस बात का विचार कर रही है, साढ़े तीन साल पहले जो राज था उसका एक भी फैसला जनता के हित में कहीं आया हो तो आप देख लो। एक भी फैसला साढ़े तीन साल पहले जनता के हित के लिए आया हो तो मुझे पता नहीं। और साढ़े तीन साल में जिस तरह के फैसले आये हैं- दो रुपये किलो अनाज, जननी शिशु सुरक्षा योजना हो। हम गरीब परिवार से हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मोहल्ले और मेरे परिवार में हमने यह देखा है कि जब डिलीवरी होती थी तो चांदी की रकम हम सेठ के यहां रहन रखकर डिलीवरी करवाते थे। इस तरह की हमारी खुद की व्यवस्था थी। किसी के कहे अनुसार या देखने के अनुसार नहीं, हमने खुद इस बात को देखा है और बहुत नजदीक से इन चीजों को महसूस किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जननी शिशु योजना लागू की और उसका लाभ 108 सेवा के जरिये गरीब माता और बहनों को मिला, तो आज वह इस बात को जानती है कि हमारी पीड़ा अगर

(श्री मदनलाल वर्मा)

किसी ने समझी है तो आदरणीय गहलोतजी ने समझी है। नि:शुल्क दवा योजना देकर उस व्यक्ति को लाभ दिया है जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है और तंगहाली और पैसे के अभाव में मौत के मुंह में जाता है। आज उस व्यक्ति के दिमाग में एक भरोसा पैदा हुआ है कि हमको राजस्थान का मुख्य मंत्री मरने नहीं देगा। चाहे कितनी ही गम्भीर बीमारी हो, परन्तु उसके दिमाग में यह आस है कि राजस्थान का मुख्य मंत्री हमको मरने नहीं देगा चाहे कितने ही लाख की दवाई हो, हमको सुरक्षा मिलेगी, हमको सहायता मिलेगी और हमारे जीवन की रक्षा होगी।

विकास के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक के बाद एक फैसले मुख्य मंत्री महोदय ने किए हैं। विकलांग व्यक्ति, वृद्ध और विधवा को बहुत कम पैसा मिलता था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सब की पेंशन और सहायता की राशि को बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्थिति में उनको खड़ा किया ताकि वे सम्मानजनक तरीके से तरीके से अपने परिवार को पाल सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें। एक ध्यान मुख्य मंत्रीजी का उन व्यक्तियों तक गया है, उस विधवा तक गया है, उस वृद्धा तक गया है, कि वृद्धा के घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उसको कहां से पैसा मिलेगा, वह किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करेगी। यह हमारे दयालु मुख्य मंत्रीजी की सोच है। दयालु मुख्य मंत्रीजी की सोच के नाते शासन की सफलता इसी में है जब गरीब व्यक्ति, गरीब मजदूर और किसान यह भरोसा कर ले कि यह शासन मेरी रक्षा करेगा, मेरा विकास करेगा। यही हमारे शासन की सफलता है और यही माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने अपने तीन सवा तीन साल के कार्यकाल में एक के बाद एक फैसले लेकर किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार जताना चाहूंगा, झालावाड़ जिले के लिए इस बजट में उन्होंने जिस प्रकार की सौगातें दी हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पूरे झालावाड़ जिले की जनता की तरफ से उनका आभार मानता हूं। 195 करोड़ रुपये की राजगढ़ परियोजना जो मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में है, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं यह दूंगा और उन्होंने तत्काल बजट में इसकी व्यवस्था कर दी। 26 करोड़ रुपये की एक और 30 करोड़ रुपये की एक, पीने के पानी की योजना मेरे विधान सभा क्षेत्र में, उनके लिए इस बजट में प्रावधान करके 60 गांवों के लोगों के लिए पीने के पानी का इन्तजाम किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की

(श्री मदनलाल वर्मा)

यह कृपा है कि उन्होंने हर तरह से किया। शिक्षा के क्षेत्र में झालावाड़ में एक इंजीनियरिंग कालेज है, आज यह इंजीनियरिंग कालेज प्राइवेट सैक्टर में एक समिति के माध्यम से चलता है। मेरी माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना है, बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो करोड़ रुपये दिये हैं ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंजीनियरिंग कालेज की व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। उसमें लगभग 14 राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं। झालावाड़ इंजीनियरिंग कालेज की व्यवस्था को मैंने खुद देखा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं उम्मीद करता हूं और मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि उस इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकार अपने अधिग्रहण में लेकर खुद चलाए तब उसमें यह होगा कि झालावाड़ जिले के नौजवानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। झालावाड़ जिले के हमारे छात्र जो इंजीनियरिंग की कक्षाओं में पढ़ना चाहते हैं, वे इस बात को महसूस कर रहे हैं, वहां इतनी मोटी फीस है कि वहां पर उनका एडमिशन लेना मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था मुख्य मंत्रीजी करते हैं तो झालावाड़ जिले के हजारों नौजवान जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, उनको लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के परिवारों की 7500 बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। गरीबों की तरफ भी उनका ध्यान गया है। गांव में एक गरीब घर की महिला, अनुसूचित जाति की महिला चुपचाप हैण्ड पम्प पर खड़ी रहती है जब तक कि सब पानी नहीं भर लेते हैं। सबके पीछे, सबके बाद में उसका नम्बर आता है कि अब तू भर ले। इस प्रकार की सोच मुख्य मंत्रीजी की गरीब परिवार की तरफ गई है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और भी किया है कि अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी वाली बस्तियां जो हैं, उनका समग्र विकास किया जाएगा। जब भी हम ग्राम पंचायतों में जाते हैं और जब विकास की बात आती है तो यह होता है कि सभी जगह तो नालियां-सड़कें बन जाती हैं, और बाकी जो बस्तियां बचती हैं अनुसूचित जाति की, उनको पीछे छोड़ दिया जाता है कि आपका बाद में कर देंगे। मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रकार का सोच करके उन बस्तियों को न्याय दिलाने का, उन गरीबों को न्याय दिलाने का किया है, उसके लिए हम मुख्य मंत्रीजी के बहुत-बहुत आभारी हैं।

(श्री मदनलाल वर्मा)

एक बात और है, ग्रामीण विकास की तरफ हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और राजस्थान की सरकार ने जो ध्यान दिया है, वह एक ऐतिहासिक निर्णय है। सभी ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोल दिये, गरीब आदमी चाहे वह भेड़ बकरी चराने वाला हो या किसान हो या मजदूर हो, राजीव गांधी सेवा केन्द्र में जाकर अपनी बात वह कह सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, अपनी विकास की बात कह सकता है। राजस्थान सरकार को अपनी बात पहुंचा सकता है, कि उसकी क्या आवश्यकता है, क्या शिकायतें हैं। यह चीज ग्रामीण विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और यह गांवों की दिशा बदल देगा, गांवों की तकदीर बदलेगा। यह ऐतिहासिक कदम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी बात और कहना चाहता हूं ... (व्यवधान) झालावाड़ जिले की कुछ बात कहना चाहता हूं, थोड़ी बात मेरी भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष: आप 15 मिनट तो बोल चुके हैं।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): एक बात और। सिंचाई के मामले में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। झालावाड़ में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पचपाड़ में करीब-करीब ग्रीन बैल्ट है और सारे बड़े-बड़े डैम बन चुके हैं। एक गंधार तहसील ऐसी तहसील बच गई जिस गंधार तहसील में हम एनिकट भी नहीं बना सकते, बांध नहीं बना सकते क्योंकि गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश का बांध है, एग्रीमेंट हुआ मध्य प्रदेश- राजस्थान का कि इस बांध में जो पानी जाता है, वह कैचमेंट एरिया में आएगा और हम इसमें एनिकट बनाने की मंजूरी नहीं दे सकते। जब कि उसी गांधी सागर बांध पर मध्य प्रदेश की सरकार ने कितने ही एनिकट बना दिये। मध्य प्रदेश सरकार तो एनिकट बना रही है और हम उसको रोक रहे हैं कि नहीं, वह कैचमेंट एरिया है मेरा आग्रह है कि हमारा गंधार कैचमेंट एरिया से मुक्त हो ताकि हम वहां पर छोटे-छोटे एनिकट बनावें और पानी की उपलब्धता वहां पर हो। छोटी काली सिंध नदी हमारे वहां गंधार तहसील में बहती है, किनारे पर चम्बल बहती है, क्षिप्रा बहती है, पानी हमारा बहकर सब गांधी सागर में चला जाता है और हम पानी को तरसते रहते हैं। उसके बाद पेयजल को हम देखते हैं। अतः मेरा यह सुझाव है और मेरी यह मांग भी है कि गांधी सागर बांध के इस कैचमेंट एरिया से गंधार को मुक्त कराया जाए।

(श्री मदनलाल वर्मा)

एक मेरा सुझाव और है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों की फसल को पाला लगा उसके लिए जो 200 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है, वह स्वागत योग्य कदम है। मुख्य मंत्रीजी के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं कि आपने किसानों की सुध ली और केन्द्र सरकार के नहीं देने के बावजूद भी आपने अपने स्टेट फंड से 200 करोड़ रुपये की किसानों की सहायता करने का फैसला लिया। परन्तु इसमें थोड़ा-सा मेरा सुझाव है। आज गाइड लाइन बनी हुई हैं भारत सरकार की, 50 परसेंट से ऊपर जाने वाले को ही आर्थिक सहायता दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्षजी, आप भी किसान हैं, आप भी सब जानते हैं, इस गाइड लाइन में किसान को इकाई माना गया है, मेरा यह सुझाव है कि किसान को इकाई मानने की बजाय उस फ्लैट को इकाई माना जाए, उस खेत को इकाई माना जाए जिस खेत में काश्तकार ने फसल बोई थी। उस खेत की फसल पाले से नष्ट पूरी हो गयी, उसका, उसे मुआवजा मिलना चाहिए न कि 50 परसेंट से ऊपर देने के बाद ताकि उन काश्तकारों के प्रति न्याय हो सकेगा। एक काश्तकार ने 20 बीघा में सिंचाई की है और उसने गेहूं, चना बो दिया, वह तो बच गया, वह तो उसके घर में खाने की चीज थी। लेकिन जो कैश क्राप थी जिससे वह पैसा कमा कर मकान बनाने की उम्मीद कर सकता था, बेटे की शादी की उम्मीद कर सकता था, बेटी की शादी की उम्मीद कर सकता था, ट्रैक्टर खरीदने की उम्मीद कर सकता था, वह फसल तो जल कर नष्ट हो गई पाले में। पटवारी दर्ज करता है कि साहब, इसकी 25 परसेंट फसल नष्ट हुई। हम चाहते हैं कि 50 परसेंट की बजाय 25 परसेंट का भी उसको मुआवजा मिले, ताकि किसान को कहीं से कुछ राहत मिले और वह इस बात को देखे। प्राकृतिक आपदा का जो हमारा नियम है, इसमें तो बहुत कम किसान आ पाएंगे जिन्हें सहायता मिल पाएगी। काफी किसान देखते रह जाएंगे कि इन लोगों को सहायता मिली और हम तक यह सहायता नहीं पहुंच पायी। मेरा यह आग्रह, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से है कि इसमें संशोधन करें, स्टेट फंड से उन्होंने जो व्यवस्था की, इसमें उन किसानों को भी लाभ मिले, उन किसानों को भी सहायता मिले, उन किसानों को भी राहत मिले ताकि उनके दिमाग में यह रहे कि माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान हमारे घर की तरफ भी गया है।

(श्री मदनलाल वर्मा)

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा एक सुझाव और है। गांवों में 5-5, 2-2 किलोमीटर पर कई जगह धार्मिक स्थान हैं, कई जगह ढाणियां बन गईं, लोग गैर आबादी में बस गये लेकिन उस आबादी में बिजली के कनेक्शन उन किसानों तक नहीं पहुंच सकते हैं, हमसे किसी ने मांग कर ली, कि हनुमानजी के वहां बिजली दो, लेकिन 3 किलोमीटर दूर हनुमानजी का स्थान है, वहां पर बिजली जा नहीं सकती है। गांव वालों की सब की आस्था का केन्द्र होता है, धार्मिक स्थान सब लोगों की आस्था का केन्द्र होता है और ऐसे स्थान पर बिजली नहीं पहुंचती है तो हम लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि इसमें संशोधन होना चाहिए और गैर -आबादी में जो बसे धार्मिक स्थान हों, चाहे ढाणियां हों या मजरे हों, वहां पर बिजली का कनेक्शन हो ताकि वहां के हजारों जो लोग हैं, धर्म प्रेमी उन लोगों की इस मांग को पूरा किया जा सके।

एक और मेरा सुझाव है, मेरी मांग है। माननीय उपाध्यक्षजी, भवानीमंडी एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोटा स्टोन की खानें हैं- मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोटा स्टोन भारी मात्रा में निकलता है, पड़ोस में रामगंजमंडी में भी भारी मात्रा में कोटा स्टोन है और पड़ोस में एक किलोमीटर जो मध्य प्रदेश की सीमा है, वहां अम्बुजा सीमेंट का कारखाना लग रहा है। मेरा मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि मेरे भवानीमंडी क्षेत्र को आर्थिक जोन घोषित किया जाए। वहां पर संतरे की बहुत बड़ी मंडी है, कोटा स्टोन का बहुत बड़ा वहां पर व्यापार होता है, आर्थिक जोन घोषित होने से हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार और मुख्य मंत्रीजी तक मेरी यह मांग जावे और उस क्षेत्र को आर्थिक जोन घोषित करने का कष्ट करें।

एक मेरी मांग है जो हमारे सभी साथियों की मांग थी। एमएलए कोटे की सभी साथियों ने जैसे मांग की, मैं भी उस मांग में शामिल हूं, कि एमएलए कोटा बढ़ाया जाए। वर्तमान में हम जिस गांव में जाते हैं, ग्राम पंचायतें विकास नहीं करतीं, लोग एमएलए से मांगते हैं कि साहब यह सीसी रोड आप दो, साहब यहां पर नाली आप दो, साहब यहां का सामान आप दो। जब तक हम एक करोड़ का पूरा कर पाते हैं तब तक तो वहां पर आधे गांव बच जाते हैं, इसलिए इसको कम से कम 3 करोड़ करने की मैं माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं।

(श्री मदनलाल वर्मा)

पुनः मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक दिनांक 29 मार्च, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.17 बजे दिनांक 29 मार्च, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) तहसील मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

129. **श्री सूरजभान धानका** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील मुख्यालयों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने के क्या मानदण्ड है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के सभी तहसील मुख्यालयों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं? यदि नहीं, तो कितने तहसील मुख्यालयों पर उक्त संस्थान नहीं खोले गये है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तहसील मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार खोले जाते हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु ही नीति का निर्धारण किया गया है। जिन तहसील मुख्यालयों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं खोले गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार की नीति अनुसार उन्हीं पंचायत समितियों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाते हैं जिनमें कोई राजकीय या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में पहले से ही 08 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। सूची परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बालोतरा (बाड़मेर) में जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना

131. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मदन प्रजापत)

(1) जिला बाड़मेर में परिवहन कार्यालयों से सरकार को गत पांच वर्षों में कुल कितने राजस्व की आय हुई, जिसमें बालोतरा कार्यालय से कितनी आय हुई? वर्षवार तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में सर्वाधिक आय बालोतरा से प्राप्त होती है? क्या सरकार सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति क्षेत्र बालोतरा में रामगंज मण्डी, डीडवाना व ब्यावर की तर्ज पर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जिला परिवहन कार्यालय, बाड़मेर एवं उप परिवहन कार्यालय, बालोतरा से प्राप्त आय का वर्षवार तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	बाड़मेर परिक्षेत्र की कुल आय (लाखों में)	बालोतरा परिक्षेत्र की कुल आय (लाखों में)	बाड़मेर जिले की कुल आय (लाखों में)
2006-07	1050.66	378.06	1428.72
2007-08	1293.57	421.61	1715.18
2008-09	1631.66	570.06	2201.72
2009-10	1910.47	690.45	2600.92
2010-11	2100.47	900.05	3000.52
योग	**7986.83**	**2960.23**	**10947.06**

(2) आय सम्बन्धी विवरण खण्ड '1' में वर्णित है। बालोतरा में वर्तमान में परिवहन उप कार्यालय कार्यरत है एवं वर्ष 2012-13 के बजट अभिभाषण अनुसार उप परिवहन कार्यालय, बालोतरा को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। अत: इस कार्यालय को स्थापित करने की कार्यवाही आगामी वित्तीय वर्ष में की जायेगी।

राजसमन्द एवं नाथद्वारा कस्बों में संचालित अवैध यात्री वाहन

139. **श्री कल्याण सिंह चौहान** (नाथद्वारा) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

(1) क्या सरकार जिला राजसमन्द में चल रहे ओवरलोड वाहनों, अनाधिकृत स्कूल बसों, अनाधिकृत स्कूली आटो, अवैध जुगाड़ों, अनाधिकृत लाल व नीली बत्ती लगे वाहनों पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार नाथद्वारा में आटो रिक्शा स्टैण्डों का स्थान, निर्धारित दूरी तक का किराया व उनके मार्ग तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में ओवरलोड वाहन/नियमों की अवहेलना में संचालित वाहनों के विरुद्ध नियमित रूप से चैकिंग की कार्यवाही की जाती है साथ ही समय-समय पर जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाकर भी कार्यवाही की जाती है। नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार प्रशमन राशि की वसूली, वाहनों की जब्ति आदि की कार्यवाही की जाती है। राजसमंद जिले में गत वित्तीय वर्ष एवं इस वित्तीय वर्ष में वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) 1. नाथद्वारा नगर में आटो रिक्शा स्टैण्डों का स्थान तय करने हेतु प्रकरण जिला यातायात प्रबंधन समिति में विचाराधीन है। निर्णय की स्थिति में नाथद्वारा नगर के लालबाग, राजकीय चिकित्सालय, नाथूवास, तेलियों का तालाब इत्यादि स्थानों पर आटो रिक्शा स्टैण्ड एवं उनकी संख्या अधिसूचित की जावेगी।

2. राज्य परिवहन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या एफ 9 (28) STA/RTA/परि/मु./88/II/12377 दिनांक 27.09.2011 (प्रति परिशिष्ट '2' पर संलग्न है) द्वारा अन्यन्यतः नगरपालिका या नगर सुधार न्यास की सीमा में चलने वाले आटो रिक्शा के लिए भाडे की दरें नियत की हुई हैं।

3. नियमानुसार आटो रिक्शाओं का संचालन क्षेत्र निर्धारित किया जाता है जो प्रत्येक आटोरिक्शा को जारी परमिट में दर्ज किया जाता है। नाथद्वारा हेतु निर्धारित क्षेत्र "नगरपालिका नाथद्वारा सीमा" क्षेत्र निर्धारित है।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखे गये)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) कृषि उपज मण्डी हेतु आबंटित भूमि

141. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कुशलगढ़ कृषि उपज मण्डी संचालन के लिए 25 बीघा जमीन राज्य सरकार द्वारा दी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मण्डी कुशलगढ़ की उक्त जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं? क्या सरकार उक्त जमीन का कब्जा कृषि मण्डी समिति को दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। कुशलगढ़ में गौणमण्डी यार्ड हेतु जिला कलक्टर बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 20.11.1984 को भूमि मोजा मोर की आराजी नं. 310 रकबा 25 बीघा चरागाह भूमि का आबंटन किया गया था।

(2) जी हां। आबंटित भूमि के आशिक भाग में कुछ स्थानीय व्यक्तियों के कब्जे हैं। आबंटित भूमि का सीमाकन दिनांक 16.12.2011 को कर लिया गया है। कुछ कब्जों को हटाया गया है एवं शेष कब्जों को हटाने की कार्यवाही जिला प्रशासन के माध्यम से शीघ्र कराया जाना प्रस्तावित है।

स्थगित प्रश्न

(बुधवार दिनांक 29 फरवरी, 2012)

भरतपुर जिले में अल्पसंख्यकों के ऋण हेतु लम्बित आवेदन-पत्र

34. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अल्पसंख्यकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 तक प्रदेश में जिलेवार कितना-कितना ऋण किस-किस बैंक द्वारा दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मती अनीता सिंह)

(2) सरकार द्वारा जिला भरतपुर में जनवरी, 09 से जनवरी, 12 तक कितने अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया? ग्रामवार, नामवार उपलब्ध करवाये गये। विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी द्वारा जिलोंवार सूचना संधारित नहीं कर राज्य की इकजाई सूचना बैंकवार संधारित की जाती है। वर्ष 2009 से दिसम्बर 2011 तक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का बैंकवार विवरण संलग्न है । (परिशिष्ट एक से पांच)

(2) अल्पसंख्यक लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट छह पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले के भवन रहित राजकीय विद्यालय

142. **श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में कई राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय खुले में या किराये के भवनों में संचालित हैं? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर किन-किन स्कूलों के पास स्वयं के भवन नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन विहीन/किराये के भवनों में संचालित राजकीय विद्यालयों हेतु आगामी बजट में भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जयपुर के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनके स्वयं के भवन नहीं हैं, का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कोई विद्यालय खुले में संचालित नहीं है, जयपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 8 विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम
1	राउमावि, माणक चौक
2	राउमावि, झोटवाड़ा
3	राउमावि, वाटर वर्क्स
4	राबाउमावि, कमला नेहरू
5	राउमावि, गणपति नगर
6	राबामावि, कोठी कोलीयान
7	रामावि, पहाडगंज
8	रामावि, मण्डी खटीकान

(2) भवन विहीन/किराये के भवनों में संचालित राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण में मुख्यत: भूमि उपलब्ध नहीं होने की समस्या रहती है। राजकीय विद्यालयों हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के लिए शहरी क्षेत्रों में शहरी निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व विभाग/ग्राम पंचायतों से शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सम्पर्क किया जाता है। जैसे-जैसे उक्त विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध होगी, सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्रावधानों के तहत इन विद्यालयों के लिए भवन निर्माण करवाया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा

143. श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर-शहर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश के जैन समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्य प्रदेशों ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ है? यदि हां, किन-किन ने कब-कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अल्पसंख्यक घोषित करने का प्रकरण विचाराधीन है ।

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि अन्य प्रदेशों में भी जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने की अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं। विभाग में उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने की अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। (छाया प्रति संलग्न है।)

अन्य राज्यों की सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर जिले में उचित मूल्य की नवीन दुकानों हेतु प्रक्रिया

144. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में वर्तमान में उचित मूल्य की कितनी दुकानें स्वीकृत हैं और उनमें से कितनी संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है उक्त जिले में सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस देने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी? यदि हां, तो कब और किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी दुकानों के लाइसेंस दिये जाने थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रक्रिया के दौरान कितने-कितने आवेदन किन-किन क्षेत्रों के लिये अब तक प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में भी नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी-कितनी एवं कब तक? और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 711 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 864 कुल 1575 उचित मूल्य की दुकानें वर्तमान में जिला जयपुर में स्वीकृत हैं। सभी दुकानें संचालित की जा रही हैं।

(2) जी हां। जयपुर शहर में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति दिनांक 08.02.2011 व 31.05.2011 को 97 एवं पुन: 20.09.2011 को 41 दुकानों की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

है तथा जिला रसद अधिकारी, जयपुर ग्रामीण द्वारा 483 रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति जारी की गई, जिनकी तहसीलवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उचित मूल्य दुकानों की आबंटन प्रक्रिया के दौरान जिला रसद अधिकारी, जयपुर शहर द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 08.02.2011 एवं 31.05.2011 के क्रम में कुल 97 दुकानों में से 75 उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 483 उचित मूल्य दुकानों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों की जांच सम्बन्धित प्रवर्तन निरीक्षकों से कराए जाने के पश्चात आबंटन हेतु पात्रता रखने वाले आवेदनकर्ताओं को साक्षात्कार हेतु आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष चयन हेतु बुलाया गया। आबंटन सलाहकार समिति द्वारा चयनित किए गए आवेदकों को जिला कलक्टर के अनुमोदन पश्चात उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जो यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जिन स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी हैं, उसकी सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। जिन स्थानों के लिए आबंटन सलाहकार समिति द्वारा साक्षात्कार लिए जाकर डीलर्स का चयन कर लिया गया है, उनकी सूची जिला कलक्टर, जयपुर के अनुमोदन पश्चात जारी कर दी गई है, जो परिशिष्ठ-6 पर संलग्न है। शेष रही उचित मूल्य दुकानों के डीलर्स के चयन की कार्यवाही पुनः विज्ञप्ति जारी कर यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीनगर (अजमेर) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

145. **श्री महेन्द्र सिंह** (नसीराबाद) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार श्रीनगर (अजमेर) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह सही है कि श्रीनगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं? यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु जमीन खसरा नं. 416 में उपलब्ध करवा दिये जाने के उपरान्त भी अभी तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं खोला गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) क्षेत्रीय आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर श्रीनगर (अजमेर) में आई.टी.आई. खोलने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। श्रीनगर (अजमेर) में केन्द्र सरकार की योजना के तहत "कौशल विकास केन्द्र" की स्थापना प्रस्तावित है। इसके लिए जिला कलक्टर अजमेर द्वारा तहसीलदार नसीराबाद को ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 4016 व ग्राम रामसर के खसरा नम्बर 7480 के भूमि आबंटन हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न संख्या-146

(स्थगित)

प्रवासी भारतीय सम्मेलन से औद्योगिक निवेश में वृद्धि

147. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी, 2012 में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कितने देशों के प्रतिनिधि कार्यक्रमों में उपस्थित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन से राज्य को किसी प्रकार का निवेश हुआ है? यदि हां, तो किस-किस में? विवरण सदन की मेज पर रखें। प्रवासी भारतीय के इस सम्मेलन में सरकार ने कितना धन व्यय किया? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि जितना धन व्यय किया गया उसकी तुलना में राजस्थान के विकास में प्रवासियों का योगदान रहा? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2012 में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कुल 2014 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

जिन देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित रहे, उनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्देश्य सीधे तौर पर निवेश आकर्षित करना नहीं होकर 25 मिलियन प्रवासी भारतीयों को परस्पर मेलजोल, आपसी रिश्ते मजबूत करने एवं अपनी मातृभूमि से भावनात्मक संबंध बनाये रखने का अवसर प्रदान करना है, ताकि उनके ज्ञान, कौशल, तकनीक व वित्तीय संसाधनों के माध्यम से देश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ सके। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन पर व्यय मुख्यतः भारत सरकार द्वारा किया जाता है एवं इससे संबंधित पूर्ण सूचना भारत सरकार में ही उपलब्ध होगी। उक्त आयोजन के पेटे राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उक्त राशि ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन के माध्यम से खर्च की जानी है। ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन द्वारा अब तक खर्च की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। कुछ बिलों का भुगतान शेष है। वास्तविक व्यय की जानकारी सभी लेखों के समायोजन के पश्चात् स्पष्ट होगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा किये गये खर्चे का मदवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर है।

(3) जैसा कि प्रश्न के भाग संख्या 1 में उल्लेख किया गया है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्देश्य सीधे तौर पर निवेश आकर्षित करना नहीं होकर 25 मिलियन प्रवासी भारतीयों को परस्पर मेलजोल, आपसी रिश्ते मजबूत करने एवं अपनी मातृभूमि से भावनात्मक संबंध बनाये रखने का अवसर प्रदान करना है, ताकि उनके ज्ञान, कौशल, तकनीकी व वित्तीय संसाधनों के माध्यम से देश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ सके।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मांकरोडा (सिरोही) गांव के मृतक किसान के आश्रित को आर्थिक सहायता

148. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार की कृषि उपज मण्डी योजनान्तर्गत कृषि कार्य करते समय किसान की मृत्यु अथवा घायल होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है? यदि हां, तो क्या-क्या व कितनी? प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि सिरोही जिले के गांव मांकरोडा के मृतक मोतिसिंह पुत्र धुकसिंह राजपूत के कुए पर कृषि कार्य करते समय जहरीला सांप काटने पर राजकीय चिकित्सालय में इलाज के दौरान दिनांक 27-10-2010 को मृत्यु होने के बाद मृतक आश्रित परिवार द्वारा कृषि उपज मण्डी से सरकार की किसान के कृषि कार्य करते समय मृत्यु होने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए निर्धारित आवेदन किया गया था? यदि हां, तो उक्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सरकारी स्तर पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट जारी कर कृषि उपज मण्डी सुमेरपुर से मृतक आश्रित के परिवार में जीवित एक मात्र वृद्ध विधवा माता को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से राजीव गांधी कृषक साथी योजना अन्तर्गत कृषि कार्य करते समय किसान व खेतीहर मजदूर को मृत्यु/अंग-भंग होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। घायल होने पर सहायता राशि देने का प्रावधान नहीं है। सहायता राशि दिये जाने संबंधी योजना की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां । मृतक की मृत्यु दिनांक 27.10.2010 को राजकीय चिकित्सालय, सिरोही में हुई। मृत्यु होने पर दिनांक 28.10.2010 को मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु के कारण को एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त होने तक आरक्षित रखा गया है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

149. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य जिला परिषदों के माध्यम से सम्पादित कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त कार्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में राज्य सरकार द्वारा संशोधन करके अभिव्यक्ति "राजस्थान लोक सेवा आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला स्थापना समिति" प्रतिस्थापित किये जाने के कारण भर्ती जिला परिषदों द्वारा करवाई जा रही है।

(2) जी नहीं । उक्त कार्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने का कोई विचार नहीं है। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में उपरोक्त वर्णित संशोधन उपरांत भर्ती का कार्य जिला परिषदों के कार्य क्षेत्र में आता है, न कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न परिवहन राशि की अवैध वसूली

150. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न परिवहन हेतु डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू की हुई है, जिसमें खाद्यान्न थोक विक्रेता/परिवहनकर्ता द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न पहुंचाने तथा दुकान पर अनलोडिंग करवाने तक का प्रावधान किया हुआ है? यदि हां, तो आदेश/निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ जिलों में उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा गेहूं थोक विक्रेता परिवहनकर्ता को परिवहन में होने वाली हानि के लिये

(श्री अनिल जैन)

अपने कमीशन की राशि में से कुछ राशि का भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो भुगतान की जा रही राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उचित मूल्य दुकानदारों के कमीशन से की जा रही वसूली नियमानुसार है? यदि नहीं, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गेहूं थोक विक्रेता/परिवहनकर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकान पर गेहूं अनलोडिंग का व्यय उचित मूल्य दुकानदारों से वसूल किया जाता है? यदि हां, तो क्यों ? सरकार द्वारा जारी आदेश/निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उचित मूल्य दुकानदारों से उनके कमीशन से गेहूं के थोक विक्रेताओं/गेहूं परिवहनकर्ताओं द्वारा वसूल की गई राशि तथा अनलोडिंग चार्जेज को पुनः उचित मूल्य दुकानदारों को वापस दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी। हां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न प्राप्त कर सीधे ही थोक विक्रेता द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाया जाता है। आदेश दिनांक 28.05.1997 एवं 22.04.2010 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा ऐसे कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं किए हुए हैं।

(3) उचित मूल्य दुकानदारों के कमीशन से कोई वसूली करने का प्रकरण विभाग की जानकारी में नहीं है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए हुए हैं।

(5) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रकरण राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

विचाराधीन/सजायाफ्ता कैदियों की सुरक्षा हेतु कार्य योजना

151. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2010 एवं 2011 में राज्य की किस-किस जेल में कितने कैदियों की मृत्यु हुई है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से अनेक कैदियों की मौत बीमारी, आत्महत्या व साथी कैदियों एवं पुलिसकर्मियों के हमले के कारण हुई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जेल में विचाराधीन एवं सजायाफ्ता कैदियों के जीवन की रक्षा हेतु समुचित कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2010 एवं 2011 में राज्य की जेलों में कुल 159 बंदियों की मृत्यु हुई है, जिनका जिलेवार एवं जेलवार विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(2) राज्य की कारागृहों में बंदियों की मृत्यु बीमारी एवं आत्महत्या से हुई है। जेलों में साथी कैदियों के हमले से एवं पुलिस कर्मियों के हमले से किसी भी कैदी की मृत्यु नहीं हुई है।

(3) जेलों में बंदियों की हुई मृत्यु का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

राज्य की जेलों की सुरक्षा एवं स्थिति में सुधार से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार कर सुझाव देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंषा के अनुसार विचाराधीन एवं दण्डित बंदियों के जीवन की रक्षा हेतु समुचित कारगर कदम उठाये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली एवं सवाई माधोपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

152. **श्री रमेशचन्द मीणा** (टोडाभीम) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य में पालनहार, विधवा एवं बी.पी.एल. पुत्री विवाह, विकलांग अन्तर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत गत 3 वर्षों में कितने-कितने आवेदकों को लाभान्वित किया गया ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश चन्द मीणा)

(2) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जिला करौली एवं सवाई माधोपुर में उक्त अवधि में कितने आवेदकों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा उन्हें कब-कब अनुदान का भुगतान किया गया?

(3) क्या जिला करौली एवं सवाई माधोपुर में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान में कोई आवेदन लम्बित है? यदि हां, तो कितने, कब से तथा क्यों? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजनाओं के लिए पूर्व में बजट निर्धारित है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य में पालनहार, विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना, बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना, विकलांग विवाह अनुदान योजना, अन्तर्जातीय विवाह हेतु अनुदान योजना तथा विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों (2008-09, 2009-10 एवं 2010-11) में लाभान्वित किये गये आवेदकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जिला करौली एवं सवाई माधोपुर में आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने व उन्हें अनुदान का भुगतान करने सम्बन्धी विवरण जिला करौली का परिशिष्ट-ब एवं जिला सवाई माधोपुर का परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(3) सवाई माधोपुर जिले में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

जिला करौली में पालनहार, विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना, विकलांग विवाह अनुदान योजना अन्तर्जातीय विवाह अनुदान योजना तथा विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है जबकि बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना में वित्तीय वर्ष 2011-12 के 81 आवेदन पत्र लम्बित हैं। जिनमें से जांच उपरान्त पात्र आवेदन पत्रों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में उक्त योजनाओं में प्रावधित बजट का विवरण परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर के निगम बस सेवा रहित ग्राम

153. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर के कई ग्राम व पंचायत समिति मुख्यालय रोडवेज बस सुविधा से जुडे हुए नहीं हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम व पंचायत समिति मुख्यालय?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों व पंचायत समिति मुख्यालयों को अविलम्ब रोडवेज बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति कुचामन के ग्राम लिचाणा व पंचायत समिति परबतसर के ग्राम बिदियाद, बस्सी, बवाल व हरनांवा को रोडवेज बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र परबतसर की दोनों पंचायत समितियां-परबतसर एवं कुचामन के मुख्यालय निगम बस सेवा से जुडे हुए है तथा प्रश्न के शेष भाग के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2011-12 में की गई बजट घोषणा के अनुरूप तीन वर्षों में पीपीपी माडल के आधार पर पंचायतों को जोड़ा जायेगा।

(3) वर्तमान में पंचायत समिति परबतसर के ग्राम बस्सी एवं बवाल निगम की बस सेवा से जुडे हुए हैं तथा प्रश्न के शेष भाग के सम्बन्ध में भाग 2 के उत्तर के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-1

परबतसर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की सूची

क्र. सं.	पंचायत समितियां	कुल ग्राम पंचायतें	निगम सेवा से जुडी हुई ग्राम पंचायत	निगम सेवा से वंचित ग्राम पंचायत
1	परबतसर	35	कालेटरा	बिदियाद
2			जावला	पीलवा
3			खोखर	बाजवास
4			बागोट	पीह

क्र. सं.	पंचायत समितियां	कुल ग्राम पंचायतें	निगम सेवा से जुडी हुई ग्राम पंचायत	निगम सेवा से वंचित ग्राम पंचायत
5			बस्सी	बडू
6			मायापुर	ढाढोता
7			पिपलाद	कुराडा
8			रोहिण्डी	कुण्डरी
9			गांगवा	रिड
10			मंगलाना	झालरा
11			बडसिया	भादवा
12			भकरी	हरनावा
13				राबडियाद
14				चिताई
15				टापरवाडा
16				जंजीजा
17				रूणीजा
18				बिठवालिया
19				बरेव
20				गुलर
21				नेतियास
22				किनसरिया
23				नेनिया
कुल योग		**35**	**12**	**23**
1	कुचामन	11	मीठडी	लिचाणा
2			मण्डावरा	सरगोठ
3			खारडिया	रसाल
4			नारायणपुरा	
5			आनन्दपुरा	
6			ऊगरपुरा	
7			रूपपुरा	
8			पलाडा	
	कुल योग	**11**	**8**	**3**

कांट्या (सीकर) ग्राम में नियम विरुद्ध जारी खनन लीज

154. **श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कांट्या तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में सोफ्ट स्टोन खदानें हैं? यदि हां, तो कितनी व उक्त खदानें किस-किस व्यक्ति के नाम कब-कब से आबंटित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2011-12 में उक्त सोफ्ट स्टोन क्षेत्र में सरकार द्वारा मैशेनरी स्टोन हेतु एस.टी.पी. जारी की गई है? यदि हां, तो क्यों व किन नियमों से कब एवं किस व्यक्ति को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध जारी एस.टी.पी. को निरस्त कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक किस-किस के विरुद्ध और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम कांटिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में खनिज सोपस्टोन का मात्र एक खनन पट्टा दिनांक 10.01.2006 से 30 वर्ष के लिये सुश्री शालिनी सक्सेना पुत्री श्री एस.बी. सक्सेना के नाम से आबंटित है।

(2) वर्ष 2011-12 में उक्त सोपस्टोन के स्वीकृत खनन पट्टा में सोपस्टोन के खनन के दौरान जो ओवर बर्डन उत्पन्न हुआ उसमें खनिज मैसेनरी स्टोन की एस.टी.पी. मैसर्स जी.आर. इन्फ्राप्रोजेक्ट को एम.एम.सी.आर. 1986 के नियम 63 ए के अनुसार दिनांक 8.11.2011 को जारी की गई है । नियम 63 ए की प्रति एनेक्चर-1 पर उपलब्ध है।

(3) एस.टी.पी. नियमानुसार जारी की गई है। इसमें कोई कर्मचारी दोषी नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जैसलमेर में कृषकों हेतु संचालित योजनाएं

155. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में कृषि मण्डी रामगढ़ व मोहनगढ़ में कृषकों के हितार्थ कौन-कौनसी योजनायें संचालित की गई हैं? उक्त योजनाओं के द्वारा गत 2 वर्षों में कितने किसानों को कब-कब लाभान्वित किया गया?

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(2) विगत दो वर्षों में उक्त कृषि मण्डियों की राजस्व प्राप्तियां क्या-क्या रहीं तथा किन-किन मदों पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर के अन्तर्गत रामगढ़ व मोहनगढ़ गौण मण्डी यार्ड है। अन्य मण्डी समितियों की भांति इन मण्डी समितियों में भी राजीव गांधी कृषक साथी योजना संचालित की जा रही है। गत दो वर्षों में इस योजना के माध्यम से 9 कृषकों को लाभान्वित कर 3 लाख 17 हजार 5 सौ रूपये का भुगतान किया गया है । विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर की विगत दो वर्षो की आय एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में कम्प्यूटर शिक्षण की बकाया राशि

156. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली की किस-किस माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा कितने-कितने छात्रों को कितने-कितने समय से दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कम्प्यूटर शिक्षा हेतु छात्र/छात्राओं से प्रतिवर्ष कितनी फीस ली जाती है ?

(3) उक्त जिले में कम्प्यूटर शिक्षा किस-किस विद्यालय में सरकारी स्तर पर अनुबंध पर लगाये गये शिक्षकों एवं ठेके पर दी जाती रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले के किन-किन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण कार्य कितनी-कितनी अवधि तक किन-किन कारणों से बंद रहा है? विगत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कम्प्यूटर शिक्षा हेतु अनुबंध पर लगाये गये शिक्षकों एवं ठेकेदारों का उनके द्वारा किये गये शिक्षण कार्य का भुगतान शेष है? यदि हां, तो किन-किन का कितनी-कितनी राशि का कितनी-कितनी अवधि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

से किन-किन कारणों से एवं इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

(6) क्या सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के प्रत्येक छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु समुचित प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला पाली के जिन राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है, का विद्यालयवार एवं वर्षवार लाभान्वित छात्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कम्प्यूटर शिक्षा हेतु छात्र/छात्राओं से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती हैं।

(3) पाली जिले के ऐसे विद्यालय जिनमें कम्प्यूटर शिक्षा अनुबन्ध पर संचालित की जा रही है, का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(4) पाली जिले के जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का कार्य बन्द रहा, उसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) पाली जिले में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु अनुबन्ध पर लगाये गये ठेकेदारों का भुगतान प्रक्रियाधीन है तथा अनुदेशकों को भुगतान अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा किया जाता है।

(6) जी हां। राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा भारत सरकार के आई.सी.टी. योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा आई.सी.टी. योजना का चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों में विस्तार किया जा रहा है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही शेष विद्यालयों में भी कम्प्यूटर शिक्षा संचालित करना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सादुलपुर के आबकारी थानों में रिक्त पद

196. **श्रीमती कमला कस्वां** (सादुलपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जिलेवार कितने आबकारी थाने स्वीकृत हैं व इनमें कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश थानों में पद रिक्त हैं? यदि हां, तो अब सरकार द्वारा रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि हरियाणा सीमा से लगते हुए विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में शराब की तस्करी की संभावना अत्यधिक है? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र के थाने में स्वीकृत पदों के अनुसार कार्मिक कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आबकारी विभाग के प्रत्येक थाने में एक प्रहराधिकारी, एक जमादार, 10 सिपाही/वाहन चालक एवं एक लांगरी (कुक) के पद स्वीकृत हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। माह फरवरी, 2012 में 191 जमादारों को नियुक्ति दी जा चुकी है एवं सिपाही के रिक्त पदों पर 1015 की नियुक्ति की जाकर पदस्थापन कर दिया गया है। वर्तमान में रिक्त पदों पर पुलिस विभाग से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाकर कार्य कराया जा रहा है। रिक्त रहे शेष पदों को यथाशीध्र सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से भर लिया जायेगा।

(3) राज्य में हरियाणा सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में शराब तस्करी की संभावना बनी रहती है। विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (राजगढ़) जिला चूरू, आबकारी थाना राजगढ़ के क्षेत्राधिकार में आता है। आबकारी थाना राजगढ़ में सभी स्वीकृत पद भरे हुये हैं।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	जिले का नाम	आबकारी थानों की संख्या
1	जयपुर शहर	07
2	जयपुर ग्रामीण	06
3	दौसा	03
4	सीकर	05
5	झुन्झुनूं	05
6	अलवर	07
7	भरतपुर	04
8	सवाई माधोपुर	03
9	करौली	03
10	धौलपुर	02
11	अजमेर	07
12	नागौर	05
13	भीलवाड़ा	06
14	टोंक	04
15	जोधपुर	06
16	पाली	06
17	बाड़मेर	03
18	जैसलमेर	02
19	जालौर	03
20	सिरोही	03
21	बीकानेर	05
22	चूरू	05
23	श्रीगंगानगर	08
24	हनुमानगढ़	04
25	उदयपुर	07
26	राजसमन्द	03
27	चित्तौड़गढ़	05
28	प्रतापगढ़	03
29	डूंगरपुर	02

क्र.सं.	जिले का नाम	आबकारी थानों की संख्या
30	बांसवाड़ा	03
31	कोटा	03
32	बूंदी	03
33	बारां	03
34	झालावाड	04
	योग	148

रत्न आभूषण उद्योग के वृद्धि/प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना

197. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में रत्न आभूषण उद्योग द्वारा कई वस्तुएं तैयार की जाती हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी वस्तुएं?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के रत्न आभूषण उद्योग से तैयार वस्तुएं देश-विदेश में बिक्री के लिए भेजी जाती हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि की कौन-कौनसी वस्तुओं को देश-विदेश में बेचा गया?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार राज्य के रत्न आभूषण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के रत्नाभूषण उद्योग द्वारा कट एण्ड पोलिश्ड डायमण्डस, कलर्ड जैम स्टोन्स, पर्ल्स, गोल्ड ज्वैलरी, नान गोल्ड ज्वैलरी, कास्टयू एण्ड फैशन ज्वैलरी, सिंथेटिक स्टोन्स इत्यादि वस्तुएं तैयार की जाती हैं।

(2) जी हां। गत वर्षों में राज्य से रत्नाभूषण की उपरोक्त वस्तुओं का निर्यात निम्नानुसार रहा:-

वर्ष	निर्यात (करोड रु. में)
2008-09	1710.44
2009-10	2620.20
2010-11	2686.24

(उद्योग मंत्री)

(3) जी हां। राज्य में रत्नाभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रयास किये गये:-

1. स्पेशल इकोनोमिक जोन फार जैम एण्ड ज्वैलरी- प्रथम चरण सीतापुरा, जयपुर की स्थापना।
2. स्पेशल इकोनोमिक जोन फार जैम एण्ड ज्वैलरी- द्वितीय चरण सीतापुरा, जयपुर की स्थापना।
3. निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क, सीतापुरा, जयपुर में अलग से जैम एण्ड ज्वैलरी जोन की स्थापना।
4. एयर कार्गो काम्पलैक्स, सांगानेर (जयपुर) राजसीको द्वारा संचालित ।

राज्य की नयी औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति में जो सुविधाएं अन्य उद्योगों को उपलब्ध हैं वे सुविधाएं जैम एण्ड ज्वैलरी उद्योग को भी उपलब्ध हैं।

सोजत में अवैध खनन

198. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008 से फरवरी, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र सोजत में अवैध खनन के कितने प्रकरण प्रकाश में आये तथा कितनी राजस्व (राशि) वसूल की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2003 से 2008 तक कितनी खानों का आबंटन किया गया? क्या उक्त खानें आबंटन के अनुसार स्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से 2010 तक बजरी की रायल्टी के रूप में कितनी राशि किस-किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008 से अब तक सोजत विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन के 3 प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिनमें से एक प्रकरण में 2.00 लाख रुपये की वसूली की गई एवं दो प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में

(खनिज मंत्री)

विचाराधीन है। अवैध खनन के प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में वर्ष 2003 से 2008 तक कुल 21 खनन पट्टे आबंटित किए गए हैं जो अलाटमेन्ट के अनुसार स्थापित हैं। आबंटित खानों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है ।

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत में वर्ष 2008 से 2010 तक बजरी पर रायल्टी व परमिट फीस के रूप में रु. 40,92,129/- की प्राप्ति हुई है। बजरी सोजतसिटी, बिलावास, सोजतरोड, अजीतपुरा इत्यादि क्षेत्र से निर्गमित होने पर वसूली की गई है ।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में खनिज लीज हेतु लम्बित आवेदन-पत्र

199. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक कितने खनन पट्टे कब-कब, किस-किस के नाम जारी किये गये हैं एवं उक्त पट्टों के लिए आवेदन करने की तिथि क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला अलवर में पांच वर्षों से अधिक समय से खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र आज भी लम्बित है? यदि हां, तो वर्तमान में कुल कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं एवं उनमें से पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित कितने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में जनवरी, 2009 से अब तक 100 खनन पट्टे जारी किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जिला अलवर में गत पांच वर्षों से अधिक समय के 53 आवेदन पत्र लम्बित है। वर्तमान में कुल 2530 आवेदन पत्र लम्बित हैं। इनमें से 5 वर्ष से अधिक समय से लम्बित 53 आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आसींद में आबंटित खनन लीज

200. श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र आसींद में कहां-कहां पर कौन-कौन सी खानें कितने-कितने क्षेत्र की आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसींद में विगत 3 वर्षो में प्रधान खनिज के 52 एवं अप्रधान खनिज के 4, कुल 56 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज)

विगत तीन वर्षों में स्वीकृत किये गये खनन पट्टों की सूची

2009-2010						
SN	ML	Lesse Name	NV	Tehsil	Minerals	Area
1	131/03	श्री विवेक वर्मा	Bhopalpura	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
2	699/07	सर्वश्री जय जोगणिया माईनिंग	Barasani	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
3	814/05	सर्वश्री सांवरिया मिनरल्स	Barasani	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
4	332/06	श्री भगवान सिंह	Rayra	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
5	186/08	सर्वश्री पंचमुखी माईन्स एण्ड मिनरल	Maataji Ka kheda	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
6	431/06	श्री तेजमल गुर्जर	Nuwaliya	Asind	Feldspar, Quartz	4.067
7	34/05	श्री रामदयाल जाट	Paldi Ka Kheda	Asind	Feldspar, Quartz	4.9219
8	304/05	श्री चिरंजीलाल जांगिड़	Sukhamand Ka Kheda	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
9	450/07	सर्वश्री रघुकुल मार्बल	Tiloli	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
10	530/06	श्रीमति सुमन कंवर	Daulatgarh	Asind	Mica, Feldspar, Quartz	4.67
11	563/06	श्री किशन कुमार बसीटा	Chittoriya	Asind	Feldspar, Quartz	4.00

SN	ML	Lesse Name	NV	Tehsil	Minerals	Area
12	19/07	श्री के. प्रकाश चोरडिया	Jhalriya	Asind	Feldspar, Quartz	4.9838
13	276/07	सर्वश्री मातेश्वरी मिनरल्स	Lachuda	Asind	Feldspar, Quartz	4.0063
14	430/06	श्रीमती रमति देवी गुर्जर	Nuwaliya	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
15	443/07	श्री विकास शर्मा	Shambhugarh	Asind	Feldspar, Quartz	4.7215
16	289/07	सर्वश्री जय मातादी मिनरल्स	Rooppura	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
17	57/07	श्री शांतिलाल बणूंट	Mataaji Ka Kheda	Asind	Feldspar, Quartz	4.3663
18	497/05	श्री सुरेश चौहान	Sukhamand Ka Kheda	Asind	Feldspar, Quartz	4.4305
19	435/07	श्रीमति सुमन कंवर	Nuwaliya	Asind	Feldspar, Quartz	4.3878
20	672/07	श्री लक्ष्मण सिंह	Unkhliya	Hurda	Feldspar, Quartz	4.00
21	702/07	सर्वश्री जोगणिया मिनरल्स	Shamhugarh	Asind	Feldspar, Quartz	4.003
2010-11						
22	443/07	श्रीमती विष्णु रावल	Barasani	Asind	Feldspar, Quartz	4.0241
23	819/07	सर्वश्री गढबोर चारभुजा	Barasani	Asind	Feldspar, Quartz	4.093
24	370/08	श्री सुरेश कुमार खटीक	Hadwo Ka Kheda	Asind	Feldspar, Quartz	4.5932
25	470/07	श्रीमति श्वेता मेवाड़ा	Dantda	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
26	472/07	श्रीमती श्वेता मेवाड़ा	Shambhugarh	Asind	Feldspar, Quartz	4.0316
27	66/09	श्रीमती पानी देवी रावत	Shambhugarh	Asind	Feldspar, Quartz	4.0013

SN	ML	Lesse Name	NV	Tehsil	Minerals	Area
28	105/00	श्री जगदीश प्रसाद वैष्णव	Hathisar	Asind	Feldspar, Quartz	4.9397
29	419/07	श्री अशोक कुमार जैन	Udalpura	Asind	Micra, Feldspar, Quartz	4.00
30	421/07	श्रीमति भागुति देवी गुर्जर	Bira Ka kheda	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
31	634/05	श्री पंखराज कुम्हार	Barasani	Asind	Feldspar, Quartz	4.1283
32	418/06	श्री रामस्वरूप शर्मा	Ameshar	Asind	Feldspar, Quartz	4.0011
33	467/08	सर्वश्री जसवंत मिनरल्स	Lachuda	Asind	Feldspar, Quartz	4.9817
34	486/07	सर्वश्री करणी मिनरल्स, प्रो. श्री भंवर सिंह चारण	Sabdada	Asind	Feldspar, Quartz	4.3960
35	492/07	श्री गोविन्द कुमार माहेश्वरी	Jhalriya	Asind	Feldspar, Quartz	4.8896
36	15/07	श्रीमती ममता देवी जोशी	Barasani	Asind	Feldspar, Quartz	4.9622
37	272/08	सर्वश्री भैरूनाथ मिनरल्स	Jhalriya	Asind	Feldspar, Quartz	4.6952
38	412/08	सर्वश्री चारभुजा मिनरल्स	Motipur	Asind	Feldspar, Quartz	4.0001
39	83/05	श्रीमति गेन्द कंवर	Nimbhaheda	Asind	Feldspar, Quartz	4.80
40	14/08	श्री भैरूलाल कुमावत	Marwo Ka Kheda	Asind	Feldspar, Quartz	4.8202
2011-12						
41	303/06	श्री भगवानसिंह राठौड़	Pandru	Asind	Feldspar, Quartz	4.4208
42	246/10	श्री लादूलाल सुथार	Kesharpura	Asind	Feldspar, Quartz	4.0001

SN	ML	Lesse Name	NV	Tehsil	Minerals	Area
43	331/07	सर्वश्री देवनारायणस मिनरल्स	Bhopalpura	Asind	Feldspar, Quartz	4.0019
44	331/08	सर्वश्री देवमिनरल्स	Karangarh	Asind	Feldspar, Quartz	4.0010
45	154/09	मैसर्स शान्तीनाथ ग्राईण्डिंग मिल्स	Kailyas	Asind	Feldspar, Quartz	4.0000
46	156/09	मैसर्स शान्तीनाथ ग्राईण्डिग मिल्स	Kailyas	Asind	Feldspar, Quartz	4.0001
47	420/10	मैसर्स सिद्धि विनायक मिनरल्स	Sangramgarh	Asind	Feldspar, Quartz	4.4165
48	35/08	श्री नरेश बल्दवा	Shambhugarh	Asind	Feldspar, Quartz	4.0003
49	319/10	मैसर्स चारभुजा माईन्स एण्ड मिनरल्स	Thumiya	Asind	Feldspar, Quartz	4.9889
50	391/08	श्री प्रभुलाल गुर्जर	Bira Ka khera	Asind	Feldspar, Quartz	4.3612
51	460/10	मैसर्स सगस माईनिंग	Ojiyada	Asind	Feldspar, Quartz	4.5982
52	159/06	श्री दौलत सिंह परिहार	Nangpura	Asind	Feldspar, Quartz	4.00
53	155/05	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	Jaira	Asind	Granite	3.00
54	108/06	मैसर्स सिद्धि विनायक ग्रेनाईट, किशनगढ़	Jaira	Asind	Granite	3.00
55	110/07	श्री सुभाष चन्द्र पुरोहित	Jaira	Asind	Granite	3.00
56	54/09	श्री हंसराज जाट	Kaliyas	Asind	Masonery Stone	1.00

ऐक्सिस रायल्टी एवं रायल्टी वसूली के बकाया प्रकरण

201. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) व **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में ऐक्सिस रायल्टी एवं रायल्टी ठेके जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक किस-किस व्यक्ति/फर्म को दिये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में ऐक्सिस रायल्टी, सैण्डस्टोन, माईनिंग स्टोन पर वर्ष 2003 से 2011 तक ऐक्सिस रायल्टी, रायल्टी का कितना-कितना रुपया किस-किस ठेकेदार, फर्म व्यक्ति पर बकाया है? जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किस फर्म/व्यक्ति द्वारा ऐक्सिस रायल्टी और रायल्टी में निहित शर्तों की पालना नहीं की गई व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) वर्ष 2003 से 2011 तक किन-किन ठेकेदारों से ऐक्सिस रायल्टी और रायल्टी अधिक वसूली की शिकायतें प्राप्त हुई और सरकार द्वारा किस-किसके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा किस-किसके विरुद्ध वसूली की क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं वसूली नहीं करने वाले किस-किस जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2009 से राज्य में जिन-जिन व्यक्तियों अथवा फर्म की रायल्टी एवं ऐक्सिस रायल्टी वसूली के ठेके दिये गये हैं, का जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) खनिज सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन के ठेके पर वर्ष 2003 से आज तक जिन-जिन ठेकेदारों/फर्म के विरुद्ध बकाया है, उसका जिलेवार वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) प्रश्न के भाग-2 में वर्णित ठेकों में जिन-जिन ठेकेदारों द्वारा निहित शर्तों की पालना नहीं की गई है एवं उनके विरुद्ध जो-जो कार्यवाही की गई, का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(खनिज मंत्री)

(4) वर्ष 2005 से अब तक राज्य में विभिन्न आर.सी.सी./ ई.आर.सी.सी. ठेकेदारों के विरुद्ध अधिक वसूली के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई एवं सरकार द्वारा उनके विरुद्ध जो कार्यवाही की गई, उसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी. ठेकेदार जिनके विरुद्ध विभागीय बकाया है, उनसे वसूली की, की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है । बकाया वसूली के संबंध में जिन अधिकारियों ने कार्यवाही में शिथिलता बरती है, उसकी जांच कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेंगी ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जेल के फरार कैदी

202. **श्रीमती गंगा देवी** (बगरू) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में बीकानेर जेल में बंद कैदियों में से किन-किन कैदियों को पैरोल पर किस आधार पर कब से कब तक जेल से बाहर रहने की इजाजत दी गई? वर्षवार पैरोल पर छूटे कैदियों का नाम, पते, अपराध सहित, जेल से बाहर जाने व वापस आने की तिथि एवं कितने दिन की पैरोल स्वीकृत की गई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पैरोल पर छूटे उक्त कैदियों में से अधिकांश कैदियों ने जेल से बाहर आकर पुनः अपराध घटित कर दिये तथा पैरोल पर छूटने के बाद से अब तक फरार हैं? यदि हां, तो कौन-कौन कैदी फरार चल रहे हैं एवं पैरोल पर छूटे इन कैदियों की पैरोल अवधि कब पूर्ण हो गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गत पांच वर्षों में बीकानेर जेल से अनेक कैदी बिना पैरोल के ही फरार हो गये? यदि हां, तो कौन-कौन?

(4) उक्त जिले में आदतन अपराधी, गम्भीर किस्म के अपराधियों, जिनका जेल में भी चाल-चलन ठीक नहीं रहा जो पैरोल पर जेल से बाहर आकर फरार हैं, अपराध कर रहे हैं तथा जेल से बिना पैरोल ही फरार हो जाने के लिए किन-किन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(श्रीमती गंगा देवी)

(5) क्या सरकार फरार कैदियों को पुन:पकड़कर जेल में डालने तथा दोषी अधिकारियों को निलम्बित करने व उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षो में (2007 से 2011) केन्द्रीय कारागृह बीकानेर से पैरोल पर रिहा किये गये बंदियों के नाम, अपराध व जेल से बाहर जाने व वापिस आने की तिथि एवं पैरोल स्वीकृति का आधार सहित वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'ए' पर उपलब्ध हैं।

(2) केन्द्रीय कारागृह बीकानेर से गत पांच वर्षों में पैरोल पर छूटे कैदियों में से जेल से बाहर आकर पुन: अपराध कारित करने वाले 5 कैदी हैं, जो वर्तमान में फरार नहीं हैं, का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'बी' पर उपलब्ध है।

केन्द्रीय कारागृह बीकानेर से पैरोल पर छूटे कैदियों में से अब तक फरार चल रहे कैदियों का विवरण परिशिष्ट 'सी' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। गत पांच वर्षों में केन्द्रीय कारागृह बीकानेर से अब तक कोई भी बंदी जेल से फरार नहीं हुआ हैं।

(4) केन्द्रीय कारागृह बीकानेर से गत पांच वर्षों में पैरोल पर रिहा हुये कैदी जो वर्तमान में भी फरार चल रहे हैं (सूची परिशिष्ट 'सी') के द्वारा अपराध कारित किये जाने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नही हुई है तथा केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर से बिना पैरोल स्वीकृत कराये फरारी की कोई भी घटना घटित नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता हैं।

(5) जी हां। पैरोल एवं जेल से फरार बंदियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाती है। पैरोल से फरार बंदी के पैरोल स्वीकृति मे अनियमितता का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने वाले एवं जेल से फरार बंदी के प्रकरण मे प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा मंदिर मण्डल के मुख्य निष्पादन/सम्पदा अधिकारी की यात्राओं पर व्यय राशि

203. **श्री कल्याण सिंह चौहान** (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

नाथद्वारा मंदिर मण्डल के मुख्य निष्पादन अधिकारी एवं संपदा अधिकारी को दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2012 के मध्य माहवार कितने-कितने वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया गया तथा उक्त अधिकारियों ने नाथद्वारा से बाहर कब-कब, किस-किस प्रयोजन से कितनी-कितनी यात्राएं कीं और उक्त यात्राओं के लिये कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नाथद्वारा मंदिर मण्डल के मुख्य निष्पादन अधिकारी एवं सम्पदा अधिकारी को दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2012 के मध्य माहवार लिये गये वेतन एवं भत्तों के भुगतान का विवरण परिशिष्ट-'अ' संलग्न कर प्रस्तुत है।

इन अधिकारियों ने नाथद्वारा से बाहर जब-जब, जिन-जिन प्रयोजन से जितने दौरे किये उनका विवरण तथा जिस-जिस मद से जो-जो राशि व्यय की गई, का विवरण परिशिष्ट-'ब' संलग्न कर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में नवीन राशन डीलर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

204. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जोधपुर में वर्तमान में उचित मूल्य की कितनी दुकानें स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितनी कार्यरत नहीं हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में जनसंख्या के अनुपात में स्वीकृत दुकानों की संख्या मानदण्डों के अनुसार कम है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार जिला जोधपुर में नई दुकानें सृजित एवं स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा कितनी व नहीं, तो क्यों? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त एवं नई स्वीकृत दुकानों के लिये राशन डीलर नियुक्त कर दुकानें प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने रिक्त एवं नई दुकानों के लिये राशन डीलर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

नियुक्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर साक्षात्कार आयोजित कर लिये हैं? यदि हां, तो साक्षात्कार तक की प्रक्रिया कब पूर्ण कर ली गई थी और साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में 1240 उचित मूल्य दुकानें स्वीकृत हैं एवं सभी दुकानें कार्यरत हैं। विधान सभा क्षेत्रवार उचित मूल्य दुकानों की संख्या निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**विधान सभा क्षेत्र**	**दुकानों की संख्या**
1	जोधपुर शहर	125
2	सरदारपुरा	102
3	सूरसागर	116
4	लूणी	123
5	बिलाड़ा	110
6	भोपालगढ़	123
7	ओसियां	126
8	फलोदी	122
9	लोहावट	127
10	शेरगढ़	66
	योग	1240

विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक एफ 17(12)खा.वि./विधि/2009 दिनांक 04.11.2011 की पालना में 500 राशनकार्डो के अलावा अगले 500 कार्ड होने की स्थिति में ही नई उचित मूल्य दुकान सृजित किये जाने के निर्देशानुसार नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी करने के आदेश किये जा चुके हैं। नव सृजित/रिक्त दुकानों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	रिक्त/नव सृजित दुकानों की संख्या
1	जोधपुर शहर	34
2	सरदारपुरा	27
3	सूरसागर	53
4	लूणी	29
5	बिलाड़ा	41
6	भोपालगढ़	26
7	ओसियां	06
8	फलोदी	16
9	लोहावट	10
10	शेरगढ	15
	योग	257

विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां । नई स्वीकृत दुकानों को प्राधिकार पत्र जारी करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(4) जी हां । साक्षात्कार की प्रक्रिया माह जुलाई, 2011 तक पूर्ण कर ली थी। अब नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीगंगानगर जिले में संचालित गैस एजेन्सियों में व्याप्त अनियमितताएं

205. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर की गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को डेढ़ माह बाद भी रिफिल नहीं दी जाती है और न ही होम डिलीवरी दी जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में आटोमैटिक गैस बुकिंग व्यवस्था को खतम कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार जयपुर व हनुमानगढ़ की तरह श्रीगंगानगर में पुन: आटो गैस बुकिंग व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(3) क्या सरकार जिला श्रीगंगानगर की गैस एजेंसियों में व्याप्त अनियमितताओं की जांच करवाकर व्यवस्थाओं में सुधार करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार जिला श्रीगंगानगर में नये गैस कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी दी जाती है एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को नियमानुसार 8.00 रु. की छूट दी जाकर सम्बन्धित एजेन्सी के गोदाम से सप्लाई दी जाती है। वर्तमान में जिले में घरेलू गैस सिलेण्डरों की उपलब्धता के अनुसार 35-45 दिन में सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) जी हां। कम्पनियों द्वारा सम्बन्धित वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक के आदेशानुसार आटोमैटिक बुकिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। श्रीगंगानगर जिले में ऑटोमैटिक गैस बुकिंग व्यवस्था लागू करने का राज्य सरकार कोई विचार नहीं रखती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीति एवं निर्देशों के अनुसार राज्य के जिन जिलों में आटोमैटिक गैस बुकिंग व्यवस्था है, उसे समाप्त किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) गंगानगर जिले में घरेलू गैस की वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जा रही है व अनियमितता पाए जाने पर एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाती है। माह जनवरी, 2012 में उपभोक्ता होलसेल भण्डार गैस एजेन्सी (आई.ओ.सी.) के विरूद्ध अनियमितता करने पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है।

(4) गंगानगर जिले में सभी गैस एजेन्सियों द्वारा वरीयता के आधार पर नए गैस कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं।

सम्भागीय मुख्यालयों पर ए.पी.एल. परिवारों को आटा वितरण हेतु पिसाई ठेके

206. **डा. [श्रीमती] परम नवदीप सिंह** (संगरिया) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सम्भागीय मुख्यालयों पर

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

ए.पी.एल. परिवारों को आटा वितरित करने की योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो योजना की शुरुआत से आज तक क्या-क्या कारगर कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन फर्मों को गेहूं पिसाई का ठेका दिया गया तथा इसकी शुरूआत से लेकर अब तक प्रति माह प्रत्येक फर्म को कितना-कितना गेहूं कब-कब उपलब्ध करवाया गया? जिलेवार, माहवार व फर्मवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त योजना के तहत अब तक सम्भागवार कितना आटा ए.पी.एल. परिवारों को वितरित किया गया? लाभार्थियों की संख्या का जिलेवार, माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के तहत फर्मों को अब तक कितनी राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया गया? फर्मवार किये गये भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के सम्भागीय मुख्यालयों की नगरीय सीमा में (डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डार/उचित मूल्य दुकान) से एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को गेहूं के स्थान पर आटा दिए जाने की योजना वर्ष 2009 में आरम्भ की गई है।

इस योजना हेतु विभाग द्वारा खुली निविदा के माध्यम से रोलर फ्लोर मिलों का चयन कर उनको थोक विक्रेता का प्राधिकार पत्र नियमानुसार जारी किया गया है। चयनित रोलर फ्लोर मिलों द्वारा उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से सम्भागीय मुख्यालयों की नगरीय सीमा में एपीएल श्रेणी के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध कराया गया।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत जिन फर्मों को गेहूं पिसाई का आरम्भ से अब तक ठेका दिया गया, उन फर्मों को गेहूं उपलब्ध कराने की जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना के तहत अब तक एपीएल परिवारों को आटा वितरित किया गया, लाभार्थियों का जिलावार विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा फर्मों को कोई राशि भुगतान नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम ग्राम पंचायत में घरेलू गैस एजेन्सी की स्थापना

207. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भीम ग्राम पंचायत में 26000 की जनसंख्या होते हुये भी अभी तक एल.पी.जी. घरेलू गैस एजेन्सी नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भीम ग्राम पंचायत में एल.पी.जी. घरेलू गैस एजेन्सी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील भीम में मैसर्स वीर विजय कारगिल गैस एजेन्सी, भीम कार्यरत है।

(2) तहसील भीम में पूर्व से ही भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. की मैसर्स वीर विजय कारगिल गैस एजेन्सी, भीम कार्यरत है।

भरतपुर शहर में ए.पी.एल. परिवारों को आटा वितरण हेतु पिसाई ठेके

208. **श्री बहादुर सिंह** (वैर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर सम्भाग मुख्यालय पर ए.पी.एल. परिवारों को आटा वितरित किया गया है? यदि हां, तो भरतपुर में इस कार्य के लिये किस फर्म को ठेका दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत छह माह में उक्त क्षेत्र के किन-किन दुकानदारों को कितना आटा आबंटित किया गया तथा किस दुकानदार ने किस माह में किन-किन ए.पी.एल. परिवारों को आटा वितरित किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भरतपुर शहर सम्भाग मुख्यालय पर एपीएल परिवारों को माह अक्टूबर, 2009 से आटा वितरित किया जा रहा है। इस हेतु मै. श्री हनुमान जी रोलर फ्लोर मिल, अलवर एवं मै. अरूणा एन्टरप्राईजेज, गंगापुरसिटी से अनुबंध किया जाकर नियमानुसार प्राधिकार पत्र संख्या 01/2009 व 59/2011 जारी किया हुआ है।

(2) विगत 06 माह में (माह सितम्बर, 2011 से फरवरी, 2012) भरतपुर शहर सम्भाग मुख्यालय के उचित मूल्य दुकानदारों व सरस बूथ पार्लरों को आबंटित किए आटे की माहवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उचित मूल्य दुकानदारों को आबंटित यूनिट रजिस्टर में पंजीकृत राशनकार्डधारी एपीएल उपभोक्ताओं को नियमानुसार निर्धारित मात्रा में फोर्टिफाइड आटा उपलब्ध कराया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

विद्यार्थियों हेतु गैस कनेक्शन सुविधा

209. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नए राशन कार्ड कब से बनने शुरू होंगे?

(2) क्या नये राशन कार्ड फोटोयुक्त होंगे? यदि हां, तो फोटो मुखिया की होगी या समस्त सदस्यों की?

(3) क्या गांव छोड़कर शहरों या अन्यत्र स्थान पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को सरकार गैस कनेक्शन दे रही है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विद्यार्थी हित में उक्त योजना शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में पूर्व की भांति सामान्य प्रक्रिया के द्वारा सभी श्रेणी के नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जो यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी।

(2) जी हां। यह सही है कि राज्य में पूर्व की भांति बनाए जाने वाले नवीन राशन कार्ड में मुखिया की फोटो लगाई जावेगी।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जी नहीं। चूंकि यह विषय भारत सरकार तथा उसके अधीन तेल विपणन कम्पनियों का है तथा उन्हीं के द्वारा निर्णय लिए जाने पर राज्य में यह व्यवस्था लागू की जा सकेगी।

(4) जी नहीं। इस बिन्दु का उत्तर बिन्दु संख्या-3 के अनुसार है।

जोधपुर जिले हेतु आयातित राशन सामग्री का आबंटन

210. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2010-11 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आयातित अनुदानित दालों, गेहूं, चावल, चीनी व केरोसिन का कितना कोटा आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2010-11 में उक्त कोटे में से राज्य सरकार द्वारा अनुदानित दालों, गेहूं, चावल, चीनी व केरोसीन की कितनी-कितनी मात्रा उठाई गई तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कितनी-कितनी मात्रा में वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आबंटित कोटे में से जिला जोधपुर को कितनी मात्रा में दालों, गेहूं, चावल, चीनी व केरोसीन आबंटित किया गया तथा कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किया गया? पंचायत समिति वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2010-11 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को नियमित योजना के अन्तर्गत गेहूं, चावल, चीनी, केरोसीन के आबंटित कोटे का विवरण परिशिष्ट-1 एवं 1(2) पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-11 में भारत सरकार की आयातित दाल योजना के अन्तर्गत मटर दाल उपलब्ध कराई गई है, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1(3) पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2010-11 में उक्त कोटे में से राज्य सरकार द्वारा अनुदानित गेहूं, चावल, चीनी, केरोसीन, दालों की उठाई गई मात्रा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित मात्रा का विवरण परिशिष्ट-1, 1(2) व 1(3) पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) उक्त आबंटित कोटे में से जिला जोधपुर के लिए दालें सस्ती दर पर एवं अनुदानित दर पर गेहूं, चावल, चीनी, केरोसीन की आबंटित मात्रा में से उठाई गई मात्रा एवं वितरण की गई मात्रा का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को अध्यापक पद पर नियुक्ति

211. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2009 से 2011 तक कितने अध्यापकों को किस-किस पद पर नियुक्ति दी गई? पदवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2009 से 2011 तक तृतीय श्रेणी अध्यापकों को भी नियुक्ति दी गई थी? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कितने पदों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधवा एवं परित्यक्ता को भी अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2009 से 2011 तक व्याख्याता पद पर 2079, वरिष्ठ अध्यापक पद पर 8355 तथा 2017 तृतीय श्रेणी अध्यापक पदों पर नियुक्ति दी गई।

(2) जी हां । वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर दी नियुक्तियों का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	नियुक्तियों की संख्या
2009-2010	101
2010-2011	47
2011-2012	1869

(3) जी हां । तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही सम्बन्धित जिला परिषदों के द्वारा की जा रही है । इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.7(2)डीओपी/ए-II/88 पार्ट-1 दिनांक

(शिक्षा मंत्री)

24.01.2011 के प्रावधान अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत पदों में से 10 प्रतिशत पदों पर विधवा/विवाह विच्छिन्न महिलाओं आशार्थियों को भी जिला परिषदों के माध्यम से नियमानुसार नियुक्ति की जावेगी।

फलौदी के विद्यालयों में रिक्त पद

212. **श्री ओम जोशी** (फलौदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी की पंचायत समिति फलौदी एवं बाप में खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी व तृतीय श्रेणी अध्यापक के कितने पद कब से रिक्त हैं? पदनाम वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों पर यथासमय पदस्थापन नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति फलौदी एवं बाप में खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का विवर ण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	ब्लाक कार्यालय कानाम	रिक्त पदों का विवरण			
		बीईईओ		एबीईओ	
		संख्या	तिथि	संख्या	तिथि
1	ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, फलौदी	01	11/2010	01	9/2010
2	ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, बाप	01	10/2008	02	7/2010 12/2011

(शिक्षा मंत्री)

उक्त पंचायत समितियों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों तथा अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के पदों पर चयन हेतु विभागीय पदौन्नति समिति के आयोजन पर कार्मिक विभाग की रोक होने के कारण समय पर डीपीसी का आयोजन नहीं होने से उक्त पदों को यथासमय भरने की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो चुका है, जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(3) जी हां। कार्मिक विभाग की रोक हटने पर विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित कर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों तथा अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाकर चयनोपरान्त भरा जायेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना के तहत करवाये गए कार्य

213. **श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना कब से प्रारम्भ की गई तथा उक्त योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य करवाये जाने के प्रावधान हैं? प्रावधान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सिरोही में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना लागू होने से वर्ष 2011-12 तक कितना बजट आबंटित किया गया? मदवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में उक्त योजनान्तर्गत किस विद्यालय में क्या-क्या कार्य करवाये गये? वर्षवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना में अब

(श्री ओटाराम देवासी)

तक करवाये गये कार्यों के लिये सम्बन्धित विद्यालयों से प्रस्ताव मांगे गये थे? यदि हां, तो प्रस्तावों की प्रति वर्षवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो बिना प्रस्ताव आमंत्रित किये गये कार्य करवाने की अनियमितता के लिये कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिये स्थानीय विधायक से अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिकता अनुसार सुझाव देने तथा उक्त योजनान्तर्गत होने वाले कार्यों की प्रगति से अवगत करवाने के प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं। यह योजना सत्र 2009-10 से प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) सिरोही जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना लागू होने से लेकर वर्ष 2011-12 तक आबंटित बजट का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(3) 2009-10 में उक्त जिले में उक्त योजनान्तर्गत किसी भी विद्यालय में निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है। सत्र 2010-11 में निम्नांकित 6 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है :-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विधान सभा क्षेत्र	कार्य				
			कक्षा-कक्ष	कम्प्यूर लेब	विज्ञान प्रयोगशाला	लाईब्रेरी	मूत्रालय
1	राउमावि, सांतपुर	रेवदर	1	1	1	1	----
2	राउमावि, आबूरोड़	रेवदर	2	----	1	----	---
3	राबाउमावि, आबूरोड	रेवदर	2	1	1	----	----
4	राउमावि, पिण्डवाडा	पिण्डवाडा-आबूरोड	1	----	1	----	1
5	राबाउमावि, पिण्डवाडा	पिण्डवाडा-आबूरोड	1	----	1	----	1
6	राउमावि, नवीन भवन, सिरोही	सिरोही-शिवगंज	2	----	1	1	----
	योग		**9**	**2**	**6**	**2**	**2**

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी नहीं। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष मा.वि./उ.मा.वि. की समस्त जानकारी प्राप्त करने हेतु SEMIS सर्वे किया जाता है। SEMIS सर्वे में मा.वि./उ.मा.वि. के सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वास्तविक मानदण्डों के आधार पर उस वर्ष की कार्य योजना में लाभान्वित होने वाले विद्यालयों का चयन जिला स्तर पर किया जाकर जिला कार्य योजना तैयार की जाती है।

चूंकि SEMIS सर्वे में विद्यालय के सम्बन्ध में समस्त आधारभूत सुविधाओं एवं शिक्षकों की कमी की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अनुसार जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। इन प्रस्तावों पर मानदण्डों के आधार पर अन्तिम रूप से अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अतः किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से कोई दोषी नहीं है।

(5) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दूदू ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण

214. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में दूदू स्थित ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनवरी, 2010 से फरवरी, 2012 तक किन-किन विद्यालयों का कब-कब निरीक्षण किया गया? माहवार, विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि के दौरान दूदू ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधीन आने वाली फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का कब-कब निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं पर क्या कार्यवाही की गयी? माहवार, विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में दूदू स्थित ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनवरी, 2010 से फरवरी, 2012 तक किये गये विद्यालय निरीक्षण माहवार, विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) उक्त अवधि के दौरान दूदू ब्लाक शिक्षा अधिकारी, दूदू द्वारा अपने क्षेत्राधीन विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों के निरीक्षण में पाई गई कमियां व की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता

215. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विगत दो वर्षों में तृतीय श्रेणी शिक्षक के कितने पद रिक्त हैं तथा कितने नवीन पद सृजित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा (टैट) में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा में भाग ले सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आगामी शिक्षण सत्र तक (जुलाई, 2012) रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती हेतु किस वर्ष तक आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्त्तीर्ण अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है?

उत्तर

(1) विगत 2 वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा में 52415 तथा माध्यमिक शिक्षा में 4628 तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के पद रिक्त थे। विगत दो वर्षों में नवीन पद सृजित नहीं किये गये हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। तृतीय श्रेणी अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो चुका है तथा जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7 वर्ष तक पात्र माना गया है। राज्य में अभी तक केवल एक बार वर्ष 2011 में अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की गयी है।

राज्य में शिक्षा के अधिकार कानून की क्रियान्विति हेतु वांछित राशि

216. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में शिक्षा के अधिकार के कानून को लागू करने के लिए

(श्री वासुदेव देवनानी)

आगामी वर्ष में कितने कक्षा-कक्षों, प्रशिक्षित अध्यापकों तथा कितनी राशि की आवश्यकता होगी और आगामी तीन वर्षों में उक्त सभी की कितनी आवश्यकता होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कानून की क्रियान्विति के लिए सरकार ने अब तक क्या-क्या प्रयास किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अभियान द्वारा कराये गये चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे के दौरान कितने बच्चे शिक्षा से वंचित पाये गये तथा अब तक कितने बच्चों को विद्यालय से नियमित रूप से जोड़ा जा चुका है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने के लिए राज्य के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डाईस,2011-12 के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार 12107 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। इस हेतु आगामी तीन वर्षों में अनुमानित राशि 411.84 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मानदण्डानुसार राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार कुल 2,78,098 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में प्रबोधकों सहित 2,20,649 अध्यापक कार्यरत हैं। इस प्रकार 57,449 अध्यापकों की अतिरिक्त आवश्यकता बनती है। इनमें से 41,000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया जारी हैं। इन नवनियुक्त होने वाले अध्यापकों पर आगामी तीन वर्षों में लगभग 2612.78 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

(2) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 का नोटिफिकेशन 29.3.2011 को जारी किया जा चुका है। उक्त नियमों के प्रावधानों की क्रियान्विति के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा आदेश/परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। उक्त कानून की क्रियान्विति के लिए भारत सरकार के कार्यक्रम सर्व शिक्षा

(शिक्षा मंत्री)

अभियान की आगामी वर्ष 2012-13 की कार्य योजना में 3016 अतिरिक्त कक्षाकक्षों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त भवन रहित विद्यालयों हेतु 126 विद्यालय भवन, 773 प्रधानाध्यापक कक्ष, 5754 चारदीवारी, 627 आंतरिक विद्युतीकरण व 2985 वृहद मरम्मत के कार्य भी आगामी वर्ष 2012-13 की कार्य योजना में प्रस्तावित किये गये हैं।

(3) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कराये गये चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे के दौरान लगभग 12.10 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित पाये गये थे, जिसमें अब तक 7.25 लाख बच्चों को विद्यालयों में नामांकित कराया जा चुका है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट"ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर जिले के प्रतिनियुक्त अध्यापक

217. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला धौलपुर में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं में से कितने शिक्षण कार्य को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर किस-किस विभाग में किस कारण से कितने समय से कार्यरत हैं? अध्यापक/अध्यापिका का नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	माध्यमिक शिक्षा	प्रारम्भिक शिक्षा
प्रथम श्रेणी-व्याख्याता व समकक्ष	21361	-
द्वितीय श्रेणी- वरिष्ठ अध्यापक	62128	31334
तृतीय श्रेणी-अध्यापक	12583	231613

(2) जिला धौलपुर में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं में से शिक्षण कार्य को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों

(शिक्षा मंत्री)

का नामवार विवरण परिशिष्ट-'क' एवं प्रारम्भिक शिक्षा का परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दांतारामगढ़ (सीकर) के विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्र

218. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति दांतारामगढ़ के विद्यालयों में कितने विद्यार्थी मित्र कब से लगे हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में इनको मानदेय का भुगतान कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार इनको स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति दांतारामगढ़ के विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) गत 2 वर्षों में इनको किये गये मानदेय के भुगतान का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(3) जी नहीं। विद्यार्थी मित्र अनुबंध पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं । विद्यमान सेवा नियमों में इन्हें स्थाई किये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

219. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2012 को जिला भीलवाड़ा में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं व इनमें से कौन-कौन से पद भरे हुये हैं तथा कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार एवं पदवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री शिवजीराम मीणा)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2012 को जिला भीलवाड़ा में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर तथा कब से रिक्त है, का विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही उक्त रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आदर्श विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को देय सुविधाएं

220. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा आदर्श विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के कौन-कौन से जिलों में कितने-कितने आदर्श विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हां, तो कब तथा किस-किस जिले के किन -किन विद्यालयों की कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विद्यालयों में किस-किस प्रकार की सुविधाएं छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार की माडल स्कूल योजना के अन्तर्गत राज्य के 186 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लाक्स में एक-एक माडल स्कूल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) राज्य के 31 जिलों में माडल स्कूल खोले जाने प्रस्तावित हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) 82 ब्लाक में उक्त विद्यालय निर्माण हेतु 91.84 करोड़ की राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है, विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(4) उक्त विद्यालय में छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट 4 में दर्शाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूनियावास (जयपुर) में इतिहास विषय के अध्यापक का रिक्त पद

221. **श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूनियावास (गोनेर रोड़) जयपुर में इतिहास विषय होने के उपरान्त भी प्राध्यापक का पद आबंटित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय में प्राध्यापक (इतिहास) का पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में उक्त विद्यालय में इतिहास विषय पढाने की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रा.उ.मा.वि., लूनियावास (गोनेर रोड़) जयपुर में न तो इतिहास विषय स्वीकृत है तथा ना ही उक्त विषय के लिए प्रध्यापक का पद स्वीकृत है।

(2) निदेशालय के आदेश दिनांक 02.11.2002 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लूनियावास (सांगानेर) जयपुर में कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं हिन्दी ऐच्छिक विषय की स्वीकृति दी गयी थी। उक्त विद्यालय में इतिहास ऐच्छिक विषय की स्वीकृति नहीं दी गयी है। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जयपुर से ऐच्छिक विषय संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी।

(शिक्षा मंत्री)

(3) इतिहास विषय का अध्यापन प्रधानाचार्य, जो इतिहास में स्नातकोत्तर थे, द्वारा दिसम्बर, 2011 तक करवाया गया तथा वर्तमान में व्याख्याता (हिन्दी), जो कि इतिहास में स्नातक हैं, द्वारा अध्यापन करवाया जा रहा है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों की खरीद में अनियमितताएं

222. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) व **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भाषा व पुस्तकालय विभाग में पुस्तकों की खरीददारी के लिए कोई नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? संबंधित नियमों/परिपत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत तीन वर्षों में उक्त नियमों की पालना नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुस्तकों की खरीददारी में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में कब-कब किन-किन विक्रेताओं/प्रकाशकों से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि की पुस्तकें क्रय की गई? क्रय आदेशों एवं भुगतान संबंधी दस्तावेजों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि गत तीन वर्षो में राधाकृष्णन पुस्तकालय के लिए हुई खरीद में अनियमितता होने की जानकारी के उपरान्त भी कोई जांच नहीं कराई गई एवं न ही दोषी कार्मिकों को चिह्नित कर दण्डित किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नियमों एवं शर्तों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त नियमों की पालना की गई है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2010-11 में ही समतुल्य योजना अन्तर्गत पुस्तक क्रय की गई

(शिक्षा मंत्री)

हैं। पुस्तक क्रयादेशों एवं भुगतान के सम्बन्ध में निदेशक, आर.आर.आर.एल.एफ., कोलकाता को प्रेषित पत्रों की प्रतियां एवं लेवी मद योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में क्रय की गई पुस्तकों के क्रयादेशों एवं भुगतान सम्बन्धी पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं ।

(4) जी नहीं । इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

डेगाना में वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पद

223. **श्री अजय सिंह** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, विषयवार व्याख्याताओं व विषयवार वरिष्ठ अध्यापकों के कितने पद किस दिनांक से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र, डेगाना के उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, विषयवार व्याख्याताओं तथा विषयवार वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर के सुविधाओं से वंचित विद्यालय

224. **श्री मानसिंह** (परबतसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में संचालित कई राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय पेयजल, विद्युत, विद्यार्थियों के कमरों में विद्युत पंखों की सुविधा, शौचालय (छात्र-छात्राओं के लिये अलग-अलग) विद्यालय चारदीवारी व मिड-डे-मिल जैसी सुविधाओं से वंचित हैं? यदि हां, तो उक्त सुविधाओं से वंचित विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सुविधाओं से वंचित विद्यालयों में उक्त सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्युत, शौचालय व चारदीवारी सुविधा से वंचित विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं। पेयजल तथा मिड-डे-मील की सुविधा से कोई विद्यालय वंचित नहीं हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित माध्यमिक विद्यालय जो विद्युत सुविधा से वंचित है, का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं। पेयजल, विद्यालय की चारदीवारी, शौचालय (छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग) एवं मिड-डे-मील जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के लिए कमरों में विद्युत पंखे उपलब्ध करवाने हेतु विभाग के पास वित्तीय प्रावधान नहीं होने से विभाग द्वारा किसी भी विद्यालय को यह सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं। अपितु दानदाताओं/जनसहयोग से ही पंखे विद्यालयों में लगाये जाने के कारण इनका आंकलन किया जाने का औचित्य नहीं है।

(2) जी हां। भारत सरकार से अनुमोदन उपरान्त सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्षो की कार्य योजनाओं में अनुमोदित होने वाले लक्ष्यों की सीमा में आवश्यक सुविधाओं से वंचित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती हैं। पृथक शौचालय से वंचित विद्यालयों में शौचालय सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अन्तर्गत स्वीकृति उपरान्त निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है। भारत सरकार में आंतरिक विद्युतीकरण का अनुमोदित लक्ष्यों की सीमा में प्रावधान है। परन्तु विद्युत कनेक्शन कराये जाने का प्रावधान नहीं हैं। अतः विद्युत कनेक्शन स्थानीय समुदाय के सहयोग से अथवा ऊर्जा विभाग की योजना में कराया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए कमरों में विद्युत पंखे उपलब्ध करवाने हेतु विभाग के पास वित्तीय प्रावधान नहीं होने से विभाग द्वारा किसी भी विद्यालय को यह सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। अपितु दानदाताओं/जनसहयोग से ही पंखे विद्यालयों में लगाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले के भवन रहित विद्यालय

225. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(1) जिला पाली में कौन-कौन से विद्यालय भवन रहित हैं एवं इन विद्यालयों में कितनी-कितनी छात्र संख्या है और इनमें कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं?

(2) उक्त में से कौन-कौन सा विद्यालय कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से अभी तक भवन विहिन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन भवन रहित विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से किस-किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त जिले में कौन-कौन से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही भवन में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ-साथ चल रहे हैं?

(5) सरकार द्वारा किस-किस भवन रहित विद्यालयों हेतु कब-तक भवन निर्माण करवा दिया जायेगा एवं सम्मिलित चल रहे प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु अलग-अलग विद्यालय भवन कितनी-कितनी अवधि में बना दिया जावेगा?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला पाली के भवन रहित विद्यालयों, उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कोई भी विद्यालय भवन रहित नहीं है।

(2) उक्त भवन रहित विद्यालय कब से एवं किन-किन कारणों से भवन विहिन हैं, का विवरण परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 09 एवं 10 में अंकित है।

(3) उक्त विद्यालयों को भूमि उपलब्ध करवाने हेतु लम्बित प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(4) पाली जिले के ऐसे राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में संचालित हैं, का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित हैं।

(5) उक्त विद्यालयों के लिये भूमि उपलब्ध होने तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय प्रावधानानुसार भवन निर्माण करवाये जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वर्ष 1998 के सफल तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गठित समिति

226. **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 के राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को नियुक्ति देने हेतु सरकार द्वारा किसी समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब व किस समिति का और उक्त समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो कब? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार वर्ष 1998 के नियुक्ति से वंचित शिक्षकों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 के नियुक्ति से वंचित शिक्षकों में से ही कुछ शिक्षकों को नियम विरुद्ध अवैध तरीके से या नियमों में शिथिलता प्रदान कर नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों एवं नियुक्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक : 16/2004 दिनांक 27.07.2004 की अनुपालना में आज्ञा क्रमांक : प.1(5)शिक्षा-1/प्राशि/2003 पार्ट-11 जयपुर दिनांक 28.02.2004 के द्वारा राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	सदस्य	
1	शासन सचिव, प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा	अध्यक्ष
2	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	सदस्य
3	शासन सचिव, विधि विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
4	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
5	विशिष्ठ शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य सचिव

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दिनांक 30.11.2004 को प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं । समिति द्वारा रिपोर्ट में सभी कानूनी एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं पर विश्लेषण के बाद सर्वसम्मत मत प्रस्तुत किया कि वर्ष 1998-99 की वरियता के आधार पर अब किसी अभ्यर्थी को शिक्षक पद पर नियुक्ति दिया जाना विधि-सम्मत एवं तर्क संगत नहीं है ।

(4) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बारां द्वारा दो अभ्यर्थियों को नियम विरुद्ध अवैध तरीके से तथा निर्देशों की अवहेलना करते हुए दिनांक 30.06.2009 को नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे, जिन्हें दिनांक 03.08.2011 के द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया है । नियुक्ति आदेशों की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट "ख" एवं "ग" पर तथा निरस्ती आदेश की प्रति परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है ।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

वर्ष 2008 के बी. टेक प्रथम वर्ष परीक्षा परिणामों के लम्बित पुनर्मूल्यांकन प्रकरण

227. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 में बी. टेक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का परिक्षा परिणाम वर्ष 2009 में घोषित हुआ था? यदि हां, तो उस परिणाम में पुनर्मूल्यांकन हेतु कितने छात्रों ने आवेदन किया तथा कितने छात्रों का पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित कर दिया गया। संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवेदित छात्रों में से कुछ छात्रों का पुनर्मूल्यांकन का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया जबकि छात्र आठवें सेमेस्टर में प्रवेश कर गये? यदि हां, तो किस-किस कॉलेज के किस-किस छात्र का परिणाम घोषित नहीं किया गया। कालेज व छात्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात् भी पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं होने के लिये कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार ऐसे दोषी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) अब सरकार उन वंचित छात्रों का पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम कब तक घोषित कर देगी?

उत्तर

(1) वर्ष 2008 में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों की परीक्षा मार्च 2009 में सम्पन्न हुई, जिसका परिणाम 15-09-2009 को घोषित किया गया। इस परिणाम में 8365 छात्रों द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु वैध आवेदन इलैक्ट्रोनिक डाटा के रूप में विभिन्न महाविद्यालयों से प्राप्त हुए। इन सभी 8365 छात्रों का परिणाम घोषित किया जा चुका है।

(2) जी नहीं।

(3) कोई परीक्षा परिणाम लम्बित नहीं है।

(4) कोई परीक्षा परिणाम लम्बित नहीं है।

बाड़मेर जिले के राजकीय पोलिटैक्निक विद्यालय में रिक्त पद

228. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर में वर्तमान में कितने सरकारी एवं गैर सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय पोलिटैक्निक विद्यालय बाड़मेर में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने पद रिक्त है?

(3) क्या सरकार राजकीय पोलिटैक्निक विद्यालय बाड़मेर के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर जिले में एक सरकारी एवं पॉच गैर सरकारी तकनीकी पोलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त केवल 05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यथा बाड़मेर, बालोतरा, सिवाना, शिव एवं बाड़मेर संचालित है।

(2) बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय पोलिटैक्निक विद्यालय बाड़मेर में शिक्षकों के 36 पद स्वीकृत हैं एवं 25 शिक्षकों के पद रिक्त हैं।

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-1

Name of District : Barmer

Session : 2011-12

LIST OF DIPLOMA IN ENGINEERING & TECHNOLOGY COLLEGES :

S. No.	Name of College	College Intake	District Intake
	(a) Govt. Polytechnic College		
1.	Govt. Polytechnic College, Barmer	100	100
	(b) Pvt. Polytechnic College		1380
1.	Jai Narayan Vyas School of Pharmacy & Diploma Engg. NH-15, Jalipa Road, Barmer	240	
2.	Mahesh Instiute of Professional Studies, Barmer	300	
3.	Shri Hiralal Yogi Polytechnic College, Nakoda Ji Teerth Road, Himada, jasol, The.- Pachpadra, Dist.-Barmer	300	
4.	Indain Institute of Polytechnic, Asada, Balotra, Barmer	240	
5.	Dr. D.N. Mutha Inst. of Diploma Engg., Manjiwala, Siwana Road, Balotra, (Barmer) (PPP Mode)	300	
		Grand Total	**1480**

बीकानेर अभियांत्रिकी महाविद्यालय का विशेष अंकेक्षण

229. **श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर में वर्ष 2001 से 2004 के कार्यकाल का विशेष अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया गया था? यदि हां, तो उक्त अंकेक्षण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विशेष अंकेक्षण की पालना हुई है? यदि नहीं, तो इतने लम्बे समय तक पालना नहीं होने के क्या कारण रहे तथा इसके लिए कौन दोषी है?

उत्तर

(1) जी हां। अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर में वर्ष 2001 से 2004 के कार्यकाल की विशेष अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की विशेष अंकेक्षण का ब्यौरा परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विशेष अंकेक्षण की अनुपालना रिपोर्ट महाविद्यालय द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग बीकानेर एवं जयपुर स्थित कार्यालय को प्रेषित की गई, जिसमें महाविद्यालय पर लागू एम.आर.ई.सी., जयपुर के नियमों के बारे में सूचित किया जा चुका है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

अंकेक्षण विभाग द्वारा कुछ पैराज निरस्त करते हुये शेष पैराज को महाविद्यालय की शाषी परिषद की बैठक में विचारार्थ रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय तकनीकी/अभियांत्रिकी महाविद्यालयों हेतु चयनित प्राचार्य/प्रोफेसर्स

230. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के राजकीय तकनीकी/अभियांत्रिकी महाविद्यालयों यथा बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, झालावाड़ के शैक्षणिक पदों के साक्षात्कार के लिए गठित चयन बोर्ड का अध्यक्ष विभाग का प्रमुख शासन सचिव होता है? यदि हां, तो ऐसे निर्णय/आदेशों की प्रति तथा शाषी परिषद में हुए निर्णय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चयन बोर्ड की अध्यक्षता विभागीय प्रमुख शासन सचिव द्वारा सभी पदों यथा प्राचार्य, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ समय पहले चयन किया गया है? यदि हां, तो प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में किए गए चयन की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य से अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों यथा बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, झालावाड़ के कुछ शैक्षणिक पदों के साक्षात्कार के लिए गठित चयन समिति में प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा अध्यक्ष

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

होते हैं। शाषी/कार्य परिषद में हुये निर्णयों की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में किये गये चयन सम्बन्धी सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लम्बित पेंशन प्रकरण

231. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत किये जाने की योजनाएं पात्रता आदि के नियम, मानदण्ड क्या है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर के विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में वर्तमान में कितने लोगों को किस-किस योजना में पेंशन स्वीकृत की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक स्वीकृत पेंशन प्रकरणों में ऐसे कितने प्रकरण है, जिनको दो माह से अधिक समय से पेंशन नहीं मिली है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त पेंशनधारियों को बैंक के खाते के माध्यम से पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार विकलांगों को पेंशन दिये जाने में उसके माता-पिता अथवा भाई के जिन्दा होने पर पेंशन देय नहीं होने के नियमों में शिथिलता प्रदान करने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य वृद्धावस्था, विधवा पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य विकलांग पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत एवं 40 से 59 वर्ष आयु की विधवाओं को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत तथा 18 से 59 वर्ष आयु के वे व्यक्ति जो बहुनि:शक्तता या गुरूत्तर नि:शक्तता से ग्रसित हैं, को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन देय है। आदेशों की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-3, 4 एव 5 पर संलग्न है।

(2) जिला सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का योजनावार, ग्रामवार सम्पूर्ण पते व राशि सहित विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(3) भौतिक सत्यापन हेतु उप कोषालय में उपस्थित नहीं होने के कारण 102 पेंशनरों का दो माह से पेंशन भुगतान बकाया है।

(4) पेंशनरों की सुविधा की दृष्टि से पेंशन का भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस खाते तथा मनीआर्डर के माध्यम से किया जाता है। पेंशनर, पेंशन का भुगतान बैंक बचत खाते के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

(5) राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के अन्तर्गत नि:शक्त व्यक्ति की स्वयं की एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 14,000/- से कम एवं शहरी क्षेत्र में रुपये 16,000/- से कम होने पर पेंशन देय है।

परिवार की परिभाषा में भाई सम्मिलित नहीं है। परिवार की परिभाषा से माता-पिता को हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-232

(स्थगित)

पाली जिला परिषद द्वारा कार्यशाला निर्माण हेतु जारी स्वीकृतियां

233. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला परिषद, पाली की पंचायत समितियों में वर्ष 2010 से जनवरी, 2012 तक कार्यशाला निर्माण हेतु कितनी स्वीकृतियां जारी की गईं? व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पते का पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) उक्त में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्या पूर्ण भुगतान किया जा चुका है अथवा शेष है? व्यक्तिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितनी कार्यशालाएं पूर्ण हो गईं एवं कितनी अपूर्ण हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कार्यशाला निर्माण में नियमों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जिला परिषद्, पाली की सभी पंचायत समितियों में वर्ष 2010 से अब तक 758 कार्यशाला निर्माण हेतु स्वीकृतियां जारी की गई। व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पते का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) व्यक्तिवार भुगतान राशि, भुगतान किए जाने योग्य शेष राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) 454 कार्यशालाएं पूर्ण हो गई हैं एवं 304 कार्यशालाएं अपूर्ण हैं। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। उक्त कार्यशाला निर्माण में नियमों का पूर्ण पालन किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना में नवीन छात्रावास की स्वीकृति

234. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत मुख्यालय कुण्डल विधान सभा क्षेत्र सिवाना पर छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत छात्रावास को प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो उसमें कितने छात्रों को प्रवेशित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास कुछ समय बाद बंद कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कानसिंह कोटडी)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत छात्रावास को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो कब व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर, कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत मुख्यालय कुण्डल विधान सभा क्षेत्र सिवाना पर विभाग के आदेश क्रमांक एफ.7(2)राजकीय छात्रावास/सकवि/98/30331 दिनांक 13.06.01 के द्वारा ग्राम कुण्डल में राजकीय छात्रावास स्वीकृत किया गया था। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त स्वीकृत छात्रावास को वर्ष 2001-02 में प्रारम्भ कर दिया गया था जिसमें केवल 10 छात्रों को प्रवेश दिया गया। उसके पश्चात् 2002-03 में केवल 8 छात्रों को प्रवेश दिया गया। वर्ष 2003-04 में छात्र उपलब्ध नहीं हुए।

(3) जी हां। उक्त छात्रावास में स्वीकृत संख्या के विरुद्ध प्रवेश हेतु पर्याप्त संख्या में छात्र उपलब्ध नहीं होने के कारण विभाग द्वारा आदेश दिनांक 31.08.04 के द्वारा उक्त छात्रावास को अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। उक्त छात्रावास को आदेश क्रमांक 35584 दिनांक 05.08.05 के द्वारा ग्राम कुण्डल से ग्राम मुठली पंचायत समिति सिवाना जिला बाड़मेर में स्थानान्तरित किया गया था। किन्तु मुठली में पर्याप्त संख्या न होने के कारण उक्त छात्रावास को आदेश क्रमांक 64738 दिनांक 25.10.07 के द्वारा सकतपुर जिला बारां में स्थानान्तरित कर दिया गया है। जो अभी बारां में ही संचालित है। आदेश दिनांक 05.08.05 एवं 25.10.07 परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(5) विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (अनुसूचित जाति) जिसकी स्वीकृत क्षमता 100 छात्रों की है, वर्ष 1961-62 से लगातार संचालित है। जिसमें इस शैक्षणिक सत्र 2011-12 में 100 छात्रों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री की बजट

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

घोषणा वर्ष 2010-11 के अनुरूप तहसील मुख्यालय, जहां पर कोई छात्रावास संचालित नहीं है, क्रमिक रूप से 11-11 छात्रावास प्रतिवर्ष खोले जा रहे हैं अतः सिवाना विधान सभा क्षेत्र में नया छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बहरोड़ में पालनहार योजानान्तर्गत लाभान्वित परिवार

235. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना अन्तर्गत कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना में विधवा सन्तानों की संख्या को एक से बढ़ाकर सभी सन्तान अथवा कम से कम दो सन्तान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना अन्तर्गत बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के स्तर पर वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

रतनगढ़ में सामान्य वर्ग के लम्बित वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण

236. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वृद्धावस्था, विकलांग व विधवाओं हेतु पेंशन स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2009 से 2011 तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री राजकुमार रिणवां)

(2) उक्त अवधि में प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत व कितने निरस्त किये गये ओर शेष रहे आवेदकों को अब कब तक पेंशन स्वीकृत कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सामान्य वर्ग में 65 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धों को पेंशन स्वीकृत नहीं की जा रही है? क्या सरकार 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्धों को पेंशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत निराश्रित को पात्रता अनुसार वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन स्वीकृत की जाती है। विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक विधवा पेंशन के 1177, वृद्धावस्था पेंशन के 1369 एवं विकलांग पेंशन के 368 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(2) उक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों में से स्वीकृत एवं निरस्त किये गये आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	अस्वीकृत आवेदन पत्र	शेष प्रकरण
विधवा	1177	1161	16	0
वृद्धावस्था	1369	1344	25	0
विकलांग	368	354	14	0

(3) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरूष को पेंशन देय है।

भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन देय है।

जोधपुर जिले के आरक्षित वर्ग के छात्रों के बकाया छात्रवृत्ति प्रकरण

237. **श्रीमती कमसा मेघवाल** (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

(1) जिला जोधपुर में संचालित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग/अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2011-12 में कितनी छात्रवृत्ति दी गई? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये तथा उनमें से कितनों को छात्रवृत्ति दी गई व कितनों को देना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में संचालित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को वर्ष 2011-12 में प्रदत्त छात्रवृत्ति राशि का वर्गवार विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	वर्ग	वितरित राशि
1.	विकलांग	00.00
2.	अनुसूचित जाति	3522975.00
3.	अनुसूचित जन जाति	396690.00
4.	अन्य पिछडा वर्ग	90000.00

जिला जोधपुर में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्रा को वितरीत की गई छात्रवृत्ति के विवरण का परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(2) उक्त जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कुल 10672 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसमें से 10221 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई तथा 451 आवेदन शेष रहे हैं ।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र एवं वितरित की गई छात्रवृत्ति तथा शेष के विवरण का परिशिष्ट-"ख" संलग्न हैं ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के श्रद्धा भवन, वृद्धाश्रम में व्याप्त अनियमितताएं

238. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कोटा जिलाधिकारी द्वारा वृद्धाश्रम (श्रद्धा भवन) का समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों से भी अधिक समय से करीब 20 (बीस) विद्यार्थी 1500 रु. प्रति विद्यार्थी शुल्क देकर निवास कर रहे हैं? यदि हां, तो उक्त नियम विरुद्ध वृद्धाश्रम संचालक के विरुद्ध जिला कलक्टर द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि समाज कल्याण विभाग, कोटा के जिलाधिकारी द्वारा वृद्धाश्रम, (श्रद्धा भवन) का समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता है। श्रद्धा भवन में संचालित वृद्धाश्रम श्री करनी नगर विकास समिति, कोटा द्वारा संचालित है। संस्था वृद्धाश्रम के संचालन हेतु राज्य सरकर/भारत सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं कर रही है। इस कारण समाज कल्याण विभाग के जिलाधिकारी द्वारा वृद्धाश्रम का निरीक्षण नहीं किया जाता है।

(2) इस सम्बन्ध में जिला बालक अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, कोटा से जांच कराई गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वृद्धाश्रम को करनी नगर विकास समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। मौके पर 27 वृद्धजन तथा 12 कोचिंग विद्यार्थी निवास करते पाये गये। ये कोचिंग विद्यार्थी इस वृद्धाश्रम में माह जुलाई, 2011 से निवास कर रहे हैं तथा 1250/- रुपया प्रतिमाह वृद्धाश्रम को किराया अदा कर रहे हैं। उन्हें भोजन की सुविधा वृद्धाश्रम से उपलब्ध करवाई जाती है। बाहर से टिफिन मंगवाये जाते हैं। 27 आवासरत वृद्धों में से 6 वृद्ध जनों द्वारा 1500/- रुपया प्रति माह एवं 2 वृद्धजनों द्वारा 1250/- रुपया प्रतिमाह वृद्धाश्रम का किराया दिया जा रहा है। शेष 19 वृद्धजन निःशुल्क निवास कर रहे हैं। संस्था संचालक श्री महावीर भण्डारी द्वारा बताया गया है कि गत वर्ष 22 कोचिंग विद्यार्थी आवासीय थे तथा वर्तमान में 12 कोचिंग विद्यार्थी किराये से निवास कर रहे हैं तथा नियम विरुद्ध वृद्धाश्रम संचालन का प्रकरण सामने आने पर उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

अजमेर जिले के छात्रावासों में देय सुविधाएं

239. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अनिता भदेल)

(1) राजकीय अम्बेडकर (बालक) छात्रावास सुभाष नगर, अजमेर, राजकीय सावित्री बाई फूले (बालिका) छात्रावास, कोटड़ा, अजमेर महाविद्यालय स्तरीय (कन्या) छात्रावास, अजमेर में कुल बालक, बालिकाओं की स्वीकृत संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में स्वीकृत संख्या के विपरीत कुल कितने बालक/बालिका रह रहे हैं? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रावासों में बालक/बालिकाओं के भोजन, वस्त्र, तेल, साबुन और धुलाई, पानी, बिजली, रसोई गैस एवं समाचार पत्र-पत्रिकाओं आदि कार्यों हेतु कितनी राशि स्वीकृत है व प्रति छात्र कितनी राशि व्यय होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक, वार्डन एवं चौकीदार के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त छात्रावासों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा छात्रों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के पश्चात् उनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (अनुसूचित जाति) सुभाष नगर, अजमेर की स्वीकृत क्षमता 25, राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास कोटड़ा, अजमेर की स्वीकृत क्षमता 35, एवं राजकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास अजमेर की स्वीकृत क्षमता 75 बालिकाओं की है।

(2) स्वीकृत क्षमता के विपरीत कुल 86 बालक/बालिकाएं उपरोक्त छात्रावासों में रह रहे हैं। पिछले तीन वर्षों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) उक्त छात्रावासों में बालक-बालिकाओं के भोजन, नाश्ता, विशेष

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

भोजन, ईंधन आदि पर 1000/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह एवं स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते, मौजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी आदि के लिए 125/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह, सिर पर लगाने का तेल, नहाने व कपड़े धोने का साबुन आदि हेतु 30/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह पानी-बिजली हेतु 60/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह एवं समाचार पत्र-पत्रिकाएं आदि के लिए 10/- रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है तदानुसार ही राशि व्यय की जाती है।

(4) जी नहीं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2011-12 की घोषणा के अनुरूप उपरोक्त सुविधाओं हेतु 1000/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से बढ़ाकर दिनांक 01.07.11 से 1250/- रुपये प्रति माह किया गया है। वर्तमान में उक्त राशि को बढ़ाये जाने का कोई विचार नहीं है।

(5) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षकों के 3 पद एवं रसोइया का एक पद व चौकीदार का एक पद स्वीकृत है। जिसमें से एक छात्रावास अधीक्षक का पद रिक्त है तथा 5 रसोइये एवं 2 चौकीदार संविदा पर कार्यरत है अतः रसोईया एवं चौकीदारों के कोई पद रिक्त नहीं हैं। पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(6) जी, हां। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सुभाष नगर अजमेर एवं राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास कोटड़ा अजमेर में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु 5-5 कम्प्यूटर वर्ष 2008-09 में उपलब्ध करवाये गये हैं तथा महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास अजमेर को कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।

(7) जी नहीं। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सुभाष नगर, अजमेर में वर्ष 2008-09 में 18 छात्रों ने, वर्ष 2009-10 में 24 छात्रों ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा राजकीय सावित्रीबाई फुले छात्रावास कोटड़ा, अजमेर में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में 12-12 छात्राओं ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रशिक्षक के माध्यम से प्राप्त किया है।

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	नाम छात्रावास	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		स्वीकृत संख्या	प्रवेशित संख्या	स्वीकृत संख्या	प्रवेशित संख्या	स्वीकृत संख्या	प्रवेशित संख्या	स्वीकृत संख्या	प्रवेशित संख्या
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सुभाष नगर, अजमेर	40	18	40	25	40	40	25	16
2	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास कोटड़ा, अजमेर	35	28	35	32	35	31	35	25
3	राजकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास कोटड़ा, अजमेर	75	37	75	33	75	11	75	45

परिशिष्ट-ब

क्र.सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत पदों की सूचना			रिक्त पदों की सूचना			विशेष
		छात्रावास अधीक्षक	चौकीदार	रसोइया	छात्रावास अधीक्षक	चौकीदार	रसोइया	
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सुभाष नगर, अजमेर	1	1	0	1	1	0	एक रसोइया संविदा पर कार्यरत तथा पूर्व छात्रावास अधीक्षक श्री बजरंग लाल स्वामी को निलम्बित कर दिया गया है। इसलिए छात्रावास अधीक्षक का कार्य अन्य छात्रावास अधीक्षक के पास है।

क्र.सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत पदों की सूचना			रिक्त पदों की सूचना			विशेष
		छात्रावास अधीक्षक	चौकीदार	रसोइया	छात्रावास अधीक्षक	चौकीदार	रसोइया	
2	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास कोटड़ा, अजमेर	1	0	1	0	0	1	एक चौकीदार एवं दो रसोइया संविदा पर
3	राजकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास कोटड़ा, अजमेर	1	0	0	0	0	0	एक चौकीदार एवं दो रसोइया संविदा पर

चौमूं में बी.पी.एल परिवार की लड़कियों के विवाह हेतु देय अनुदान राशि

240. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवार की लड़की की शादी पर अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2009 से फरवरी, 2012 तक तहसील चौमूं के बी.पी.एल. परिवार की किन-किन लड़कियों को कब व कितनी राशि का भुगतान किया गया? दिनांक वार, लड़की व पिता का नाम, पता, राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत एक वर्ष से उक्त योजनान्तर्गत एक भी लड़की को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों तथा अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

(3) उक्त योजना में उक्त तहसील में अब तक किस-किस बी.पी.एल. परिवार को भुगतान किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवार की लड़कियों को शादी पर अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। 1 जनवरी, 2009 से अब तक चौमू तहसील के बी.पी.एल. परिवार की 85 लड़कियों को लाभान्वित किया गया है जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पिछले एक वर्ष से उक्त योजनान्तर्गत चौमू तहसील में 71 लड़कियों को लाभान्वित किया गया है।

(3) उक्त योजना में जयपुर ग्रामीण कार्यालय द्वारा तीन बी.पी.एल. परिवारों को सहायता राशि का भुगतान किया जाना शेष है। जिनको शीघ्र भुगतान किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा सम्भाग के छात्रावासों में रिक्त पद

241. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न छात्रावासों में लम्बे समय से छात्रावास अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किन-किन में कब-कब से? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2012-13 में उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन कोटा सम्भाग में कितने छात्रावास संचालित हैं तथा इन छात्रावासों में कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? छात्रावासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को क्या-क्या सुविधायें प्रदान करने का प्रावधान है तथा इसके लिये गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में उपलब्ध करवाई गई है और उसमें से कितनी व्यय की गई? छात्रावासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मेस व अन्य सुविधायें निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप उपलब्ध नहीं होने की समय-समय पर शिकायतें मिलती हैं? यदि हां, तो उनके निराकरण के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में विभिन्न छात्रावासों में लम्बे समय से छात्रावास अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा भर्ती हेतु वर्ष 2008 में कार्यवाही की गई। अन्य पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (रसोइया/चौकीदार) के सेवानिवृति से रिक्त हैं, जिन्हें भरने हेतु कार्मिक एवं वित्त विभाग से सहमति चाही गई है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2012-13 में उक्त पदों को भरा जाना है।

(3) विभाग द्वारा कोटा संभाग में 89 राजकीय एवं 5 अनुदानित कुल 94 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनमें 3523 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। छात्रावासवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(4) उक्त छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु भोजन, विशेष भोजन, ईंधन, आदि मैस भत्ते में एवं स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते-मौजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी, सिर पर लगाने का तेल व नहाने व कपड़े धोने का साबुन, बाल कटिंग (चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस) आदि की धुलाई, बिजली-पानी, पत्र-पत्रिकाएं आदि अन्य सुविधाओं के रूप में उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है तथा छात्रावासवार उपलब्ध करवाई गई राशि एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं। छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं को मैस व अन्य सुविधायें निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुशलगढ़ की सहकारी समितियों का पुनर्गठन

242. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितनी सहकारी समिति (लेम्पस) कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया था? यदि हां, तो उक्त में क्या मानदण्ड रखा?

(3) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों का दुबारा गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में अधिक आबादी वाली सहकारी समितियां कार्यरत हैं? क्या सरकार उक्त सहकारी समितियों का बंटवारा करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की हिम्मतगढ़, कसारनाडी, मोहकमपुरा, कुशलापाडा व साम्बेसरा सहकारी समितियों में चार-चार पंचायतें होने से लेम्पस की अव्यवस्था होने से इनकी छोटी ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में 5673 पैक्स/लैम्पस हैं । जिलेवार संख्या परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(2) 1 अप्रैल, 2010 से 31.3.2011 तक 191 पैक्स/लैम्पस का गठन

(सहकारिता मंत्री)

किया गया । वर्तमान में नयी पैक्स/लैम्पस के गठन हेतु निर्धारित मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है ।

(3) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.09.2011 से निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति होने पर पैक्स/लैम्पस का गठन किया जाता है ।

(4) पैक्स/लैम्पस के गठन हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति होने पर प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर पैक्स/लैम्पस का गठन किया जाता है।

(5) पैक्स/लैम्पस के गठन हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति होने पर प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर पैक्स/लैम्पस का गठन किया जाता है।

परिशिष्ट-1

राज्य में स्थापित पैक्स एवं लैम्पस का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	जिले में स्थापित कुल पैक्स/लैम्पस की संख्या	कुल पैक्स/लैम्पस की संख्या में से 1.4.10 से 31.3.2011 तक स्थापित (गठित) पैक्स/लैम्पस की संख्या
1	2	3	4
1	अजमेर	166	0
2	अलवर	299	0
3	बांसवाड़ा	133	23
4	बारां	150	5
5	बाड़मेर	246	15
6	भरतपुर	267	0
7	धोलपुर	93	0
8	भीलवाड़ा	281	0
9	बीकानेर	194	0
10	बून्दी	123	0

1	2	3	4
11	चित्तौड़गढ़	157	0
12	प्रतापगढ़	79	23
13	चूरू	159	0
14	दौसा	129	0
15	डूंगरपुर	101	27
16	हनुमानगढ़	190	0
17	जयपुर	282	0
18	जैसलमेर	84	0
19	जालौर	157	1
20	झालावाड़	150	0
21	झुन्झुनूं	161	0
22	जोधपुर	224	12
23	कोटा	137	0
24	नागौर	284	0
25	पाली	213	0
26	स. माधोपुर	136	0
27	करौली	106	0
28	सीकर	186	15
29	सिरोही	68	5
30	श्रीगंगानगर	296	0
31	टोंक	173	14
32	उदयपुर	168	51
33	राजसमंद	81	0
	योग	**5673**	**191**

परिशिष्ट-2

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांक—पं. 82(1)सविरा/योजना-द्वितीय/2008/पार्ट द्वितीय दिनांक 26/09/2011

: आदेश :

मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या डी.124/मं.म./2011 दिनांक 21.9.11 के अनुसरण में मंत्रिमंडल की आज्ञा 183/2008 दिनांक 6.10.2008 तथा मंत्रिमण्डल की आज्ञा 113/2009 दिनांक 30 नवम्बर/1 दिसम्बर 2009 का अतिक्रमण कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के निम्नांकित नये मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :-

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र कम से कम एक सम्पूर्ण ग्राम पंचायत होगा।
2. नव गठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 500 होगी।
3. न्यूनतम हिस्सा राशि रुपये 5.00 लाख होगी।
4. सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानता 1.00 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि 75000.00 रुपये होगी।
5. किसी भी एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं होगी।
6. नई समितियों में फर्नीचर व फिक्सचर्स हेतु 50,000/- रुपये फैक्स विकास कोष से दिया जायेगा।

उपरोक्त मानदण्एडों के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार अधिकारियों की समिति विचार कर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर को प्रेषित करेगी :

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	प्रबंध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	सदस्य
3.	मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	सदस्य सचिव

इन समितियों के सृजन एवं संचालन के लिए राज्य सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाऐगी।

रजिस्ट्रार

विधान सभा नगर धौलाई (जयपुर) के आवासों का पुनर्सीमांकन

243. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अवसायक द्वारा विधान सभा नगर धौलाई विकास समिति द्वारा संशोधित मानचित्र को जयपुर विकास प्राधिकरण में अनुमोदन के लिए भेजा गया था? यदि हां, तो विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सभी मानचित्रों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा नगर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र के संबंध में भूखण्डधारियों से कोई आपत्ति प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कितनी? सूची सदन की मेज पर रखे व नहीं, तो उसका अनुमोदन क्यों नहीं किया गया?

(3) क्या विधान सभा नगर विकास समिति द्वारा अवसायक उपरजिस्ट्रार को प्रस्तुत संशोधित मानचित्र को रोककर अपनी मर्जी से इसका संशोधित मानचित्र तैयार कर भेजा गया है? यदि हां, तो क्यों व विकास समिति का नक्शा क्यों नहीं भेजा गया?

(4) क्या अवसायक द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र पर भूखण्ड-धारियों से आपत्ति मांगी गई थी? यदि हां, तो प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या अवसायक को किसी योजना का संशोधित मानचित्र व सूची तैयार कर बिना भूखण्डधारियों की सहमति एवं उनके भूखण्डों की साइज कम करने/बढ़ाने/स्थान परिवर्तन करने का अधिकार है? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो अवसायक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। विकास समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों की प्रतियां **परिशिष्ट "1"(1)(2)(3)** पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने विधान सभा नगर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र को अनुमोदन योग्य नहीं पाया।

(सहकारिता मंत्री)

(3) विधान सभा नगर विकास समिति द्वारा अवसायक को प्रस्तुत अंतिम संशोधित मानचित्र पी.टी. सर्वे के अनुरूप नहीं होने एवं अध्यक्ष विकास समिति के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण अवसायक द्वारा संशोधित मानचित्र पी.टी. सर्वे के अनुसार तैयार करवाकर जयपुर विकास प्राधिकरण को उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) के माध्यम से प्रस्तुत किया।

(4) जी नहीं परन्तु समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत मानचित्र पर जेडीए द्वारा बताये गये संशोधनों पर चर्चा एवं निर्णय हेतु यह मामला समिति की आम सभा, जो दिनांक 10.10.2009 को आयोजित की गई थी, में रखा गया था।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना की सेक्टर रोड प्लान के अनुसार संशोधित करने के लिए दिए गए आदेश के क्रम में योजना के आबंटन पत्र की शर्त संख्या-3 के अनुसार मानचित्र संशोधित कर उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जयपुर(शहर) के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण को भिजवाया गया। जिसकी प्रतियां परिशिष्ट-"2"(1)(2)(3) एवं परिशिष्ट-"3" पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जगतपुरा, जयपुर की गीता विहार आवासीय योजना में आबंटित भू-खण्ड

244. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भारत भवन सहकारी समिति, जयपुर द्वारा दिनांक 21-10-99 तक कितनी योजनाएं सृजित की गईं तथा इसके बाद कितनी योजनाएं सृजित की गईं?विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गीता विहार जगतपुरा योजना हेतु कुल कितनी भूमि क्रय की गई तथा उसमें से कितनी भूमि सदस्यों को आबंटित की गई? उक्त योजना में 160 फीट सड़क निकलने से समिति की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया तथा मुआवजा राशि कितनी दी गई?

(श्री बाबूलाल बैरवा)

(3) क्या यह सही है कि अधिग्रहित की गई भूमि को अनुपातिक रूप से कम कर शेष भूमि सभी सदस्यों को दी गई? यदि हां, तो उक्त भूमि का 160 फीट भूमि अधिग्रहित करने से पूर्व एवं बाद की तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत सूची के अनुसार बाद में कितने भूखण्डधारियों को उसी स्कीम एवं ब्लाक में प्लाट आबंटित नहीं किये गये? क्या समिति के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? गीता विहार-सी में वर्तमान में कितने भूखण्डधारियों के नाम जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत सूची में नहीं हैं?

उत्तर

(1) भारत भवन सहकारी समिति लि. द्वारा दिनांक 21.10.1999 तक कुल 63 योजनाऐं सृजित की गई। दिनांक 21.10.1999 के पश्चात् कोई योजना सृजित नहीं की गई।

(2) गीता विहार योजना हेतु कुल 2.60 हैक्टर भूमि अर्थात 31460 वर्ग गज भूमि क्रय की गई, जिसमें से सुविधा क्षेत्र/सड़क छोड़ने के पश्चात 25207 वर्ग गज भूमि सदस्यों को आबंटित की गई थी। जिसमें से 9372 वर्गगज भूमि पर 160/60 फीट सड़क बनाई गई। समिति को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क, प्रयोजन हेतु ली गई भूमि का कोई मुआवजा नहीं मिला है।

(3) जी नहीं। काश्तकारों द्वारा लगभग 4500 वर्गगज भूमि पर कब्जा कर रखा है। विभिन्न न्यायालयों में काश्तकारों द्वारा वाद दायर कर रखें हैं, जो कि विचाराधीन हैं। न्यायालय के निर्णयानुसार सदस्यों को भू खण्ड आबंटित किये जाने की कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(4) इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत सूची के अनुसार भूखण्डधारियों को भू खण्ड आवंटित किये जा सकेंगे।

देसूरी (पाली) ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रकरण

245. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 के दौरान ग्राम सेवा सहकारी समिति देसूरी जिला पाली में चुनाव की निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव किया गया? यदि हां, तो किसका एवं किस तिथि को किन-किन चुनाव अधिकारियों की देखरेख में चुनाव कराये गये? उक्त चुनाव में तिथिवार अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चुनाव में अपनाई गई प्रक्रिया दोषपूर्ण रही?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण "उप रजिस्टार सहकारिता पाली'' ने राजनीति तरीके से देसूरी का चुनाव अधिकारी बदल दिया तथा हारने वाले पक्षों के साथ मिलकर निर्विरोध चुने गये अध्यक्ष के चुनाव को अवैध घोषित कर निराधार अपील स्वीकार कर निर्वाचित पक्ष को बिना सुने ही एक तरफा कार्यवाही करते हुये मात्र अपने स्तर पर ही कार्यवाही कर निर्विरोध अध्यक्ष के निर्वाचन को अवैध करार दे दिया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त चुनाव के विरोध में कुछ सदस्यों ने चुनाव अधिकारी के समक्ष वाद पेश किये? यदि हां, तो क्या-क्या एवं किस आधार पर तथा किस प्रक्रिया के तहत? प्रस्तावित मतदाता सूची प्रकाशन से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव तक की तिथि समयवार अपनाई गई प्रक्रिया मय दस्तावेजों के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराते हुये हटाये गये निर्विरोध अध्यक्ष को पुनः बहाल करने तथा साफ-सुथरी चुनाव प्रक्रिया में हार चुके राजनैतिक उम्मीदवार से मिलीभगत कर आधारहीन वाद अपील को स्वीकार कर अपने स्तर पर ही न्याय विरुद्ध निर्णय देकर नियमानुसार निर्विरोध निर्वाचित उक्त सहकारी समिति के अध्यक्ष को अवैध करार देने वाले इकाई रिटर्निंग अधिकारी पाली ''उप रजिस्टार सहकारिता'' पाली को निलम्बित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। तिथिवार अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) देसूरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., देसूरी के दिनांक 9.12.2011 को सम्पन्न हुए निर्वाचन के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 58 के अन्तर्गत दिनांक 3.2.2012 को निर्णीत एक वाद में पंच निर्णायक एवं उप पंजीयक, सहकारी समितियां, पाली द्वारा उक्त निर्वाचन को अवैध घोषित किया गया, जिसके विरुद्ध एक अपील राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण, जयपुर में विचाराधीन है तथा प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन है।

(3) देसूरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., देसूरी की चुनाव प्रक्रिया के दौरान इकाई रिटर्निंग अधिकारी एवं उप पंजीयक, सहकारी समितियां, पाली के आदेश दिनांक 30.11.2011 द्वारा निर्वाचन अधिकारी परिवर्तित किया गया।

उक्त समिति के निर्वाचन को पंच निर्णायक एवं उप पंजीयक, सहकारी समितियां, पाली द्वारा उनके समक्ष राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 58 के अन्तर्गत प्रस्तुत एक वाद में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2012 द्वारा अवैध घोषित किया गया, जिसके विरुद्ध राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण, जयपुर के समक्ष एक अपील विचाराधीन है, जो न्यायिक प्रक्रियाधीन है।

(4) चुनाव के समय चुनाव अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। चुनाव सम्बन्धी तिथिवार कार्यक्रम परिशिष्ट-1 पर एवं दस्तावेज परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन होने से जांच कराने का औचित्य नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भूमि विकास बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा

246. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषकों को फसली ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? यदि हां, तो निवाई एवं पीपलू तहसील में विगत तीन वर्षों में किन-किन कृषकों को फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार फसली ऋण वितरण व्यवस्था को चालू रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या प्रदेश के समस्त व्यवसायिक बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध करवाने से भूमि विकास बैंकों के ऋण व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या सरकार भूमि विकास बैंकों के माध्यम से भी भूमि के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड (कृषक साख सीमा) उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नाबार्ड की फसली ऋण योजना के अन्तर्गत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक फसली ऋण वितरित किया है। टोंक की निवाई एवं पीपलू तहसील में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा गत तीन वर्षो में वितरित फसली ऋण की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण वितरण व्यवस्था वर्तमान में चालू है। भूमि विकास बैंकों द्वारा फसली ऋण वितरण नाबार्ड से रियायती दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध होने पर जारी रह पायेगा।

(3) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों हेतु नाबार्ड द्वारा फसली ऋण हेतु पुनर्वित्त बन्द करने एवं भारत सरकार की ऋण अनुदान योजना को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी कृषकों को लाभ नहीं दिये जाने के कारण कृषक प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के स्थान पर व्यवसायिक बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण ले रहे हैं।

(सहकारिता मंत्री)

(4) यदि नाबार्ड द्वारा फसली ऋण हेतु पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है तो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक अपने ऋणी कृषक की कृषि भूमि के आधार पर कृषक साख सीमा निर्धारित कर फसली ऋण उपलब्ध करा सकेगी।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-247

(स्थगित)

रायसिंहनगर की जन समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही

248. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या जन अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2010 तक गांवों के दौरे व जनसुनवाई के दौरान दिनांक 29-08-2010 को विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्री विजयनगर, डाबला और जैतसर में नरेगा व घग्घर फ्लड का निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो निरीक्षण के दौरान प्राप्त हुए ज्ञापन व बताई गई समस्याओं के निराकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अधिशासी अभियंता, जल संसाधन दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 29.08.2010 को किये गये निरीक्षण का कोई निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी किया जाना सम्भव नहीं है। जनवरी-2009 से दिसम्बर-2010 तक प्रशासन गांवों की ओर अभियान के अन्तर्गत एवं अन्य जन सुनवाई शिविरों के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा चुकी है एवं कोई ज्ञापन लम्बित नहीं है।

निःशक्तजनों को जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र की परिवहन निगम बस सेवा में मान्यता

249. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में राज्य के लगभग 3 लाख नि:शक्तजनों को जनवरी, 2011 में विकलांगता प्रमाण पत्र बनाकर दिये गये थे? क्या उक्त प्रमाण पत्र एक चिकित्सक के हस्ताक्षर से जारी होने की वजह से इन विकलांगता प्रमाण पत्रों को नहीं माना जा रहा है? क्या इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन पत्र जारी कर राजस्थान रोडवेज को दिया गया है? यदि नहीं, तो विकलांगता प्रमाण पत्रों की उपादेयता क्या है?

(2) क्या यह भी सही है कि नि:शक्तजनों से उपायुक्त को प्राप्त शिकायतों के बाद 10 जनवरी, 2012 को सरकार द्वारा राजस्थान पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबन्धक निदेशक को पत्र लिखा गया और पत्र में निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के आदेश की पालना क्यों नहीं की जा रही? यदि हां, तो उस पर अब तक परिवहन निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासन गांव के संग अभियान में लगभग 2.94 हजार नि:शक्तता प्रमाण पत्र बनाकर दिये गये थे। जी नहीं, निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 16 (1)( ) डी.सी/डी.डब्ल्यू/एसजेईडी/2010/59025 दिनांक 04.11.2010 एवं इस अधिसूचना की पालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प 16 (5) चिस्वा./2/1998 दिनांक 29.06.2010 के अन्तर्गत जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्रों को माना जा रहा है। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन पत्र जारी कर निगम को नहीं दिया गया है तथा उक्तानुसार जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्रों को माने जाने से उनकी उपादेयता सिद्ध है।

(2) नि:शक्तता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशालय नि:शक्तजन द्वारा दिनांक 16.01.2012 को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ इसी दिनांक को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा निगम के समस्त मुख्य प्रबन्धकों को उपरोक्तानुसार उल्लेखित अधिसूचना/परिपत्र की पालना के निर्देश जारी किये।

राजगढ़-दौसा वाया डेरा (अलवर) बस सेवा का पुनर्संचालन

250. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ (अलवर) से वाया डेरा, बांदीकुई होती हुई बस दौसा चलती थी, जिसे बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा की दृष्टि में उक्त बस सेवा पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । अक्टूबर 2004 में प्रश्नगत मार्ग पर निगम बस का संचालन पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने के कारण बन्द करना पड़ा। अप्रैल, 2004 से अक्टूबर 2004 तक की बस संचालन अवधि का यात्रीभार निम्नानुसार रहा:-

माह	प्राप्त यात्री भार (प्रतिशत में)
अप्रैल-2004	59
मई-2004	65
जून-2004	62
जुलाई-2004	59
अगस्त-2004	53
सितम्बर-2004	45
अक्टूबर-2004	31

(2) जी हां। प्रश्नगत मार्ग के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा के तहत वर्ष 2011-12 से अगले तीन वर्षो में ग्राम पंचायत मुख्यालयों को बस सेवा से जोड़े जाने की कार्यवाही के दौरान पुनः इस मार्ग पर निगम बस सेवा संचालित किये जाने की योजना प्रक्रियाधीन है।

भरतपुर-रूपवास-रूदावल निगम बस सेवा

251. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ग्यारसाराम कोली)

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर से रूपवास होकर रूदावल के लिये सायं 6 बजे बाद कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रूट से लगभग 50 गांव जुड़ते हैं?

(3) क्या सरकार सायं 6 बजे से एक रोडवेज बस भरतपुर से रूपवास होकर जटमांसी मार्ग से रूदावल रात्रि विश्राम और सुबह उसी मार्ग से भरतपुर जाने के लिये चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। भरतपुर से रूपवास, जटमांसी वाया रूदवाल मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों से गुजरने वाली सड़कों की निगम बसों के संचालन के लिए आवश्यक चौड़ाई नही होने के कारण इस मार्ग पर निगम बस सेवा के संचालन का कोई विचार नहीं है।

जोधपुर शहर में निजी बस स्टैण्ड हेतु स्थान का निर्धारण

252. **श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में निजी बसों के स्टैण्ड का स्थान निर्धारित करने हेतु निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक निजी बस स्टेण्ड का स्थान निर्धारण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक स्थान निर्धारित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर में राज्य परिवहन निगम द्वारा स्टैण्ड से एक किलोमीटर की परिधि में निजी बस स्टैण्ड नहीं होने का नोटिफिकेशन जारी नहीं करने के क्या कारण रहे व इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में निजी बसों के स्टैण्ड का स्थान निर्धारित करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 18 (5)

(परिवहन राज्य मंत्री)

न्यायिक/यातायात/2003/1850 दिनांक 07.05.2003 (संलग्न परिशिष्ट '1') द्वारा पुलिस थाना, प्रतापनगर क्षेत्र में कमला नेहरू नगर बस स्टैण्ड तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 24 (10) (1) न्यायिक/2005/209 दिनांक 11.03.2005 (संलग्न परिशिष्ट '2') द्वारा कल्याण सिंह कालवी प्याऊ, बनाड़ रोड पर निजी बस स्टेण्ड अधिसूचित किये गये हैं।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात), जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक प 2 ( ) पुउपा.मु. एवं/याता/जोध/अधि/11/1274-1314 दिनांक 29.09.2011 (संलग्न परिशिष्ट '3') के द्वारा काजरी संस्थान के पास संविदा वाहनों हेतु पार्किंग स्थल अधिसूचित किया गया है।

(2) जी नहीं। निजी बस स्टैण्ड का निर्धारण कर दिया गया है।

(3) जोधपुर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्य बस स्टैण्ड से एक किलोमीटर परिधि में संविदा अनुज्ञापत्रधारी बसों के लिये नो पार्किंग जोन (No Parking Zone) जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 24 (10) न्यायिक/यातायात/07/1089 दिनांक 28.02.2007 (संलग्न परिशिष्ट '4') द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(संलग्नक पुस्तकालय में रखा गया)

परिवहन निगम को प्राप्त दुर्घटना बीमा राशि

253. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों से बीमा चार्ज वसूला जाता है? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2011 तक निगम को इससे कितनी आय हुई तथा कितने यात्रियों को क्लेम देना पड़ा? डिपोवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि परिवहन निगम की बसों का भी बीमा कराया जाता है? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2011 के बीच कितनी बसों का बीमा कराया गया व निगम को कितना प्रीमियम देना पड़ा और दुर्घटना के मामलों में कितना मुआवजा बीमा कम्पनियों से प्राप्त हुआ ? डिपोवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2011 में रोडवेज के कितने ड्राइवर व कण्डक्टरों के विरुद्ध कौन-कौन से मुकदमे दर्ज किए गये और उनमें किस-किस पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? डिपोवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । जनवरी 2009 से दिसम्बर 2011 तक इस पेटे 9624.70 लाख रु. की आय हुई है तथा 3415 यात्रियों को बीमा क्लेम दिया गया । मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत स्थापित मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरणों के आदेशों के अनुरूप निगम बसों की दुर्घटना के कारण प्रभावित यात्रियों के क्लेम का भुगतान निगम मुख्यालय से किया जाता है जिसके कारण डिपोवार क्लेम वर्गीकरण का संधारण नहीं किया जाता है।

(2) जनवरी 2009 से दिसम्बर 2011 के मध्य केवल डीलक्स आगार की 25 बसों (15 वोल्वो एवं 10 मर्सडीज) का निगम द्वारा कॉम्प्रेहेन्सिव बीमा करवाया गया था, जिसके एवज में वर्ष 2010 में 25 वाहनों हेतु रु. 22,85,930.00 तथा वर्ष 2011 में रु. 23,62,840.00 प्रीमियम का भुगतान किया गया है।

उक्त बीमित बसों में से वर्ष 2010 में दुर्घटनाग्रस्त 7 बसों के लिये बीमा क्लेम राशि रु. 14,87,991.00 के विरुद्ध 1 प्रकरण के निस्तारण के परिणामस्वरूप रु. 8,82,100 का भुगतान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार वर्ष 2011 में 21 दुर्घटना प्रकरणों की क्लेम बीमा राशि रु. 47,39,235.00 के विरुद्ध 2 प्रकरणों के निस्तारण के फलस्वरूप रु. 43,692.00 की राशि का भुगतान प्राप्त हुआ। निगम द्वारा उक्त बसों के अतिरिक्त किसी भी बस का बीमा नहीं करवाया गया है।

(3) वर्ष 2011 में निगम के चालक व परिचालकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों से सम्बन्धित आगारवार विवरण परिशिष्ट "1" व परिशिष्ट "2" पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले के कस्बों हेतु प्रस्तावित निगम बस सेवा

254. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला जैसलमेर के म्यांजलार, रामगढ़, सम, मोहनगढ़, झिंझनीयाली व नाचना कस्बों में निगम बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) वर्तमान में जिला जैसलमेर के विभिन्न गांवों को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु कौन-कौन से मार्ग प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के प्रश्नगत कस्बों में से रामगढ़ एवं नाचना कस्बे राजस्थान पथ परिवहन निगम सेवा से जुडे हुऐ है। शेष कस्बे, जो कि सभी ग्राम पंचायत हैं, को वर्ष 2011-12 की बजट घोषणान्तर्गत पीपीपी माडल के आधार पर आगामी 3 वर्षो में बस सेवा से जोडा जायेगा।

(2) जिला जैसलमेर के तेजरावा, बांधा, दव, हरनाउ, कपुरिया, पोछीणा व सीतोडाई को जोड़ने के लिए निम्न मार्गो के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु विचाराधीन हैं:-

क्र. सं.	गांव का नाम जो बस सेवा से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया है	मार्ग का नाम जिसमें प्रस्तावित गांव को बस सेवा से जोड़ना है
1	तेजरावा	फतेहगढ़-म्याजलार
2	बांधा	जैसलमेर-मीरवाला, जैसलमेर-बांधा
3	दव	जैसमलेर-पोछीणा
4	हरनाउ	जैसलमेर-कपूरिया
5	कपूरिया	जैसलमेर-कपूरिया
6	पोछीणा	जैसलमेर-पोछीणा
7	सीतोडाई	जैसलमेर-चेलक-कोसाउ

ईण्टाली-उदयपुर मार्ग पर संचालित निजी बस सेवाएं

255. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम-ईण्टाली, तहसील-मावली से उदयपुर शहर के लिये रोडवेज की बस संचालित है? यदि हां, तो कितने अन्तराल से?

(2) क्या प्रातः इसी राष्ट्रीयकृत मार्ग पर रोडवेज की बस से पूर्व ईण्टाली से उदयपुर (वाया रूण्डेडा, नवानियां, वल्लभनगर) निजी बसें समानान्तर रूप से संचालित हैं? यदि हां, तो कितनी? संख्या एवं समय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त निजी मिनी बस को परमिट जारी किया गया है? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो बिना परमिट के बस संचालन जारी रहने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(4) क्या सरकार द्वारा निजी बसों के परमिट एवं बिना परमिट के संचालित बसों की जांच की जाती है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में उक्त मार्ग पर कब-कब, किस-किस बस के परमिट एवं बिना परमिट के संचालित बसों की जांच की गई? विवरण वाहन संख्या सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर से ईण्टाली पंचम अध्याय मार्ग पर केवल एक बस सेवा का संचालन निम्न समयानुसार किया जा रहा है :-

उदयपुर से 16:00 बजे

ईण्टाली से 07:00 बजे

(2) उदयपुर-ईण्टाली अराष्ट्रीयकृत मार्ग के भाग को 3 निजी मार्ग ओवरलेप करते हैं। इन तीन मार्गों पर 45 अनुज्ञापत्र एवं 87 एकल सेवाएं स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा निजी बसों/मिनी बसों को जारी अनुज्ञापत्रों का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(4) विभाग द्वारा नियमित रूप से एवं समय-समय पर अभियान के रूप में बिना अनुज्ञापत्र संचालित वाहनों के विरुद्ध एवं अनुज्ञापत्रधारी वाहनों के नियमानुसार संचालन बाबत् चैकिंग कर कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2010-11 में उक्त मार्ग पर एक वाहन बिना अनुज्ञापत्र संचालित होते हुये पाया गया। उक्त वाहन संख्या आरजे 27-पी-2685 का चालान क्रमांक 3271273 दिनांक 19.02.2011 को बनाया गया। वर्ष 2011-12 में उक्त मार्ग पर कोई वाहन बिना अनुज्ञापत्र संचालित होते हुये नहीं पाया गया।

उदयपुर से ईण्टाली के लिए संचालित अनुज्ञापत्रधारी बस/मिनी बस के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा-करेडा वाया रायपुर निगम बस सेवा

256. **श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में रायपुर उप खण्ड मुख्यालय होने के बावजूद भी पथ परिवहन निगम की एक भी बस नहीं चल रही है?

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

(2) क्या पूर्व में सरकार द्वारा भीलवाड़ा-करेड़ा (वाया रायपुर) मार्ग परमिट स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर?

(3) क्या ग्राम पंचायत को पंचायत समिति व पंचायत समिति को जिले व राजधानी से जोड़ने हेतु नयी रोडवेज की बसें चलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उन बसों को कब तक शुरु किया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के उप खण्ड मुख्यालय रायपुर से जयपुर एवं वापसी के लिए निगम की एक बस सेवा संचालित है जिसकी समय सारिणी निम्नानुसार है:-

जयपुर	रायपुर	रायपुर	जयपुर
10:30	20:00	06:00	15:30

(2) भीलवाड़ा से करेड़ा वाया रायपुर मार्ग के लिए कोई परमिट स्वीकृत नहीं किया गया है। परन्तु गंगापुर से करेड़ा वाया रायपुर मार्ग के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को मई, 2006 में 2 तथा निजी वाहन स्वामियों को वर्ष 1996 में 3, वर्ष 1999 में 2, वर्ष 2003 में 2, वर्ष 2005 में 4, वर्ष 2006 में 1, वर्ष 2007 में 1 व वर्ष 2008 में 2 अर्थात कुल 15 परमिट स्वीकृत किये गये।

(3) जी नहीं। वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निगम द्वारा पीपीपी माडल पर सेवाओं का विस्तार किया जावेगा और तीन वर्षों में समस्त पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ा जायेगा। इसके अन्तर्गत संदर्भित विधान सभा की ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों को जोड़े जाने की कार्यवाही भी विचाराधीन है।

माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा) में उप जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना

257. **श्री प्रदीप कुमार सिंह** (माण्डलगढ़) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार माण्डलगढ़ में उप जिला परिवहन कार्यालय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

(2) जिला भीलवाड़ा में रजिस्टर्ड सभी वाहनों में माण्डलगढ़ एवं बिजोलिया उप खण्ड तथा कोटड़ी उप खण्ड क्षेत्र के सभी प्रकार के वाहनों की संख्या कितनी है? श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) मांडलगढ़ में नवीन उप जिला परिवहन कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में स्टाफ, आधारभूत सुविधाओं तथा बजट की उपलब्धता के विश्लेषण तथा समग्र नीतिगत निर्णय उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर ही यथासमय उचित निर्णय सम्भव हो सकेगा।

(2) जिला भीलवाड़ा में रजिस्टर्ड सभी वाहनों में माण्डलगढ़ एवं बिजौलिया उप खण्ड तथा कोटड़ी उप खण्ड क्षेत्र के सभी प्रकार के वाहनों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वाहनों का प्रकार	संख्या
1.	बसें एवं मिनी बसें	196
2.	भार वाहन एवं आटो रिक्शा, गुड्स वाले	1405
3.	टैक्सी एवं आटो रिक्शा, पैसेंजर वाले	185
4.	जीप एवं कार	4814
5.	ट्रैक्टर	6625
6.	ट्रोली एवं कन्सट्रेक्शन इक्विपमेन्ट	3239
7.	मोटर साईकिल	62440
	योग	**78904**

बस्सी (जयपुर) की फल सब्जी मण्डी में दुकान आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन

258. **श्रीमती अंजु खन्गवाल** (बस्सी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज फल एवं सब्जी मण्डी मुहाना, जयपुर की गौण फल एवं सब्जी मण्डी बस्सी में दुकानों का आबंटन किस आधार पर किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अंजु खन्गवाल)

(3) फल एवं सब्जी मण्डी बस्सी में दुकानों के आबंटन के लिये सरकार द्वारा क्या योग्यता निर्धारित की गई है?

(4) उक्त आबंटन हेतु प्राप्त कितने प्रार्थना पत्र क्यों निरस्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (फल एवं सब्जी) जयपुर के जिन्स विशिष्ठ टमाटर मण्डी प्रांगण बस्सी में अचल सम्पति आबंटन नीति 2005 के प्रावधानों के अनुसार द्वितीय चरण के तहत डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत पर लाटरी पद्धति से भूखण्ड आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) मण्डी समिति द्वारा दिनांक 4.2.11 को जारी विज्ञप्ति के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्नानुसार है-

1. महिला कृषक - 202 आवेदन पत्र

2. विधमान मण्डी के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी - 74 आवेदन पत्र

3. जिन्स विशिष्ठ के इच्छुक व्यवसायी - 3 आवेदन पत्र

(3) जिन्स विशिष्ठ मण्डी प्रांगणों में भूखण्ड आबंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फल एवं सब्जी मण्डी बस्सी में दुकानों के आबंटन के लिए निम्न योग्यता निर्धारित की गई है-

1. महिला कृषक वर्ग - मण्डी क्षेत्र की महिला कृषक जिसके नाम कृषि भूमि हो तथा मण्डी क्षेत्र में स्थाई निवास हो।

2. विद्यमान मण्डी के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी - जिन्स विशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य फल सब्जियों के अनुज्ञापत्रधारी व्यवसायी।

3. जिन्स विशिष्ठ के इच्छुक व्यवसायी - जिन्स विशिष्ठ टमाटर के निर्यातक, राज्य से बाहर के व्यवसायी एवं जिन्स विशिष्ठ की मूल्य सवंर्धन/औधोगिक इकाई व मूल्य संवर्धन उत्पादों के सीधे निर्यातक आदि ।

(4) आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अभी तक कोई भी आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया गया है।

कोटकासिम (अलवर) में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

259. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामहेत सिंह)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के उप खण्ड मुख्यालय कोटकासिम में किसानों की मांग के अनुसार कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। कोटकासिम में कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने के निर्धारित मापदण्ड में नहीं आने के कारण स्थापित किया जाना उपयुक्त नहीं है।

पावटा (जयपुर) गौण कृषि उपज मण्डी से प्राप्त राशि

260. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के पावटा में चल रही गौण मण्डी बिना यार्ड के चल रही है तथा सरकार को 30 लाख से भी ज्यादा प्रतिवर्ष आय हो रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा नवीन मण्डी यार्ड नहीं बनाने के क्या कारण हैं?

(2) गत पांच वर्षों में पावटा गौण मण्डी को शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष कितनी आय प्राप्त हुई तथा मण्डी की सड़कों एवं कस्बे की सड़कों की मरम्मत हेतु उक्त अवधि में कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गौण मण्डी पावटा कस्बे के बाजार में संचालित है। जिसकी वर्ष 10-11 में मण्डी शुल्क से आय 28.79 लाख रुपये रही है। गौण मण्डी प्रांगण निर्माण कराने हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है एवं इस हेतु कृषि उपज मण्डी समिति कोटपूतली के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है।

(2) वर्ष 2005-06 से 2010-11 तक की अवधि में गौण मण्डी पावटा की मण्डी शुल्क से आय एवं क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत पर किये गये व्यय का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

गौण मण्डी यार्ड पावटा (कोटपूतली) की गत पांच वर्षों की मण्डी शुल्क से आय

क्र.सं.	वर्ष	मण्डी शुल्क से आय
1	2005-06	25.62
2	2006-07	23.40
3	2007-08	23.89
4	2008-09	24.87
5	2009-10	26.91
6	2010-11	28.79
	योग	153.48

परिशिष्ट –ब

गौण मण्डी यार्ड पावटा (कोटपूतली) की गत पांच वर्षों की सड़क मरम्मत पर व्यय का विवरण

क्र. सं.	नाम सड़क	लम्बाई (कि.मी.) मे	प्रशासनिक स्वीकृति राशि लाखों में	व्यय लाखों में	कार्य पूर्णता तिथि
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 2007-08				
1	विशेष मरम्मत पाछुडाला	1.750	8.65	8.35	11.02.08
2	विशेष मरम्मत एनएच 8 से खेलना	2.800	13.88	13.85	11.02.08
3	विशेष मरम्मत पावटा नरेना रोड से बुचारा	7.800	39.52	32.53	11.02.08
4	विशेष मरम्मत नीम का थाना रोड से निहालपुरा	5.850	29.15	24.35	07.11.07

1	2	3	4	5	6
5	विशेष मरम्मत गोवर्धनपुरा चौकी कराणा रोड से भालोजी	2.810	13.87	11.05	07.11.07
6	विशेष मरम्मत एन एच 8 से पाथरेडी	3.150	15.56	14.42	07.11.07
	वर्ष 2008-09				
7	विशेष मरम्मत मण्ढा से भांकरी	2.550	20.70	20.61	03.02.09
8	विशेष मरम्मत गोविन्दपुरा कासंली से पवाना अहीर	3.700	26.91	26.07	03.02.09
9	विशेष मरम्मत एन एच 8 से मोरधा	1.825	13.80	13.68	03.02.09
10	विशेष मरम्मत बनेठी देवता रोड से छारदडा	3.010	23.46	23.27	03.02.09
	योग :-	**32.245**	**205.50**	**188.18**	

नोट : वर्ष 2005-06, 2006-07 व 2010-11 में मरम्मत कार्य पर व्यय नहीं हुआ है।

अलवर जिले में प्रस्तावित कृषि उपज मण्डियां

261. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि विकास एवं समुचित विपणन हेतु किन-किन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? उक्त योजनाओं के प्रावधान, मानदण्ड एवं लाभान्वितों की पात्रता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रदेश में कहां-कहां नवीन अनाज मण्डी, सब्जी मण्डी एवं कृषि उत्पाद हेतु विपणन केन्द्र खोले गये तथा इन नवीन केन्द्रों के खोले जाने हेतु क्या-क्या अर्हताएं आवश्यक थीं एवं किन आधार पर इन्हें मंजूरी प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला अलवर के रामगढ़ कस्बे में सब्जी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

मण्डी खोलने की कोई कार्य योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के नौगांवां कस्बे में अनाज मण्डी खोले जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि विकास हेतु निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

कृषि विभाग

नाम योजना	**प्रावधान वर्ष 2011-12 राशि करोड़ रूपये में**
राज्य योजना	385.17
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि विभाग)	428.09
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	72.88
कृषि तकनीकी प्रबन्ध अधिकरण (आत्मा)	22.65
तिलहन, दलहन, आईलपॉम, तथा मक्का की समन्वित योजना (आईसोपॉम)	87.44
सघन कपास विकास कार्यक्रम	0.84
कार्य योजना	15.09

उपरोक्त योजनाओं के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं। इन योजनाओं में सभी श्रेणी के कृषक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उद्यानिकी विभाग

सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि विकास हेतु उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय बम्बू मिशन व राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के प्रावधान, मानदण्ड एवं लाभान्वितों की पात्रता विवरण परिशिष्ट-2 पर व योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु सम्पर्क सूत्र परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

कृषि विपणन विभाग

प्रदेश मे विपणन हेतु 129 मुख्य मण्डियों एवं 305 गौण मण्डियां संचालित हैं। कृषकों को वैकल्पिक बाजार उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 में सीधी खरीद, निजी मण्डियां, संविदा खेती, एकल अनुज्ञापत्र एवं ई मार्केट के प्रावधान शामिल किये गये हैं।

(2) प्रदेश में विगत 3 वर्षो में निम्न कृषि उपज मण्डी समितियां स्थापित की गई है-

फलौदी, मण्डावरी, कोटा (फल सब्जी), अन्ता

उक्त मण्डी समितियों के अतिरिक्त निम्न उप मण्डियां स्थापित की गई - आसोप (पीपाड़शहर), कैलवाडा (बारां), नापासर (बीकानेर अनाज), लोहावट (फलौदी), नाचना व रामगढ (जैसलमेर)। कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना हेतु दिनांक 20.03.2012 से पूर्व 20 लाख रुपये वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित थे जिसे बढ़ाकर अब 40 लाख रुपये कर दिया गया हैं। उप मण्डी स्थापना हेतु राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उप मण्डी यार्डो की स्थापना) नियम 1987 प्रभावी है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है ।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर के अधीन रामगढ घोषित उप मण्डी यार्ड है जो कस्बे के पुराने बाजार में संचालित है।जिसमें अनाज एवं फल सब्जी का व्यवसाय होता है। रामगढ़ में फल सब्जी मण्डी पृथक से स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रामगढ़ में फल सब्जी के मात्र 4 अनुज्ञापत्रधारी है। फल सब्जी से वार्षिक आय भी बहुत कम है। अतः फल सब्जी मण्डी की स्थापना किया जाना आर्थिक रूप से वाइबल (Viable) नहीं है।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर के अधीन नौगांवा घोषित उप मण्डी यार्ड है जो कस्बे के पुराने बाजार में संचालित है। नौगांवा में नवीन मण्डी यार्ड निर्माण हेतु अभी तक भूमि उपलब्ध नही है। भूमि उपलब्ध होने पर ही यार्ड निर्माण हो सकेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुचामन सिटी कृषि उपज मण्डी समिति में नियम विरुद्ध दुकानों का आबंटन

262. **श्री पेमाराम** (धोद) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पेमाराम)

(1) कृषि मण्डियों में दुकान आबंटन के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी में दुकान मय गोदाम आबंटन के लिये आबंटन से ठीक पूर्व के कम से कम दो वित्तीय वर्षों में फर्म द्वारा अधिसूचित कृषि जिंसों का व्यापार करना अनिवार्य है? यदि हां, तो कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी में दुकान आबंटित फर्म पारसबाय ट्रेडिंग कम्पनी, खूबचन्द अशोक कुमार जैन ब्रदर्स लालास, जैन सेस कुचामन सिटी का विगत 3 वर्षों में टर्न ओवर क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त फर्मों द्वारा विगत दो वर्षो में अधिसूचित जिंसों का व्यापार नहीं करने के उपरान्त भी उन्हें दुकान क्यों आबंटित की गई जबकि नवीन ट्रेडर्स नाम फर्म को कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी द्वारा लाटरी में हेराफेरी करके दुकान व गोदाम आबंटन से वंचित रखा गया?

(4) कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी जिला नागौर द्वारा दिनांक 12-01-2012 को दुकानों की नियम विरुद्ध लाटरी निकालकर दुकानों मय गोदामों का गलत आबंटन करने के लिये कौन-कौन दोषी हैं और दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या उक्त प्रकरण की संयुक्त निदेशक द्वारा जांच की गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डियों में दुकान/भूखण्ड आबंटन अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 के अन्तर्गत किया जाता है। आवंटन नीति 2005 परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) जी नहीं । प्रश्नांकित आबंटन अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 के तहत द्वितीय चरण के लिए निर्धारित प्रावधानान्तर्गत किया गया। द्वितीय चरण में आबंटन हेतु आबंटन के वर्ष से ठीक पूर्व के वर्ष में व्यापार होने पर आरक्षित दर पर आबंटन करने एवं डेढ़ गुना राशि पर ऐसे आवेदक को भी भूखण्ड/दुकान आबंटन किए जाने का प्रावधान है, जिन्होंने पूर्व में अधिसूचित कृषि जिन्सों का व्यवसाय नहीं किया है। प्रश्नांकित फर्मों को उक्त प्रावधानान्तर्गत ही व्यवसाय (टर्नओवर) न होने पर भी डेढ़ गुना राशि पर आबंटन किया गया है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(3) प्रश्नांकित फर्मों को आबंटन गैर व्यवसायरत फर्में होने के कारण आरक्षित दर की डेढ़ गुना राशि में अचल सम्पत्ति आबंटन 2005 के प्रावधानानुसार है। मैसर्स नवीन ट्रेडर्स को भी आबंटन में शामिल किया गया था लेकिन आबंटन लाटरी से होने का प्रावधान होने के कारण फर्म लाटरी में सफल नहीं होने के कारण आबंटन नहीं हो सका।

(4) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी द्वारा दिनांक 12.1.2012 को दुकानों के आबंटन हेतु कोई लाटरी नहीं निकाली गई। प्रश्नांकित आबंटन दिनांक 12.1.2011 को किया गया था जो कि अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। जिसमें कोई दोषी नहीं है।

(5) जी हां। प्रकरण में संयुक्त निदेशक द्वारा की गई जांच रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा नगर में कार्यरत होम गार्डस

263. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) :क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही हे कि कोटा नगर निगम में होम गार्डस बेल्ट नं. 200, 201, 208, 715,458 को अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तक लगातार नियम विरुद्ध, रोटेशन प्रणाली को नजरअंदाज कर ड्यूटी लगाई गई? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला कोटा में ऐसे कितने होम गार्डस हैं जिन्होंने लगातार तीन माह से अधिक ड्यूटी की है ? अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 तक एवं अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2012 तक का नगर निगम, हवाई अड्डा, यू.आई.टी. एवं यातायात व्यवस्था में लगाई गई ड्यूटी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि कोटा नगर निगम में होम गार्डस बैल्ट नं. 200, 201, 208, 715, 458 को अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक लगातार नियम विरुद्ध रोटेशन प्रणाली को नजरअंदाज कर डयूटी लगाई गई हो। अतः इसमें कोई दोषी अधिकारी नही है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

(गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री)

(2) कोटा जिले में लगातार तीन माह से अधिक ड्यूटी किसी भी स्वयं सेवक द्वारा नहीं की गई है। वर्ष 2007 से मार्च 2010 तक एवं अप्रैल 2010 से जनवरी 2012 तक का नगर निगम, हवाई अडडा, यू.आई.टी. एवं यातायात व्यवस्था हेतु डयूटी पर नियोजित स्वयं सेवकों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट अ

वर्ष 2007 से मार्च 2010 तक एवं अप्रैल 2010 से जनवरी 2012 तक का नगर निगम, हवाई अडडा, यू.आई.टी. एवं यातायात व्यवस्था हेतु ड्यूटी पर नियोजित स्वयं सेवकों का विवरण

क्र. सं.	माह का नाम	विभागों का नाम जिसमें स्वयं सेवकों को नियोजित किया गया			
		नगर निगम	हवाई अडडा	यातायात	निगर विकास न्यास
1	2	3	4	5	6
1	अप्रैल 2007	36	22	30	20
2	मई 2007	47	22	30	20
3	जून 2007	47	22	30	235
4	जुलाई 2007	69	22	30	120
5	अगस्त 2007	70	22	30	259
6	सितम्बर 2007	52	22	30	344
7	अक्टूबर 2007	52	22	30	250
8	नवम्बर 2007	40	22	30	304
9	दिसम्बर 2007	38	22	30	307
10	जनवरी 2008	38	22	30	243
11	फरवरी 2008	38	22	30	244

1	2	3	4	5	6
12	मार्च 2008	38	22	30	243
13	अप्रैल 2008	38	22	30	243
14	मई 2008	42	22	30	243
15	जून 2008	42	22	30	172
16	जुलाई 2008	42	22	30	172
17	अगस्त 2008	42	22	30	166
18	सितम्बर 2008	45	22	30	201
19	अक्टूबर 2008	53	22	30	159
20	नवम्बर 2008	54	22	30	108
21	दिसम्बर 2008	54	22	30	108
22	जनवरी 2009	51	22	30	108
23	फरवरी 2009	50	27	30	105
24	मार्च 2009	56	27	30	108
25	अप्रैल 2009	57	27	30	108
26	मई 2009	57	27	30	102
27	जून 2009	57	27	30	102
28	जुलाई 2009	56	26	30	96
29	अगस्त 2009	54	27	30	107
30	सितम्बर 2009	54	27	30	101
31	अक्टूबर 2009	54	27	30	104
32	नवम्बर 2009	54	26	30	104
33	दिसम्बर 2009	54	26	30	104
34	जनवरी 2010	57	26	30	104

1	2	3	4	5	6
35	फरवरी 2010	56	27	30	100
36	मार्च 2010	58	27	30	101
37	अप्रैल 2010	56	27	30	102
38	मई 2010	54	27	30	94
39	जून 2010	54	27	30	96
40	जुलाई 2010	56	27	30	97
41	अगस्त 2010	52	36	30	93
42	सितम्बर 2010	53	36	30	92
43	अक्टूबर 2010	54	36	30	92
44	नवम्बर 2010	51	32	30	98
45	दिसम्बर 2010	54	34	30	92
46	जनवरी 2011	55	36	30	98
47	फरवरी 2011	54	36	30	94
48	मार्च 2011	53	36	30	91
49	अप्रैल 2011	52	36	27	90
50	मई 2011	54	36	28	89
51	जून 2011	60	36	30	104
52	जुलाई 2011	59	36	30	104
53	अगस्त 2011	59	36	30	104
54	सितम्बर 2011	59	36	30	102
55	अक्टूबर 2011	57	36	30	104
56	नवम्बर 2011	58	36	30	99
57	दिसम्बर 2011	58	36	30	104
58	जनवरी 2012	56	36	30	103

नोट : मांग कर्ता एजेन्सी की मांग के अनुसार किसी माह में कम या किसी माह में अधिक सदस्यों की डयूटी लगायी गयी है, क्योंकि उक्त डयूटियों का भुगतान मांगकर्ता एजेन्सी द्वारा ही किया जाता है।

प्रश्न संख्या-264

(स्थगित)

स्थगित प्रश्न

बुधवार, दिनांक 29 फरवरी, 2012

अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों द्वारा नियम विरुद्ध शुल्क वसूली

36. **श्री पेमाराम** (धोद) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इंजीनियरिंग कालेजों में सेमिस्टर वार फीस लेने के नियम निर्धारित हैं? क्या सरकार द्वारा सत्रवार फीस लेने वाले इंजीनियरिंग के सरकारी व निजी कालेजों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(2) गत तीन वर्षों में प्रदेश के किन-किन सरकारी व निजी कालेजों ने सम्पूर्ण सत्र की फीस एक साथ ली है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर शुल्क लेती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो विद्यार्थियों से ऐसा शुल्क लेने वाली निजी कालेजों के विरुद्ध सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सम्बद्ध महाविद्यालयों को पत्र लिखकर भविष्य में शुल्क निर्धारण समिति के आदेशानुसार फीस लेने की अनुपालना हेतु निर्देशित किया गया। प्रत्युत्तर में महाविद्यालयों से अधिक वसूली की गई फीस के पुनर्दाय एवं आगे सेमेस्टरवाइज़ फीस संकलन के आशय का पत्र प्राप्त किया गया। वार्षिक रूप से शुल्क लेने वाले महाविद्यालयों को चेतावनी पत्र जारी किये गये। जिन संस्थानों ने 2011-12 में दोनों सेमेस्टर की शुल्क एक साथ वसूली है, उनके विरुद्ध वित्तीय दण्ड लगाये जाने तथा भविष्य में सम्बद्धता समाप्त किये जाने का नोटिस दिये जाने बाबत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को निर्देशित किया जा चुका है।

(2) तकनीकी शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा से प्राप्त सूचना अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुल 197 महाविद्यालयों में से केवल 16 निजी महाविद्यालयों द्वारा वार्षिक रूप से फीस ली गई है। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर पृथक् से कोई शुल्क नहीं लेता है। निजी कालेजों द्वारा इस प्रकार के शुल्क लिये जाने की कोई शिकायत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अनुलग्नक-1

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
1	सुबोध इन्स्टिटयूट आफ मैनेजमेंट एंड कैरियर स्टडीज, जयपुर
2	ग्लोबल कालेज आफ टेक्नालोजी, जयपुर
3	ऐश्वर्या कालेज आफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च सेन्टर, जोधपुर
4	इन्टरनेशनल इस्टिटयूट आफ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, जयपुर
5	सनराईज ग्रुप आफ इस्टिटयूशन्स, उदयपुर
6	एक्मे इस्टिटयूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालोजी, अजमेर
7	स्वामी विवेकानन्द इन्स्टिटयूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालोजी, बस्सी, जयपुर
8	दी इन्स्टिटयूट आफ सर्टिफाईड मैनजमेंट एकाउण्टस ऑफ इण्डिया, जयपुर
9	एस.जी.एन. खालसा इन्स्टिटयूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलोजी, श्रीगंगानगर
10	महिला आश्रम इस्टिटयूट आफ मैनेजमेंट, भीलवाड़ा
11	ग्लोबल इन्सिटयूट आफ टेक्नालोजी, जयपुर
12	विनायक कालेज आफ मैनजमेंट, जयपुर
13	आयोजन स्कूल आफ आर्किटेक्चर, जयपुर
14	आईडियल्स इन्टरनेशनल कालेज आफ मैनेजमेंट, प्रतापगढ़
15	सिद्धार्थ इन्स्टिट्यूट आफ माडर्न मैनेजमेंट, जयपुर
16	महात्मा गांधी कालेज ऑफ मैनेजमेंट, जयपुर

बारां जिले के संचालित मदरसों में सुविधाएं

265. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (अंता) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में कितने पंजीकृत मदरसे हैं? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत मदरसों में कितने छात्र किस-किस कक्षा में तालीम प्राप्त कर रहे हैं? मदरसेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त मदरसे किस-किस दिनांक को पंजीकृत हुए एवं किस-किस दिनांक से प्रारम्भ हुए? मदरसावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन ''भाया'')

(4) उक्त मदरसों में सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधा व किस-किस स्तर के कर्मचारी लगाये गये हैं? मदरसावार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त पंजीकृत किस-किस मदरसे के लिए पर्याप्त भवन की व्यवस्था नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त जिले में नये मदरसे पंजीकृत कर प्रारम्भ करने हेतु किस-किस स्थान के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में 125 मदरसे पंजीकृत हैं। पंजीकृत मदरसों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) जिला बारां में 125 पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक कुल 8884 बालक एवं बालिकाएं तालीम प्राप्त कर रहे ह। अध्ययनरत बालकों का कक्षावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(3) जिला बारां में तिथिवार मदरसे पंजीकृत हुए हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) पंजीकृत मदरसों में राजकीय विद्यालयों की भांति निम्न सुविधाएं दी जा रही हैं:-

1. कम्प्यूटर
2. नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें
3. दरी-फर्श व फर्नीचर
4. मिड-डे मील
5. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत टी.एल.एम./एस.एफ.जी. एवं शैक्षिक भ्रमण।

पंजीकृत मदरसों में शिक्षण व्यवस्था के लिए संविदा आधारित उर्दू शिक्षा सहयोगी एवं कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों को मदरसे आबंटित किये गये हैं। मदरसावार संविदा कर्मियों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(5) पंजीकृत मदरसों के भवन की व्यवस्था स्वयं मदरसा प्रबंधन समिति करती है जो कि मस्जिद, स्वयं मदरसे का भवन, निजी भवन, किराये का भवन या पंचायत के भवनों में संचालित किये जाते हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

(6) जिला बारां में नये मदरसे पंजीकृत कर प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित स्थानों से प्रस्ताव विचाराधीन हैं :-

1. छीपाबडौद - 2
2. अटरू - 2
3. अन्ता - 1
4. मांगरोल - 1
5. किशनगंज - 1
6. बारां - 1

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)